लोक-सभा वाद्-विवाद्
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

[खंड 5 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. V contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/Contents

अंक 32, मंगलवार, 6 जुलाई, 1971/15 आषाढ़, 1893 (शक)

No. 32, Tuesday, July 6, 1971/Asadha 15, 1893 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
	निधन-सम्बन्धी उल्लेख **Obituary Reference**	**1**
931.	पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उद्योगों के विकास के लिये अधिक सहायता की मांग — Demand by West Bengal Government for more Aid for Development of Industries	**1**
932.	उत्तर बंगाल बाढ़ नियन्त्रण आयोग द्वारा अनुमोदित तीस्ता नदी के साथ-साथ बांध योजना — Embankment Scheme along River Tista, Approved by North Bengal Flood Control Commission . .	**5**
934.	गोदावरी बांध — Godavari Barrage . . .	6
935.	मध्य प्रदेश के अमलाई स्थित कागज मिल में रायल्टी सम्बन्धी विवाद — Royalty Dispute in Paper Mill at Amlai, Madhya Pradesh	**7**
936.	गोल्ड स्पाट का उत्पादन करने के लिये अतिरिक्त कारखानों की स्थापना — Setting up of Additional Factories for Manufacture of Gold Spot . .	8
937.	रेलवे में चोरी, डकैती की घटनाएं रोकने के उपाय — Measures to Check Incidents of Thefts, Dacoities on Railways . . .	9
938.	रेलवे के प्रबन्ध में कर्मचारियों का भाग लेना — Employees' Participation in the Management of Railways .	10
940.	1971 में भारतीय रेलों में दुर्घटनाएं — Railway Accidents on Indian Railways during 1971	12
941.	निजी फर्मों द्वारा अलाभप्रद रेलवे लाइनों का चलाया जाना — Running of Trains on uneconomic Railway lines by Private Parties . .	13

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
942. उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सम्बोधित करने का तरीका	Mode of Addressing the Judges of High Courts and Supreme Court .	14
943. गंडक परियोजना से पूर्वी नहर के निर्माण के फलस्वरूप मुजफ्फरपुर में पानी की सप्लाई में कमी	Reduction of Water Supply in Muzaffarpur on construction of Eastern Canal from Gandak Project . .	15
945. ईंटों के मूल्य में वृद्धि	Rise in Price of Bricks	17
946. उच्च न्यायालयों द्वारा सदर-मुकामों से बाहर बेंचों की स्थापना	Setting up of Benches of High Courts outside Headquarters . . .	17
948. इंडियन स्टेंडर्ड बैगन कम्पनी लिमिटेड, बर्नपुर को दिये गये बैगनों के आर्डरों में कमी	Decrease in orders for Wagons placed with Indian Standard Wagon Company Ltd., Burnpore . . .	19
951. मध्य-प्रदेश में शक्तिशाली तापीय बिजली घरों की स्थापना	Setting up of Super Thermal Power Units in Madhya Pradesh . .	20
933. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का पुनर्गठन	Reconstitution of Khadi and Village Industries Commission . . .	21
939. दक्षिण में उच्चतम न्यायालय के बैंच की स्थापना	Bench of Supreme Court in South	22
944. रेलवे बोर्ड द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों संबंधी गृह मन्त्रालय के आदेशों की क्रियान्विति	Implementation of orders of Home Ministry regarding Scheduled Castes and Scheduled Tribes by Railway Board	22
947. राजस्थान नहर परियोजना के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Rajasthan Canal Project	23
949. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को सरकारी सहायता	Aid to Khadi and Village Industries Commission from Government .	23
950. रेलवे विभाग में खान-पान की दरों में वृद्धि	Increase in Catering Tariff.	23
952. सीमान्त क्षेत्रों में नियुक्त रेलवे कर्मचारियों को सीमान्त भत्ता	Frontier Allowance to Railway Employees in Frontier Areas . .	24
953. रूस के सहयोग से हल्के वाणिज्यिक यानों के संयंत्र की स्थापना	Setting up of Light Commercial vehicles plant with Russian Collaboration .	24
954. हरिद्वार के हैवी इलेक्ट्रीकल इक्विपमेंट कारखाने का उत्पादन	Production of Heavy Electrical Equipment Plant at Hardwar . .	24

ता० प्र० संख्या S.Q.No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
955.	राजस्थान नहर के लिये अनुदान की मांग / Demand for Grant for Rajasthan Canal	25
956.	सीमेंट की सप्लाई / Supply of Cement . .	25
957.	संयुक्त क्षेत्र के उद्योग / Joint Sector Industries	26
958.	जल कुण्डी परियोजना / Jal Kundi Project	27
959.	गया तथा राजगीर के बीच बड़ी रेलवे लाइन / Broad Gauge Railway line between Gaya and Rajgir	27
960.	गांधीधाम से भुज और गांधीधाम लखपत के बीच बड़ी रेलवे लाइन के लिये सर्वेक्षण / Survey for Broad Gauge line between Gandhidham and Bhuj and from Gandhidham to Lakhapat . .	27
अ० ता० प्र० संख्या U.S.Q.No.		
3946.	आसाम में आटा मिलें स्थापित करने के लिये लायसेंस जारी करना / Issue of Licence for Setting up Flour Mills in Assam	28
3947.	एवरेस्ट साईकिल्स लिमिटेड, गोहाटी (आसाम) द्वारा साईकिल का निर्माण करने वाली मशीन को दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रार्थना / Request for Shifting of Cycle Parts Manufacturing Machine by Everest Cycles Ltd., Gauhati (Assam) .	28
3948.	एवरेस्ट साईकिल्स लिमिटेड, गोहाटी (आसाम) को सामान का आंवटन / Allotment of Material to Everest Cycles Ltd., Gauhati (Assam) . . .	28
3949.	चम्बल नदी की उप-नदियों का निर्माण / Construction of Distributaries of the Chambal River.	29
3950.	बाढ़ से माल्दा में भूमि कटाव और क्षति / Erosion and damage in Malda by Floods	30
3951.	सरायगढ़ से राघोपुर (उत्तर पूर्व रेलवे लाईन) तक पुरानी रेलवे लाइन को फिर से चालू करना / Reopening of Old Railway Line from Saraigarh to Raghopur (North Eastern Railway)	31
3952.	हाल ही के चुनावों में अनियमितताओं के बारे में निर्वाचन आयोग का प्रतिवेदन / Election Commission's Report on Deficiencies during recent Elections	31
3953.	केन्द्रीय इन्जीनियरिंग सेवा के अर्हक अंक / Central Engineering Service qualifying Marks	31
3954.	केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा तथा केन्द्रीय इलैक्ट्रीकल इंजिनियरिंग सेवा में सीधी भर्ती / Direct Recuritment to Central Engineering Service and Central Electrical Engineering Service . .	32

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
3955.	बिहार में सहरसा जिले में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Saharsa District (Bihar)	32
3956.	एकाधिकार विधेयक के पारित किये जाने से पूर्व जारी किये गये लाइसेंसों के प्रश्न पर महान्यायवादी की राय पर विचार	Examination of opinion of Attorney General on question on Licence issued before passing of Monopolies Bill	34
3958.	गुजरात राज्य में फ्रीलैंडगंज, तालुका दाहोद, जिला पंचमहल में डाकतार कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं के लिये प्रार्थना	Request for Medical Facilities to the P & T Staff at Freeland Gunj, Taluka Dahod, District Panchmahals, Gujarat State.	34
3959.	मालेगांव, नासिक (महाराष्ट्र) में औद्योगिक बस्ती	Industrial Estate in Malegaon, Nasik (Maharashtra)	35
3960.	नासिक के आदिवासी क्षेत्रों में बिजली लगाना	Electrification of Tribal Areas of Nasik	35
3961.	बगलन, महाराष्ट्र में हरनबरी बांध के कारण भूमिहीन हुये आदिवासियों को बसाना	Rehabilitation of Tribals Losing Lands in Haranbari Dam in Baglan, Maharashtra.	35
3962.	उठाईगीरी, डिब्बों के तोड़े जाने और चोरियों आदि के कारण पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे को हुई हानि	Loss sustained by North East Frontier Railway due to Pilferage, Wagon Breaking, Thefts etc. . . .	36
3963.	राजस्थान को अनाज मण्डी के स्टेशनों पर माल-डिब्बों का उपलब्ध न होना	Non-availability of Wagons at grain-market station in Rajasthan . .	37
3964.	बिहार में रात में चलने वाली गाड़ियों का रोका जाना	Holding-up of night trains in Bihar	38
3965.	अचल सम्पत्ति की खरीद के बारे में अनुमति	Permission for the purchase of immovable property	38
3966.	वर्ष 1971-81 की विद्युत योजना पर विशेषज्ञों द्वारा की गई आपत्ति	Power Plan for 1971-81 objected to by Experts.	39
3967.	नई औद्योगिक परियोजनाओं में विनियोजन	Investments in new industrial projects	39

अ० ता० प्र० संख्या / U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ / PAGE
3968.	सिकरहना नदी (बिहार) द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के उपाय	Measures to check erosion of Sikrahna River (Bihar)	40
3969.	सोहना उठाऊ सिंचाई योजना, हरियाणा	Sohna Lift Irrigation Scheme, Haryana	41
3970.	ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, टीटागढ़, पश्चिम बंगाल का बन्द किया जाना	Closure of Britannia Engineering Company Ltd., Titagarh, West Bengal	41
3971.	कोयले की कमी के कारण ईंटों के भट्टे बन्द किये जाना	Closure of brick-kinls due to shortage of coal.	42
3972.	भारतीय मानक संस्था के इंस्पैक्टरों द्वारा चाटिया उत्पादकों की जांच	Verification of Sub-standard products by ISI Inspectors	43
3973.	विज्ञापन के लिये एक मराठी साप्ताहिक 'मारमिक' में छत्रपति शिवाजी की फोटो का छापा जानां	Printing of photo of Chhatrapati Shivaji in a Maratha Weekly 'Marmick' for advertisement purpose . .	43
3974.	रेलवे कर्मचारियों में बड़े पैमाने पर नेत्र-रोग	Epidemic of eye conjunctivity among Railway Employees . . .	44
3975.	मनीपुर में सिंचाई बांध	Irrigation Dams in Manipur .	44
3976.	न्यायिक आयुक्त के न्यायालय, मनीपुर में हत्या के अनिर्णीत मुकदमें	Murder cases pending in Judicial Commissioner's Court, Manipur . .	44
3978.	मनीपुर में नकली जवाहरात बनाने के लिये ऋण	Advance of Loans for Manufacture of Artificial Jewellery in Manipur .	45
3979.	उत्तर बंगाल में तापीय विद्युत परियोजना के लिये स्थान	Site for Thermal Power Project in North Bengal	45
3980.	पश्चिम बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना	Industries in Backward Areas of West Bengal	46
3981.	उत्तरी बंगाल में कागज मिल	Paper Mill in North Bengal . .	47
3982.	मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	Rural Electrification Scheme in Madhya Pradesh	47
3983.	कोटा तथा रतलाम डिवीजनों (पश्चिमी रेलवे) के निरीक्षण कर्मचारियों की वरिष्टता	Seniority of Checking Staff of Kota and Ratlam Division (Western Railway)	48

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ट PAGES
3984.	त्रिपुरा में लघु उद्योगों का विकास	Development of Small Scale Industries in Tripura	48
3985.	त्रिपुरा में ग्रामीण विद्युतीकरण	Rural Electrification in Tripura .	48
3986.	धर्मनगर रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) पर यात्रियों की संख्या में वृद्धि	Increase in Passenger Traffic from Dharmanagar Railway Station (North East Frontier Railway) . . .	49
3987.	औद्योगिक उपक्रमों पर विद्युत शुल्क	Electricity Duty on Industrial Undertakings	49
3988.	एरेटेड वाटर के लिये कच्चे माल का निर्माण	Manufacture of Raw Materials for Aerated Waters	51
3989.	उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in U. P. .	51
3990.	गुन्तकल स्टेशन (दक्षिण रेलवे) पर पार्सल क्लर्कों के कार्य भार का मूल्यांकन	Assessment of Work-Load for Parcel Clerks at Guntakal Station (Southern Railway)	52
3991.	दक्षिण रेलवे में वाणिज्यिक क्लर्कों के रिक्त पदों का भरा जाना	Filling up of Vacant Posts of Commercial Clerks on Southern Railway	52
3992.	मदुरै डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में वाणिज्यिक क्लर्कों के अस्वीकृत पद	Unsanctioned Posts of Commercial Clerks Madurai Division (Southern Railway)	54
3993.	पटना सिटी स्टेशन पर उपरि पुल का निर्माण और रेलवे लाइन के दक्षिण की ओर टिकट-घर का खोला जाना	Overbridge at Patna Station and Opening of Booking office on Southern Side of Railway Line . .	54
3994.	लोकसभा के निर्वाचनों के दौरान प्रत्याशियों तथा चुनाव अधिकारियों को दी गई मतदाता सूचियों में विषमता	Discrepancies in Voters Lists Supplied to Candidates and Presiding Officers during Elections to Lok Sabha.	55
3995.	निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनायें	Irrigation Projects under Construction	55
3996.	ग्यारह सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से सुधार	Improvement through Eleven-Point Programme	55
3997.	केरल के लिये डीजल लोको-शेड	Diesel Locoshed for Kerala . .	56
3998.	मैसूर में बहु-उद्देशीय परियोजना	Multi-purpose Project in Mysore .	56

अ० ता० प्र० संख्या / U. S. Q. No.	विषय / SUBJECT	पृष्ठ / PAGES
3999. भारतीय रेलवे में फार्मासिस्टों की पदोन्नति सरणि पर विचार करने के लिये उप-समिति	Sub-committee to Consider Channel of Promotions of Pharmacists on Indian Railways	56
4000. भारतीय रेलवे में फार्मासिस्टों के लिये प्रथमोपचार में व्यवसायिक परीक्षा	Trade Test in First Aid for Pharmacists on Indian Railways . . .	57
4001. औषधि-कारकों के लिये अतिरिक्त कार्यभार	Additional Duties for Pharmacists .	57
4002. राजपत्रित अधिकारियों (उत्तर रेलवे) के विरुद्ध अनुशासन तथा अपील नियमों सम्बन्धी जांच	D. A. R. Enquiries against Gazetted Officers (Northern Railway) . .	59
4003. सोनपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) में यात्री और माल गाड़ी की टक्कर	Collision of Passenger and Goods Train at Sonepur Junction (North Eastern Railway)	60
4004. केरल में छोटी कार परियोजना	Small Car Project in Kerala . .	61
4005. उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	Rural Electrification Scheme in Bahraich District (U. P.) . . .	61
4006. मालिया तथा जामनगर के बीच बड़ी रेलवे लाइन	Broad Gauge Line between Maliya and Jamnagar	62
4007. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा गुजरात को दिया गया ऋण	Loan advanced by Rural Electrification Corporation to Gujarat . .	62
4008. सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों में वकीलों पर कालिजियम स्थापित करना	Setting up of Collegium of Lawyers in Supreme Court and other Courts .	62
4009. पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में कार्मिक संघों की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध	Restrictions on activities of Unions in North East Frontier Railway.	63
4010. पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे की कार्य-विश्लेषण समिति की सिफारिशें	Recommendations of Job-Analysis Committee (North East Frontier Railway)	63
4011. गुमटी पन-बिजली परियोजना के पूरा होने पर क्षेत्रों का जलमग्न हो जाने पर लोगों के लिये वैकल्पिक प्रबन्ध	Alternative Arrangement for people on Submergence of Areas on Completion of Gumati Hydro-Electric Project	63
4012. कासगंज जंकशन पर रेलगाड़ियों के साथ अतिरिक्त डिब्बों का लगाया जाना	Addition of Compartment to Trains at Kasganj Junction . . .	64

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ट PAGES
4013.	टूडंला-एटा लाइन से हुई हानि तथा पखेना (बिहार) तक उसका विस्तार	Loss from Tundla Etah line and its Extension to Pakhena (Bihar) .	64
4014.	रेलवे के नैमितिक कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमान	Central Pay Commission Scale for Casual workers on Railways . .	65
4015.	रानीगंज आसनसोल में कोयला खानों की माल डिब्बों की सप्लाई	Supply of Wagons to Collieries in Raniganj-Asansol Coal-Belt . .	65
4016.	रेलवे में तारों की चोरी	Theft of Railway Wires . . .	65
4017.	पंजाब में उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंस देना	Licences for Setting up of Industries in Punjab	66
4018.	मसूलीपटनम स्थित आंध्र साइन्टेफिक कम्पनी का सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना	Take over of Andhra Scientific Company at Masulipatnam . . .	68
4019.	आंध्र प्रदेश में करीमनगर होतेहुये रामागुडम और निजामाबाद के बीच नई रेलवे लाइन	New Railway Line Between Ramagundam and Nizamabad *viz* Karimnagar —Andhra Pradesh . . .	68
4020.	आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के लिये नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines for Telangana Region of Andhra Pradesh . .	68
4021.	बिजली घरों की स्थापना	Setting up of Power Stations .	68
4022.	अलकाक एशडाऊन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, भावनगर	Alcock Ashdown and Company Limited Bhavnagar	70
4023.	'गोल्ड स्पाट' की बिक्री	Sale of Gold Spot .	71
4024.	बिहार में रेल गाड़ियों में सुरक्षा	Safety in Trains in Bihar . . .	71
4025.	हावड़ा स्टेशन पर एक संसद सदस्य का बेग छीना जाना	M. P's Bag snatched away at Howrah Station	72
4026.	विद्यूतीकरण योजना के अतिरिक्त कर्मचारियों को वाल्टेयर किरन्डूल योजना पर लगाना	Absorption of Surplus Staff on Electrification of Waltair Kirandul Scheme	72
4027.	गुन्तकल और ओलावाकोड डिवीजनों (दक्षिण रेलवे) के अस्थाइ और स्थाई कर्मचारियों की मजूरी की बकाया राशि के भुगतान में भेदभाव	Discrimination in Payment of Arrears of Wages to Temporary and Permanent Employees of Guntakal and Olavakkod Divisions (Southern Railway)	73

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ट PAGES
4028.	पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में कर्मचारियों द्वारा क्वार्टरों पर अनधिकृत कब्जा	Unauthorised Occupation of Railway Quarters by Employee on Northeast Frontier Railway	73
4029.	रेनीगुन्ता (दक्षिण रेलवे) में रेलवे क्वार्टरों के गिरने से हुई मृत्यु	Death due to collapse of Railway Quarters at Renigunta (Southern Railway)	73
4030.	तिरूपति में राजसहायता प्राप्त छात्रावास	Subsidised hostel for students at Tirupati	74
4031.	अलवाई रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण	Reconstruction of Alwaye Railway Station	74
4032.	एरनाकुलम के निकट मार्शीलिंग यार्ड और उपरि पुल के निर्माण का ठेका देना	Work of Marshalling Yard Near Ernakulam and construction of overbridges given on contract . .	75
4033.	पूर्व रेलवे के आसनसोल डिवीजन में मेन लाइन के गैंगमैनों द्वारा हड़ताल	Strike by Gangmen of main line, Asansol Division (Eastern Railway) .	75
4034.	पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन से खाद्यान्न के ऐसे माल डिब्बे जिनका माल नहीं छुड़ाया गया	Unclaimed wagons of foodgrains in Sealdah Division (Eastern Railway)	75
4035.	पश्चिम बंगाल में जल निकासी की व्यवस्था में सुधार करने के लिये उपाय	Measures to improve drainage system in West Bengal	76
4037.	कृषि और औद्योगिक उत्पादों के के लिये माल डिब्बों की मांग का अनुमान	Assessment of demands for wagons for agricultural and industrial goods	77
4038.	ग्यारह सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं सेवकों के क्रियान्विति सैल पर व्यय	Expenditure incurred on the implementation cell of volunteers under eleven-point programme . . .	77
4039.	दक्षिण रेलवे में तिरुचिरापल्ली-रेनीगुन्टा सवारी गाड़ी की अप्रैल, 1971 में हुई दूर्घटना	Mishap to Tiruchchirappalli-Renigunta passenger train in April, 1971 (Southern Railway) . .	78
4040.	मदूरे डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में छुट्टी रिजर्व वाणिज्यिक क्लर्क	Leave Reserve Commercial Clerks in Madurai Division (Southern Railway)	78

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ट PAGES
4041.	उत्तर प्रदेश में बिजली की स्थिति को सुधारने के लिये सहायता	Assistance to Improve Power Position in U. P.	78
4042.	उत्तर प्रदेश में टायर फैक्ट्री की स्थापना के लिये मोदी समवाय समूह को लाइसेंस देना	Issue of Licence to Modi Group of Concerns for setting up of a Tyre Factory in U. P.	79
4043.	मुगलसराय में रेलवे के सामान की चोरी	Theft of Railways Goods at Mugalsarai	79
4044.	रेल मन्त्रालय में शिक्षा का अलग विभाग	Separate Department of Education in the Railway Ministry . . .	80
4045.	पश्चिम रेलवे अध्यापक संघ द्वारा शिक्षा मन्त्रालय के समान ही पुनरीक्षित वेतन मानों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन	Representation from Western Railway Teachers' Association regarding Revised Pay Scales at par with the Ministry of Education . .	81
4046.	केरल में स्कूटर कारखाने की स्थापना	Setting up of Scooter Factory in Kerala	81
4047.	उत्तर प्रदेश में कृषि औजारों और मशीनरी का निर्माण	Production of Agricultural Tools and Machinery in U. P. . . .	82
4048.	उत्तर प्रदेश में सीमेंट की खपत और मांग	Consumption and Demand of cement in U. P.	82
4049.	सियालदह डिवीजन में भाप से चलने वाले पुराने इंजन	Overaged Steam-Engine locomotives in Sealdah Division	83
4050.	सहरसा (बिहार) में कांच का कारखाना	Glass Factory in Saharsa (Bihar)	83
4051.	आसाम मेल में संसद सदस्यों के लिये कोटा	Quota for Members of Parliament in Assam Mail	84
4052.	उड़ीसा में सिंचाई	Irrigation in Orissa . .	84
4054.	बिहार राज्य में ग्राम्य विद्युतीकरण	Rural Electrification in Bihar .	85
4055.	बिहार में गया, पटना और शाहाबाद में ग्राम्य विद्युतीकरण	Rural Electrification in Gaya, Patna and Shahabad, Bihar . . .	86
4056.	विधि आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन	Implementation of recommendations made by Law Commission .	86
4057.	शकूरबस्ती रेलवे यार्ड में आग लगना	Fire in Sakurbasti Railway Yard	87

अ० ता० प्र० संख्या	विषय	SUBJECT	पृष्ट
U. S. Q. No.			PAGES
4058.	मुंगेर और मुंगेर घाट के मध्य गैर सरकारी स्टीमर सेवा	Private Steamer betweeen Monghyr and Monghyr Ghat . . .	88
4059.	बीकानेर में हनुमानगढ़-सूरतग पर रेलगाड़ियों का नहीं चलाया जाना	Cancellation of Trains on Hanumangarh-Suratgarh in Bikaner .	88
4060.	सुबर्णरेखा तटवन्ध योजना	Subarnarekha Embankment Project .	89
4061.	उड़ीसा के खलीजोड़ी नाला पर त्रास बांध का कार्य	Work on Cross-bund over Khalijori Nullah, Orissa	89
4062.	नई दिल्ली में जंगपुरा और सफदरजंग के निकट उपरिपुल (उत्तर-रेलवे)	Overbridges near Jangpura and Safdarjang at New Delhi (Northern Railway)	90
4063.	मध्य प्रदेश के 'केन कैनाल' के कार्य का निलम्बन	Suspension of Work on Cane Canal, Madhya Pradesh	90—91
4064.	तमिलनाडु को आग्नेकाल पनबिजली परियोजना को चौथी योजना में सम्मिलित किया जाना	Inclusion of Ognekal Hydro Electric Project, Tamil Nadu in Fourth Plan	90
4065.	दक्षिण रेलवे में रेलवे अस्पताल	Railway Hospitals on Southern Railway	91
4066.	मद्रास उच्च न्यायालय में विचाराधीन पड़े मामले	Cases Pending in Madras High Court	92
4067.	सलेम में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना	Setting up of Industrial Estate at Salem	92
4068.	विदेशों में भारतीय तकनीकी कर्मचारी	Indian Technical Personnel to Foreign Countries	93
4069.	सिंचाई परियोजनाओं के लिये बैंक से दीर्घ अवधि का ऋण	Long term Bank Credit for Irrigation Projects	93
4070.	बरौनी-गरहरा क्षेत्र के रेल कर्मचारियों के विरुद्ध निलम्बन मुकद्में तथा सेवा में अवरोध सम्बन्धी आदेशों का वापस लिया जाना	Withdrawal of Orders of Suspension Prosecution, Break in Service of Railway Employees of Barauni Garhara Area	94
4071.	गंडक परियोजना की नेपाल पूर्वी नहर पर करनाली परियोजना को अन्तिम रूप देने तथा चैनल का निर्माण करने में देरी	Delay in Finalisation of Karnali Project and construction of Channel on Nepal Eastern Canal of Gandak Project	95

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4072.	मिराज-कुरडुवाड़ी-लातूर लाइन (दक्षिण मध्य रेलवे) को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने हेतु सर्वेक्षण रिपोर्ट पर निणय	Decision on Survey Report for Conversion of Miraj Kurduvadi Latur Line into Broad Gauge (South Central Railway)	95
4073.	भारतीय रेलवे के वाणिज्य विभाग में सुपरवाइजरी व्यवस्था के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgradation of Posts of Supervisory Structure in Commercial Department of Indian Railways . . .	95
4074.	दरभंगा (बिहार) में मधुबनी स्थित खादी स्कूल में प्रशिक्षण	Training in Khadi School, Madhubani Darbhanga(Bihar) . . .	96
4075.	पश्चिम रेलवे द्वारा प्रकाशनों का हिन्दी में जारी किया जाना	Issue of Publications in Hindi by Western Railway	96
4076.	बम्बई स्थित पश्चिम रेलवे के मुख्य कार्यालय में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Western Railway Headquarters Office, Bombay . .	97
4077.	एगमोर-त्रिवेन्द्रम डाकगाड़ी (दक्षिण रेलवे) को डीजल चालित गाड़ी में बदलना	Dieselisation of Egmore-Trivandrum Mail (Southern Railway) . .	97
4078.	केरल में मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना	Conversion of Metre Gauge into Broad Gauge Lines in Kerala . .	97
4079.	केरल में औद्योगिक क्षेत्रों में शेडों के लिये राज सहायता प्राप्त किराया वसूल करने से हुई हानि की पूर्ति के लिये राज्य सहायता की मांग	Demand for Subsidy for loss on Account of Charging Subsidised Rent for sheds in Industrial Estates in Kerala	98
4080.	केरल में लघु उद्योगों की स्थापना	Setting up of Small Scale Industries in Kerala	98
4081.	टिकटों तथा आधा टिकटों का मुद्रण	Printing of Tickets and Child Tickets	98
4082.	गुडज शेड कार्नाक ब्रिज (पश्चिम रेलवे) के गुड्ज क्लर्कों के लिये आवास स्थान	Residential Accommodation for Goods Clerks Employed at Goods Shed Carnac Bridge (Western Railway)	99
4083.	भूतपूर्व लड़ाकूयुद्ध सेवा अभ्यर्थियों के वेतन निर्धारित करना	Fixation of Pay of Ex-Combatant War Service Candidates . . .	99

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4084.	1962 में संकटकाल के दौरान भारतीय वायु सेना में प्रतिनियुक्ति पर गये रेलवे कर्मचारियों को नगर प्रतिकर भत्ते का अदा न किया जाना।	Non-Payment of City Compensatory Allowance to Railwaymen on Deputation to Indian Air Force during 1962 Emergency	100
4085.	रेलवे में खराब माल डिब्बे	"Sick wagons" on Railways . .	100
4086.	लुधियाना के निकट डण्डकलां पर क्षतिग्रस्त माल डिब्बे	Damaged wagons at Dandi-Kalan near Ludhiana	101
4087.	बिजली की कमी	Shortfall of power . . .	101
4088.	उत्पादन शुल्क के कारण पेचों, काबलों और स्क्रुओं का उत्पादन कर रहे छोटे कारखानों का बन्द होना	Closure of small scale units Manufacturing nuts, bolts and screws due to Excise levy . . .	102
4089.	ट्रान्समिशन व्यवस्था के लिये विदेशी ऋण	Foreign loans for transmission network	102
4090.	काली नदी पन-बिजली परियोजना मैसूर	Kalinadi Hydro-Electric Project, Mysore	103
4091.	नई दिल्ली में नई रोहतक रोड की रेलवे लाइन पर ऊपरि पुल	Over Bridge on Railway track on new-Rohtak Road, New Delhi .	104
4092.	हरकेशनगर, मथुरा रोड, दिल्ली के निकट ऊपरि/निचला पुल	Over/under Bridge near Harkesh Nagar, Mathura Road, Delhi .	104
4093.	खान-पान आदि के लाइसेंसों को सबलैट करना	Sub-letting of vending licences	104
4094.	अजमेर स्टेशन पर खान-पान ठेकेदारों के लिये लाइसेंस	Licence for catering contracts at Ajmer Station	105
4095.	पश्चिम रेलवे पर ताजा फलों और सब्जियों के खेपों को गन्तव्य स्थान से आगे ले जाना	Over-carriage of consignments of fresh fruits and vegetables at certain Stations of Western Railway . .	106
4096.	रेल विभाग में क्लर्कों को निम्न वेतनमान में पदावनति	Reversion of Clerks to Lower Scale in Railways	107
4097.	18 अप एक्ससैस गाड़ी के डिब्बे से बीना और भोपाल के बीच चांदी की सिल्लियों की चोरी	Theft of silver bars from a coach of 18 UP Express between Bina and Bhopal	108

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4098. उद्योग आरम्भ करने के लिये शिक्षित युवकों को वित्तीय सहायता	Financial Aid to Educated Young people for starting Industries	108
4099. पूर्वी रेलवे के मुख्यालय को दानापुर स्थानान्तरित करना	Shifting of Eastern Railway Head quarters to Danapur	109
4100. झांसी रेलवे स्टेशन पर सवारी और माल गाड़ियों में लूटपाट की घटनायें	Incidents of looting in Passenger and Goods Trains at Jhansi Railways Station	109
4101. बोकारो तापीय विद्युत संयंत्र की राख से वातावरण का दूषित होना	Pollution of atmosphere by Ash produced from Bokaro Thermal power Plant	110
4102. चम्बल नदी परियोजना के लिये विदेशी सहायता	Foreign assistance for Chambal River	111
4103. भारी वर्षा के कारण जमीन में धंस रहे चमोली के गांव	Villages of Chamoli sinking due to Heavy Rains	111
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . .	112
रूस तथा फ्रांस द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के समाचार	Reported Supply of Arms to Pakistan by USSR and France . . .	112
श्री मधु दण्डवते	Shri Madu Dandavate .	112
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	113
सभा–पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	117
अनुदानों की मांगे, 1971-72	Demands for Grants, 1971-72 .	118
विदेश व्यापार मन्त्रालय	Ministry of Foreign Trade	118
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L. N. Mishra . . .	118
पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय	Ministry of Petroleum and Chemicals	124
श्री आर० पी० दास	Shri R. P. Das . .	124
श्री चिन्तमणि पणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi .	126
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	129
श्री सत पाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur	131
श्री सी० चित्तिबाबू	Shri C. Chittibabu	132
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik .	134

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री दलबीर सिंह	Shri Dalbir Singh .	135
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarain Pandey	137
श्री धामनकर	Shri Dhamankar .	139
श्री सोमचन्द सोलंकी	Shri Somchand Solanki	140
श्री उन्नीकृष्णन	Shri Unnikrishnan. .	141
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao .	142
श्री अनन्तराव पाटिल	Shri Anantrao Patil	143
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo .	144
श्री एस० आर० दामानी	Shri S. R Damani	145
श्री एन० एन० पाण्डेय	Shri N. N. Pandey	146
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni	147
श्री पी० सी० सेठी	Shri P. C. Sethi .	148

लोक-सभा
LOK SABHA

लोकसभा ग्यारह बजे समवेत हुई मंगलवार, 6 जुलाई, 1971/15 आषाढ़, 1893 (शक)
The Lok Sabha met at Elevea of the Clock Tuesday, July 6, 1971/Asadha 15, 1893 (Saka)

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)
[Mr. Speaker *in the Chair*]

निधन संबंधी उल्लेख

OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय: मुझे सदन को श्री रूप नारायण की दुःखद मृत्यु की सूचना देनी है । उनका 46 वर्ष की आयु में 4 जुलाई, 1971 को नई दिल्ली में देहावसान हो गया ।

श्री रूप नारायण उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर चुनाव क्षेत्र से वर्ष 1952 से 1962 तक पहली और दूसरी लोक-सभा के सदस्य रहे । वह पिछड़े वर्गों, किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के उत्थान और उनके कल्याण में अधिक रूचि लेते रहे ।

हमें अपने उस मित्र की मृत्यु पर गहरा दुःख है तथा मुझे आशा है कि उनके संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में सदन मेरे साथ शरीक होगा ।

प्रधान मन्त्री, परमाणु उर्जा मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):—महोदय ! आपने जो भावनाएं व्यक्त की हैं उसमें सदन आपके साथ शरीक होता है । श्री रूप नारायण की इतनी कम आयु में मृत्यु की सूचना पाकर हमें गहन दुःख हुआ है । उत्तर प्रदेश की जनता को, जहां वह हमारे दल के सक्रिय कार्यकर्त्ता थे, उनके निधन से भारी क्षति हुई है।

श्री रूप नारायण छोटी आयु में ही राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रभावित हुये थे । रचनात्मक कार्यों में जीवन बिताने का निर्णय उन्होंने तभी कर लिया था जब वह काशी विद्यापीठ के विद्यार्थी थे । बनारस जिला बोर्ड में उन्होंने सराहनीय काम किया तथा बनारस में उन्होंने कार्मिक संघ में क्रिय योगदान दिया । जैसा कि आपने उल्लेख किया है उनकी भूमिहीन श्रमिकों, निर्धन ग्रामवासियों और विशेषकर हरिजनों के उत्थान में विशेष रूचि थी, उनकी सेवाओं का महत्त्व समझकर जनता ने उन्हें लोकसभा का दो बार सदस्य चुना । वह यहां भी सक्रिय सदस्य थे तथा मेरा विचार है कि उनकी

बहुतों से मित्रता थी । मेरा निवेदन है कि आप हमारा संवेदना सन्देश उनके संतप्त परिवार तक पहुंचा दें।

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट): महोदय ! मैं अपने दल की ओर से श्री रूप नारायण के दुःखद निधन पर सभा के नेता द्वारा संवेदना की अभिव्यक्ति में शरीक होता हूं । तथा आपसे निवेदन करता हूं कि आप संतप्त परिवार तक हमारा संवेदना सन्देश पहुंचा दें ।

श्री एम० एस० बनर्जी (कानपुर): महोदय ! मैं अपने ग्रुप की ओर से, माननीय प्रधान मंत्री द्वारा संवेदना की अभिव्यक्ति में शरीक होता हूँ । मुझे याद है कि 1957–62 के दौरान जब भी पिछड़े वर्गों अथवा समाज के दलित वर्गों के बारे में विचार-विमर्श किया गया मेरे मित्र स्वर्गीय रूप नारायण ने सदा उनका पूरा पक्ष लिया । मुझे यह भी विदित है कि उन्होंने विद्यार्थी आन्दोलन में तथा बाद में किसान आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया था। 1957–62 के दौरान जो भी माननीय सदस्य थे वे कभी नहीं भूल सकते कि दलित व्यक्तियों के उत्थान की उनमें कितनी उत्कट इच्छा थी । महोदय ! मैं निवेदन करता हूं कि आप उनके दुःखी परिवार तक हमारा संवेदना सन्देश पहुंचा दें ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): Sir, on behalf of my party. I associate myself with the sentiments expressed by the hon. Prime Minister. We pray to God that the soul of the deceased may rest in peace.

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : महोदय ! तेलंगाना प्रजा समिति की ओर से मैं, सभा के नेता द्वारा संवेदना की अभिव्यक्ति में शरीक होता हूं। आप से निवेदन है कि उनके दुःखी परिवार तक हमारा संवेदना सन्देश पहुंचा दें ।

श्री सी० चितिबाबु (चिंगलपट) : महोदय ! मैं द्र०मु०क० की ओर से सभा के नेता द्वारा संवेदना की अभिव्यक्ति में शरीक होता हूं ।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : महोदय ! मैं कांग्रेस दल (संगठन) की ओर से माननीय प्रधान मंत्री द्वारा संवेदना की अभिव्यक्ति में शरीक होता हूं ।

श्री रणबहादुर सिंह (सिधी) : महोदय ! निर्दलीय ग्रुप की ओर से मैं श्री रूप नारायण की दुःखद मृत्यु पर गहन सम्वेदना व्यक्त करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य शोक व्यक्त करने के लिये कुछ समय मौन खड़े रहें । (तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहे)

(The Members then stood in silence for a short while.)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उद्योगों के विकास के लिये अधिक सहायता की मांग

*931. **श्री समर गुह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजा है जिसमें पश्चिम बंगाल में उद्योगों की स्थिति में सुधार करने और उनका विकास करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता की राशि बढ़ाने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस अभ्यावेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है :

विवरण

(क) से (ग). यद्यपि पश्चमी बंगाल सरकार से, केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिमी बंगाल के औद्योगिक विकास और पनपने के लिए आवंटित सहायता में और अधिक वृद्धि के लिए कोई भी औप-चारिक अभ्यावेदन नहीं मिला है, फिर भी पश्चिम बंगाल सरकार समय-समय पर इस राज्य के विशेष कर कलकत्ता के नगरीय जिला क्षेत्र और हल्दिया खण्ड के द्रुत विकास और आर्थिक दृष्टि से पनपाने के लिए बराबर मांग करती रही है । केन्द्रीय सरकार राज्य की समस्याओं से भलीभांति परिचित है ।

राज्य की औद्योगिक स्थिति सुधारने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं ।

(1) देश के, विशेषकर पश्चिम बंगाल के औद्योगिक एककों की वित्तीय और अन्य समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से सरकार ने हाल ही में भारतीय औद्योगिक पुनः निर्माण निगम लिमिटेड का गठन किया है । निगम का प्रधान कार्यालय कलकत्ता में होगा । निगम की प्रदत्त पूंजी 10 करोड़ रुपये होगी । यह संकट ग्रस्त उद्योगों के पुनः संस्था-पन और बन्द पड़े उद्योगों को पुनः जीवित करने संबंधी समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगा ।

(2) पश्चिम बंगाल सरकार ने बिक्री कर की वापसी, ब्याज रहित दीर्घकालीन ऋण, विशिष्ट मामलों में प्रवेश कर की वापसी, तथा बंद और संकटग्रस्त उद्योगों को वित्तीय सहायता देने आदि के विविध प्रोत्साहन स्वीकृत किये हैं ।

(3) 1971-72 की आयात नीति में बन्द पड़ विशेषकर पश्चिम बंगाल के औद्योगिक एककों को आयातित कच्चे माल का अग्रिम आवंटन करने की व्यवस्था की गई है ताकि वे अपना उत्पादन कार्यक्रम पुनः प्रारम्भ कर सकें ।

(4) कलकत्ता के नगर जिला क्षेत्र में पानी सप्लाई करने निकासी व्यवस्था, यातायात, गृह निर्माण, बस्ती सुधार आदि का सुधार कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है । विकास काय-क्रमों में गति लाई जा रही है । इस निमित्त चौथी योजनावधि के लिये 15 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है ।

(5) रिफाइनरी और पत्तन परियोजनाओं में गति लाने के साथ-साथ हल्दिया में एक शिपयार्ड, पेट्रो-केमिकल और उर्वरक कारखाने लगाने संबंधी प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं ।

(6) पश्चिम बंगाल में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े 8 जिलों पुलिया, वांकुरा, मिदनापुर, दार्जिलिंग, माल्दा, कूचबिहार, पश्चिम दीनाजपुर, और मुर्शिदाबाद, वहां शुरू किये जाने वाले उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने वाली संस्थाओं से रियायती दर पर आर्थिक सहायता पाने के पात्र होंगे । इनमें से एक जिला जैसा पुलिया केन्द्रीय सरकार से दस प्रतिशत सहायता अनुदान जो वहां स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के निर्धारित पूंजी विनियोजन पर मिलता है, के लिए भी पात्र होगा ।

श्री समर गुह: क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में 35 सूती कपड़ा मिलों में से 22 बन्द हो गई हैं ? क्या यह भी सच है कि 1 जून, 1971 तक औद्योगिक लाइसेंसों के लिये दिये गये 210

प्रार्थना पत्रों में से 131 प्रार्थनापत्र अनिर्णीत पड़े हैं ? क्या यह भी सच है कि 210 प्रार्थनापत्रों में से केवल 17 प्रार्थनापत्र ही नये उद्योगों के लिये हैं; यदि हां, तो सरकार 22 मिलों को पुनः चालू कराने और अनिर्णीत औद्योगिक लाइसेंसों का निपटान करने तथा पश्चिम बंगाल में नये कारखानों के लिये प्रार्थना पत्रों की संख्या में भारी कमी होने के कारणों का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जहां तक पुराने उद्योगों के बन्द होने का संबंध है, इस दिशा में किये गये उपायों का उल्लेख कर दिया गया है । नये लाइसेंसों के लिये प्रार्थनापत्रों का शीघ्र निपटान करने के लिये सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं जिनका पता निम्न लिखित आंकड़ों से लग जायेगा । पहले पश्चिम बंगाल में 51 लाईसेंस तथा 17 आशय पत्र जारी किये गये थे । गत पांच महीनों में ही स्थिति में सुधार हुआ है । हमने 47 लाइसेंस और 52 आशय-पत्र जारी किये हैं । सभा को· विदित है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति तथा विकास के लिये उपयुक्त परिवर्तन लाने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है ।

श्री समर गुह : सभा-पटल पर रखे गये विवरण में हल्दिया उद्योग समूह का उल्लेख किया गया है । क्या यह सच है कि 1963-64 में एक अध्ययन दल ने हल्दिया उद्योग समूह में तेल शोधक कारखाना, डॉकयार्ड और पत्तन, उर्वरक कारखाना, लुबरीकेटिंग कारखाना, नेफ्ता क्रैकर प्लांट और पोत बनाने वाला कारखाना नामक आठ औद्योगिक कारखाने स्थापित करने की सिफारिश की थी; और यदि हां, तो केवल तेल शोधक कारखाना और डांकयार्ड तथा पत्तन संबंधी कार्य ही आरम्भ क्यों किया गया है ? पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय ने उर्वरक कारखानों के लिये स्वीकृति दे दी है तो केन्द्र ने इसकी स्वीकृति क्यों नहीं दी ? इन परियोजनाओं के आरम्भ होने पर पश्चिम बंगाल में कम से कम $1\frac{1}{2}$ लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार मिलेगा ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जहां तक हल्दिया उद्योग समूह के विकास का संबंध है, माननीय सदस्य का कहना ठीक है कि तेलशोधक कारखाने की स्थापना तथा हल्दिया डॉकयार्ड के संबंध में कुछ कदम उठाये गये हैं । उर्वरक परियोजना का मामला विचाराधीन है तथा आशा है कि उस पर शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा । अन्य औद्योगिक कारखानों के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : नये उद्योग समूहों की स्थापना के अतिरिक्त सरकार ने पश्चिम बंगाल में कलकत्ता तथा अन्य स्थानों से विभिन्न राज्यों में पूंजी ले जाने को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है कि ये उद्योगपति अपने उद्योगों को अन्य स्थानों पर न ले जायें ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : पश्चिम बंगाल से पूंजी को अन्यत्र ले जाने के प्रश्न की पूरी जांच की गई थी । पता चला था कि पूंजी को अन्यत्र नहीं ले जाया जा रहा है । किसी भी उद्योगपति के लिये किसी भी राज्य में अपने कारखाने खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है । इसके अतिरिक्त किसी भी उद्योग गृह की ओर से पश्चिम बंगाल से अपने मुख्यालयों को स्थानांतरित करने के संबंध में हमें कोई प्रार्थना पत्र नहीं मिला है ।

श्री बी० के० दासचौधरी : विवरण के पैरा (6) को ध्यान में रखते हुये पश्चिम बंगाल के आठ जिलों को रियायती दर पर आर्थिक सहायता दिये जाने के लिय चुना गया है तथा इनमें से पुरूलिया जिले को केन्द्रीय अनुदान अथवा राज सहायता के रूप में 10% की अग्रेतर रियायती दर पर आर्थिक सहायता दी गई है । इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल के अन्य पिछड़े हुये जिलों को भी औद्योगिक विकास के लिये उसी प्रकार का अनुदान या राज सहायता दी जायेगी ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : नीति के अनुसार हमने औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्य में एक पिछड़े हुये जिले को चुना है ।

श्री सुबोध हंसदा : महोदय ! औद्योगिक कारखानों के समक्ष कच्चे माल की कमी की समस्या को हल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद: कच्चे माल की कमी के मामले पर लगातार विचार किया जा रहा है । कुछ वस्तुओं की सप्लाई कम है तथा यह प्रयत्न किया जा रहा है कि वे अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकें ।

Shri Onkar Lal Berwa : As has been said by Shri Banerjee that the shifting of industries should be banned, may I know fro m the hon. Minister whether those Industrialists have submitted applications for permission to shift their industries on the plea that they are not protected there and that their industries are being plundered? (*Interruptions*)

Most of the owners of the industries in West Bengal belong to Rajasthan. Will the Government give any guarantee to protect them so that they can keep their industries there?

Shri Siddheshwar Prasad : I have already stated that no such problem has come before us. So far as the maintenance of law and order is concerned, the whole House is of the opinion that law and order must be maintained so that industries may develop there.

उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा अनुमोदित तीस्ता नदी के साथ-साथ बांध योजना

*932. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग के प्राधिकारियों ने तीस्ता नदी के साथ-साथ जलपाईगुड़ी से झाड़शिहेश्वर तक एक बांध निर्माण करने संबंधी योजना का अनुमोदन किया था और उसके लिये मंजूरी दे दी थी;

(ख) क्या स्वीकृत योजना में परिवर्तन किया गया है और जलपाईगुड़ी जिले के क्षेत्र में एक स्थान पर कार्य बंद कर दिया गया है और कूच बिहार जिले का क्षेत्र छोड़ दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उपर्युक्त योजना के अंतर्गत झाड़शिहेश्वर और उसके आसपास वाले क्षेत्रों में बांध कब तक बनाया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है :

विवरण

(क) उत्तरी बंगाल बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा अप्रैल, 1971 में हुई अपनी प्रथम बैठ में स्वीकृत 1971-72 के लिए कार्यों के कार्यक्रम में मंडलघाट से बीबीगंज तक तटबंध के निर्माण के लिए स्कीम शामिल है । बीबीगंज से झारसिंगेश्वर तक तटबंध की स्कीम राज्य द्वारा तैयार की जा रही है ।

(ख से (घ) : मंडलघाट से बीबीगंज तक कुल 13 किलोमीटर लम्बे तटबंध में से 10 किलोमीटर जलपाईगुड़ी जिले में पड़ता है और शेष कूच-बिहार जिले में । पश्चिम बंगाल को राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि अब तक जलपाईगुडी में 8 किलोमीटर तटबंध बन चुका है । शेष तटबंध का निर्माण कार्य रुक गया था क्योंकि स्थानीय लोगों की यह मांग की थी कि संरेखण (अलाइनमेंट) को नदी की ओर से ले जाया जाए जिससे अधिक क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान की जा सके । बहरहाल, राज्य सरकार का संरेखण में कोई तबदीली करने का विचार नहीं है और कार्य को अक्टूबर, नवम्बर,

1971 में चालू होने वाले अगले कार्य-काल में मूल संरेखण के अनुसार खत्म करने का विचार है। झारसिंहेश्वर तक और आगे विस्तार कार्य इस समय तैयार की जा रही स्कीम के पश्चात् हाथ में लिया जाएगा।

श्री बी० के० दासचौधरी: तकनीकी समिति के प्रतिवेदन तथा माननीय मंत्री द्वारा दिये गये विवरण को ध्यान में रखते हुए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह तटबांध इतना मजबूत होगा कि उस क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण योजना को प्रभावकारी बनाने के लिये 7 लाख क्यूसेक्स जल समाहित कर सके ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव): निर्माणाधीन तटबन्ध प्रयोजनार्थ काफी मजबूत है।

श्री बी० के० दासचौधरी: मंत्री महोदय ने कहा है कि राज्य सरकार से विस्तृत योजना प्राप्त होने के पश्चात् तटबंध को झारसिंहेश्वर तक बढ़ा दिया जायेगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकार तथा सिंचाई विभाग केन्द्रीय मंत्रालय के नियंत्रण में हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि योजना कब तक प्राप्त हो जायेगी तथा पूरी हो जायेगी ?

डा० के० एल० राव: इसे यथासंभव शीघ्र प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये। उनके लिए हमारे पास निधि है। जैसे ही अनुमान प्राप्त होंगे इसे आरम्भ कर दिया जायेगा।

श्री बी० के० दासचौधरी: समय-सीमा क्या है ?

डा० के० एल० राव: यह मैं नहीं बता सकता।

गोदावरी बांध

*934. **श्री बी० एस० मूर्ती:** क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने गोदावरी बांध के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है; और

(ख) क्या कार्य-आरंभ हो गया है और यदि हां, तो यह बांध कब तक पूरा हो जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) और (ख) . एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी नहीं।

(ख) गोदावरी बराज का निर्माण 1848-52 में किया गया था और इसके चार अलग-अलग खण्ड हैं। चूंकि यह बराज सौ वर्षों से अधिक समय से कार्य करता रहा है, इसलिये इसकी स्थिति में ह्रास हुआ है और इसके फ़र्श के नीचे बड़े-बड़े विवर बन गये हैं। 1965 में भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी और उक्त समिति ने इस संरचना को असुरक्षित घोषित किया और यह सिफारिश की कि उसकी जगह नई संरचना का निर्माण यथाशीघ्र किया जाए। रल्ली खंड की स्थिति सबसे खराब थी और योजना आयोग ने इसके स्थान पर एक बराज की स्वीकृति दे दी है। रल्ली खंड में निर्माण का कार्य 1970-71 में प्रारंभ किया गया था और आशा है कि यह कार्य जून, 1973 तक पूरा हो जाएगा। अन्य खंडों के बराजों की मंजूरी लेना अभी बाकी है।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि योजना आयोग द्वारा 1965 में गठित की गयी विशेषज्ञ-समिति ने इस बान्ध का निर्माण करने का ढंग सुझाया था और, यदि हां, तो क्या आन्ध्र सरकार को कोई तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव) : तकनीकी समिति ने सुझाव दिया था कि वर्त्तमान ढांचा पुराना है और इसके स्थान पर नया बान्ध बनाया जाना चाहिये । सरकार ने बताया है कि उन्होंने जिस स्थान का चयन किया था उस पर एक नया बान्ध बनाया जा रहा है । जहां तक आर्थिक सहायता का प्रश्न है सरकार इसके लिए पूर्ण रूप से सक्षम है । यह एक साधारण किस्म की परियोजना है । उन्होंने डिजाईन तैयार कर लिया है । उन्होंने इसकी तकनीकी जांच कराने को कहा है। उन्होंने जो कुछ किया है उसमें सुधार किये जाने की सम्भावना नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मन्त्री महोदय को यह ज्ञात है कि रल्ली सेक्शन के अतिरिक्त न केवल धौली स्वर्म परन्तु बौबर लंका सेक्शनों की भी हालत खस्ता है और, यदि हां, तो इन सेक्शनों का निर्माण कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

डा० के० एल० राव : यह सत्य है कि यह बान्ध भारत का सबसे लम्बा बान्ध है और इसके चार सेक्शन हैं । उनकी हालत ख़राब है । अभी एक सेक्शन का निर्माण प्रारम्भ किया जा रहा है । आर्थिक कठिनाई के कारण ऐसा हुआ है । इसके लिये चौथी योजना तथा राज्य-योजना में कोई व्यवस्था नहीं है और लोगों से धन एकत्रित करके इसका वित्तपोषण किया जा रहा है । बान्ध की हालत खस्ता है और यदि राज्य सरकार धन जुटा सकती है तो दूसरे सेक्शनों पर भी निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है । प्रश्न तो यह है कि इसके लिये राज्य सरकार धन जुटाये ।

श्री पी० वेंकटा सुब्बया : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये कि बाढ़ के कारण यह बान्ध किसी भी समय बह सकता है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस परियोजना को प्रारम्भ करने में सरकार आंध्र प्रदेश सरकार को सहायता देने का विचार कर रही है ? सौ वर्ष पूर्व इस बांध का निर्माण हुआ था । वहां लाखों एकड़ भूमि जलमग्न हो रही है ।

डा० के० एल० राव : ऐसी बात नहीं है कि वे धन नहीं दे रहे हैं । राज्य योजना में इसे सम्मिलित किया गया है । इसमें सन्देह नहीं है कि पुल की हालत खराब है । प्राथमिकता निश्चित करना, लोगों से धन एकत्रित करना अथवा अन्य संसाधन जुटाना राज्य सरकार का काम है ।

Royalty Dispute in Paper Mill at Amlai, Madhya Pradesh

***935. Dr. Laxminarain Pandey** : Will the **Minister of Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there is likelihood of closure of the paper mill in Amlai, Madhya Pradesh due to dispute on royalty; and

(b) whether the question of royalty is under consideration of the Government ?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri Ghanshyam Oza) : (a) As far as we are aware, there is no likelihood of closure of this Mill due to dispute on royalty or raw materials.

(b) Yes, Sir.

Dr. Lakshminarain Pandey : I would like to know from the Hon'ble Minister since when this question is under consideration of the Government and how much loss the Government of Madhya Pradesh has suffered, which could be avoided otherwise, on account of this dispute?

श्री घनश्याम ओझा : यह सत्य है कि राज्य सरकार तथा कारखाने के बीच रायल्टी के संबंध में अभी समझौता होना है। जैसा कि माननीय सदस्य को पता है, वन्य राज्य का विषय हैं और हमारा उनसे सीधा सम्बन्ध नहीं है । फिर भी हमने यह मामला कृषि मन्त्रालय के पास भेज दिया है ताकि सौहार्दपूर्ण समझौता हो सके ।

Shri Hukam Chand Kachwai : For how long it is under consideration? Has not Central Government received reply?

Mr. Speaker : You are a very good member. Let him speak. I don't like such interruptions please.

Dr. Lakshminarain Pandey : I wanted to know clearly for how long this dispute is under consideration of the Government, as Madhya Padesh Government has recommended to Central Government to solve the dispute between State Government and the party. Therefore, he should indicate the time since when it is under consideration and what are the main points of this dispute?

श्री घनश्याम ओझा : यह तथ्य है कि उनको पहले ही कुछ वनभूमि प्राप्त हो चुकी है और उन्होंने उत्पादन शुरू कर दिया है । उन्होंने अपनी क्षमता का जो विस्तार किया है उसके लिये उन्हें पहले ही अतिरिक्त भूमि दे दी गयी है । जिसकी रायल्टी की दर के संबंध में राज्य सरकार तथा कारखाने के बीच समझौता किया जाना है । राज्य सरकार ने यह मामला हमारे पास भेजा हैं और हम कृपि मन्त्रालय के माध्यम से इसका सौहार्दपूर्ण निपटारा करने का प्रयास कर रहे हैं । माननीय सदस्य को इस बारे में आश्वस्त रहना चाहिये कि रायल्टी के संबंध में इस अनिश्चितता के कारण कारखाने को बन्द नहीं होने दिया जायेगा ।

श्री अनन्त राव पाटिल : क्या में मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि इस कारखाने का सम्बन्ध किससे है ? यह कारखाना बिड़ला बन्धुओं का है अथवा सोमानी बन्धुओं का है ?

श्री घनश्याम ओझा : यह बिड़ला बन्धुओं का है ।

Shri R. V. Bade: I want to know how much Royalty is due from Birlas and since when?

श्री घनश्याम ओझा : जहां तक राज्य सरकार का संबंध है, हमें प्राप्त सूचना के अनुसार कोई राशि बकाया नहीं है।

गोल्ड स्पाट का उत्पादन करने के लिये अतिरिक्त कारखानों की स्थापना

*936. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव:** क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्स गोल्ड स्पाट को गोल्ड स्पाट का उत्पादन करने के लिये अतिरिक्त कारखाने स्थापित करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कारखाने कहां पर स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) अतिरिक्त कारखानों के लिए कच्चा माल किस स्रोत से प्राप्त किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri R. P. Yadav : I would like to know from the Hon'ble Minister whether the examination of Coca Cola has revealed certain unhealthy elements in it? Has such an enquiry been conducted in respect of Gold Spot? If so, what type of elements have been found in it?

Mr. Speaker : Nothing has been found. The bottle is empty.

रेलवे में चोरी, डकैती की घटनायें रोकने के उपाय

*.937. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :**†

श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष रेलवे बजट पर वादविवाद के दौरान कुछ संसद् सदस्यों ने सरकार को सुझाव दिया था कि रेलवे में चोरियों, डकैतियों तथा अन्य समाज विरोधी गतिविधियों को समाप्त करने संबंधी उपायों पर विचार करने के लिए रेलवे के सभी वर्गों की सक्रिय युनियनों का सम्मेलन बुलाया जाये; और

(ख) क्या सरकार ने उपर्युक्त सुझाव पर विचार किया था और यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) रेलवे बजट पर बहस के दौरान चोरियों, डकैतियों और अन्य समाज-विरोधी गतिविधियों को समाप्त करने के उपायों सहित रेल संचालन में सुधार के संबंध में संसद् सदस्य जो भी सुझाव देते हैं, उनकी तत्परतापूर्वक जांच की जाती है बशर्ते वे कार्यान्वित किये जाने की दृष्टि से व्यावहारिक हों और साधन उपलब्ध हों । इसी संदर्भ में 15-6-71 को लोक सभा में चालू रेलवे बजट पर बहस के दौरान यह घोषणा की गयी थी कि रेल मंत्री सप्ताह में आधा दिन विभिन्न मजदूर नेताओं से मिलने के लिए निर्धारित करना चाहते हैं ताकि वे विभिन्न समस्याओं पर उनसे विचार-विमर्श कर सकें ।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या मजदूर नेताओं के साथ इस प्रकार की बैठकें आयोजित करने संबंधी इस घोषणा के अनुरूप कोई कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मजदूर नेताओं के साथ हम दो बैठकें पहले ही कर चुके हैं ।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : मजदूर नेताओं के साथ भेंट करने के इलावा रेलवे में समाज विरोधी गतिविधियों को कम करने हेतु मन्त्रालय द्वारा कौन-कौन से अन्य उपाय करने का विचार है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : रेलवे ने विभिन्न उपाय किये हैं । हम राज्य सरकारों के साथ भी बराबर सम्पर्क बनाये हुये हैं, क्योंकि कानून और व्यवस्था मूलत: राज्य सरकार की जिम्मेदारी है । जहां तक रेलवे का संबंध है, वे राज्य सरकारों के परामर्श से अपना कार्य कर रही हैं ।

Shri B. S. Bhaura : A lot of goods are stolen at Jakhal Railway line and it has been reported in Newspapers that police have a hand in it. Will the Hon'ble Minister take steps to prevent this?

Mr. Speaker : That is a suggestion and not a question. He has noted it.

Shri Hukam Chand Kachwai : In view of the pilferage, thefts of passengers' goods and of Railway goods from Railway Godowns, is there any scheme to post police in running trains to protect passengers? If not, what steps are they considering to prevent all this? He has stated that he met certain unions. What are the names of such unions? Do they include Bhartiya Mazdoor Sangh also?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: We have held discussions with representatives of recognised trade unions and we are ready to consult and have a dialogue with those unions as well which are unrecognised.

So far as safety of goods trains is concerned, patrolling has been intensified and the number of policemen increased in the areas prone to thefts.

Shri Hukam Chand Kachwai : People are looted in Passenger trains. Is the Hon'ble Minister ready to post policemen in passenger trains as well?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Patrolling has been started in Night trains in the areas where such incidents occur and police arrangements have been made during day time as well.

श्री डी० एन० तिवारी : मन्त्री महोदय ने बताया है कि उन्होंने राज्य सरकारों के परामर्श से विभिन्न उपाय किये हैं और मजदूर संघों की बैठकें भी बुलाई हैं । इस सबसे क्या सुधार हुआ है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या चोरियां बन्द हो गयी हैं अथवा बन्द होने जा रही हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : थोड़ा सुधार हुआ है । परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है, पूर्वी क्षेत्र में स्थिति बिल्कुल असन्तोषजनक है और उस क्षेत्र में सामान्य कानून और व्यवस्था स्थापित करने के लिये सरकार सभी प्रकार के प्रयास कर रही है । इससे रेलवे के कार्य चालन में भी सुधार होगा । दूसरे क्षेत्रों में थोड़ा सुधार हुआ है परन्तु मैं इस बात से सहमत हूं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है ।

Shri S. D. Singh : I want to know from the Hon'ble Minister whether any Political Group or Political Party has a hand in all these thefts and docoities which are being committed on such a large scale?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : It is very difficult to answer it. No political party is involved in them.

Shri S. D. Singh: It has been reported in Newspapers that Naxalites have a hand in them. Has he any information about it?

Mr. Speaker : Order Please.

रेलवे के प्रबन्ध में कर्मचारियों का भाग लेना

*938. **श्री एन० ई० होरो**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे के प्रबंध में कर्मचारियों के भाग लेने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : रेलवे की प्रबन्धकीय की गतिविधियों के कुछ क्षेत्रों में रेलवे के श्रमिक पहले से भाग ले रहे हैं । इन क्षेत्रों को विस्तृत करने के प्रश्न पर समय-समय पर विचार किया जाता है और जब कभी व्यावहारिक होगा, इस संबंध में आगे कार्रवाई की जायेगी ।

श्री एन० ई० होरो : माननीय मंत्री ने कहा है कि रेल श्रमिकों को प्रबन्ध-कार्य में भाग लेने की अनुमति देना व्यवहार्य नहीं है । परन्तु फिर भी मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि ऐसे क्षेत्र कौन-कौन से हैं जहां उन्हें प्रबन्ध में भाग लेने की अनुमति दी गई है और ऐसे क्षेत्र कौन कौन से हैं जहां उन्हें प्रबन्ध में भाग लेने की अनुमति देना सरकार व्यवहार्य नहीं समझती ? दूसरे क्या मंत्री महोदय इससे भी एक कदम आगे बढ़ कर बहुत दृढ़तापूर्वक यह कहेंगे कि रेलवे प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लेने की पूर्ण अनुमति दी जायेगी ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी: श्रमिकों द्वारा रेलवे के प्रबन्ध-कार्य में किस प्रकार सक्रिय रूप से भाग लिया जा सकता है, इस मामले की जांच के लिए 1959 में रेलवे बोर्ड द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई थी । अभी तक उनका कार्य केवल श्रमिक कल्याण और कर्मचारी कल्याण गतिविधियों तक ही सीमित है और हम इसमें कर्मचारियों का सक्रिय योगदान प्राप्त कर रहे हैं । इनका कार्य क्षेत्र विस्तृत किया जा सकता है, परन्तु रेलवे चूंकि एक बहुत जटिल उपक्रम है, अतः इस प्रकार के मामलों की ओर ध्यान देने में अभी कुछ समय लगेगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The question does not relate to the appointment of a Railway Officer, but it relates to giving representation to Railway employees in Railway Board. When a representative of employees is being included in the Management Boards, in the factories which are being run in Public Sector, why Railway employees are being deprived of representation in this case?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : As regards the participation of Railway employees in Railway Board, the matter is under consideration and no decision has been taken so far.

श्री ए० पी० शर्मा : क्या यह सच है कि प्रबन्ध कार्यों और निर्णय लेने में श्रमिकों द्वारा भाग लेने के संबंध में योजना बनाने के सिलसिले में, मान्यता-प्राप्त श्रमिक संघों के साथ बातचीत आरम्भ की जा चुकी है और यदि हां, तो इस योजना के पूर्ण होने में कितना समय लगने की संभावना है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी: जी हां, माननीय सदस्य स्वयं ही इसके सदस्य हैं और यह उन्हीं पर निर्भर करता है कि वह कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देंगे ?

श्री बी० एस० मूर्ति: क्या यह सच है कि रेलवे कर्मचारियों की रेलवे उपभोक्ता परामर्शदात्री समितियों के सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी जाती ? क्या यह भी सच है कि मद्रास के एक हरिजन सदस्य को, जो कि मद्रास क्षेत्रीय रेलवे उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति का सदस्य चुना गया था, बैठक में भाग लेने से रोक दिया गया था ?

Shri S. M. Banerjee : The hon. Minister has just now stated that the matter is under consideration. When both the recognised federations are anxious for the progress and efficient working of Railway, I would like to know whether the delay is on the part of the Government or the employees?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : It is a matter of vital importance and the Government as well as the labour Unions, both are anxious for an early decision. But it is likely to take some time as Railway is a very vast undertaking.

श्री चपल भट्टाचार्य : मैं माननीय रेल मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या श्रमिकों द्वारा प्रबन्ध-कार्यों में भाग लेने को केवल रेलवे बोर्ड तक ही सीमित रखा जायेगा या उन्हें सभी स्तरों पर भाग लेने की अनुमति होगी और क्या इन कर्मचारियों का सक्रिय सहयोग और योगदान प्राप्त करने, और वह भी विशेष रूप से उन केन्द्रों के लिए जहां कि भ्रष्टाचार विद्यमान है और जहां चोरियां होती हैं उसे रोकने के लिए, कोई प्रयत्न किया गया है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : श्रमिकों के ऊंचे स्तर पर प्रबन्ध-कार्य में भाग लेने का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि निम्न से निम्न स्तर पर भाग लेने का भी है ।

Shri R. S. Pandey: What was the opinion of the Chairman when the issue of giving representation to Railway employees was referred to him?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : It has neither been brought to his notice nor his opinion sought so far.

1971 में भारतीय रेलों में दुर्घटनायें

***940. श्री पी० गंगादेव :** †

श्री एस० एम० कृष्ण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली अप्रैल, 1971 से 30 जून, 1971 तक प्रति मास कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई;

(ख) कितने मामलों में जांच की गई तथा निष्कर्ष क्या निकले; और

(ग) प्रत्येक दुर्घटना में, अलग-अलग कितने लोगों की मृत्यु हुई तथा कितनी सम्पत्ति की हानि हुयी ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) भारतीय रेलों में टक्कर, पटरी से उतरने, समपार पर गाड़ियों के यातायात से टकराने और गाड़ियों में आग लगने की कोटियों के अन्तर्गत अप्रैल 1971, मई 1971 और 1-6-1971 से 15-6-1971 तक (जिस तारिख तक सूचना उपलब्ध है) क्रमश: 83, 78 और 40 गाड़ी-दुर्घटनाएं हुईं ।

(ख) इन सभी दुर्घटनाओं की जांच की गयी । 194 मामलों में से अभी तक जिन मामलों में कारण सुनिश्चित हो गया है, उनमें से 96 मामले रेल कर्मचारियों की गलती के कारण, 44 रेल कर्मचारियों से भिन्न अन्य व्यक्तियों की कार्रवाई के कारण और 31 रेल उपस्कर की खराबी के कारण हुए । बाकी मामलों में से 19 संयोगवश हुए थे जिनके लिए किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया; 3 मामलों में कारण का सही निश्चय नहीं हो सका और 1 मामला तोड़-फोड़ के कारण हुआ ।

(ग) 1-4-1971 से 15-6-1971 तक की अवधि में टक्कर, पटरी से उतरने, समपार दुर्घटनाओं और गाड़ियों में आग लगने के फलस्वरूप रेल सम्पत्ति को क्रमश: 6,05,871 रुपये, 7,91,992 रुपये, 12,455 रुपये और 1,00,119 रुपये की हानि हुई । इन कोटियों की दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप क्रमश: 10, 3, 19 और 12 व्यक्ति मारे गये ।

श्री पी० गंगादेव : माननीय मंत्री ने बताया है कि 44 दुर्घटनायें ऐसी हैं जोकि रेल कर्मचारियों के कारण हुई । ये दुर्घटनायें कौन-कौन सी हैं और इन्हें रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : इनमें से अधिकांश रेल दुर्घटनायें ऐसे रेलवे फाटकों पर हुई जहां कोई कर्मचारी तैनात नहीं किया जाता । सरकार इस मामले की जांच कर रही है । जैसा कि मंत्री महोदय ने बजट पर हुई चर्चा का उत्तर देते समय कहा है । सरकार वहां ऊपरी और सड़क के नीचे पुल बनाने का विचार कर रही है ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : तीसरी श्रेणी के तथा अन्य डिब्बों में भारी भीड़ के कारण युवक और विद्यार्थी डिब्बों के बाहर लटक जाते हैं और कई बार वह सिगनल पोस्ट से टकरा जाते हैं क्योंकि वह पटरी के बहुत नज़दीक होती है । इस कारण भी बहुत सी दुर्घटनायें होती हैं । कुछ दिन पहले इसी प्रकार की दुर्घटना से मरने वाले एक व्यक्ति की लाश मैंने सड़क पर पड़ी देखी थी । क्या सिगनल पोस्ट की डिब्बों से कुछ दूरी पर लगाने का सरकार का कोई विचार है ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोका जा सके ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : लोगों को डिब्बे में सफर करने और बाहर न लटकने की शिक्षा देने पर विचार अवश्य किया जा रहा है ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : इससे कोई लाभ नहीं होगा । अभी उस दिन मैंने ऐसी ही दुर्घटना के शिकार एक व्यक्ति को देखा है ।

निजी फर्मों द्वारा अलाभप्रद रेलवे लाइनों का चलाया जाना

*941. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलाभप्रद लाइनों को बन्द करने से पहले क्या सरकार का विचार विज्ञापन देकर ऐसी निजी फर्मों को आमन्त्रित करने का है जो रेलवे बोर्ड के तकनीकी-निरीक्षण में इन लाइनों को चलाने की जिम्मेदारी ले सकें;

(ख) यदि संबंधित क्षेत्र के रेल उपभोक्ताओं, पंचायत समितियों, औद्योगिक एकक आदि, किसी फार्मूले के आधार पर हानि को पूरा करने का आश्वासन दें, तो क्या उक्त रेल लाइनों को चाले रखा जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को ऐसी संभावनाओं का पता लगाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) अब तक इस तरह का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । यदि कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त हुआ तो गुण-दोष के आधार पर उस पर विचार किया जायेगा ।

श्री जगन्नाथ मिश्र : घाटे के कारण जिन लाइनों को बन्द किया जा रहा है उनके नाम क्या हैं और राष्ट्र के हित के लिए ये लाइनें चालू रहें, इसके लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : वर्तमान गणना के अनुसार भारतीय रेलवे में अलाभप्रद ब्रांच लाइनों की संख्या 75 है। इनमें से 10 बड़ी लाइनें हैं, 26 मीटर गेज और 39 छोटी लाइनें हैं। यदि माननीय

सदस्य और ब्यौरा चाहते हैं तो मैं वह भी दे सकता हूं। परन्तु अभी हमारा इरादा केवल पश्चिम रेलवे की कुनकावा-दादरी और उत्तर-सीमांत रेलवे की कुनकावा-दादरी और जोरहट-नीमाती रेलवे लाइनों को ही बन्द करने का है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया: इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि इन अलाभप्रद रेलवे लाइनों को बन्द किया जा रहा है, क्या राज्य सरकारों से भी विचार-विमर्श किया जायेगा और क्या राज्य सरकारों से कोई अनुरोध किया जायेगा कि वे इन लाइनों के चलते रहने के लिए केन्द्र सरकार की कोई सहायता करें?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी: किसी भी रेलवे लाइन को बन्द करने से पूर्व, राज्य सरकार से विचार-विमर्श किया ही जाता है।

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सम्बोधित करने का तरीका

*942. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**: क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल अधिवक्ता संघ (केरल ऐडवोकेट्स एसोसियेशन) द्वारा 1969 में पारित इस आशय के एक संकल्प की प्रति प्राप्त हुई है कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को न्यायालय में "मीं लार्ड" "योर लार्डशिप" और "हिज लार्डशिप" के रूप में संबोधित करने के तरीकों को समाप्त किया जाये; और

(ख) क्या सरकार ने न्यायाधीशों को संबोधित किये जाने वाले पुराने सम्मानार्थ शब्दों के प्रयोग और न्यायाधीश के न्यायालय कक्ष में प्रवेश करते समय और न्यायालय कक्ष से बाहर जाते समय चोबदार द्वारा उसके सामने चांदी की चोब (मेस) ले जाने की प्रथा को समाप्त करने के लिये कोई कार्यवाही की है?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी): (क) जी नहीं।

(ख) उच्च न्यायालयों में सम्बोधन की रीति, प्रक्रिया और पद्धति उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों के ध्यान देने के विषय हैं। इन मामलों में हस्तक्षेप करना सरकार के लिए उचित न होगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन: वास्तव में बहुत असंतोषजनक उत्तर दिया गया है क्योंकि आजकल सम्मान शब्द के अर्थ में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। इस मामले के सम्बन्ध में सरकार ने पहले जो रुख अपनाया था, क्या सरकार पुनः वही रुख अपनायेगी?

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न नहीं पूछ रहे। यह केवल यही कह रहे हैं कि क्या आप इस पर सुनः विचार करेंगे

श्री नीतिराज सिंह चौधरी: यह मामला न्यायाधीशों के निर्णय पर छोड़ दिया गया है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन: मंत्री महोदय ने कहा है कि यह मामला न्यायाधीशों पर छोड़ दिया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब आधुनिक परिस्थितियों में वेटिकन भी अपनी नन्ज़ और पादरियों की वेशभूषा में परिवर्तन कर रहा है, सरकार इस पर क्यों अड़ी हुई है?

विधि और न्याय मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले): "योर लार्डशिप" और "योर आनर" जैसे सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किसी कानून के आधार पर नहीं किया जाता। इन शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिये या नहीं, इसके बारे में कोई कानून नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: यदि आप मुझे "अध्यक्ष महोदय" कहते हैं तो मुख्य न्यायाधीश को "योर लार्डशिप" क्यों नहीं कह सकते ?

श्री एच० आर० गोखले: मैं व्यक्तिगत रूप से तो इस सुझाव का विरोध नहीं करता और यदि सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति होती, तो सरकार इसमें हस्तक्षेप करने पर विचार भी करती। यह तो केवल एक परम्परा की बात है। हां, जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, सरकार ने तो 1952 में ही, जबकि यह मामला उठाया गया था, यह निर्णय कर लिया था कि सरकार अपने सम्बोधनों में "माननीय न्यायाधीश" आदि आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करेगी। अतः एक उच्च स्तरीय निर्णय के बाद 1952 में सरकार ने ऐसे सम्बोधनों को समाप्त कर दिया था। इस के लिए चूंकि कोई कानून नहीं है, अतः सरकार इनका प्रयोग नहीं करेगी। इनका प्रयोग व्यक्तिगत सम्बोधनों में भी नहीं किया जायेगा। 'मंत्री महोदय' भी कहा जाता था परन्तु अब तो सभी श्री या महोदय शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अन्तर्गत न्यायाधीश इसकी अनुमति दें या नहीं। अतः यह मामला बैंच और बार पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

Shri Atal Behari Vajpayee : Nobody wants that Government should interfere in the affairs of the judiciary. But will the Government apprise the courts that the Parliament is not in favour of the usage of words like 'your lordship', 'your Honour', etc.?

श्री एच० आर० गोखले: मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं कि संसद द्वारा कोई ऐसा संकल्प पारित किया गया है या नहीं। जब भी सदन इसके बारे में कोई सकारात्मक दृष्टिकोण प्रकट करेगा, मुझे विश्वास है कि सरकार उसे ध्यान में रखते हुये उपयुक्त कदम उठायेगी। कुछ समय पहले भी जब इस प्रश्न को उठाया गया था तो उस समय मुख्य न्यायाधीश ने यह विचार व्यक्त किया था कि वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि अब यह समाप्त किया जाना चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी: क्या हमारी भावनाएं न्यायाधीशों तक पहुंचा दी जायेंगी कि एक लोकतंत्रात्मक देश में जहां उपाधियां नहीं हैं

अध्यक्ष महोदय: हम यह बात मंत्री महोदय पर छोड़ते हैं। वह जो उचित समझें करें। या फिर वकीलों पर छोड़ते हैं क्योंकि उन्हीं को न्यायाधीशों को संबोधित करना होता है।

गंडक परियोजना से पूर्वी नहर के निर्माण के फलस्वरूप मुजफ्फरपुर में पानी की सप्लाई में कमी

*943. **श्री नवल किशोर सिंह**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंडक परियोजना से नेपाल को जल देने के लिए बनाये जाने वाली पूर्वी नहर के कारण बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से होकर बहने वाली गंडक परियोजना की मुख्य नहर की उप-नहरों में जून से दिसम्बर तक पानी की मात्रा में कमी हो गई थी, जो परियोजना प्रतिवेदन के प्रतिकूल था; और

(ख) यदि हां, तो मुजफ्फरपुर जिले के किसानों को इस प्रकार हुई कठिनाई को कम करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) नेपाल पूर्वी नहर का निर्माण नेपाल सरकार के साथ हुए करार के अनुसार शुरु किया गया है। इससे निरहुत की मुख्य नहर प्रणाली में जल की सप्लाई में कमी नहीं होगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री नवल किशोर सिंह : गण्डक परियोजना की दिसम्बर से जून तक की मूल रिपोर्ट के अनुसार मुख्य तिरहुत नहर और पूर्वी नेपाल नहर में प्रति सेकन्ड कितने 'क्यूसेक्स' पानी बहता है ?

सचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० के० एल० राव) : गण्डक परियोजना की मूल रिपोर्ट 1969 में प्राप्त हुई थी तथा इसके सम्बन्ध में फिर से नेपाल और भारत के बीच समझौता होना है। इसमें कुछ परिवर्तन किए गये हैं। दिसम्बर से जून तक रबी की फसल के लिए कोई विशेष आवंटन नहीं किया गया, मात्र इतना ही बताया गया है कि 20 से 30 प्रतिशत क्षेत्र की ही अनुमति दी जाएगी। रबी की फसल के लिए नेपाल को कितना पानी दिया जाये, इस सम्बन्ध में भारत और नेपाल के बीच समझौता होना है; अभी निश्चित कुछ नहीं है।

श्री नवल किशोर सिंह : जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया, क्या 1969 में नेपाल और भारत के बीच पानी के बटवारे के मूल कार्यक्रम का कोई पुनरीक्षण किया गया है।

डा० के० एल० राव० : मूल समझौते में खरीफ फसल के लिए पूर्वी नेपाल नहर को 630 क्यूसेक्स पानी दिया गया था, बाद में नेपाल सरकार के अनुरोध पर समझौते के अनुरूप हम 850 क्यूसेक्स अर्थात् 200 क्यूसेक्स अधिक पानी देने को राजी हो गये हैं।

श्री नवल किशोर सिंह : नेपाल को दिये जा रहे अतिरिक्त पानी के बदले में बिहार लेके लोगों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ? यह एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है और मंत्री महोदय ने अवश्य ही वैकल्पिक व्यवस्था की होगी।

डा० के० एल० राव : नेपाल को 200 क्यूसेक्स अतिरिक्त पानी दिया गया है। भारतीय नहरों में जाने वाले 30,000 क्यूसेक्स पानी में 200 क्यूसेक्स नगण्य मात्र है, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

श्री विश्वनाथ राय : क्या नेपाल को पानी दिए जाने से पूर्वी और पश्चिमी नहरों के लिए पानी की मात्रा अपर्याप्त हो गई है ?

डा० के० एल० राव : मुझे ऐसी आशा नहीं है। जैसा कि मैंने अभी कहा, खरीफ की फसल में पूर्वी गण्डक नहर को 30,000 से 31,000 क्यूसेक्स पानी दिया जायेगा और नेपाल को 1,000 क्यूसेक्स। (**व्यवधान**)

श्री डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि गण्डक परियोजना जोकि भारत की सबसे उत्तम परियोजना है, के सम्बन्धित निर्माण कार्यों में क्या-क्या परिवर्तन किए गये हैं और परियोजना की अनुमानित लागत क्या होगी ? सरकार पश्चिमी नहर को, अर्थात् उत्तर प्रदेश से बिहार को कब तक पानी देगी तथा कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

डा० के० एल० राव : माननीय सदस्य ने पश्चिमी नहर का जिक्र किया है। यह सही है कि पश्चिमी नहर एक अच्छी नहर है और उसका अच्छा उपयोग हो सकता है। पर मुझे खेद है कि गण्डक नहर के पूर्वी भाग का उपयोग अब तक बहुत ही अपर्याप्त हुआ है। पर पश्चिमी भाग में यह निश्चय ही कुछ जिलों में अच्छे उपयोग में आयेगी। मुझे आशा है कि केवल उत्तर प्रदेश में इसे जोड़ने के अतिरिक्त सारन नहर का कार्य दो वर्ष में पूरा हो जायेगा।

Rise in Price of Bricks

*945. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Industrial Developmen** be pleased to state :

(a) whether the price of bricks has risen from Rs. 30 per thousand to Rs. 60 per thou sand; and

(b) if so, the steps Government propose to take to control the price of bricks?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri Ghanshyam Oza):

(a) During the past one yepr, there has been a rise in prices ranging from Rs. 6 to Rs. 10 per thousand pieces of certain types of bricks.

(b) There is no proposal under consideration of the Government to control the prices of bricks.

Shri Mahadeepak Singh Shakya : What is the quality of bricks the price of which has been raised at the rate of 10 rupees and has this affected the price of coal also?

श्री घनश्याम ओझा : यह प्रश्न साधारण ईंटों से सम्बन्धित है ऊष्मसह ईंटों से नहीं, प्रश्न मकान बनाने में काम आने वाली ईंटों से सम्बन्धित है और उत्तर भी उसी से सम्बन्धित है। यह सही है कि कुछ क्षेत्रों को कोयले की कमी अनुभव हो रही है। हम इस पर विचार कर रहे हैं और इसका समाधान करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri Mahadeepak Singh Shakya : What is the enhanced rate at which the Govern-ment is going to enforce control?

श्री घनश्याम ओझा : मूल्यों का नियंत्रण किसी कानून के अन्तर्गत नहीं किया जाता, क्योंकि यह राज्य का विषय है। इसके लिए, यदि वे चाहें तो कानून बनाना राज्यों का काम है। केन्द्र का इससे कोई सम्बन्ध नहीं।

Shri B.S. Bhaura : The Hon. Minister has said that it is a state subject. The prices of bricks in Punjab have increased by Rs. 18. Do the Government propose to control it? Because there is President's rule there?

श्री घनश्याम ओझा : वे पंजाब सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया हमारी सूचना के अनुसार कीमतों में 6 से 10 रुपयों तक की वृद्धि हुई है। केन्द्र का इससे सीधा सम्बन्ध नहीं है। हम यह सूचना राज्य सरकार को भेज देंगे।

Shri Hukam Chand Kachwai : Is the Minister aware of the present prices of bricks . . (*Interruptions*). This is a very important question. What is being done regarding disparity prevailing in the Country?

उच्च न्यायालयों द्वारा सदर मुकामों से बाहर बेंचों की स्थापना

*946. **श्री के० बालतन्डायुतम** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के कौन-कौन से उच्च न्यायालयों ने अपने सदर मुकामों से बाहर अपनी बेंचें स्थापित की हैं;

(ख) क्या तमिलनाडु तथा केरल सरकार क्रमशः मदुरै तथा त्रिवेन्द्रम में एक-एक बेंच स्थापित करने के लिए अनुमति दिये जाने का अनुरोध कर रही है;

(ग) यदि हां, तो उनके अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) केवल कुछ उच्च न्यायालयों को ही सदर मुकामों से बाहर अपनी बेंचे स्थापित करने की अनुमति किन सिद्धांतों के आधार पर दी गई है?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (घ) एक विवरण, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है, सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ख) और (ग) उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना उच्च न्यायालय के प्रधान स्थान से भिन्न किसी स्थान पर करने के लिए कोई भी प्रस्थापना न तो तमिलनाडु सरकार की ओर से है और न केरल सरकार की ओर से।

विवरण

(क) निम्नलिखित उच्च न्यायालयों की न्यायपीठें उच्च न्यायालय के प्रधान स्थान से भिन्न स्थानों पर हैं :—

उच्च न्यायालय का नाम	प्रधान स्थान	न्यायपीठें
1. इलाहाबाद उच्च न्यायालय	इलाहाबाद	लखनऊ
2. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय	जबलपुर	ग्वालियर और इंदौर
3. बम्बई उच्च न्यायालय	बम्बई	नागपुर

(घ) पहले, अवध का मुख्य न्यायालय लखनऊ में था, जिससे उत्तर प्रदेश के अवध प्रदेश का काम चलता था और इलाहाबाद उच्च न्यायालय था, जिससे उस प्रांत के शेष भाग का काम चलता था। संयुक्त प्रांत उच्च न्यायालय (समामेलन) आदेश, 1948 द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय और लखनऊ स्थित अवध मुख्य न्यायालय को मिलाकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नाम से एक ही उच्च न्यायालय बना दिया गया। न्याय-प्रशासन के लिए यह आवश्यक समझा गया कि अवध के ऐसे क्षेत्रों में, जिन्हें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति निदेशित करे, उठने वाले मुकदमों में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए एक न्यायपीठ लखनऊ में रखी जाए। तदनुसार, 1948 में लखनऊ न्यायपीठ स्थापित की गई।

पहले, नागपुर में एक उच्च न्यायालय था। राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात्, जब यह क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य का भाग बना जिसका मुख्यालय बम्बई में था तो यह फैसला किया गया कि सम्पूर्ण राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय बना रहे जिसका प्रधान स्थान बम्बई में हो और एक न्यायापीठ नागपुर में हो। बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, युवतमाल, वर्धा, नागपुर, भण्डारा, चांदा और राजौरा के जिलों में उठने वाले मामलों के बारे में उच्च न्यायालय की अधिकारिता और शक्ति का प्रयोग करने के लिए बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 की धारा 41 द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की व्यवस्था नागपुर में की गई। नागपुर में न्यायपीट इस उपबन्ध के अनुसरण में स्थापित की गई।

ग्वालियर और इन्दौर भूतपूर्व नरेशों के राज्यों के प्रशासन के प्रधान स्थान थे। इन राज्यों के विलय के साथ ही मध्य भारत राज्यक्षेत्र बनाया गया और तत्पश्चात् मध्य प्रदेश राज्य बना। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर और इन्दौर की न्यायपीठें, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51 के अधीन विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को पहले से मिली सुविधाएं बनाए रखने के लिए स्थापित की गई थीं।

इन सब मामलों में न्यायपीठें स्थापित करने का फैसला लोक हित में अर्थात् न्याय प्रशासन के हित में और उन मुकदमा लड़ने वालों की सुविधा के लिए किया गया था, जिनको ये सुविधाएं उन स्थानों पर मिली हुई थीं।

श्री के० बालतन्डायुतम : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी ज़िले तथा केरल के कुछ भागों के निर्धन कृषक निरन्तर यह अनुरोध कर रहे हैं कि तमिलनाडु के लिए मदुरै में तथा केरल के लिए त्रिवेन्द्रम में एक-एक बैंच स्थापित किया जाए क्योंकि राज्यों के पुनर्गठन के बाद से उन्हें कन्याकुमारी से मद्रास तक पहुंचने के लिए लगभग 400 मील का सफर तय करना पड़ता है?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : अभी तक सरकार से ऐसा अनुरोध नहीं किया गया है।

श्री के० बालतन्डायुतम : यदि तमिलनाडु सरकार अथवा वहां के लोगों द्वारा ऐसा प्रस्ताव रखा जाए तो क्या सरकार उस पर विचार करेगी?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : इस सबन्ध में कुछ भी निर्णय करना राज्य सरकार का काम है। यदि राज्य सरकार इसके लिए अनुरोध करेगी तो केन्द्र सरकार मामले पर विचार करेगी।

श्री टी० बालाकृष्णैया : सिद्धांत यह है कि सब को न्याय मिले और इस उद्देश्य के लिए क्या सरकार न्यायिक विभाग के पुनर्गठन के मामले पर विचार करेगी और क्या सदर मुकामों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर अतिरिक्त बैंच स्थापित करेगी? क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश के तिरूपति स्थान पर एक अतिरिक्त बैंच स्थापित करने का है?

विधि एवं न्याय मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : इस प्रश्न पर अनेक बार विचार हो चुका है। इस बारे में विधि आयोग का सुनिश्चित मत यह है कि बैंचों के अन्य स्थानों पर स्थापित किये जाने से, चाहे वे उच्च न्यायालय के हों अथवा उच्चतम न्यायालय के, न्यायलयों की दक्षता में कमी हो जाएगी। अतः विधि आयोग बैंचों की स्थापना की मांग के बिल्कुल विरुद्ध है। भारत के मुख्य न्यायधीश का भी यही मत है कि जब तक जनता के हित के लिए बैंच की स्थापना करना बहुत आवश्यक न हो जाए तब तक ऐसी मांगों को प्रोत्साहन न दिया जाए। माननीय सदस्य जानते ही हैं कि इलाहाबाद, मध्य प्रदेश, बम्बई उच्च न्यायलयों के बैंचों की अन्य स्थानों पर स्थापना लोकहित की दृष्टि से की गयी अतः यदि किसी विशेष स्थान पर बैंच स्थापित करना लोकहित की दृष्टि से आवश्यक समझा जाए तो सर्वप्रथम इस बारे में राज्य सरकार को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश से परामर्श करना पड़ता है और यदि बैंच की स्थापना में लोकहित समिहित हो तो निश्चय ही ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

इंडियन स्टैंडर्ड वैगन कम्पनी लिमिटेड, बर्नपुर को दिये गये वैगनों के आर्डरों में कमी

*943. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन स्टैन्डर्ड वैगन कम्पनी लिमिटेड, बर्नपुर को रेलवे वैगनों के लिय दिये गये आर्डरों में पिछले वर्षों की अपेक्षा कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(ग) क्या उन्हें यह जानकारी है कि आर्डरों की कमी के कारण इंडियन स्टैन्डर्ड वैगन के प्रबंधक अपने श्रमिकों को जबरन छुट्टी दे रहे हैं और उनमें से कुछ की छंटनी भी कर सकते हैं; और

(घ) क्या निकट भविष्य में वैगनों के लिये आर्डर बढ़ाये जायेंगे?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) (क) जी, हां।

(ख) (i) पिछले वर्षों में फर्म द्वारा उत्पादन में कमी।

(ii) माल डिब्बों की मांग में कमी।

(ग) इस मंत्रालय को इस स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(घ) फर्म को और आर्डर देना यातायात के लिए रेलों की माल डिब्बों की मांगों और फर्म के कार्य पर निर्भर करेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: 1970-71 के दौरान इस फर्म को कितने वैगनों का आर्डर दिया गया तथा किस सीमा तक उत्पादन में कमी हुई है?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी: यह फर्म माल सप्लाई करने में बहुत पीछे रही है। 1969-70 में इन्होंने 2634 वैगन कम सप्लाई किए तथा 1970-71 के दौरान 1759 वैगन फर्म पर बकाया रहे। रेलवे द्वारा अब फर्म को केवल 397 वैगन सप्लाई करने के नए आर्डर दिए गए हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने का प्रयत्न किया है कि उत्पादन में इतनी कमी होने के क्या कारण हैं और क्या भविष्य में यह फर्म दिए गए आर्डरों के अनुसार वैगन सप्लाई करने में समर्थ होगी अथवा नहीं? क्या कुछ अन्य फर्मों को अब इसके लिए आर्डर दिए जाएंगे?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी: 1966-67 के बाद से, 1965-66 की तुलना में फर्म के उत्पादन में पर्याप्त कमी हुई है और फर्म द्वारा इस कमी के मुख्य कारण धीरे काम करो नीति तथा श्रमिक समस्या आदि बताए गए हैं। सितम्बर 1967 से अप्रैल 1968 तक फर्म में तालाबन्दी रही। यही कुछ कारण हैं जिनके परिणामस्वरूप उत्पादन में भारी कमी हुई है।

मध्य प्रदेश में शक्तिशाली तापीय बिजलीघरों की स्थापना

*951. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी:** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिजली की कमी को दूर करने के लिए, जो केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं है अपितु पड़ौसी राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य के कोयला क्षेत्र में शक्तिशाली तापीय बिजलीघर स्थापित करने के बारे में अनुरोध किया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को यह भी बताया गया है कि इन बिजलीघरों में उपयोग किए जाने के लिए राज्य में कोयले के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं तथा बिजली का उत्पादन काफी कम कीमत पर हो सकता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने प्रस्ताव पर विचार कर लिया है तथा इस संबंध में उसकी क्या प्रतिक्रिया है?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख) : जी, हां।

(ग) केंद्रीय सरकार ने इस स्थिति पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और मध्य प्रदेश के लिए 1980-81 तक विद्युत् पैदा करने की दशवर्षीय योजना के प्रस्तावों में 17 लाख किलोवाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता वाली बृहत् तापविद्युत् विस्तार परियोजना को सम्मिलित कर लिया गया है। यह उल्लेखनीय है कि सुपर पावर ताप विद्युत् केंद्र के स्थान का निश्चय सिर्फ कोयले की उपलब्धि के आधार पर ही नहीं किया जा सकता; बल्कि आयोजकों को जल और कोयले की उपलब्धि, विद्युत्-भार केंद्र आदि स्थापित करने के स्थल जैसी कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : प्रश्न का उत्तर संतोषजनक नहीं है। यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश के लिए 1980-81 तक विद्युत् पैदा करने की दस वर्षीय योजना के प्रस्तावों में 17 लाख किलोवाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता वाली वृहत ताप विद्युत् विस्तार परियोजना को सम्मिलित कर लिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि चालू पांच वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश की ताप विद्युत् परियोजना द्वारा कितनी बिजली उत्पन्न की जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० के० एल० राव) : चालू योजना के दौरान केवल इस परियोजना द्वारा लगभग 50 मैगावाट बिजली का अतिरिक्त उत्पादन किया जाएगा क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले से ही बिजली की अधिकता है। अल्युमीनियम संयंत्र लगाने की मांग बढ़ती जा रही है इसलिए हमें आशा है कि दस वर्षों के दौरान 17 लाख किलोवाट क्षमता का एक तापीय संयंत्र लगाया जाएगा।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : आपने यह बात स्पष्ट कर दी है कि विद्युत् तापीय संयंत्र की स्थापना में कोयले अथवा जल की निकटता ही नहीं अपितु अन्य कई बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राजस्थान में कोई ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने का आपका विचार है क्योंकि वहां बिजली की अत्यधिक कमी है?

डा० के० एल० राव : राजस्थान उन राज्यों में से एक है जहां कि पण अथवा ताप विद्युत् का कोई साधन नहीं है। दस वर्षीय योजना में हम न केवल राणा प्रताप सागर अणु शक्ति केन्द्र का विस्तार करेंगे अपितु कोटा में एक अन्य ताप संयंत्र केन्द्र भी स्थापित करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का पुनर्गठन

*933. **श्री डी० एस० अफजलपुरकार** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार ने खादी ग्रामोद्योग आयोग के पुनर्गठन के सम्बन्ध में कोई निर्णय ले लिया है,

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुलहक चौधरी) : (क) और (ख) मामला विचाराधीन है। अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय लेने के पहले राज्य सरकारों, खादी ग्रामोद्योग कमीशन केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों, ग्रामीण उद्योग नियोजन समिति और योजना आयोग के विचार जान लेना आवश्यक था।

दक्षिण में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ

*939. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को पता है कि उच्चतम न्यायालय के नई दिल्ली में स्थित होने के कारण दक्षिणी भारत के राज्यों के मुवक्किलों को उच्चतम न्यायालय से न्याय कराने में कठिनाइयां होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या दक्षिण में किसी सुविधाजनक स्थल पर उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने है?

विधि और न्याय मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) सरकार को किसी विशेष कठिनाई का पता नहीं है जो दक्षिणी भारत के राज्यों के मुवक्किलों को होती हो। यदि कोई कठिनाई दक्षिणी राज्यों के मुवक्किलों को होती है तो वह अन्य प्रदेशों के मुवक्किलों को भी समान-रूप से हो सकती है।

(ख) उच्चतम न्यायालय की कोई न्यायपीठ किसी अन्य स्थान पर स्थापित करने की कोई भी प्रस्थापना नहीं है।

रेलवे बोर्ड द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी गृह मन्त्रालय के आदेशों की क्रियान्विति

*944. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की वरिष्ठता, स्थायीकरण, आरक्षण, चयन आदि के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेशों तथा अनुदेशों को क्रियान्वित करने का कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की वरिष्ठता, स्थायीकरण, आरक्षण, प्रवरण आदि के बारे में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का रेलवे बोर्ड सचिवालय कर्मचारियों के सम्बन्ध में पालन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान नहर परियोजना के लिये केन्द्रीय सहायता

*947. **श्री जी० बंकटस्वामी** : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या राजस्थान के मुख्य मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि राजस्थान नहर परियोजना के दोनों चरणों के लिये केन्द्र सरकार द्वारा ही धन लगाया जाना चाहिये क्योंकि इतनी बड़ी योजना का कार्य राज्य की वित्तीय सामर्थ्य के बाहर है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख) राजस्थान के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि वे राजस्थान नहर के लिए उसे राष्ट्रीय महत्व की योजना समझते हुए अतिरिक्त वित्तीय सहायता दें।

केन्द्र द्वारा बृहद् सिंचाई परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने के प्रश्न पर राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 1964 में विचार किया गया था और यह फैसला किया गया था कि इन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाए किन्तु वे राज्य योजना का भाग ही बनी रहें। तदनुसार राजस्थान नहर परियोजना राज्य योजना के भाग के रूप में ही चल रही है। 1968-69 तक इस परियोजना के लिए केन्द्र द्वारा शतप्रतिशत पृथग्-रक्षित केन्द्रीय ऋण सहायता दी जा रही थी। चतुर्थ योजना के दौरान यद्यपि केन्द्रीय सहायता ब्लाक अनुदानों।ऋणों के रूप में दी जा रही है, राजस्थान नहर के लिए परिव्यय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किए जा रहे हैं।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को सरकारी सहायता

*949. **श्री विक्रम चन्द महाजन** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी वार्षिक सहायता दी जाती है;

(ख) आयोग में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं; और

(ग) इस आयोग में गत तीन वर्षों में कुल कितनी राशि का गबन हुआ है ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुलहक चौधरी) : (क) 1970-71 में खादी ग्रामोद्योग कमीशन बम्बई को 14.61 करोड़ रुपये का सहायतार्थ अनुदान स्वीकृत किया गया।

(ख) खादी ग्रामोद्योग कमीशन, बम्बई ने सूचित किया है कि उनके यहां 4,094 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं।

(ग) खादी ग्रामोद्योग कमीशन के कुछ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतों की जांच की जा रही है। किसी प्रकार के गबन का पता जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही चल सकेगा।

रेलवे विभाग में खान-पान की दरों में वृद्धि

*950. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे ने खान-पान की दरों में भारी वृद्धि कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) 20 दिसम्बर, 1970 से भारतीय ढंग के भोजन की कीमतों में कुछ वृद्धि और पश्चिमी ढंग के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने की कीमतों में तीव्र वृद्धि कर दी गयी है।

(ख) यह वृद्धि कच्चे माल की कीमतों और कर्मचारियों की लागत में वृद्धि के कारण आवश्यक हो गयी थी।

सीमान्त क्षेत्रों में नियुक्त रेलवे कर्मचारियों को सीमान्त भत्ता

*952. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमांत क्षेत्र में नियुक्त रेलवे कर्मचारियों को सीमांत भता दिया जाता है; और

(ख) यदि नहीं, तो रेलवे अधिकारियों की भांति उन्हें सीमांत भत्ता अथवा अग्रिम वेतन वृद्धि न दिये जाने के क्या कारण हैं जबकि बाजार की स्थिति का प्रभाव सुरक्षा कर्मचारियों, रेलवे कर्मचारियों और डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों पर एक समान पड़ता है?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) किसी भत्ते, जैसे सीमा भत्ते की मंजूरी देने के सम्बन्ध में रेल मंत्रालय अपना काम वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार करता है। इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय ने कोई अनुदेश जारी नहीं किये हैं अतः इकतरफा कार्रवाई करके केवल रेल कर्मचारियों के लिए इस भत्ते की मंजूरी देना संभव नहीं है। फिलहाल पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर रेल अधिकारियों को अग्रिम वेतन वृद्धियां नहीं दी जातीं।

रूस के सहयोग से हल्के वाणिज्यिक यानों के संयंत्र की स्थापना

*953. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या रूस की एक फर्म के सहयोग से हल्के वाणिज्यिक यानों का संयंत्र स्थापित किय जाने वाले प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो सहयोग कर्त्ताओं की शर्तें क्या हैं?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुलहका चौधरी) : (क) और (ख) मे० इन्सोव० आटो लि०, कलकत्ता को मास्को की मे० प्रोमेशक्सपोर्ट के सहयोग से उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष 12,000 हल्की व्यापारिक गाड़ियां बनाने की क्षमता का एक नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए एक आशय पत्र जारी किया गया है। सहयोग सम्बन्धी विस्तृत शर्तों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

हरिद्वार के हैवी इलैक्ट्रीकल इक्विपमैंट कारखाने का उत्पादन

*954. **श्री एस० एस० बरर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या हरिद्वार के हैवी इलैक्ट्रीकल इक्विपमेंट कारखाने में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस स्थिति का मुकाबला करने के लिय क्या कार्यवाही की गई है?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुलहक़ चौधरी) : (क) से (ग) हैवी इलैक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लान्ट, हरिद्वार में, जिसमें 1965-66 में उत्पादन प्रारम्भ करने का कार्यक्रम था, उत्पादन वास्तव में 1966-67 में प्रारम्भ हुआ। उत्पादन प्रारम्भ करने में एक साल का विलम्ब और उत्पादन में कमी से मशीनों और वर्किंग ड्राइंग प्राप्त करने में विलम्ब होने के मुख्य कारण, सहयोग कर्ताओं का होना, आयातित तथा देशी ढली गढ़ी वस्तुएं और अन्य हिस्से-पुर्जे प्राप्त करने में कठिनाइयां, महत्वपूर्ण कच्चा माल जैसे तांबा, इंसुलेटिंग वार्निस आदि की असन्तोषजनक संभरण स्थिति, रहे हैं, प्रवीनता का प्रत्याशित से कम विकास और मई, 1970 में पूर्ण हड़ताल से भी उत्पादन में कमी हुई है। निर्माण-कार्य को जल्दी पूरा करने के लिए प्रयत्न और सन्तुलन उपक्रम की स्थापना का प्रयास करके एकक में सामग्री प्रबन्ध विभाग के कार्य का सुप्रवाही बनाकर और साहयक उद्योगों के विकास के लिए जोरदार कार्यवाही की जा रही है। इन प्रयासों के फलस्वरूप यह कहा जा सकता है कि अब कारखाना लगभग पूर्णतया चालू हो गया है।

Demand for Grant for Rajasthan Canal

***955. Shri Brijraj Singh Kotah** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government of Rajasthan have demanded 40 crores of rupees from the Central Government for the second phase of the Rajasthan Canal during the Fourth Five Year Plan; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) The State Government have approached the Centre for additional financial assistance of about Rs. 7 crores during the Fourth Plan to enable them to take up preliminary works like water supply arrangements, road communications, Power lines and Labour camps etc. for phase II of the Rajasthan Canal Project.

(b) : The matter is under consideration.

सीमेंट की सप्लाई

*956. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीमेंट की सप्लाई कम है परन्तु इसके उत्पादकों का दावा है कि उनके पास अधिक स्टाक है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) देश में सीमेंट की वर्तमान सप्लाई संबंधी स्थिति क्या है ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुलहक चौधरी) : (क) से (ग) मांग में वद्धि हो जाने के कारण देश के कुछ भागों में सीमेंट की स्थानीय कमी रही है। सामान्यतः मई से सितम्बर के बीच

की अवधि में निर्माण कार्य जोर-शोर से होता है, जबकि सीमेंट की मांग बढ़ जाती है। कमी वाले भागों में सीमेंट पहुंचाने के लिये पर्याप्त रूप से कदम उठाये जा रहे हैं। मालगाड़ी के डिब्बों की कमी तथा स्टीमरों के अनुपलब्ध होने के कारण इन भागों की सम्पूर्ण मांग पूरी नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त बिजली तथा कोयले की कमी का उत्पादन और प्रेषण पर भी असर पड़ा है।

मई, 1971 के अन्त तक सभी कारखानों में खांगर, और सीमेंट का कुल स्टाक 13.2 लाख मी० टन था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस उद्योग की कुल मासिक अधिष्ठापित क्षमता 14 लाख मी० टन है। कारखानों के पास बचा हुआ स्टाक बहुत अधिक नहीं कहा जा सकता है। चालू वर्ष में 156 लाख मी० टन सीमेंट का कुल उत्पादन होने की आशा है जबकि 166 लाख मी० टन सीमेंट की मांग की सम्भावना है जिसमें 3 लाख मी० टन निर्यात का भी शामिल है। सीमेंट का उत्पादन करने के लिए अतिरिक्त क्षमता की स्वीकृति दे दी गई है।

संयुक्त क्षेत्र के उद्योग

*957. **श्री एस०आर० दामाणी** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त क्षेत्र के उन उद्योगों की योजना के संबंध में क्या प्रगति हुई है जहां सरकार ने निजी उद्यमियों के सहयोग से कार्य करने का विचार किया था,

(ख) वे उद्योग कौन-कौन से हैं जिनमें सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ सहयोग करने को तैयार है तथा उसकी शर्तें क्या हैं, और

(ग) यदि उपरोक्त योजना में कोई प्रगति नहीं हुई है तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुलहक चौधरी) : (क) से (ग)) सरकार ने 'संयुक्त क्षेत्र' की धारणा को स्वीकृत कर लिया है। इससे प्रबंध में विशेष रूप से नीति निर्धारण में अधिकाधिक सहयोग प्राप्त होता है और सरकारी वित्तीय संस्थानों से भी बड़े प्रायोजनाओं में जिनमें इन संस्थाओं से पर्याप्त सहायता लेनी होती है सहयोग प्राप्त होता है। ये संस्थायें एक निर्दिष्ट अवधि के अन्दर-अन्दर ऋणों को पूर्णतः अथवा अंशतः इक्विटी में बदलने के बारे में भी अपनी इच्छा से कार्य करने में सक्षम हो सकेंगी। ऋणों को इक्विटी में बदलने के बारे में सरकार ने विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं। कुछ परियोजनायें इस आधार पर स्वीकार कर ली गई हैं कि वे संयुक्त क्षेत्र में कार्यान्वित की जायेंगी औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 में गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये मान्य स्थिति के अनुसार संयुक्त क्षेत्र का विचार किसी भी उद्योग में क्रियान्वित किया जा सकता है।

राज्य औद्योगिक विकास निगमों को, जो सरकार को कई रूपों में अथवा गैर-सरकारी उद्योगियों को समग्र परिसीमाओं के अंदर सहायता कर सकेंगे; स्पंज लोहे से लेकर इलैक्ट्रोनिक्स, संश्लिस्ट रेशे वाले कई प्रकार के उद्योगों के लिए काफी बड़ी संख्या में आशयपत्र जारी किये गये हैं, इसमें राज्य औद्योगिक विकास निगम कम से कम 26% हिस्से लेंगे और किसी दूसरे के इससे अधिक प्रतिशत में हिस्से नहीं होंगे। सरकारी क्षेत्र की नई परियोजनाओं की अंशपूंजी में सर्व साधारण से विनियोजन में सहयोग लेकर संयुक्त क्षेत्र की परियोजना को भी क्रियान्वित किया जा सकता है।

जल कुण्डी परियोजना

*958. **श्री नरसिंह नारायण पाण्डे** : क्या **सिंचाई और विद्युत् मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राप्ती नदी को नियंत्रित करने के लिए तैयार की गई "जल कुण्डी" परियोजना काफी समय से केंद्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नेपाल सरकार इस प्रस्ताव से सहमत हो गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो कार्य आरंभ करने के लिए यदि कोई अन्य प्रस्ताव है तो क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० के० एल० राव) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने 1964 में ही, नेपाल सरकार के सहयोग से अनुसंधान करने के पश्चात् 65 करोड़ रुपये की लागत पर सिंचाई, विद्युत् और बाढ़ नियंत्रण के लिए जल कुण्डी में राप्ती पर एक बहुद्देश्यीय परियोजना के लिए केवल प्रारम्भिक रिपोर्ट तैयार की थी । बहरहाल, नेपाल में जलमग्न होने वाले संभावित क्षेत्रों का ख्याल करते हुये राज्य सरकार ने विद्युत् अनुसंधान के पश्चात् परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए नहीं कहा ।

(घ) राज्य सरकार ने हाल ही में बाढ़ को कम करने के लिए एक संचय जलाशय का अनुसंधान करने का प्रस्ताव किया है ।

गया तथा राजगीर के बीच बड़ी रेलवे लाइन

*959. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया से राजगीर तक बड़ी रेलवे लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की क्रियान्विति के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गांधी धाम से भुज और गांधीधाम से लखपत के बीच बड़ी लाइन के लिये सर्वेक्षण

*960. **महिपतराय मेहता** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित गांधीधाम-भुज बड़ी रेलवे लाइन के सर्वेक्षण कार्य में प्रगति हो रही है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक पूरा हो जायेगा;

(ग) क्या तटीय मार्ग पर गांधीधाम से लखपत तक सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, हां ।

(ख) अक्तूबर, 1971 तक ।

(ग) जी, हां, लेकिन रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं ।

(घ) अक्तूबर, 1971 तक सर्वेक्षण रिपोर्टों को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही सर्वेक्षणों के निष्कर्षों के बारे में पता चल सकेगा ।

असम में आटा-मिलें स्थापित करने के लिये लाइसेंस जारी करना

3946. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **औद्योगिक विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969 से अप्रैल, 1971 के अन्त तक की अवधि में किसी पार्टी अथवा व्यक्ति को असम राज्य में बेलन आटा-मिलें स्थापित करने के लिये कोई लाइसेंस दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन पार्टियों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंक्षालय में उप-मंक्षी (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख)—जी, हां, मे० मौहारी रोलर फ्लोर मिल्स प्राइवेट लि०, को दिसपुर (असम) में एक आटे की चक्की लगाने के लिए जून, 1963 में दी गई अनुमति के संबंध में 11 मई, 1970 को एक औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया था ।

एवरेस्ट साईकिल्स लिमिटेड, गोहाटी (आसाम) द्वारा साईकिल का निर्माण करने वाली मशीन को दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रर्थना

3947. **श्री रोविन ककोटी** : क्या **औद्योगिक विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एवरेस्ट साइकिल्स लिमिटेड, गोहाटी, आसाम ने साइकिल के कुछ पुर्जों का निर्माण करने वाली मशीन को अन्यत्र ले जाने के लिये सरकार से अनुरोध किया है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त मशीन को अन्यत्र ले जाने की अनूमति दे दी है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

एवरेस्ट साईकिल्स लिमिटेड, गोहाटी (आसम) को सामान का आदंटन

3948. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **औद्योगिक विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968, 1969 और 1970 में एवरेस्ट साइकिल्स लिमिटेड, गोहाटी, आसाम को कितने डनलप साइकिल टायर और डनलप साइकिल ट्यूब और इस्पात और निकल के आयात के कितने लाइसेंस आवंटित किये गये,

(ख) इन वर्षों में साइकिलों के उत्पादन में कितनी आनुपातिक वृद्धि हुई, और

(ग) इन वर्षों में कम्पनी ने कितना बिक्री-कर और कितना आय-कर चुकाया ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) वर्ष 1968-69 और 1970 में एवरेस्ट साइकिल्स लि०, गोहाटी आसाम को डनलप साइकिल टायर और डनलप साइकिल ट्यूब की आवंटित की गई मात्रा निम्नलिखित है :

वर्ष	टायर (संख्या)	ट्यूब (संख्या)
1968	86,000	86,000
1969	1,39,000	1,39,000
1970	1,75,000	1,88,000

इस्पात तथा निकल के बारे में विस्तृत सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) वर्ष 1968, 1969 और 1970 के उत्पादन आंकड़े नीचे दिए जाते हैं :

वर्ष	नग
1968	46,078
1969	54,152
1970	75,732

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

मैं० एवरेस्ट साईकिल्स लिमिटेड, गोहाटी (आसाम)

क्रम० सं०	लाइसेंस अवधि	लाइसेंस-मुक्त आदेश जारी किए	
		वस्तु	मात्रा/कीमत
1.	1968-69	(i) निक्ल	0.89 मी० टन
		(ii) इस्पात	कुछ नहीं
2.	1969-70	(i) निक्ल	(क) 2.5 मी० टन/58,750 रुपय (आयात स्वीकृत किया)
			(ख) 1.2 मी० टन
		(ii) इस्पात	1,03,000 रुपये (आयात स्वीकृत किया)
3.	1970-71	(i) निक्ल	0.64 मी० टन
		(ii) इस्पात	कुछ नहीं

Construction of Distributaries of the Chambal River

***3949. Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 99 on 31st March, 1971 and state :

(a) the number of distributaries of the Chambal River;

(b) the dates on which they were constructed indicating the expenditure incurred on each of them;

(c) what was the object of Government in constructing these distributaries; and

(d) whether the said object has since been fulfilled?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) :

(a) and (b) The number of the distributaries of the Chambal Canal system and the expenditure incurred on their construction is as under :

Distributaries of	Nos.	Expenditure incurred
		(Rs. in lakhs)
Main Canal Upper	44	81.98
Main Canal Lower	19	48.17
Ambah branch Canal	62	107.88
Morena branch Canal	23	44.41
Main branch Canal	24	52.20
Bhind branch Canal	21	90.36
	193	425.00

These distributaries were completed in 1967 except distributaries of Mau branch and Bhind Canal which are in progress.

(c) and (d) The object was to create an irrigation potential of 14 lakh acres in States of Madhya Pradesh and Rajasthan. The irrigation facility has been utilised in an area of 5.65 lakh acres in these two States.

बाढ़ से मल्दा में भूमि कटाव और क्षति

3950. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत् मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के माल्दा जिले के 37 मौजे अथवा तालुके हाल में आई बाढ़ से बह गए हैं जिससे भारी तबाही और क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी क्षति हुई है तथा सरकार ने क्या राहत दी है;

(ग) क्या बाढ़ से फरक्का बांध परियोजना को भारी नुकसान हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने यह सूचित किया है कि माल्दा जिले में इस वर्ष अभी तक कोई भारी बाढ़ें नहीं आई हैं । फिर भी, माल्दा जिले के रतुआ थाने में कालिन्दी नदी द्वारा तीन गांवों का कटाव किया गया था । राज्य सरकार ने कटाव से पीड़ित लोगों को अन्यत्र मकान बनाने की लागत के लिए अनुदानों के रूप में वितरण के लिए रु० 50,000 की मंजूरी दी है ।

(ग) हाल की बाढ़ों से फरक्का बराज परियोजना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Reopening of Old Railway Line from Saraigarh to Raghopur (North Eastern Railway)

3951. Shri Charanjib Jha : Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) whether the survey work for reopening of the old Railway line from Saraigarh to Raghopur in North Eastern Railway has since been completed;

(b) if so, the outcome of the survey report in this regard and further action taken thereon;

(c) the time by which the said line is proposed to be opened;

(d) whether there is any proposal to supply electricity to Tharthitta and Saraigarh stations to ensure that the work is carried on smoothly; and

(e) if so, the time by which these arrangements would be completed?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) A rapid reconnaissance and a Traffic appreciation have been carried out for the restoration of the line from Saraigarh to Forbesganj *via* Raghopur.

(b) and (c) The appreciation report has shown that the cost o f the restoration of the Saraigarh-Raghopur portion (13 kms.) would be about Rs. 58 lakhs and it would not be financially remunerative. The restoration of this section is therefore not likely to be taken up at present.

(d) No.

(e) Does not arise.

हाल ही के निर्वाचनों में कमियों के बारे में निर्वाचनों आयोग का प्रतिवेदन

3952. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **विधि और न्याय मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोक सभा के हाल ही के निर्वाचनों में सामने आई कमियों के बारे में निर्वाचन आयोग ने एक प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मन्त्री (श्री एच०आर० गोखले) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा के अर्हक अंक

3953. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या रेल मंत्री 12 मई, 1970 के संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से इंजीनियरों की भर्ती के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 9291 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवाओं के लिये निर्धारित अर्हक अंकों को गोपनीय माने जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सौंपे गये कार्य को, बिना कठिनाई और द्वेष के, पूरा करने के लिये किसी एक अथवा सभी विषयों के अर्हक अंक निर्धारित करने के लिए आयोग को स्वविवेक का अधिकार दिया गया है किन्तु उसे यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह उसको दिए गए कोटे को भरने की सीमा कम कर सके?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय इंजीनियरिगं सेवा तथा केन्द्रीय इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेवा में सीधी भर्ती

3954. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम**: क्या **रेल मंत्री** संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से इंजीनियरों की भर्ती के बारे में 12 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9291 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष के बाद से केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा श्रेणी -II तथा केन्द्रीय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेवा श्रेणी-II में सीधी भर्ती को रोकने में कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया): मामला अभी सरकार के विचाराधीन है ।

बिहार के सहरसा जिले में उद्योगों की स्थापना

3955. **श्री चिरंजीव झा**: क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार के पिछड़े हुंए सहरसा जिले का विकास करने तथा इस क्षेत्र की जनता को रोजगार देने के विचार से सरकार का इस जिले में क्या-क्या उद्योग स्थापित करने का विचार है तथा वे किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): सरकार ने वहां पर उद्योगों को आरम्भ करने के लिए वित्तीय संस्थानों को रियायती दर पर आर्थिक सहायता प्राप्त करने के हेतु कुछ जिलों/क्षेत्रों (सूक्षम सूची के अनुसार) को चुना है । इस उद्देश्य के लिए चुने हुए जिलों में से बिहार राज्य का सहरसा जिला भी एक है । वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त रियायतों तथा सुविधाओं से इन जिलों में औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करने में सहायता मिलेगी तथा यह आशा की जाती है कि उद्यमी इन विभिन्न रियायतों का पूरा लाभ उठायेगें और अधिकाधिक व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे । फिलहाल, सहरसा में कोई विशेष उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है ।

विवरण

वित्तीय संस्थाओं द्वारा रियायती दर पर आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए चुने हुए औद्योगिक रुप से पिछड़े जिलों की सूची।

क्र० सं०	राज्य	जिले
1.	आन्ध्र प्रदेश . . .	नालगोण्डा, मोत्रक, महबूबनगर, करीमनगर, वारान्गल, खमाम, चितूर, अनन्तपुर, करुनूल तथा निजामाबाद ।
2.	असम . . .	गोलपारा, कचार, नावगांव, कामरुप, मिकिर हिल्स तथा मिजो पहाड़ियां जिले।
3.	बिहार . .	सन्थल परगना, भागलपुर, पालामऊ, चम्पारन, सारन, दरभंगा, पुरनिया, मुज्जफरपुर और सहारसा ।

4.	गुजरात	पंचमहाल, कच्छ, अमरेली, करोच, साबरकान्ता, बन्सकान्था, भावनगर, महसाना तथा सुरेन्द्रनगर ।
5.	हरियाणा	मोहिन्द्रगढ़, हिसार तथा जिन्द ।
6.	हिमाचल प्रदेश	चम्बा, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लु तथा लाहुल तथा सिप्ती।
7.	जम्मू और काश्मीर	श्रीनगर, अनन्तनाग, बारामुल्ला, जम्मू, कथुआ, ऊधमपुर, डोडा, लद्दाख, पूंछ और राजौरी ।
8.	केरल	एलेप्पी, त्रिवेन्द्रम, कनान्नौर, त्रिचूर और मालापुरम ।
9.	मध्य प्रदेश	बस्तर, मान्डला, सुरगूजा, सियोनी, झलुआ, बालघाट, बिलासपुर, सिन्धी, बेतुल, रायगढ़, रायपुर, धार, टीकमगढ़, राजगढ़, खारगांव, शाजापुर, शिवपुरी, छिन्दवारा, रीवा, पन्ना देवास, मन्दसोर छतरपुर, गुना, दत्तिया, मुरीना, विदिशा, नरसिम्बापुर, रायसन, होशन्गाबाद, दमोह, भिन्ड तथा सागर।
10.	महाराष्ट्र	बिर, ओसमानाबाद, भण्डारा, रत्नगिरी, ओरन्गाबाद ज्योतमल, चन्दा, धुलिया, बुलढाणा, नन्देद, पारबन्दी, जलगांव तथा कोलाबा।
11.	मेघालय	संयुक्त खासी तथा जैन्तिया पहाड़ी तथा गारो पहाड़ियों के दोनों जिले।
12.	मैसूर	बेलगांव, दिदार, बीजापुर, धारवार, गुलबर्गा, हसन, मैसूर, उत्तर कनारा, रायचूर, दक्षिणी कनारा तथा तुमकुर ।
13.	नागालैण्ड	कोहिमा, मोकांकचुग, तथा त्यूनसंग ।
14.	उड़ीसा	बोलनगिर, म्यूरमंज, धनकनाल, कालाबन्दी, बालासोरा, क्योंझर, कोरापुट तथा फुलभानी ।
15.	पंजाब	होशियारपुर, भटिण्डा, गुरदासपुर और संगरुर ।
16.	राजस्थान	जलोर, बन्सवाड़ा, डून्गरपुर, नागोर, चुरु, अलवर, टोन्क, उदयपुर, जोधपुर, झुन्झुनु, सीकर, सिरोही, भिलवाड़ा, झालवाड़, जैसलमेर, तथा परमार ।
17.	तमिलनाडु	दक्षिणी आर्कट, थिरुचिरापल्ली, मदुराई, रामानाथपुरम, कन्या कुमारी, उत्तर आर्कट, थन्जवूर तथा धर्मपुरी ।
18.	उत्तर प्रदेश	अल्मोड़ा, आजमगढ़, बहराइच, बान्दा, बलिया, बदायुं, चमोली, फतहपुर, गढ़वाल, गाजीपुर, हमीरपुर, हरदोई, पीलीभीत, जलाऊं, जौनपुर, झांसी, मैनपुरी, पिथौरागढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, टेहढ़ी गढ़वाल, उनावं, उत्तर काशी, बाराबंकी, बस्ती, बुलन्दशहर, एटा, इटावा, फैजाबाद, गोंडा, मथुरा, फरुखाबाद, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर और देवरिया।
19.	पश्चिमी बंगाल	पुरुलिया, बन्कूरा, मिदनापुर, दार्जिलिंग, माल्डा, कूचबिहार, प० दीनाजपुर तथा मुर्शिदाबाद ।

केन्द्र शासित प्रदेश

1.	अन्डमान तथा निकोबार द्वीप	पूरा क्षेत्र
2.	चण्डीगढ़	कुछ नहीं
3.	दादर तथा नागर हवेली	पूरा क्षेत्र
4.	दिल्ली	कुछ नहीं
5.	गोआ, दमन तथा दीव	पूरा क्षेत्र
6.	लक्कादीव अमीनदीव तथा मिनीकाय महाद्वीप	बसे हुए द्वीप
7.	मनीपुर	पूरा क्षेत्र
8.	नेफा	वही
9.	पांडिचेरी	वही
10.	त्रिपुरा	वही

एकाधिकार विधेयक के पारित किये जाने से पूर्व जारी किये गये लाइसेंसों के प्रश्न पर महान्यायवादी की राय पर विचार

3956. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया विधेयक के पारित किये जाने से पूर्व जारी किये गये आशय-पत्रों और/या औद्योगिक लाइसेंसों के प्रश्न पर महान्यायवादी की राय पर जो 'उनके अनुसार एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत आता है', इस बीच विचार कर लिया है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) महान्याय-वादी की राय को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय किया है कि जिन मामलों में विद्यमान उप-क्रम में पर्याप्त विस्तार या नये उपक्रम की स्थापना के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हो गये हैं और आशय-पत्र 1-6-1970 अर्थात् एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के लागू होने की तारीख से पूर्व जारी किया गया है और जिनमें पार्टियों ने आशय-पत्र की शर्तों और उपबन्धों को पूरा करने के लिये पर्याप्त कदम उठा लिया है, इस अधिनियम की सीमा के अन्दर नहीं आयेंगे ।

गुजरात राज्य में फ्रीलैंडगंज, तालुका दहोद जिला पंचमहल में डाक-तार कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं के लिये प्रार्थना

3958. **श्री भालजीभाई परमार :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रीलैण्ड डाकखाने में काम करने वाले कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जा रहे मुख्य रेलवे अस्पताल में चिकित्सा सुविधाएं दिये जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग), प्रश्न नहीं उठता ।

मालेगांव, नासिक (महाराष्ट्र) में औद्योगिक बस्ती

3959. **श्री काहनडोल**: क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालंगांव स्थान पर औद्योगिक बस्ती बनायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इस बस्ती के लिये सहायता देने का है और यदि हां, तो कितनी;

(ग) इस औद्योगिक बस्ती का निर्माण-कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा; और

(घ) मालेगांव नगर में बड़ी संख्या में विद्युतचालित करघों का ध्यान रखते हुए क्या इस उद्योग में लगे व्यक्तियों को इस बस्ती में अपने कारखाने खोलने के संबंध में प्राथमिकता दी जायेगी ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (घ) राज्य सरकार से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

नासिक के आदिवासी क्षेत्रों में बिजली लगाना

3960. **श्री काहनडोल**: क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बगलान, कलवान, पेठ और सरगना तहसीलों के पहाड़ी क्षेत्रों सहित महाराष्ट्र के नासिक जिले के आदिवासी क्षेत्रों में बिजली देने के संबंध में सभी प्रारम्भिक कार्य (जैसे कि सर्वेक्षण कार्य, मंजूरी और अनुदान के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को सिफारिश) पूरे हो गए हैं;

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने अभी तक अनुदान मंजूर नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो अनुदान अनुमानतः कब तक मंजूर किया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) से (ग) इगतपुरी, सुरगांव, बगलान, कलवान, डिंडोरी, पींट और मालेगांव के तालुकों में ग्राम विद्युतीकरण के संबंध में संशोधित स्कीम रिपोर्ट महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने 7 जून, 1971 को ग्राम विद्युतीकरण निगम को सौंप दी है । चूंकि स्कीम हाल ही में प्रस्तुत की गई है और उसकी जांच हो रही है, अभी यह पक्की तरह नहीं कहा जा सकता कि इसे कब तक मंजूरी मिल जाएगी ।

बगलान, महाराष्ट्र में हरनबरी बांध के कारण भूमिहीन हुये आदिवासियों को बसाना

3961. **श्री काहनडोल**: क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नासिक जिले के बगलान तहसील में हरनाबरी बांध के कारण बेघर तथा भूमिहीन होने वाले आदिवासियों को बसाने के लिए पर्याप्त और यथा समय कार्यवाही नहीं की जा रहा है;

(ख) उक्त परियोजना पर कितना पूंजीगत परिव्यय होगा और इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है और उससे कितने एकड़ भूमि को लाभ होगा;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस बांध के कारण गृहहीन और भमिहीन होने वाले व्यक्तियों में अधिकांश व्यक्ति आदिवासी हैं; और

(घ) क्या उनको मकानों के निर्माण और कृषि प्रयोजन के लिए वैकल्पिक स्थान देने के बारे में विशेष ध्यान दिया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि हरनबरी परियोजना का, जिस पर 179.65 लाख रु० की लागत आने का और जिससे नासिक जिले की 8,400 एकड़ भूमि की सिंचाई होने का अनुमान है, प्रारंभिक निर्माण कार्य हाल में शुरू किया गया है और आशा की जाती है कि परियोजना 1975 के अन्त तक पूरी हो जाएगी।

इस परियोजना से जितने लोगों और मकानों के प्रभावित होन की संभावना है, राज्य सरकार के अनुसार उनकी संख्या क्रमश: 758 और 118 हैं, इससे प्रभावित हो सकने वाले जनजाति के लोगों/आदिवासियों की संख्या राज्य सरकार को इस अवस्था में ज्ञात नहीं है ।

राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि परियोजना से जलप्लावन का महीना और वर्ष जून, 1975 है और इसलिए कि इससे प्रभावित व्यक्तियों को ठीक समय पर और पर्याप्त रूप से फिर से बसाने का काम सुनिश्चित हो, आवश्यक प्रारम्भिक कार्रवाई शुरू की जा रही है । राज्य सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार सभी खातेदार परिवारों को, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो पिछड़े वर्गों/समुदायों के हैं और जो जनजाति/आदिवासी हैं, नए गौथान में फिर से बसाया जाएगा और प्रभावित परिवारों को कृषि योग्य एवजी भूमि दी जाएगी ।

उठाईगीरी, डिब्बों के तोड़े जाने और चोरियों आदि के कारण पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे की हुई हानि।

3962. **श्री रोबिन ककोटी**: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68; 1968-69 और 1969-70 में पार्सलों और सामान की उठाईगीरी के कारण पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे को कितनी हानि हुई;

(ख) उक्त अवधि में डिब्बों को तोड़े जाने के कितने मामले हुये और पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे को डिब्बों के तोड़े जाने के कारण कितनी हानि हुई ;

(ग) पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे की सम्पत्ति की चोरी के कारण रेलवे को कितनी हानि हुई; और

(घ) उपरोक्त अवधि में पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे द्वारा अपने पुलिस बल (संरक्षण और सुरक्षा) पर कितनी राशि व्यय की गई ।

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) उठाईगीरी के कारण पूर्वोत्तर सीमा रेलवे को हुई हानि का विश्वसनीय सूचक इस शीर्षक के अन्तर्गत भुगतान की गयी क्षतिपूर्त्ति की रकम है। 1967-68, 1968-69 और 1969-70 में उठाईगीरी के कारण भुगतान की गयी क्षतिपूर्त्ति की रकम क्रमश: 29,82,673, 50,99,008 और 62,73,444 रुपये है।

(ख) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में माल डिब्बों की तोड़ फोड़ के मामलों की संख्या और हानि की रकम नीचे दी गयी है :--

वर्ष	मामलों की संख्या	हानि की रकम
		रु०
1967-68	119	98,446
1968-69	116	85,912
1969-70	137	1,29,076

(ग) उपर्युक्त अवधि में रेल सम्पत्तियों की चोरी के कारण पूर्वोत्तर सीमा रेलवे को हुई कुल हानि की रकम क्रमशः 66,363, 66,596 और 83,518 रुपये है ।

(घ) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे द्वारा रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल के अनुरक्षण पर जितनी रकम खर्च की गयी उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	सरकारी रेलवे पुलिस	रेलवे सुरक्षा दल
	रु०	रु०
1967-68 . . .	6,78,024	67,39,457
1968-69 . . .	13,92,988	74,97,170
1969-70 . . .	15,80,820	83,02,267

राजस्थान की अनाज मन्डी के स्टेशनों पर माल-बिब्बों का उपलब्ध न होना

3963. **राजमाता गायत्री देवी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के श्री गंगानगर अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर, झालवार, अजमेर और भीलवाड़ा जिलों में अनाज मंड़ी के स्टेशनों पर माल डिब्बों के उपलब्ध न होने के कारण व्यापारियों और जनता को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया): (क) और (ख) राजस्थान में इस वर्ष फसल अच्छी होने और व्यापार लेखे में अनाज के अन्तर-राज्यीय संचलन पर लगा हुआ सरकारी प्रतिबन्ध हटा दिये जाने के कारण उत्तर और पश्चिम रेलों के अन्तर्गत पड़ने वाले राजस्थान के स्टेशनों से व्यापार लेखे में अनाज के लिए माल डिब्बों के रजिस्ट्रेशन की भारी मांग हुई । यद्यपि इनमें से अधिकांश मांगें पूर्वोत्तर सीमा, पूर्व और दक्षिण रेलों के गन्तव्य स्टेशनों के लिए थीं और प्रायोजित अनाज और अन्य प्रायोजित अनिवार्य यातायात के भारी संचलन के कारण इन क्षेत्रों के लिए यातायात की निकासी कोटा निर्धारित करके नियमित करनी पड़ी थी, फिर भी प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित राजस्थान के विभिन्न जिलों से व्यापार लेखे में अधिक से अधिक अनाज भेजने का प्रयास किया गया । 1 अप्रैल से 20 जून, 1971 तक व्यापार लेखे में मीटर लाइन के 5564 और बड़ी लाइन के 651 माल डिब्बों में अनाज लादा गया जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में मीटर लाइन के 5425 और बड़ी लाइन के 289 माल डिब्बों में अनाज का लदान किया गया था ।

Holding-up of Night Trains in Bihar

3964. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news item appearing in the English daily "Indian Nation", published from Patna, in its issue dated the 21st May, 1971 under the caption "Rise in Armed Hold-up of Night Trains";

(b) whether there have been several incidents of looting by halting the trains at night in Bihar; and

(c) if so, the steps contemplated to be taken by the Government in this regard?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) and (b) Yes.

(c) Recently the Minister of Railways discussed this matter with the Chief Minister of Bihar and also with the Railway authorities. The Inspector-General, Railway Protection Force was directed to go to Patna to meet the Bihar State authorities for discussing policing on the Railways in Bihar and ways and means to improve arrangements for escorting of trains, particularly during night. The measures decided upon are being implemented. Inspector-General of Police, Bihar, has re-inforced the Government Railway Police by diverting some force from Bihar Military Police. The Railways have also given some re-inforcement to the Bihar Police. The number of escorts on night passenger trains has also been increased.

अचल सम्पत्ति की खरीद के बारे में अनुमति

3965. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सेवा आचार संहिता नियमों के अन्तर्गत रेलवे कर्मचारियों द्वारा अचल सम्पत्ति खरीदने के लिये पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक है;

(ख) क्या यह सच है कि यदि इस प्रकार का कोई सौदा प्रसिद्ध व्यापारी द्वारा लिया जाता है तो कर्मचारी को प्रशासन को केवल इस बात की सूचना देनी आवश्यक होती है;

(ग) क्या किसी जिले का उपायुक्त भी इस प्रयोजन हेतु प्रसिद्ध व्यापारी समझा जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन के कुछ रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध सूचना न देने के अपराध में कार्यवाही की गई है यद्यपि उन्होंने अपने मकान उच्चायुक्त के माध्यम से खरीदे थे; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जब कोई उपायुक्त अपनी निजी हैसियत से कोई लेन-देन करता है जिसका उसकी सरकारी हैसियत से संबंध नहीं होता तो उसे प्रसिद्ध व्यापारी नहीं माना जाता । लेकिन यदि वह सरकार की ओर से अथवा किसी पंजीकृत भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष के रूप में काम करता है तो उसे प्रसिद्ध व्यापारी माना जा सकता है ।

(घ) और (ङ.) दिल्ली मण्डल के एक क्लर्क ने, जिसने रोहतक के उपायुक्त से एक मकान खरीदा था, इस तथ्य की सूचना रेल प्रशासन को नहीं दी और इस तरह उसने रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966 के नियम 18(2) के उपबन्धों का उल्लंघन किया। चूंकि उपर्युक्त लेन-देन के संबंध में रेल प्रशासन को सूचित न करने का कोई वैद्य कारण नहीं बता सका; इस लिए उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गयी और परिणामस्वरूप उसे भविष्य की वेतन वृद्धियों को स्थगित किये बिना दो वर्ष तक वेतन-वृद्धि रोक दिये जाने का मामूली दण्ड दिया गया।

वर्ष 1971—81 की विद्युत् योजना पर विशेषज्ञों द्वारा की गई आपत्ति

3966. श्री पी० गंगादेव: श्री एस० एम० कृष्ण:

क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषज्ञों ने उनको वर्ष 1971—81 की विद्युत् योजना पर आपत्ति की है;

(ख) यदि हां, तो क्या विवाद का मुख्य कारण यह है कि सरकार की योजना में विशेषज्ञ समितियों द्वारा पन बिजली के विकास के लिए दी गई प्राथमिकता की व्यवस्था नहीं की गई है और इसके विपरीत तापीय बिजली के पक्ष में प्राथमिकता दी गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस विचार के समर्थन में उन्होंने 1965 की ऊर्जा सर्वेक्षण समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस विवाद को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

नई औद्योगिक परियोजनाओं में विनियोजन

3967. श्री भोगेन्द्र झा: क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** एकाधिकार प्राप्त व्यापार गृहों को लाइसेंस देने के बारे में 1 जून 1971, के अतारांकित प्रश्न संख्या 972 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त प्रश्न में उल्लिखित उन प्रत्येक 12 औद्योगिक गृह द्वारा, जिन्हें लाइसेंस देने का उल्लेख किया गया है, कुल कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं या गैर-सरकारी विनियोजन किया गया है या किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): पहले बताए गये उत्तर में उल्लिखित 12 औद्योगिक लाइसेंस 11 औद्योगिक गृहों को दिये गये थे। गृहवार लाइसेंस में लगने वाले पूंजी निदेश को बताने वाला एक विवरण संलग्न है। इन गृहों के लाइसेंसों के बारे में कितना पूंजी निवेश व्यक्तिगत अथवा गैर-सरकारी होगा, जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

विवरण

संख्या	औद्योगिक गृहों के नाम	जारी किये गये लाइसेंसों की संख्या	भूमि, भवन, तथा मशीनों में किया गया पूंजी निवेश
			(लाख रुपये में)
1.	एड्रियु युले	1	53.00
2.	बिड़ला	2	54.56 इसका संबंध एक परियोजना से है । अन्य परियोजनाओं में जिसके लिये दूसरा लाइसेंस पहले दिये गये चार लाइसेंसों के स्थान पर दिया गया था, जिसे पार्टी ने वापस कर दिया था, के बारे में कोई नया निवेश नहीं लेना था।
3.	आ० सी० आई०	1	उपलब्ध नहीं।
4.	साराभाई	1	748.00
5.	श्री राम	1	उपलब्ध नहीं।
6.	जयपुरिया	1	124.61
7.	कमानी	1	10.26
8.	कोठारी (डी०सी०)	1	300.00
9.	शा-वालेस	1	35.00
10.	टी०वी० सुन्दरम आयंगर	1	118.68
11.	वी रामकृष्ण	1	उपलब्ध नहीं।
		12	

Measures to Check Erosion of Sikrahna River (Bihar)

***3968. Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Government of Bihar have formulated a scheme to check erosion of Sikrahna river at Bariyarpur near Motipur in Bihar and have also demanded assistance from the Centre for this purpose;

(b) the steps taken by the Central Government to check erosion at Bariyarpur; and

(c) the amount sanctioned for the purpose?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) to (c) The State Government of Bihar have stated that a scheme has been prepared after carrying out model experiments and is under scrutiny. Neither the scheme nor a request for assistance has been received at the centre from the State Government.

The scheme is to be implemented as a part of the flood control programme under the State Plan for which the Central Government give block loans and grants. There is no earmarked assistance for schemes in the flood control sector.

सोहना उठाऊ सिंचाई योजना, हरियाणा

3969. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा राज्य में उठाऊ सिंचाई योजना के अनुमोदन की तिथि क्या है;

(ख) हरियाणा में गुड़गांव नहर, परियोजना तथा सोहना उठाऊ सिंचाई योजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या कार्य में कार्यक्रम के अनुसार प्रगति होती रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ) हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि सोहना लिफ्ट सिंचाई स्कीम अभी स्वीकृत नहीं हुई है; वे इस परियोजना के प्राक्कलन तैयार कर रहे हैं। सोहना स्कीम पर कार्य आरम्भ नहीं हुआ है ।

उन्होंने यह भी सूचित किया है कि गुड़गांव नहर पर लगभग 95% कार्य पूर्ण हो गया है और कार्य अनुसूची के अनुसार प्रगति कर रहा है ।

ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, टीटागढ़, पश्चिम बंगाल का बन्द किया जाना

3970. **श्री ज्योतिर्मय वसु :** क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, टीटागढ़, पश्चिम बंगाल लगातार बन्द चली आ रही है, और

(ख) कम्पनी के मामले की जांच करने के लिये नियुक्त समिति ने क्या निर्णय और सिफारिशें दी है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) मैं ब्रिटेनिया इंजिनियरिंग कम्पनी लि० के कार्यों की जांच-पड़ताल करने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 15 के अन्तर्गत सरकार द्वारा नियुक्त निकाय के मुख्य निष्कर्षों और सिफारिशों का सार संलग्न है ।

विवरण

कम्पनी द्वारा टीटागढ़ वर्क्स, पश्चिम बंगाल में स्थापित अधिकांश मशीनें बहुत पुरानी हैं, यहां तक कि वर्ष 1965 में, जिसमें ब्रिटेनिया इंजिनियरिंग कम्पनी ने अधिकतम उत्पादन किया, यह कम्पनी

केवल आंशिक क्षमता तक ही कार्य कर रही थीं, और इसको लाभ होता रहा। कम्पनी ने उत्पादन में विविधता लाने के लिये समुचित और समय पर कदम नहीं उठाये और इसके फलस्वरूप अपने प्रतिमानित सीमा तक (स्टैन्डर्डरेंज) मांग में उतार-चढ़ाव को नहीं रोक सकी, 1970 के अन्त तक कम्पनी की चुकता पूंजी इसकी निर्धारित परिसम्पत्ति से कहीं अधिक हो गई और फलस्वरूप कम्पनी की वित्तीय स्थिति बहुत बिगढ़ गई है। प्रबंधकों ने 44 लाख रु० का प्रतिभूतिरहित ऋण अपने प्रबंधक अभिकर्त्ताओं को लौटा दिया और इसके कारण कम्पनी बन्द करनी पड़ी।

समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि कम्पनी निम्नलिखित कारणों से बन्द हुई है :—

(1) वित्तीय कुप्रबंध,

(2) उत्पादन और बिक्री की दोषपूर्ण योजना,

(3) अविवेक पूर्ण क्रय और वस्तु सूची नीति,

(4) क्षमता के कम उपयोग के बावजूद पूंजी परिसम्पत्ति में वृद्धि।

परिणाम

कम्पनी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि :—

(I) कम्पनी का उत्पादन देश की आवश्यकताओं के लिये संकटपूर्ण नहीं है, और

(II) कम्पनी को पुनः प्रारम्भ करने के लिए बिना किसी अनुपातिक लाभ की सम्भावना के 250 लाख रु० के नये धन की आवश्यकता होगी।

इसलिए समिति ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत इस कंपनी का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने की सिफारिश नहीं की है।

Closure of brick-kilns due to shortage of coal

3971. Shri Jagannathrao Joshi : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement issued by the All India Bricks and Tiles Manufacturers' Union that 50 per cent brick-kilns in the country have been closed due to shortage of slack coal; and

(b) if so, the steps taken by Government in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) The closure of brick-kilns during the last four months has been attributed to acute shortage of slack coal which is moved by railways under a scheme of sponsoring by the State Governments. The Ministry of Railways has held two meetings with the representatives of All India Bricks and Tiles Manufacturers Federation on 26-4-1971 and 17-6-1971 to evolve ways and means of solving the difficulties of the brick industry.

भारतीय मानक संस्था के इंस्पैक्टरों द्वारा घटिया उत्पादकों की जांच

3972. **श्री विश्वनाथ झंझुनवाला:** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ उत्पादकों जिन पर भारतीय मानक संस्था की मोहर लगी थी, जांच करने पर निर्धारित स्तर से नीचे पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन उत्पादों के नाम क्या हैं जिन्हें गत दो वर्षों के दौरान निर्धारित स्तर से नीचे पाया गया है;

(ग) क्या कुछ मामलों के बारे में भारतीय मानक संस्था के निरीक्षकों के बजाये दिल्ली प्रशासन ने ध्यान दिलाया है; और

(घ) यदि हां, तो इन मामलों से भारतीय मानक संस्था के निरीक्षकों द्वारा सतर्कता बरतने में ढील दिये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) भारतीय मानक संस्था के (चिन्ह प्रमाणांकन) अधिनियम, 1952 की व्यवस्थाओं के अनुसार उन उत्पादकों को जिन्हें भारतीय मानक संस्था के मानकों के प्रयोग के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है, उत्पादों का भारतीय मानक संस्था द्वारा इस बात का सुनिश्चिय करने के लिए कि भारतीय मानकों का विधिवत पालन किया जा रहा है बराबर निरीक्षण किया जाता है कि इस प्रकार की निरीक्षण प्रक्रिया के अन्तर्गत ऐसे मामलों का पता चला है जिसमें भारतीय मानक संस्था के चिन्ह अंकित हुए माल भी उनके निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए हैं। गत दो वर्षों में चिन्ह प्रमाणांकन योजना के अधीन जारी किए गए लाइसेंसों में से 314 लाइसेंस मानकों का अनुपालन न करने के कारण रद्द कर दिए गए हैं। जिन उत्पादों और उत्पादकों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं उनके नाम और उत्पादन गजट और आई० एस० आई० बुलेटिन में बराबर प्रकाशित किए जाते हैं।

(ग) दिल्ली प्रशासन इस प्रकार का कोई भी विशेष मामला भारतीय मानक संस्था की जानकारी में नहीं लाया है। फिर भी मालूम हुआ है कि दिल्ली नगर निगम ने कन्डेन्स्ड मिल्क का एक नमूना पकड़ा है जिस पर भारतीय मानक चिन्ह (आई० एस० आई०) लगा होने पर भी वह भारतीय मानक के निर्धारित स्तर के अनुरूप नहीं पाया गया। उत्पादक इस आरोप के विरुद्ध मुकदमा लड़ रहा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विज्ञापन के लिये एक मराठी साप्ताहिक 'मारमिक' में छत्रपति शिवाजी की फोटो का छापा जाना

3973. **श्री शंकरराव सावन्त:** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बम्बई से प्रकाशित होने वाली एक मराठी साप्ताहिक 'मारमिक' ने अपने 11 अक्तूबर, 1970 के अंक में विज्ञापन के उद्देश्य से छत्रपति शिवाजी की फोटो छापी थी;

(ख) क्या छत्रपति शिवाजी की फोटो के इस प्रकार के प्रयोग से राष्ट्रीय चिन्हों और नामों के अनुचित प्रयोग सम्बन्धी अधिनियम, 1950 का उल्लंघन होता है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने उक्त उल्लंघन के मामले को केन्द्रीय सरकार को सौंपा है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (ग) जी, हां ।

(घ) संबंधित साप्ताहिक समाचार पत्र के सम्पादक, मुद्रक और प्रकाशक से सरकार ने स्पष्टीकरण मांगा है । राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर निर्णय लिया जायेगा ।

रेलवे कर्मचारियों में बड़े पैमाने पर नैत्र-रोग

3974. क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषकर बंगाल और बम्बई क्षेत्रों में असंख्य रेलवे कर्मचारी बड़े पैमाने पर नेत्र-रोग से पीड़ित हैं; और

(ख) यदि हां, तो हाल ही के उक्त नैत्र-रोग का गाड़ियों के चलने पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) (क) जी हां, काफी संख्या में लोग नेत्र श्लेष्मला शोथ (Conjuctivitis) से पीड़ित थे ।

(ख) पूर्व रेलवे के सियालदह मण्डल में कुछ लोकल गाड़ियों और दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर मण्डल और पश्चिम रेलवे के बम्बई मण्डल में माल गाड़ियों के चालन पर इस महामारी का आंशिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था लेकिन शीघ्र उपचार के द्वारा इस रोग पर प्रभावकारी ढंग से काबू पा लिया गया और अब मालूम होता है कि यह महामारी दब रही है ।

मनीपुर में सिंचाई बांध

3975. **श्री एन० टोम्बी सिंह**: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार कृषि भूमि का क्षेत्र बढ़ाने के विचार से मनीपुर के जिरीबाम सब-डिवीजन में एक बोराखल और दूसरा बोरोइखल में सिंचाई बांध बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव मनीपुर सरकार के पास कब से विचाराधीन पड़ा है;

(ग) क्या इसका निर्माण कार्य इस वर्ष आरम्भ हो जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या केंद्रीय सरकार द्वारा इस क्षेत्र में आवश्यक सर्वेक्षण कराया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) से (घ) : मणिपुर प्रशासन ने सूचित किया है कि वे इस वर्ष के दौरान बोरोइखाल और बोरोखाल में पिक-अप वियरों के लिए स्कीमों के वास्ते अनुसंधान कार्यों को हाथ में लेने का विचार कर रहे हैं । बाढ़ नियंत्रण उपाय के रूप में बारक नदी पर एक मध्यम ऊंचाई के बांध की स्कीम भी विचाराधीन है ।

न्यायिक आयुक्त के न्यायालय मनीपुर में हत्या के अनिर्णीत मुकदमें

3976. **श्री एन० टोम्बी सिंह**: क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मनीपुर के न्यायिक आयुक्त के न्यायालय और सैशन न्यायालयों में हत्या के बहुत से मुकदमें अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो न्यायालय-वार उनकी संख्या कितनी है और वे कितनी अवधि से अनिर्णीत पड़े हैं ?

विधि और न्याय मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) हत्या के जो मुकदमे न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में 30-6-71 को लम्बित थे उनकी संख्या छः थी । इनमें से दो को एक वर्ष से अधिक हो गया है, एक को छः मास से अधिक हो गया है और शेष को छः मास से कम समय हुआ है ।

हत्या के जो मुकदमे सैशन न्यायालय में 30-6-71 को लम्बित थे उन की संख्या ग्यारह थी। इन में से एक को एक वर्ष से अधिक हो गया है, एक को छः मास से अधिक हो गया है और शेष को छह मास से कम समय हुआ है ।

हत्या के जो मुकदमे अपर सैशन न्यायालयों में 30-6-71 को लम्बित थे उन की संख्या छः थी । इनमें से एक को एक वर्ष से अधिक हो गया है, दो को छः मास से अधिक हो गया है और शेष को छह मास से कम समय हुआ है ।

मनीपुर में नकली जवाहरात बनाने के लिये ऋण

3978. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने गत तीन वर्षों में नकली जवाहरात निर्माण-कर्त्ताओं को ऋण दिया था;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कितना ऋण दिया गया था और कितने निर्माणकर्ताओं को; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या मनीपुर सरकार ऐसे ऋण जारी करने के बारे में विचार कर रही है?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) मणिपुर सरकार विभिन्न औद्योगिक एककों के ऋण के आवेदनों पर इसमें नकली जवाहरात के निर्माता भी सम्मिलित हैं गुणावगुणों के आधार पर विचार करता है ।

उत्तर बंगाल में तापीय विद्युत परियोजना के लिये स्थान

3979. **श्री बी० के० दासचौधरी :**

श्री आर० एन० बर्मन :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बंगाल में 200 मैगावाट की प्रस्तावित तापीय विद्युत परियोजना के लिए स्थान का चुनाव कर लिया गया है;

(ख) यदि हां; तो उक्त परियोजना पर कितना खर्च आने का अनुमान है ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय का उक्त ताप परियोजना के लिए कूच-बिहार नगर के निकट जहां सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, स्थान का चयन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो चुने जाने वाले नगर का नाम क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) पश्चिम बंगाल राज्य के अधिकारियों ने उत्तर बंगाल और उत्तर बिहार को विद्युत की सप्लाई देने के प्रयोजन से उत्तर बंगाल में 240 मैगावाट का एक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव भेजे हैं। उक्त केन्द्र के लिए जो दो स्थल प्रस्तावित किए गए हैं, उनमें से एक फरक्का के निकट खजुरिया-घाट में और दूसरा पुराने माल्दा शहर के निकट है।

बिहार राज्य के अधिकारियों ने उत्तर बंगाल और उत्तर बिहार की जरूरतें पूरी करने के लिए 220 मैगावाट के एक तापविद्युत केन्द्र का एक प्रस्ताव भी भेजा है। कटिहार में और उसके आस-पास तीन या चार वैकल्पिक स्थल संकेतित किए गए हैं।

इन दोनों परियोजनाओं की रिपोर्टों और कुछ अन्य स्थलों के ऊपर, जिनसे उत्तर बंगाल और उत्तर बिहार दोनों का काम होगा, विचार किया जा रहा है।

(ख) पश्चिम बंगाल द्वारा प्रस्तुत स्कीम की अनुमानित लागत खजुरियाघाट स्थल के लिए रुपये 47.08 करोड़, पुराने माल्दा शहर स्थल के लिए रुपये 47.50 करोड़ और बिहार के लिए रु० 46.11 करोड़ है।

(ग) फिलहाल, कूच-बिहार के आसपास के किसी स्थल पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(घ) कोयला स्रोतों से कूच-बिहार की दूरी और उपलब्ध रेलवे सुविधाओं के कारण इस क्षेत्र में एक बड़े तापविद्युत केन्द्र की स्थापना करने के बाद उत्पन्न होने वाली विद्युत पास के इलाकों की जलविद्युत और तापविद्युत परियोजनाओं से प्राप्त होने वाली विद्युत से मंहगी होगी।

पश्चिम बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

3980. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **औद्योगिक विकस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पश्चिम बंगाल के पिछड़े जिलों अर्थात् कूच-बिहार, दार्जिलिंग, मालदाह, पश्चिम दिनाजपुर, पुरुलिया में उद्योग चलाने की योजनायें बनाई हैं और उनके मंत्रालय को उक्त योजनाओं को क्रियान्वित करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित पूंजी निवेश सहित उन योजनाओं की, जिलेवार मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) योजना आयोग ने वित्तीय संस्थाओं को रियायती दर पर धन देने के लिए कुछ पिछड़े हुए जिलों को चुना है। पश्चिम बंगाल के कच-बिहार, दार्जिलिंग, मालदा, पश्चिम दीनाजपुर, पुरूलिया, वांकुड़ा, मिदना-

पुरं तथा मुर्शिदाबाद उनमें से हैं । इन पिछड़े हुए जिलों के नामों को वित्तीय संस्थाओं को बता दिया गया है और रियायती दर पर धन प्राप्त करने के लिए उद्यमी सीधे इनसे सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं । योजना आयोग ने इन जिलों के लिए कोई विशिष्ट औद्योगिक परियोजना न तो तैयार की है और न अभी सिफारिश की है।

पुरूलिया जिले में प्रारंभ किये गये उद्योग इस योजना के अन्तर्गत 10% तक ही निवेश सहायता भी प्राप्त कर सकेंगे जो कि शीघ्र ही चालू की जाने वाली है।

उत्तरी बंगाल में कागज मिल

3981. **श्री बी० के० दासचौधरी**: क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तरी बंगाल में सार्वजनिक क्षेत्र में एक कागज मिल लगाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) क्या सरकार को इस आशय का तकनीकी, प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है कि इस उद्योग के लिए उत्तरी बंगाल में कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त भाग (क) में निर्दिष्ट योजना को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस समय ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Rural Electrification Scheme in Madhya Pradesh

3982. Dr. Laxminarain Pandey : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the amount of money earmarked in the Third Five Year Plan for rural electrification scheme in Madhya Pradesh has not been fully utilised by the State;

(b) the amount of money allocated for the State under the Fourth Five Year Plan for rural electrification scheme; and

(c) the amount of money given to Madhya Pradesh for installing power pumps in rural areas?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel): (a) The amount earmarked for rural electrification schemes in Madhya Pradesh in the Third Plan was fully utilised; in fact the actual expenditure on rural electrification duing the Third Plan was more than the earmarked outlay.

(b) and (c) During the Fourth Plan emphasis in rural electrification schemes continues to be on the energisation of pumpsets. Outlays, however, are no longer earmarked

and rural electrification schemes are financed from State Plan resources inclusive of Central assistance. The Rural Electrification Corporation which has been set up in July, 1969, in the Central Sector, provides additive funds. Rs. 20 crores have been provided in the State Fourth Plan for rural electrification schemes. The Rural Electrification Corporation has so far sanctioned Rs. 3.3 crores for rural electrification schemes in Madhya Pradesh.

Seniority of Checking Staff of Kota and Ratlam Divisions (Western Railway)

3983. Dr. Laxminarain Pandey : Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) whether Kota and Ratlam being two separate Divisions, there is constant disputes in regard to the seniority of the Checking Staff of both the Divisions;

(b) whether the appeals preferred by the Checking staff of Ratlam Division are not disposed of because determination of 'seniority' of employees is not possible on account of transfers of employes from one Division to the other; and

(c) if so, whether Government propose to prepare their joint seniority list as to put an end to the dispute?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) and (b) : No. The seniority of Ticket Checking Staff upto the grade of Rs. 250-380(A) is division-wise. Only the posts of Train Conductors grade Rs. 205-280(A) and Rs. 250-380(A) are filled on the basis of combined seniority of 4 Broad Gauge Divisions, *viz.* Bombay, Baroda, Ratlam and Kota.

(c) : Does not arise.

त्रिपुरा में लघु उद्योगों का विकास

3984. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋण सुविधायें उपलब्ध न होने के कारण त्रिपुरा में लघु उद्योगों के विकास में बड़ी बाधा पड़ती है ,

(ख) यदि हां, तो क्या इस कारण लघु उद्योगों के बन्द होने की सम्भावना है; और

(ग) क्या इस संबंध में सुधारात्मक उपाय करने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

त्रिपुरा में ग्रामीण विद्युतीकरण

3985. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में अब तक कितने ग्रामों में बिजली लगाई जा चुकी है ;

(ख) क्या त्रिपुरा के बाहर से बिजली की सप्लाई प्राप्त की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इससे त्रिपुरा के किन-किन क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) 30-4-1971 तक त्रिपुरा में 66 ग्राम विद्युतीकृत हो चुके हैं।

(ख) और (ग) असम से विद्युत की थोक सप्लाई लाभ प्राप्त करने के लिए स्कीम विचाराधीन है। स्कीम के पूर्ण होने पर सारा त्रिपुरा लाभान्वित होगा। इस बीच त्रिपुरा के उत्तरी हिस्से में धरमनगर, कैलाशर और कुमारघाट क्षेत्र अस्थायी प्रबन्धों के द्वारा थोक सप्लाई प्राप्त कर रहे हैं। अगरतला और आमपाम के क्षेत्रों के लिए असम से विद्युत को थोक सप्लाई को उपलब्ध कराने के ऐसे ही अस्थायी प्रबन्धों का सितम्बर, 1971 में तैयार होना प्रत्याशित है।

धर्मनगर रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) पर यात्रियों की संख्या में वृद्धि

3986. **श्री बोरेन दत्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1971 से पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के धर्मनगर रेलवे स्टेशन से रेल द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो गयी है;

(ख) क्या वहां से स्थान प्राप्त करने के लिए बहुत से यात्रियों को कई दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(ग) यदि हां, तो यात्रियों की इस कठिनाई को दूर करने के लिए रेल अधिकारियों का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मन्त्री (श्री० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक उपक्रमों पर विद्युत शुल्क

3987. **श्री नुग्धल्ली शिवप्पा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वयं विद्युत उत्पादन करने वाले औद्योगिक उपक्रमों पर विद्युत शुल्क लगाया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में शुल्क की दर क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड को छोड़कर सभी राज्यों में उन औद्योगिक उपक्रमों पर, जो स्वयं विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, बिजली शुल्क लगाया जाता है। जो बिजली शुल्क लागू है उसकी दरों का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य	बिजली शुल्क
1.	आन्ध्र प्रदेश	कोई बिजली शुल्क नहीं लगाया गया है।
2.	असम	2 पैसे/यूनिट
3.	बिहार	1 पैसा/यूनिट
4.	गुजरात	1.6 पैसे/यूनिट
5.	हरियाणा	1 पैसा/यूनिट परन्तु 1-4-70 से 5 वर्ष की अवधि के लिए छूट।
6.	हिमाचल प्रदेश	कोई बिजली शुल्क नहीं लगाया गया है।
7.	जम्मू व कश्मीर	2 पैसे/यूनिट
8.	केरल	1.2 पैसे/यूनिट
9.	मध्य प्रदेश	1 पैसा/यूनिट बशर्ते कि बिजली-उत्पादन वोल्टेज 100 वोल्ट से बढ़ जाती है।
10.	महाराष्ट्र	1 पैसा/यूनिट बशर्ते कि विद्युत-उत्पादन वोल्टेज 100 वोल्ट से बढ़ जाती है।
11.	मैसूर	2.25 पैसे/यूनिट बशर्ते कि संयंत्र की विद्युत-उत्पादन क्षमता 5 किलोवाट से बढ़ जाती है।
12.	नागालैंड	कोई बिजली शुल्क नहीं लगाया गया है।
13.	उड़ीसा	पहली 1000 यूनिट के लिए 15 प्रतिशत। अगली 49,000 यूनिट के लिए 20 प्रतिशत। समान खपत के लिए बोर्ड द्वारा चार्ज की गई दर का 50,000 यूनिट से ऊपर सभी के लिए 25 प्रतिशत। (उन संयंत्रों पर कोई शुल्क नहीं जिनकी क्षमता 5 किलोवाट से अधिक नहीं है)
14.	पंजाब	1.5 पैसे/यूनिट
15.	राजस्थान	1 पैसा/यूनिट
16.	तमिल नाडु	ऊर्जा की कीमत का 20 प्रतिशत।
17.	उत्तर प्रदेश	1 पैसा/यूनिट
18.	पश्चिम बंगाल	1.5 पैसा/यूनिट

एरेटेड वाटर के लिये कच्चे माल का निर्माण

3988. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिट्रिक एसिड, सोडियम बनजोएट, तथा गम अरेबिक जैसे कच्चे माल जो सार-पेय पदार्थों के निर्माण में प्रयोग किये जाते हैं और जिनका उपयोग सुगन्धित ब्रांडवाले फेनिल पेय पदार्थ तैयार करने के लिए किया जाता है भारत में निर्मित नहीं होते हैं इसलिए उनका आयात किया जाता है,

(ख) क्या ब्रांड वाले सुगन्धित फेनिल पेय पदार्थों के तैयार करने हेतु उपयोग में आने वाले सार पेय पदार्थों के निर्माणार्थ प्रयोग किये जाने वाले अन्य सुगन्धित तत्वों तथा आवश्यक तेलों का या तो आयात किया जाता है अथवा आयातित कच्चे माल से भारत में केवल सम्मिश्रण तैयार किया जाता है, और

(ग) क्या भारत के बाजारों में उपलब्ध सभी ब्रांड वाले सुगन्धित फैनिल पेयों के पदार्थों के निर्माणार्थ प्रयुक्त सारपेय पदार्थों में आयातित तत्व विद्यमान हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सिट्रिक एसिड : मांग की पूर्ति करने के लिए सिट्रिक एसिड का देशी उत्पादन अपर्याप्त है और इसलिए सीमित मात्रा में इसके आयात की अनुमति दी जा रही है।

सोडियम बनजोएट : अब तक सोडियम बनजोएट के आयात की अनुमति दी जा रही थी। इसका उत्पादन हाल ही में देश में शुरू किया गया है और इसलिए इसका आयात करने की अनुमति नहीं दी जा रही है ।

गम अरेबिक : चूंकि गम अरेबिक का वाणिज्यिक उत्पादन नहीं होता है इसलिए इसका आयात करने की अनुमति दी जा रही है।

(ख) आवश्यक तेल, सुगन्धित पदार्थों के आयात की अनुमति दी जाती है जिनसे सार/पेय पदार्थ बनाये जाते हैं ।

(ग) भारत के बाजारों में उपलब्ध अधिकतम सभी ब्रांड वाले सुगन्धित फेनिल पेयों में आयातित तत्व विद्यमान हैं।

Setting up of Industries in U.P.

3989. Shri Narendra Singh Bist : Will the Minister **of Industrial Development** be pleased to state :

(a) the names of the industries to be established in Uttar Pradesh out of the industrial undertaking for which licences were granted in April, 1971;

(b) the criteria adopted for granting the licences; and

(c) the locations of these industries in Uttar Pradesh, the expenditure to be incurred thereon, the production capacity and the employment potential thereof, separately?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (c) : No licence was issued under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951, for setting up of new industrial undertaking in the State of Uttar Pradesh in the month of April, 1971. However, 9 letters of intent were issued for setting up of new undertakings in U.P. in April, 1971. Brief details of these letters of intent are given in the attached statement. [*Placed in the Library Sec. No. L. T. 607/71*].

(b) Licences/Letters of intent are issued on merits after due consideration through prescribed procedure of such aspects as technical feasibility, viability, foreign exchange implications, the need for encouraging new entrepreneurs and developing backward areas etc.

गुन्तकल स्टेशन (दक्षिण रेलवे) पर पार्सल क्लर्कों के कार्य भार का मूल्यांकन

3990. **श्री पीलू मोदी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के गुन्तकल स्टेशन पर पार्सल क्लर्कों की संख्या कितनी है और क्या वहां यातायात में और गाड़ियों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) क्या वर्तमान कार्यभार को ध्यान में रखते हुए उक्त स्टेशन पर फिर से कार्य-विश्लेषण किया गया है ;

(ग) क्या गत अनेक वर्षों से इस स्टेशन पर पार्सल क्लर्क बिना ड्यूटी रोस्टर के काम कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) (क) गुन्तकल में 24 पार्सल क्लर्क हैं । इस स्टेशन पर आने-जाने वाली गाड़ियों की संख्या 1970 में घटकर 26 रह गयी जबकि 1969 में यहां 28 गाड़ियां आती-जाती थीं लेकिन इस स्टेशन पर पार्सल यातायात में कुछ वृद्धि हुई है ।

(ख) इस स्टेशन पर वाणिज्यिक क्लर्कों की संख्या के सम्बन्ध में 1970 में समीक्षा की गयी थी और इनकी संख्या बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दक्षिण रेलवे में वाणिज्यिक क्लर्कों के रिक्त पदों का भरा जाना।

3991. **श्री पीलू मोदी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में डिवीजन-वार वाणिज्यिक क्लर्कों की संख्या कितनी है और उनके लिए ग्रेडवार, उच्चतर ग्रेड के पदों की संख्या कितनी है ;

(ख) प्रत्येक डिवीजन में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि तक खाली रखे गये उच्चतर ग्रेड के पदों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन पदों के खाली हो जाने पर इनको न भरे जाने के क्या कारण हैं और ऐसे रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) मद्रास मण्डल

150–240 रुपये के वेतनमान में सात पद।

ओलवक्कोड मण्डल

150–240 रुपये के वेतनमान में एक पद।

तिरुच्चिराप्पल्ली मण्डल

205–280 रु० के वेतनमान में छः पद और

150–240 रु० के वेतनमान में बारह पद।

(ग) मद्रास और तिरुच्चिराप्पल्ली मण्डलों में, कार्यभार और कर्मचारियों की संख्या की समीक्षा करने के बाद पदों की आस्थगित रखा गया है। जब और जैसे ही औचित्य होगा, पदों का पुनः प्रवर्तन कर दिया जायेगा। ओलवक्कोड मण्डल के पद को किफायत के रूप में आस्थगित रखा गया है और इस समय उस पद को भरने का विचार नहीं है।

विवरण

दक्षिण रेलवे के मण्डलों में वाणिज्यिक क्लर्कों के पदों की संख्या।

क्रम संख्या	ग्रेड रु०	मद्रास	गुंतकल्लु	ओल-वक्कोड	तिरुच्चि-राप्पल्ली	मदुरै	मैसूर	जोड़
1.	335–425	6	2	4	3	3	2	20
2.	250–380	18	4	13	12	9	9	65
3.	205–280	92	26	70	61	45	42	336
4.	150–240	409	114	299	269	198	186	1475
5.	110–200	648	179	475	439	320	293	2354
		1173	325	861	784	575	532	4250

मदुरै डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में वाणिज्यिक क्लर्कों के अस्वीकृत पद

3992. **श्री पील् मोदी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के मदुरै डिवीजन में वाणिज्यिक क्लर्कों के कितने अस्वीकृत पद विचाराधीन हैं और उक्त पद कब से विचाराधीन है;

(ख) सामान्यतया कितनी अवधि के बीच उक्त अस्वीकृत पद नियमित कर दिये जाते हैं;

(ग) क्या दक्षिण रेलवे में क्योलोन-एरणाकुलम सेक्शन पर अधिकांश स्टेशनों पर जनरल क्लर्क के पदों को वर्ष 1958 से ऐसे ही रखा गया है और छुट्टी रिजर्व कनिष्ठ क्लर्कों की सेवायें ली जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) कोल्लम-एरणाकुलम खण्ड के कुछ स्टेशनों पर छुट्टी रिजर्व क्लर्कों को (i) कुछ स्टेशनों पर बढ़े हुए कार्यभार को सम्हालने के लिए, (ii) उन हाल्ट एजेन्टों की जगह, जिन्होंने कम पारिश्रमिक के कारण काम करना बन्द कर दिया और (iii) कुछ रिक्त स्थानों में, लगाना पड़ा । कम व्यस्त स्टेशनों से कुछ कर्मचारियों को हटाकर कुछ व्यस्त स्टेशनों पर अतिरिक्त पदों की व्यवस्था की गयी है । अन्य स्टेशनों पर अतिरिक्त पदों की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

Overbridge at Patna Station and Opening of Booking Office on Southern Side of Railway Line

3993. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Patna city is being developed on the southern side of the Railway line;

(b) if so, whether thousands of residents living on the southern side of the railway line have to purchase tickets from the booking office located on the northern side;

(c) if so, whether the residents of the area have been demanding opening of a booking office on the southern side of railway line and construction of a wooden overbridge there for movements from south to north and *vice-versa*; and

(d) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) Presumably, the reference is to Patna City Railway Station. As far as the Railway is aware , no special development of the city is taking place on the Southern side of the Railway line.

(b) The residents of southern side of the Railway line purchase tickets from the Booking Office at the station on the northern side.

(c) No.

(d) Does not arise.

लोक सभा के निर्वाचनों के दौरान प्रत्याशियों तथा पीठासीन अधिकारियों को दी गयी मतदाता सूचियों में फर्क

3994. **श्री एन० ई० होरो :**

श्री बृजराज सिंह कोटा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि हाल ही में लोक सभा के निर्वाचनों के दौरान प्रत्याशियों तथा पीठासीन अधिकारियों को दी गयी मतदाता सूचियों में कुछ मामलों में अन्तर पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच०आर० गोखले) : (क) और (ख) : इस प्रकार की दो शिकायतें निर्वाचन आयोग को मिली थीं । जांच करने पर दोनों ही शिकायतें निराधार निकलीं।

निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं

3995. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं की संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से कितनी परियोजनाओं में विदेशी सहयोग की आवश्यकता है; और

(ग) ऐसी परियोजनाओं का निर्माणकार्य पुरा करने में कितना समय लगेगा जिनकी विदेशी सहायता के अभाव के कारण निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) : इस समय देश में निर्माणाधीन 227 (67 बृहत तथा 160 मध्यम) सिंचाई परियोजनाओं में से किसी परियोजना को भी विदेशी सहयोग की आवश्यकता नहीं है । ऐसी परियोजनाओं के संयंत्र और मशीनरी, कच्चे माल आदि को आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता भारत सरकार द्वारा समय-समय पर ऋणों में से पूरी की जाती है जिनमें वे ऋण भी शामिल हैं जो विश्व बैंक द्वारा विशिष्ट सिंचाई परियोजनाओं के लिए दिए जाते हैं । इन परियोजनाओं का पूर्ण होना मुख्यत: उस धन पर निर्भर करता है जो राज्य सरकारें इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष-प्रति-वर्ष आबंटित कर सकती हैं ।

ग्यारह सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से सुधार

3996. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की ग्यारह सूत्री कर्यक्रम के माध्यम से स्थिति में कुछ सुधार करने में सफलता मिली है; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि बहुत से रेलवे अधिकारी यात्रा, भत्तों और ठेकों संबंधी अपने लाभ के लिए ग्यारह-सूत्री कार्य-क्रम का सहारा ले रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, हां ।

(ख) जी; नहीं ।

केरल के लिए डीजल लोको शेड

3997. **श्री सी० जनार्दनन** :

श्री एम० के० कृष्णन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एक रेलवे डीजल लोको शेड वर्कशाप स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह वर्कशाप कहां पर स्थापित की जायेगी और उस पर कितनी राशि खर्च होने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसूर में बहु-उद्देश्यीय परियोजना

3998. **श्री एस०एम० कृष्ण** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्यय मैसूर सरकार ने अपने राज्य में बहु-उद्देश्यीय परियोजना स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने योजना पर विचार किया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : **(क) और (ख)** केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में मैसूर सरकार से कोई ऐसे प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

भारतीय रेलवे में फार्मासिस्टों की पदोन्नति सरणि पर विचार करने के लिए उप-समिति

3999. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बता की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1969 में भारतीय रेलवे के फार्मासिस्टों के वेतनमान और पदोन्नति सरणि पर विचार करने के लिए एक उप-समिति नियुक्त की गई थी ;

(ख) क्यां रेलवे बोर्ड ने जिन श्रेणियों के मामलों पर विचार हो रहा है उन्हें छोड़कर अन्यों के वेतनमानों का पुनरीक्षण करने पर रोक लगाने के अपने पहले निर्देशों के बाद पुनरीक्षित आदेश जारी किये थे;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या करण हैं; और

(घ) भाग (क) में उल्लेख की गई उपसमिति की सिफारिशों के क्या परिणाम हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, हां। संयुक्त परामर्शतंत्र की विभागीय परिषद ने नवम्बर, 1969 में एक उपसमिति नियुक्त की थी । इस उपसमिति का काम फार्मासिस्टों को पहले सौंपी गयी ड्यूटी की तुलना में वर्तमान ड्यूटी और दायित्वों की जांच करना तथा अन्य अस्पतालों में भण्डारी के काम व अन्य ड्यूटियों के सम्बन्ध में स्थिति का अध्ययन करना था ;

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उप-समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, प्रतिबन्ध सम्बन्धी आदेशों को शिथिल करते हुए, रेलों पर अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए आदेश जारी कर दिये गये हैं जिनका विवरण इस प्रकार है :—

मण्डलों में क्षेत्रीय रेलों के प्रत्येक मण्डल में और चितरंजन रेल इंजन कारखाने में, 205–280 रुपये के प्राधिकृत वेतनमान में फार्मासिस्ट का एक-एक अतिरिक्त पद; और

मुख्यालयों में प्रत्येक रेलवे में, 110–180 रुपये के प्राधिकृत वेतनमान में लिपिकों के अधिक से अधिक चार अतिरिक्त पद ।

फार्मासिस्टों के उपर्युक्त पद, 150–240 रुपये के पदक्रम में काम कर रहे फार्मासिस्टों को उनकी वरिष्टता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत करके भरे जायेंगे ।

इन दोनों में से उच्चतर ग्रेड के पद की प्रतिशतता के सम्बन्ध में फार्मासिस्टों के संवर्ग की वार्षिक समीक्षा के प्रयोजन के लिए फार्मासिस्टों के नये पदों को शामिल नहीं किया जायेगा।

भारतीय रेलवे में फार्मासिस्टों के लिए प्रथमोपचार में व्यवसायिक परीक्षा

4000. श्री राजदेव सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने संवर्ग में स्थायी होने के लिए भारतीय रेलवे के फार्मासिस्टों को 'प्रथमोपचार' में व्यवसायिक परीक्षा देनी पड़ती है ;

(ख) क्या डाक्टरों और नर्सों को ऐसी कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो इनके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) फार्मासिस्टों के शैक्षणिक प्रशिक्षण में प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान शामिल नहीं है, जबकि यह डाक्टरों और नर्सों के पाठ्यक्रम का एक भाग है ।

औषधि-कारकों के लिए अतिरिक्त कार्यभार

4001. श्री राजदेव सिंह : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में औषधि कारकों को अपने कार्य के अतिरिक्त टेलीफोन आपरेटर, कालमैन, परिवार नियोजन तथा जनगणना जैसे कार्य भी करने पड़ते हैं ;

(ख) क्या कुछ पदों को समाप्त कर दिया गया था जबकि उपरोक्त भाग (क) में वर्णित अतिरिक्त कार्यों के कारण औषधि कारकों पर पहले से ही कार्यभार बहुत अधिक है;

(ग) यदि हां, तो आधारभूत सिद्धांत का पालन न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) औषध-कारकों के मुख्य कार्य और उनकी अर्हताएं क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, नहीं। औषध-कारकों को टेलीफोन आपरेटर अथवा काल-मैन के रूप में काम नहीं करना पड़ता । वे परिवार नियोजन सम्बन्धी काम में मदद करते हैं और अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह उन्हें भी जनगणना के काम पर लगाया जा सकता है।

(ख) केवल उत्तर रेलवे पर तीन पद अभ्यर्पित किये गये थे।

(ग) सभी चिकित्सा कार्मिकों से, उनकी ड्यूटी चाहे कुछ भी हो, आशा की जाती है कि वे परिवार नियोजन, विशेषकर अभिप्रेरण, के काम में मदद दें। यहां तक कि चिकित्सा कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारी भी परिवार नियोजन के अभिप्रेरण कार्य में मदद देते हैं । 1971 की जन-गणना में जिन कर्मचारियों ने स्वयं अपने नाम दिये, उन्हें जनगणना ड्यूटी पर लगाया गया।

(घ) मुख्य कर्तव्यों और अर्हताओं की एक सूची संलग्न है (अनुबन्ध 1)।

विवरण

अनुबन्ध 1

6-7-71 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न 4001 के भाग (घ) से सम्बन्धित सूची।

1. औषध-कारकों के मुख्य कर्तव्य और उत्तर दायित्व

(i) वह रेलवे डाक्टर द्वारा लिखे गये नुसखे के अनुसार नाप-तोल कर गोलियां, निषेचन, काढ़े और मिक्सचर तैयार करेगा । औषधि सम्बन्धी अधिकतम खुराक से अधिक मात्रा में लिखी गयी कोई दवाई तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक दवाई लिखने वाला इसके लिए निश्चित आदेश न दे और लिखी गयी मात्रा पर अपने आद्यक्षर न कर दे। वह तब तक कर्मचारियों को अपने आप दवाइयां नहीं देगा या किसी नुस्खे पर दवाई या मिक्सचर दुबारा नहीं देगा जब तक स्पष्ट रूप से दुबारा दवाई देने का उसे अधिकार न दिया गया हो

(ii) वह दवाइयों का भली प्रकार पाक्षिक लेखा रखेगा ।

(iii) वह लोशन, मरहम तैयार करने तथा शल्य चिकित्सा सम्बन्धी मरहम-पट्टी करने के लिए जिम्मेदार होगा ।

(iv) वह दवाखाने और मरहम पट्टी वाले कमरों को तथा उनमें मौजूद उपकरणों को ठीक ठाक तथा सुचारू हालत में रखेगा।

(v) वह स्वास्थ्य केन्द्र के कार्यभारी सहायक सर्जन की अनुपस्थिति में आपातिक रोगियों का उपचार करेगा ।

(vi) वह कार्यभारी सहायक सर्जन के पर्यवेक्षण में चिकित्सा सम्बन्धी आंकड़ों के बारे में सभी रजिस्टर रखेगा और आवधिक विवरणियां, बिल इंडेंट तैयार करेगा ।

(vii) वह पार्सल या माल गोदामों से या भण्डार वितरक क्लर्कों से भण्डार प्राप्त करेगा और उसे सम्बन्धित खातों में दर्ज करेगा ।

(viii) वह अनुपयोगी या फालतू भण्डार को सूचना पत्र में दर्ज करके भण्डार वितरक क्लर्क या पार्सल अथवा माल गोदाम को लौटा देगा और सूचना पत्रों के नम्बर सम्बन्धित खातों में दर्ज करेगा ।

(ix) वह अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र के लिए, औषधियों, मरहम-पट्टियों, उपकरणों, चिकित्सा और शल्य क्रिया सम्बन्धी औजारों और चिकित्सा भण्डारों के वार्षिक/आपाती इंडेंट तैयार करने में डाक्टर की सहायता करेगा ।

(x) वह रिकार्ड को सुरक्षित ढंग से अभिरक्षा में रखेगा ।

(xi) वह सभी पुराने और चालू आघात सम्बन्धी मामलों के विवरण तथा सभी मामलों के कागजात को, जिन्हें मण्डल चिकित्सा अधिकारी को भेजा गया है, दुरुस्त रखेगा ।

(xii) वह अपेक्षित होने पर सभी बहिरंग टिकटों के शीर्ष पर और आघात सम्बन्धी मामलों के विवरण पर आवश्यक इन्दराज करेगा ।

(xiii) वह सभी प्रमाणपत्र तैयार करेगा जिनमें रोग का खाना डाक्टर द्वारा भरे जाने के लिए खाली छोड़ देगा ।

(xiv) वह अपेक्षित होने पर सभी उम्मीदवारों और कर्मचारियों की, जो डाक्टरी परीक्षा के लिए आते हैं ऊंचाई, वजन और छाती का नाप लेगा।

(xv) जहां परिचारिका नहीं है, वहां वह अंतरंग रोगियों का रजिस्टर रखेगा, भोजन-पत्र पर रोगियों के अंगूठे का निशान लेगा और आद्यक्षर करके उन्हें सत्यापित करेगा तथा तापमान आदि लेगा ।

2. अर्हताएं

किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या सरकार द्वारा नियुक्त अन्य परीक्षकों द्वारा दवा तैयार करने में प्रशिक्षण और योग्यता के सम्बन्ध में दिया गया प्रमाण-पत्र और यदि वह उस राज्य का हो जिसमें राज्य चिकित्सा संकाय द्वारा रजिस्टर्ड कम्पाउंडरों की कोई सूची रखी जाती हो, तो वहां उसका पंजीकृत होना जरूरी है ।

राजपत्रित अधिकारियों (उत्तर रेलवे) के विरुद्ध अनुशासन तथा अपील नियमों सम्बन्धी जांच

4002. **श्री राजदेव सिंह** : : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन तथा अपील नियम संबंधी जांचों के बारे में दो वर्षों से अधिक समय से कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन मामलों में ऐसे मामले भी सम्मिलित हैं जिनमें उपर्युक्त राजपत्रित अधिकारियों की ओर से कोई विलम्ब नहीं किया गया है ;

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इन जांचों को शीघ्र अन्तिम रूप देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है और क्या जांच से पहले मुअत्तिली के आदेश वापिस लेने के लिए इन मामलों पर पुनः विचार किया जायेगा ; और

(ङ) प्रशासनिक आधार पर जांच में विलम्ब किये जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस समय अनुशासन और अपील के 8 मामले चल रहे हैं । इन मामलों में इतना अधिक समय लगने का मुख्य कारण है अधिकारियों द्वारा सम्बन्ध प्रलेखों का नेरीक्षण करने और बचाव सम्बन्धी लिखित बयान पेश करने में विलम्ब और या बचाव पक्ष के वकीलों/गवाहों को, खास तौर पर ऐसे मामलों में जब एक ही मामले में बहुत से अधिकारी/अराजपत्रित कर्मचारी अन्तर्गस्त हों, हाजिर करने में कठिनाई होना।

(घ) और (ङ) ऊपर बताये गये 8 मामलों में अन्तर्गस्त अधिकारियों में से केवल दो अधिकारी निलम्बित हैं । इस तरह के और अन्य मामलों में होने वाली प्रगति पर समय-समय पर निगरानी रखी/समीक्षा की जा रही है । जिन दो मामलों में अधिकारी निलम्बित हैं एक मामले में जांच पड़ताल पूरी की जा चुकी है और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्ष की प्रतीक्षा की जा रही है। दूसरे मामले में जांच-पड़ताल का काम शीघ्र पूरा करने के लिए हिदायतें जारी कर दी गयी हैं ।

सोनपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) में यात्री और माल गाड़ी की टक्कर

4003. श्री पी० गंगादेव :

श्री निहार लास्कर : : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 मई, 1971 को पूर्वोत्तर रेलवे के सोनपुर पर नरकटियागंज जाने वाली 45 डाउन यात्री गाड़ी की एक माल गाड़ी के साथ टक्कर होने के फलस्वरूप यात्री गाड़ी के 5 डिब्बों को क्षति पहुंची थी और कुछ यात्री मारे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त दुर्घटना में घायल तथा मृत व्यक्तियों की संख्या क्या है और उसके फलस्वरूप रेलवे को कितनी क्षति हुई ।

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) जी नहीं। लेकिन 21-5-1971 को डाउन गुवाहटी खाद्यान्न स्पेशल गाड़ी जो सोनपुर स्टशन से रवाना हुई थी सोनपुर और हाजीपुर स्टेशनों के बीच ढलान पर न चढ़ पाने के कारण अग्रिम प्रस्थान सिगनल से गुजरने के बाद पीछे की ओर

चलने लगी । इसके फलस्वरूप यह सोनपुर यार्ड में घुस गयी और वहां पहले से खड़ी 464 डाउन सवारी गाड़ी के खाली रेक और भोजनपान से टकरा गयी । परिणामस्वरूप 464 डाउन सवारी गाड़ी का खाली रेक और भोजनपान भी लुढ़कने लगे और दूसरी लाइन पर खड़ी 456 डाउन सवारी गाड़ी से टकरा गयी ।

(ग) इस दुर्घटना में कोई नहीं मरा लेकिन 5 व्यक्तियों को मामूली चोट आयीं। अनुमान है कि रेल सम्पत्ति को लगभग 600 रु० की क्षति पहुंची है।

केरल में छोटी कार परियोजना

4004. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम ने केन्द्र से छोटी कार परियोजना के लिए अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र ने इस मामले में क्या निर्णय किया है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत केरल राज्य में यात्री गाड़ियों को बनाने के लिए केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड त्रिवेन्द्रम से एक नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत करने हेतु अप्रैल 1969 में एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था ।

(ख) निगम का आवेदन-पत्र रद कर दिया गया है क्योंकि इसमें पूंजीगत सामान का आयात किया जाना शामिल था । फिर भी निगम को सूचित कर दिया गया है कि यदि उनके पास बिना किसी विदेशी मुद्रा के व्यय को सम्मिलित किये पूर्णतया देशी संसाधनों पर आधारित यात्री गाड़ी बनाने की कोई योजना है तो वे फिर से आवेदन पत्र भेज सकते हैं जिस पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

4005. श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :

श्री महा दीपक सिंह शाक्य : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये केन्द्रीय सरकार को भेजी गयी योजनाओं में बहराइच जिले (उत्तर प्रदेश) की ग्रामीण विद्युतीकरण की कोई योजना सम्मिलित की गयी थी ; और

(ख) क्या इस जिले को चौथी पंचवर्षीय योजना के ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में 50 ग्रामों के विद्युतीकरण और 2000 सिंचाई पंपों के ऊर्जन को ग्राम

विद्युतीकरण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है जिस पर चौथी योजना के दौरान राज्य योजना के परिव्ययों में से धन लगाया जाना है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड ने बहराइच जिले में 71 ग्रामों के विद्युतीकरण और 480 पम्पों के ऊर्जन के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत के लिए एक ग्राम विद्युतीकरण स्कीम प्रस्तुत की है। इस स्कीम की जांच की जा रही है ।

मालिया तथा जामनगर के बीच बड़ी रेलवे लाइन

4006. श्री जदेजा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालिया तथा जामनगर के बीच वर्तमान मीटरगेज लाइन के अतिरिक्त एक बड़ी लाइन बिछाने का कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा गुजरात को दिया गया ऋण

4007. श्री जदेजा : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने वर्ष 1970-71 में गुजरात राज्य को कोई ऋण दिया है; और

(ख) यदि हां, तो ऋण की राशि कितनी है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने गुजरात राज्य में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए अब तक 520.28 लाख रुपये मंजूर किए हैं । स्वीकृत धन-राशि को कार्यान्वयन के चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अदा किया जाना है । 1970-71 के वर्ष में 172.23 लाख रुपये की धनराशि अदा की गई थी ।

उच्चतम न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों में वकीलों का कालिजियम स्थापित करना

4008. श्री डी० के० पंडा : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व विधि मंत्री, श्री ए० के० सेन की समयावधि में भारत के उच्चतम न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों के वकीलों का एक कालिजियम बनाने का एक प्रस्ताव था; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) विशिष्ट रूप से "वकीलों का कालिजियम" स्थापित करने की किसी प्रस्थापना पर सरकार द्वारा विचार नहीं किया गया है। किन्तु विधिज्ञ-परिषदों के और अधिक स्वायत्तता देने और अखिल भारतीय विधिज्ञ-परिषद स्थापित करने की प्रस्थापनाओं पर समय-समय पर विचार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अधिवक्ता अधिनियम, 1961 अधिनियमित किया गया ।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में कार्मिक संघों की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध

4009. श्री एम० कतामुतु : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के मुख्यालय तथा अन्य प्रमुख केन्द्रों में 1968 की सांकेतिक हड़ताल के समय से कार्मिक संघों की सामान्य जनतांत्रिक और सांविधिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे निषेधात्मक आदेश जारी करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के किसी स्थान पर रेल कर्मचारियों की ट्रेड यूनियन संबंधी वैध गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे की कार्य-विश्लेषण समिति की सिफारिशें

4010. श्री एम० कतामुतु : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के मुख्यालय के कार्यालयों में 1969 में कार्य-विश्लेषण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कार्य विश्लेषण समिति ने क्या सिफारिशें की थी ;

(ग) क्या इन सिफारिशों को लागू कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

गुमटी पन-बिजली परियोजना के पूरा होने पर क्षेत्रों का जलमग्न हो जाने पर लोगों के लिए वैकल्पिक प्रबन्ध

4011. श्री दशरथ देव : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुमटी पन-बिजली परियोजना, त्रिपुरा के पूरा हो जाने पर कितने क्षेत्र (एकड़ में) के जलमग्न हो जाने की संभावना है ;

(ख) इस योजना को कार्यरूप दिये जाने के कारण जिन लोगों को अपनी भूमि छोड़नी पड़ेगी उनको वैकल्पिक भूमि प्रदान करने की क्या कोई योजना बनायी गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो भूमि के जलमग्न होने से पहले उक्त क्षेत्र के निवासियों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने हेतु कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जल के अधिकतम प्रत्याशित स्तर 312 फुट पर, लगभग 18,400 एकड़ क्षेत्र जलमग्न होगा ।

(ख) और (ग) : इस दौरान वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था करने के लिए स्कीमें हाथ में ली हुई हैं; झोंपड़ियों, पेड़ों के लिए क्षतिपूर्ति, क्षति की लागत, भूमि की लागत आदि की व्यवस्था की जा रही है । सरकार जलमग्न भूमि से प्रभावित, भूहिहीन व्यक्तियों के लिए एवजी रोजी के साधनों को जुटाने की भी कोशिश कर रही है । जनजातियों के लोगों को कारबक पर पाइलट परियोजना में खपाना प्रस्तावित है ।

Addition of Compartments to Trains at Kasganj Junction

4012. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) whether only two sleeper berths and seating compartments are attached to the trains passing through Kasganj Junction on the North Eastern Railway;

(b) whether the passengers do not find any room in these compartments on account of overcrowding; and

(c) if so, whether Govrnment propose to increase the number of compartments attached from the said Junction?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) A quota of two berths is first class and two berths in third class 2-tier sleeper has been allotted to Kasganj Jn. station by 14 Dn. Agra Fort-Lucknow Express. One third class coach having sitting accommodation of 64 seats also runs between Kasganj and Agra Fort by 12 Up Kumaon Express.

(b) They do find room.

(c) Does not arise.

Loss from Tundla-Etah Line and its Extension to Pakhena (Bihar).

4013. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) whether the Tundla-Etah Branch line of the Northern Railway runs at a loss every year;

(b) whether the Railway compartments on this line remain almost empty in the absence of adequate passenger traffic; and

(c) whether Government propose to extend this line upto Pakhena (Bihar) a broad gauge station, via Aliganj with a view to making good the loss?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) Barhan-Tundla forms a part of the Delhi-Howrah main line. However, Barhan-Etah Branch line is unremunerative.

(b) Average occupation of Up trains between Barhan and Etah is 59 per cent and of Down trains 39 per cent.

(c) There is no such proposal under Government's consideration.

रेलवे के नैमित्तिक कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमान

4014. **श्री कृष्ण हाल्दर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के नैमित्तिक कर्मचारियों को केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमान दिये जाते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : छः मास की निरन्तर सेवा पूरी होने पर, परियोजना के अलावा अन्य कार्यों पर लगे नैमित्तिक मजदूरों को नियमित वेतनमान दिया जाता है। परियोजना में लगे नैमित्तिक मजदूरों को दैनिक मजदूरी दी जाती है क्योंकि वे विशिष्ट कार्यों के लिए लगाये जाते हैं जिसका सीधा सम्बन्ध रेलवे के दिन प्रतिदिन के संचालन कार्य से नहीं होता।

रानीगंज आसनसोल में कोयला खानों को माल डिब्बों की सप्लाई

4015. **श्री रोबिन सेन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969, 1970 और 1971 में अब तक वर्ष वार रानीगंज आसनसोल की विभिन्न कोयला खानों को कुल कितने माल डिब्बों की सप्लाई की गई; और

(ख) कम डिब्बे सप्लाई करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) लादे गये माल डिब्बों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

1969	1970	1971 (मई तक)
895372	799063	309357

(ख) 1970 और 1971 में डिब्बों की सप्लाई में कमी होने का कारण यह था कि अगस्त, 1970 तक मांगें बहुत कम की गयीं और कोयला खानों द्वारा प्रायोजित रेकों की बहुत अधिक मांगें रद्द कर दी गयीं तथा सितम्बर, 1970 के बाद देश के पूर्वी क्षेत्र में अनेक समाज विरोधी गतिविधियों के कारण रेल सेवाएं अस्त व्यस्त हो गयीं ।

रेलवे में तारों की चोरी

4016. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपया करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में रेलवे-तारों की चोरी के परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है; और

(ख) ऐसी चोरियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) रेलवे के तारों की चोरी के कारण भारतीय रेलों को क्रमशः 1968–69, 1969–70 और 1970–71 के दौरान क्रमशः लगभग 3,82,823 रु०, 5,58,637 रु० और 7,58,577 रु० की हानि हुई ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

रेलवे के तारों की चोरी की घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :

(1) रात में रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों और गैंगमैनों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में मिलकर पैदल गश्त लगाया जाता है और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में, जो सबसे अधिक प्रभावित हैं, अनेक शिविर खोले गये हैं। इन शिविरों में सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल मिलकर ऊपरी उपस्कर की चोरी रोकने का काम करते हैं। बिजली के ऊपरी उपस्कर की चोरी रोकने के लिए पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलों पर मेद्य स्थलों का रेलवे सुरक्षा विशेष दल के सशस्त्र कर्मचारियों द्वारा गश्त भी लगाया गाता है।

(2) बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में, जब कभी आवश्यक होता है, विशेष गश्पी गाड़ियों द्वारा गश्त लगाया जाता है। पूर्व रेलवे के सियालदह मण्डल के कुछ खण्डों में ट्रालियों पर गश्ती दलों की भी व्यवस्था की गयी है। पूर्व रेलवे के मेद्य स्थानों पर बिजली की गाड़ियों में मार्ग रक्षकों की व्यवस्था की गयी है।

(3) बिजली के ऊपरी सामान की चोरियों से सम्बन्धित अपराधियों के बारे में आसूचना एकत्रित करने के उद्देश्य से बिहार पुलिस के कुछ आसूचना कर्मचारियों को तैनात किया गया है।

(4) रेल मंत्रालय के अनुरोध पर, गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को लिखकर उनका ध्यान देश में तांबे के तार की चोरियों की वृद्धि की ओर आकर्षित किया है। इन घटनाओं का माल और सवारी गाड़ियों के परिचालन पर कुप्रभाव पड़ता है। राज्य सरकारों से कहाँ गया है कि सम्बन्धित पुलिस प्राधिकारियों द्वारा तांबे/कर्षण के तार और सिगनल उपस्कर की चोरी के मामलों में तेज और कारगर जांच-पड़ताल करने और अदालतों में इस सम्बन्ध में सफलता पूर्वक अभियोग चलाये जाने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

(5) इस समस्या के समाधान के लिए क्या उपाय अपनायें जायें, इस पर विचार करने के के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्य प्राधिकारियों के साथ अनेक उच्च स्तरीय बैठकें की गयी हैं। यह विनिश्चय किया गया है कि प्रभावित स्थानों में स्वैच्छिक ग्राम संगठन बनाये जायें।

पंजाब में उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस देना

*4017. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने 1967—71 में औद्योगिक विकास निगम, पंजाब, को श्रेणीवार, विभिन्न उद्योगों की स्थापना के लिये कितने लाइसेंस दिये हैं,

(ख) इन लाइसेंसों में से अब तक कितने उद्योग स्थापित किये गये हैं, और

(ग) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उन लाइसेंसों का, जिनकी अवधि इस बीच समाप्त हो गई है, नवीकरण करने को कहा है और, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : **(क) और (ख)** : 1 जनवरी, 1969 से 31 मई, 1971 की अवधि में पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को नये औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिये कोई भी लाइसेंस नहीं दिया गया। फिर भी निगम को उक्त अवधि में नये औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए 16 आशयपत्र जारी किए गये है। जिन विभिन्न कोटि के उद्योगों के बारे में ये आशय पत्र जारी किए गये हैं उन्हें संलग्न विवरण में दिखाया गया है।

स्टीविलेटस बनाने वाले एक वर्तमान उपक्रम के कार्य चालू रखने के लिए भी एक लाइसेंस दिया गया है। परियोजनायें कार्यान्वयन की विभिन्न स्थिति में है।

(ग) निगम ने 10 आशय पत्रों के सम्बन्ध में और समय की मांग की और यह अवधि बढ़ा भी दी गई है।

विवरण

श्रेणी	जारी किए गय आशय पत्रों की संख्या
फूडप्रोशेसिंग इंडस्ट्रीज	3
फर्मेन्टेशन इंडस्ट्रीज	1
टेली कम्यूनिकेशन	2
ग्लास (शीशा)	1
इंडस्ट्रियल इंट्रूमेंट्स	1
सिन्थेटिक डिटरजेंटस	1
टवायलेटसोप्स तथा ग्लेसरीन	1
एग्रीकल्चरल मशीनें (ट्रैक्टर)	1
आटोमोबाइल (स्कूटर)	1
मैनमेड फाइबर्स	1
ड्राई बैटरी सेल	1
आटोमोबाइल टायर और ट्यूबें	1
केमिकल्स (फरफ्यूरल)	1
योग	16

मसूलीपटनम स्थित आन्ध्र साँइउन्टीफिक कम्पनी का सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना

1018. **श्री पी० नरसिम्हां रेड्डी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, मसूलीपटनम् स्थित आंध्र साइन्टीफिक कम्पनी को अपने हाथ में लेने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : औद्योगिक (विकास और विनियम) अधिनियम 1951 (1951 का 65वां) की धारा 15 के अधीन आंध्र सांइन्टीफिक कम्पनी, मसूलीपटनम् के मामलों की समग्र और पूर्ण जांच करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त समिति का प्रतिवेदन हाल ही में प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है।

आन्ध्र प्रदेश में करीम नगर होते हुए रामागुडम और निजामाबाद के बीच नई रेलवे लाईन

4019. **श्री एम० सत्यनारायण राव :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में करीम नगर होकर रामागुडम और निजामाबाद के बीच एक नई रेलवे लाइन बिछाने का विचार है, और क्या आवश्यक सर्वेक्षण कर लिया गया है;

(ख) क्या प्रस्तावित लाइन के निर्माण में कोई देरी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के लिए नई रेलवे लाईनें

4020. **श्री एम० सत्यनारायण राव :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के लिए नई रेलवे लाइनों की स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) उनके निर्माण में कितना व्यय होगा; और

(ग) ये लाइनें कब तक डाल दी जायेंगी?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

बिजली घरों की स्थापना

4021. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971-72 के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित किये जाने वाले बिजली घरों के नाम क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : अपेक्षित जानकारी विकास के उपाबन्ध में दी जाती है।

विवरण

विभिन्न राज्यों में 1971–72 के दौरान चालू किए जा रहे विद्युत केन्द्र

परियोजना का नाम	यूनिट सं० और आकार मैगावाट	कुल क्षमता
		मैगावाट
आन्ध्र प्रदेश		
1. रामागुण्डम ताप	1×62.5+	62.5
असम		
2. तुरा ताप	2×2.5+	5.0
3. गौहाटी ताप	1×30+	30.0
बिहार		
4. कोसी जल-विद्युत	2×5	10.0
5. पसरातू ताप	1×100	100.0
जम्मू व कश्मीर		
6. कालाकोट ताप	2×7.5	15.0
7. चेनानी जल-विद्युत	3×4.6+	14.0
गुजरात		
8. धुवर्ण ताप	2×140	280.0
केरल		
9. कुट्टियाडी जल-विद्युत	3×25+	75.0
महाराष्ट्र		
10. पारली ताप	2×30+	60.0
मैसूर		
11. झरावती जल-विद्युत	1×89.1	89.1
पंजाब		
12. यू०बी०डी०सी० जल-विद्युत	3×15+	45.0
राजस्थान		
13. जवाहर-सागर जल-विद्युत	1×33+	33.0

परियोजना का नाम	यूनिट सं० और आकार मैगावाट	कुल क्षमता
		मैगावाट
तमिलनाडु		
14. कोडयार जल-विद्युत्	1 × 40	40.0
15. एन्नोर ताप . .	2 × 110	220.0
उत्तर प्रदेश		
16. हर्दुआगंज-4 ताप .	1 × 55	55.0
17. ओबरा ताप .	1 × 50	50.0
18. ओबरा ताप विस्तार	1 × 100	100.0
पश्चिम बंगाल		
19. जलढ़ाका जल-विद्युत् .	1 × 9	9.0
20. लिटिल रणजीत जल-विद्युत्	1 × 1	1.0
हिमाचल प्रदेश		
21. नोमली जल-विद्युत्	2 × 0.5	1.0
अनुपयोगी		
22. बोकारो इस्पात (ताप)	2 × 55+ 1 × 12+	122.0
	कुल	1416.6 मैगावाट

+नया विद्युत् केन्द्र। शेष यूनिट मौजूदा विद्युत् केन्द्रों पर संयंत्रों के विस्तार हैं।

अलकाक ऐशडाडन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, भावनगर

4022. श्री इन्द्रजीतगुप्त : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय कुप्रबंध के कारण गुजरात में भावनगर स्थित मेसर्स अलकाक एशडाउन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के बन्द होने की आशंका है;

(ख) क्या यह कम्पनी टर्नर मौरिसन एण्ड कम्पनी के नियंत्रण में है जो हरिदास मूदँड़ा के नियंत्रणाधीन हैं;

(ग) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा महाराष्ट्र बैंक ने इस कम्पनी को बहुत बड़ी मात्रा में ऋण दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कम्पनी का प्रबन्ध अपने अधिकार में लेने तथा कम्पनी को बन्द होने से बचाने का निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मैं० अलकाक एशडाउन एण्ड कं० लिमिटेड, भावनगर (गुजरात) पहले ही बन्द हो गई है ।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सरकार ने 3 जून, 1971 को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 15 के अन्तर्गत कम्पनी के कार्यों की जांच पड़ताल करने के लिए आदेश दिया है। जांच निकाय का प्रतिवेदन प्रतीक्षित है।

'गोल्ड-स्पॉट' की बिक्री

4023. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में 'गोल्ड-स्पॉट' तथा इसी कम्पनी के अन्य उत्पादों की कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की बिक्री हुई, और

(ख) 'गोल्ड-स्पॉट' तथा संबद्ध उत्पादों को बनाने वाले कारखाने अपेक्षित पदार्थों को कहां से प्राप्त करते हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मैं० पार्ले बोटलिंग कम्पनी (प्रा०) लि०, से मिली सूचना के मुताबिक जो गोल्ट-स्पॉट, रिम-झिम, किस्मत इत्यादि बैंडों के लिए रजिस्टर किये गये हैं, विगत दो वर्षों का कुल उत्पादन इस प्रकार था :—

1969	64.40	लाख केस 24 बोतलों वाले
1970	73.26	

वर्ष 1969 में इन ब्रैंडों का कुल बिक्री मूल्य 4 करोड़ रु० था। वर्ष 1970 का बिक्री मूल्य उपलब्ध नहीं है।

(ख) मैं० पार्ले बोटलिंग कम्पनी (प्रा०) लि०, द्वारा विभिन्न एककों को गोल्ड स्पॉट आदि की आधारभूत सामग्री मुक्त व्यवस्था के मुताबिक सप्लाई की जाती है।

Safety in Trains in Bihar

4024. **Shri Ram Shekhar Prasad Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether he has recently discussed the matter relating to safety in the Railway trains with the Chief Minister of Bihar and also with the Railway authorities; and

(b) if so, the outcome of the talks?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) and (b) The Minister of Railways discussed the matter with the Chief Minister of Bihar and also with the Railway authorities. The Inspector General, Railway Protection Force, was directed to go to Patna to meet the Bihar State authorities. He went there on 7-6-1971 and again on 18-6-1971

and met the senior police officials, Chief Secretary and Chief Minister there. Ways and means to improve arrangements for escorting of trains, particularly during night, and policing on the railways were discussed and the measures decided upon are being implemented. Inspector General of Police, Bihar has reinforced the Govt. Railway Police by diverting some force from the Bihar Military Police. The Railways have also given some reinforcement to the Bihar Police. The number of escorts on night passenger trains has also been increased.

हावड़ा स्टेशन पर एक संसद सदस्य का बैग छीना जाना

4025. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा स्टेशन पर कुछ व्यक्ति 16 मई को एक संसद् सदस्य का बैग उससे छीन कर भाग गये जब वे रेलगाड़ी पर चढ़ रहे थे;

(ख) क्या उस संसद् सदस्य के अनुरोध करने पर भी वहां प्लेटफार्म पर तैनात पुलिस वालों ने चोरों को पकड़ने में विमुखता दिखाई;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में उन्हें संबंधित संसद सदस्य से कोई पत्र प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) अब तक की गयी जांच से पता चला है कि बैग उनके पहले दर्जे के कूपे की पिछली ओर की खिड़की से निकाला गया था।

(ख) अब तक की गयी जांच से पता चला है कि सरकारी रेलवे पुलिस के एक सहायक सब-इंस्पेक्टर और एक हवलदार ने प्लेटफार्म के आस-पास अपराधी की खोज की थी।

(ग) जी हां।

(घ) मामले की पूरी जांच करने के लिए दो वरिष्ठ रेल अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। भारतीय दन्ड संहिता की धारा 379 के अन्तर्गत सरकारी रेलवे पुलिस, हवड़ा ने 16-4-1971 को पहले ही मामला दर्ज कर लिया था और हावड़ा स्थित रेलवे पुलिस के उप अधीक्षक के पर्यवेक्षण में अभी मामले की जांच की जा रही है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी है और न कोई सम्पत्ति वसूल हुई है।

विद्युतीकरण योजना के अतिरिक्त कर्मचारियों का वाल्टेयर किरनपुल योजना पर लगाना जाना

4026. श्री जगदीश भट्टाचार्य : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्य विद्युतीकरण योजनाओं के अतिरिक्त कर्मचारियों को प्रस्तावित वाल्टेयर किरनपुल विद्युतीकरण योजना में कब तक नियुक्त करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : आशा है मार्च, 1974 तक वालतेरू-किरदुल खंड पर कर्मचारियों की आवश्यकता अधिकतम पर पहुंच जायेगी। मार्च, 1974 तक जब कभी भी पदों की आवश्यकता होगी तो उन्हें दक्षिण पूर्व रेलवे की दूसरी बिजली करण यूनिटों से उपलब्ध फालतू कर्मचारियों से भरा जायेगा।

गुन्तकल और ओलावाकोड डिवीजनों (दक्षिण रेलवे) के अस्थायी और स्थायी कर्मचारियों की मजूरी की बकाया राशि के भुगतान में भेदभाव

4027. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुंतकल और ओलावाकोड डिवीजनों में 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण न्यायालयों में चल रहे मामलों में बरी हुए अस्थायी और स्थायी कर्मचारियों की मजूरी की बकाया राशि के भुगतान में भेदभाव को समाप्त कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) कथित अस्थायी कर्मचारियों की सेवाएं भारतीय रेल स्थापना संहिता, भाग 1 के नियम 149-स्था० I के अधीन समाप्त कर दी गयी थीं क्योंकि उन्होंने 19-9-1968 की हड़ताल में भाग लिया था। बाद में, सरकार की सामान्य नीति के अनुसरण में, उन्हें अनुग्रह के रूप में ड्यूटी पर पुनः ले लिया गया।

सेवा समाप्त होने की तारीख और ड्यूटी पर पुनः लिये जाने की तारीख के बीच रहने वाली उनकी अनुपस्थिति की अवधि को, सरकार के सामान्य विनिश्चय के अनुसार, छूट की अवधि माना गया है, और इसलिए वे उक्त अवधि के लिए कोई मजदूरी पाने के हक़दार नहीं हैं।

19-9-68 की हड़ताल के संदर्भ में जिन स्थायी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया अथवा जिन पर मुकदमा चलाया गया, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। बाद में, उन्हें सरकार की सामान्य नीति के अनुसार पुनः ड्यूटी पर ले लिया गया और भारतीय रेल स्थापना संहिता, भाग II के नियम 2044-स्था० II के अन्तर्गत उनकी मुअत्तली की अवधि को नियमित कर दिया गया है तथा इन मामलों में, इस नियम के अधीन स्वीकार्य भुगतान कर दिये गये हैं।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में कर्मचारियों द्वारा रेलवे क्वार्टरों पर अनधिकृत कब्जा

4028. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के कितने कर्मचारियों ने रेलवे क्वार्टरों पर अनधिकृत कब्जा किया;

(ख) क्या बाद में मान्यता प्राप्त संघों की सहमति से इन कब्जों को अधिकृत कर दिया जाता है; और

(ग) इस पद्धति को अपना कर वरिष्ठ कर्मचारियों को क्वार्टरों के आवंटन से वंचित रखने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रैनी गुन्ता (दक्षिण रेलवे) में रेलवे क्वार्टरों के गिरने से हुई मृत्यु

4029. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रेनीगुन्ता में रेलवे क्वार्टरों के गिरने से तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी;

(ख) क्या ये क्वार्टर उपेक्षित स्थिति में थे और इनकी मरम्मत आदि ठीक प्रकार नहीं की जाती थी; और

(ग) क्या गुन्तकल क्षेत्र में बहुत से स्टेशनों के रेलवे क्वार्टर भी ऐसी ही अपेक्षित स्थिति में हैं, और यदि हां, तो ऐसे क्वार्टरों की मरम्मत के लिये कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) अभी हाल में रेनिगुंटा में कोई भी रेलवे क्वार्टर नहीं गिरा था। रेनिगुंटा में एक क्वार्टर की चहारदीवारी का केवल एक हिस्सा 25 दिसम्बर, 1970 को गिर गया था जिसके फलस्वरूप दो बच्चों की मृत्यु हो गयी।

(ख) और (ग) जी नहीं। क्वार्टरों को अच्छी हालत में बनाये रखा जाता है। उपर्युक्त मामले में चहारदीवारी के गिरने का कारण यह था कि फैलने वाली एक लता की जड़ें उसमें घुस गयी थीं और क्वार्टर में रहने वालों ने लता के लिए एक पंडाल बना दिया था जिससे दीवार पर अतिरिक्त भार पड़ गया था।

तिरुपति में राजसहायता प्राप्त छात्रावास

4030. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुन्तकल डिवीजन के रेलवे कर्मचारियों ने विद्यार्थियों के लिए एक राजसहायता प्राप्त छात्रावास खोलने की प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) सिकन्द्राबाद में तेलुगु भाषायी ग्रुप के लिए एक सहायता प्राप्त छात्रावास पहले से ही मौजूद है। मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए तिरुपति में इसी भाषायी ग्रुप के लिए दूसरा सहायता प्राप्त छात्रावास खोलने का कोई विचार नहीं है।

अलवाई रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण

4031. **श्री एम० के० कृष्णन्** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अलवाई नगरपालिका परिषद् केरल द्वारा पारित उस प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है जिसमें अलवाई रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) जो अभ्यावेदन मिला था, वह स्टेशन की इमारत को फिर से बनाने के सम्बन्ध में था। चूंकि अलवाय स्टेशन की वर्तमान इमारत अच्छी हालत में है और इस स्टेशन से होने वाले वर्तमान यात्री यातायात को संभालने के लिए लगभग पर्याप्त है, इस लिए वर्तमान इमारत के स्थान पर नयी इमारत बनाना औचित्यपूर्ण नहीं समझा जाता।

एरनाकुलम के निकट मार्शलिंग यार्ड और उपरिपुल के निर्माण का ठेका देना

4032. **श्री एम० के० कृष्णन्** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एरनाकुलम दक्षिण जंक्शन के निकट मार्शलिंग यार्ड और एरनाकुलम से शोरनपुर तक रेलवे लाइन को दोहरा करने के दौरान पुलों के निर्माण का कार्य अधिशासी अभियंता (एक्जीक्यूटिव इंजीनियर), एरनाकुलम ने ठेके पर दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) इन निर्माण-कार्यों के लिए अब तक दिये गये 25 ठेकों में से एक ठेका एरणाकुलम के कार्यकारी इंजीनियर द्वारा दिया गया है क्योंकि उसका आर्थिक मूल्य उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर था।

पूर्व रेलवे के आसनसोल डिवीजन में मेन लाइन के गैंगमैनों द्वारा हड़ताल

4033. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के आसनसोल डिवीजन में मेन लाइन पर काम करने वाले गैंगमैनों ने रेलवे सुरक्षा बल के सिपाही द्वारा एक गैंगमैन पर आक्रमण करने के विरोध में 29 मई, 1971 को हड़ताल कर दी थी;

(ख) क्या अपराधी रेलवे सुरक्षा बल के सिपाही के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) 28-5-71 को पूर्व रेलवे के मानकर स्टेशन पर रेल सुरक्षा विशेष दल के कुछ कर्मचारियों द्वारा गैंगमैन पर कथित हमले की घटना के फलस्वरूप गैंगमैन और बाहरी व्यक्तियों ने प्रदर्शन किया और वे लाइन पर धरना देकर बैठ गये जिसके परिणामस्वरूप पूर्व रेलवे के दुर्गापुर और आसनसोल खण्ड में 28 और 29 मई, 1971 को गाड़ियों का आना जाना कुछ समय के लिए अस्त-व्यस्त हो गया।

(ख) रेल सुरक्षा विशेष दल के सम्बन्धित रक्षक को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं और अनुशासन एवं अपील नियमों के अन्तर्गत जांच हो रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन से खाद्यान्न के ऐसे माल डिब्बे जिनका माल नहीं छुड़ाया गया

4034. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में, विशेषकर सियालदह, बोनगांव और चितपुर में खाद्यान्नों के बहुत से डिब्बे रेलवे यार्डों में पड़े हैं, जिनके माल को नहीं छुड़ाया गया;

(ख) यदि हां, तो उनका माल कितने समय तक नहीं छुड़ाया गया; और

(ग) उसके निपटारे के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) मालडिब्बों में से उतना ही माल उतारा जाता है जितने के लिए रेलवे गोदामों में जगह होती है। भारतीय रेल अधिनियम की धारा 55 और 56 के अधीन, प्रेषकों को माल की सुपुर्दगी लेने के लिए नोटिस भेजे जाते हैं। 28-5-1971 से पूर्व रेलवे पर विलम्ब और स्थान शुल्क की दरों को अधिकतम सीमा तक बढ़ा दिया गया है। पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री ने 10-6-1971 को एक बैठक का आयोजन किया था जिसके परिणामस्वरूप 30-6-1971 तक 91 माल डिब्बों की सुपुर्दगी ली गयी।

विवरण

30-6-1971 की स्थिति

स्टेशन	पूर्व रेलवे के सियालदह मण्डल में अनाज से लदे खड़े लावारिस माल डिब्बों की संख्या	सबसे पिछली तारीख जिससे खड़े हुए हैं
सियालदह	कोई नहीं	—
बोनगांव	14	15-6-1971
चितपुर	19	15-6-1971
बारासत	9	17-6-1971

पश्चिम बंगाल में जल निकासी की व्यवस्था में सुधार करने के लिए उपाय

4035. श्री सुबोध हंसदा : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में प्रति वर्ष बाढ़ के कारण धान की फसल तथा सम्पत्ति को भारी हानि होती है;

(ख) क्या इसका कारण यह है कि पश्चिम बंगाल में जल निकासी की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल, विशेषकर मिदनापुर और 24 परगना नामक जिलों में जल निकासी की व्यवस्था में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) बाढ़ों और जल-निकास-रोध के कारण लगभग हर वर्ष पश्चिम बंगाल राज्य में विभिन्न मात्रा की क्षतियां होती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान फसलों और सम्पत्ति को भारी क्षति होने की सूचना मिली है।

(ग) जल-निकास में सुधार के लिए बहुत सी स्कीमें पहले से ही शुरू की हुई हैं और पश्चिम बंगाल के दक्षिण जिलों को लाभ पहुंचाने के लिए, जिसमें मिदनापुर और 24-परगना भी शामिल हैं, राज्य की चौथी योजना में और अधिक स्कीमें शामिल की गई हैं। मिदनापुर और 24 परगना जिलों में कुछ महत्वपूर्ण स्कीमें ये हैं—दुब्दा बेसिन जल-निकास स्कीम, पूर्वी मोगराहाट जलनिकास स्कीम, कोन्टाई बेसिन जल निकास स्कीम और कालियाघई जल-निकास स्कीम।

कृषि और औद्योगिक उत्पादनों के लिए माल डिब्बों की मांग का अनुमान

4037. श्री रामसहाय पांडे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे देश में कृषि और उद्योग की परिवहन की आवश्यकता की पर्याप्त रूप से और समय पर पूरा करने में असमर्थ है,

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है और देश में कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनों की बढ़ती हुई परिवहन सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने के लिये और अधिक माल डिब्बे उपलब्ध कराने हेतु किसी प्रस्ताव की रूप-रेखा तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये गये हैं?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं। लेकिन देश के पूर्वी क्षेत्र में रेलवे के मालडिब्बों के गंभीर रूप से रुके पड़े रहने के कारण कृषि और उद्योग के लिए यातायात की निकासी अस्थायी रूप से कम है।

(ख) यातायात की आवश्यकताओं को देखते हुए जितने मालडिब्बों की जरूरत पड़ती है, उसकी निरन्तर समीक्षा की जाती है और यातायात की दृष्टि से औचित्य होने पर अतिरिक्त मालडिब्बों की व्यवस्था की जाती है। लेकिन इस समय माल डिब्बों की इस प्रकार की कोई कमी नहीं है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति से न केवल इस क्षेत्र में यातायात का सुचारू प्रवाह गंभीर रूप से अस्त व्यस्त हो गया है बल्कि उसकी समूचे देश में निरन्तर प्रतिक्रिया हुई है, जिसके परिणामस्वरूप अस्थायी रूप से कम मालडिब्बे उपलब्ध हैं। सामान्य स्थिति में चालू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त माल डिब्बे उपलब्ध हैं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

Expenditure incurred on the implementation cell of volunteers under eleven-point programme.

4038. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the total expenditure incurred by Government on the Implementation Cells consisting of volunteers formed by the former Minister of Railways under the 11-point programme?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : Total expenditure incurred on the Non-official Standing Voluntary Help Committee upto 30-6-1971 comes to Rs. 52,300.

Mishap to Tiruchchirappalli-Renigunta passenger train in April, 1971 (Southern Railway)

4039. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have made any enquiry in regard to Tiruchchirappalli-Renigunta passenger train which had overturned between Ramapuram and Siddampalli Stations of the Southern Railway during the first half of April, 1971; and

(b) if so, the findings thereof?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) and (b) The derailment of 122 Down Fast Passenger on 14-4-1971 between Ramapuram and Siddampalli stations was inquired into by a committee of railway officers. According to the finding of the inquiry committee the accident was the result of an act of sabotage by some person or persons unknown.

मदुरै डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में छुट्टी रिजर्व वाणिज्यिक क्लर्क

4040. **श्री पन्नालाल बारूपाल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाणिज्यिक क्लर्कों के लिये मंजूरशुदा छुट्टी रिजर्व कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या दक्षिण रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में छुट्टी रिजर्व की यह प्रतिशतता इसके अपेक्षित उद्देश्य के लिये उपलब्ध है और यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं?

(ग) क्या अधिकांश छुट्टी रिजर्व कनिष्ठ क्लर्क दक्षिण रेलवे के मदुरै डिवीजन मावेलिकारा कायाकुलम्, तिरुवल्ला और क्विलोन जैसे स्टेशनों में 5 से 15 वर्ष से स्थायी पदों पर कार्य कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश में बिजली की स्थिति की सुधारने के लिए सहायता

4041. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली स्थिति को सुधारने के लिये उत्तर प्रदेश को कोई आर्थिक सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में दी गई आर्थिक सहायता की कुल राशि कितनी है;

(ग) क्या कोई तकनीकी सहायता भी दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) चतुर्थ योजना के आरम्भ से 'राज्य योजना' स्कीमों के लिये केन्द्रीय सहायता उनके समग्र योजना व्यय के लिए ब्लॉक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जा रही है न कि किसी विशिष्ट परियोजना के लिये।

(ख) 1969-70 और 1970-71 वर्षों के दौरान दी गई वित्तीय सहायता क्रमशः 93.79 और 95.44 करोड़ रुपये थी। राज्य को 1971-72 के लिये निर्धारित केन्द्रीय सहायता 105.20 करोड़ रुपये हैं।

(ग) और (घ) विद्युत् से संबंधित मामलों पर जब भी राज्य अधिकारियों द्वारा तकनीकी सहायता मांगी जाती है, केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग द्वारा यथावश्यक दी जाती रही है।

उत्तर प्रदेश में टायर फैक्ट्री की स्थापना के लिए मोदी समवाय समूह को लाइसेंस देना

4042. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में एक टायर फैक्टरी की स्थापना के लिये मोदी समवाय समूह को औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है अथवा दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई अग्रिम निर्णय किया गया है;

(ग) क्या कम्पनी कार्य विभाग ने इसकी स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) मे० मोदी इंडस्ट्रीज लिमिटेड को उत्तर प्रदेश में मोटर गाड़ी के टायर तथा ट्यूबें बनाने के लिये एक कारखाना स्थापित करने हेतु दिनांक 25-9-1968 (वैधता की अवधि बढ़ाकर 25-12-1971 कर दी गई है) को एक आशय-पत्र जारी किया गया है। सरकार द्वारा उनकी पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकता की अनुमति मिल जाने पर इस आशय-पत्र को लाइसेंस में बदल दिया जाएगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस पार्टी ने 1 जून, 1970 को एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम लागू होने से पहले ही आशय-पत्र को कार्यान्वित करने के लिये कदम उठा लिया था इसलिये कम्पनी कार्य विभाग से इस मामले में किसी तरह के स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं थी।

Theft of Railway Goods at Mughalsarai

4043. Shri Brijraj Singh Kotah : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the extent to which the incidence of theft of Railway goods has come down as a result of the campaign launched at Mughalsarai in this regard;

(b) the comparative figures in respect of theft of Railway goods at Mughalsarai during the last year and the current year;

(c) whether action on the line of the campaign launched at Mughalsarai is proposed to be taken on other notorious stations also with a view to checking thefts; and

(d) if so, at which stations?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) Due to insistence on proper registration of crime, there has been an increase in the figures of thefts detected at Mughalsarai itself. The recovery of stolen property and arrest of criminals has also increased substantially and its impact has been good particularly on the North Eastern Railway whose goods pass through Mughalsarai.

(b) A statement is attached.

(c) and (d) : Yes, it has already been taken at Sabarmati.

STATEMENT

Year	No. of cases of thefts of booked consignments detected	Value of property stolen	Value of property recovered	No. of criminals arrested
		Rs.	Rs.	
Nov. '70 to May ' 71	70	74,130	40,459	10
Nov. '69 to May '70	54	48,079	8,794	3

Separate Department of Education in the Railway Ministry

4044. Shri Brijraj Singh-Kotah : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether a two-day Conference of the All India Railway Teachers' Association was held recently at Abu Road;

(b) whether a demand was made in the said conference that there should be a separate department in the Railway Ministry to look after the education of children of Railway Employees; and

(c) if so, the steps being taken by Government to reorganise educational system in the Railways?

The Minister of Railway (Shri Hanumanthaiya) : (a) Yes, Sir.

(b) A resolution was passed demanding a separate Euducation Officer at Boards level and Senior Education Officers and Assistant Education Officers at lower levels for better co-ordination and that the incumbents for these posts should be drawn from the existing Railway teachers.

(c) The Railway Schools follow the curricula laid down by the States. Therefore, academic matters are not controlled by the General Managers of Zonal Railways or by the Railway Board for general management, therefore, the present organisation is considered adequate. Accordingly, it is not proposed to appoint Education Officers at the Zonal Headquarters or in the Railway Board.

पश्चिम रेलवे अध्यापक संघ द्वारा शिक्षा मंत्रालय के समान ही पुनरीक्षित वेतन मानों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन

4045. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा नियोजित अध्यापकों को वेतनमानों आदि के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियोजित अध्यापकों के समान ही समझा जाता है।

(ख) क्या शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत काम कर रहे अध्यापकों को पुनरीक्षित वेतन मानों का लाभ 21 दिसम्बर, 1967 से दिया गया था और रेलवे मंत्रालय के अन्तर्गत काम कर रहे अध्यापकों को वेतन मानों के लाभ से वंचित रखा गया;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या पश्चिम रेलवे अध्यापक संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो अभ्यावेदन में उठाई गई बातें कौन सी हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : कोठारी आयोग द्वारा जो सिफारिशें की गयीं थीं और जिन्हें शिक्षा मंत्रालय द्वारा 21-12-1967 से केन्द्र शासित क्षेत्र के स्कूलों के लिए अपना लिया गया है उनके आधार पर रेलवे स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों का वेतन-मान 1-5-1969 से परिशोधित करके बढ़ा दिया गया था। रेलवे स्कूलों के लिए परिशोधित वेतन-मान स्वतः नहीं अपनाये गये, बल्कि रेलवे स्कूलों में उनके अपनाये जाने के उद्देश्य से कोठारी आयोग की सिफारिशों की जांच करने में कुछ समय लगा और जैसे ही इस सम्बन्ध में निर्णय किया गया आदेशों को क्रियान्वित कर दिया गया।

(घ) जी नहीं।

केरल में स्कूटर कारखाने की स्थापना

4046. **श्रीमती मार्गवी तनकप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में स्कूटरों के निर्माण की विद्यमान सुविधाओं तथा वहां पर उपलब्ध तकनीकी जानकारी को देखते हुये केन्द्रीय सरकार का राज्य में सरकारी क्षेत्र में एक स्कूटर कारखाना स्थापित करने का विचार है,

(ख) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई अनुरोध किया है, और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सरकार ने स्कूटर बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना स्थापित करने का निर्णय कर लिया है लेकिन प्रस्तावित सरकारी क्षेत्र की परियोजना के स्थान के प्रश्न पर अभी तक विचार नहीं किया गया है।

(ख) केरल सरकार से राज्य में स्कूटर बनाने के लिए प्रस्तावित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की परियोजना के स्थापना स्थल के बारे में निवेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) राज्य सरकार को सूचित कर दिया है कि अन्य राज्यों से भी इसी प्रकार के प्राप्त हुए अनुरोधों के साथ ही उनके निवेदन पर उपयुक्त समय पर विचार किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश में कृषि औजारों और मशीनरी का निर्माण

4047. **श्री वी० आर० शुक्ल** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कृषि औजारों तथा मशीनरी विशेषकर ट्रैक्टरों, क्रशरों और नलकूपों के लिए मोटर इंजनों का निर्माण करने के लिए कोई कारखाना स्थापित किया गया है।

(ख) यदि नहीं तो उस राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए ऐसे कारखानों को स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है, और

(ग) ट्रैक्टर निर्माण परियोजनाओं के लिए उन आवेदन पत्रों की संख्या तथा तिथियां क्या हैं जो उत्तर प्रदेश में अनिर्णीत पड़े हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण बनाने वाले निम्न लिखित 147 लघु उद्योग एकक हैं :—

उपकरण की किस्म	एककों की संख्या
(1) जुताई करने का सामान जैसे हल, डिस्क और हैरो इत्यादि	63
(2) बुआई करने, पौधे लगाने और इंटरकल्चर (अन्तः कृषि) उपकरण	15
(3) पौधों की रक्षा करने संबंधी उपकरण . . .	3
(4) फसल काटने और गहाई करने के उपकरण . .	23
(5) बीजों की सफाई, छंटाई और अलग करने की प्रक्रिया संबंधी उपकरण	30
(6) सिंचाई संबंधी	8
योग	147

इनके अतिरिक्त कृषिडिस्कें बनाने वाला एक और कारखाना है।

जहां तक कृषि का संबंध है फिलहाल उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की मशीनें बनाने वाला कोई भी एकक नहीं है। फिर भी सरकार ने कृषि ट्रैक्टर बनाने वाली चार योजनाओं को तथा शक्ति चालित हल और रोटेटर्स बनाने वाली एक एक योजना को स्वीकृति दी है।

वहां पर ट्यूब वेलों में प्रयोग लिये जाने वाले डीजल इंजिन बनाने वाले तीन कारखाने हैं। इनके अलावा लघु उद्योग क्षेत्र में डीजल इंजिन और उनके हिस्से बनाने वाले 124 एकक और हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर बनाने वाले एक संयंत्र की स्थापना के लिये औद्योगिक लाइससेंस प्राप्त करने संबंधी एक आवेदन पत्र विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश में सीमेंट की खपत और मांग

4048. **श्री वी० आर० शुक्ल** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में सीमेंट की वार्षिक औसत खपत और मांग क्या थी,

(ख) इसमें से कितना सीमेंट उत्तर प्रदेश से बाहरी स्रोतों से मंगाया गया, और

(ग) क्या सीमेंट की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में एक सीमेंट का कारखाना स्थापित करने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)

(क)	1968	14,40,389 मी० टन
	1969	15,89,154 मी० टन
	1970	16,93,865 मी० टन
(ख)	1968	11,43,936 मी० टन
	1969	12,08,860 मी० टन
	1970	13,60,896 मी ०टन

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने डल्ला में प्रति वर्ष 4 लाख मीटरिक टन क्षमता वाला एक नया कारखाना स्थापित किया है, जिसमें उत्पादन हो रहा है देहरादून (उत्तर प्रदेश) के निकट बारोवाला में प्रतिवर्ष 2,00,000 मीटरिक टन अधिष्ठापित क्षमता वाले नये कारखाने के स्थापित करने की योजना भारत सीमेंट निगम के विचाराधीन है।

सियालदह डिवीजन में भाप से चलने वाले पुराने इंजन

4049. **श्री त्रिविधि चौधरी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन में भाप से चलने वाले कितने इंजन हैं तथा उनमें से कितने इंजिन अपनी निर्धारित अवधि पूरी कर चुके हैं;

(ख) क्या सियालदह डिवीजन में यात्री रेलगाड़ियों के काफी समय से समय पर न चलने का एक बड़ा कारण इंजिनों के पुराने होने से उनमें होने वाली गड़बड़ी है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) सियालदह मन्डल में बड़ी लाइन के 135 भाप के रेल इंजन हैं जिनमें से 32 इंजन गतायु हैं। ये 32 रेल इंजन विभागीय तथा शंटिग सेवाओं के लिए इस्तेमाल किये जा रहे हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सहरसा (बिहार) में कांच का कारखाना

4050. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहरसा जिला (बिहार) में कांच के लिए कच्चा माल बहुतायत में पाया जाता है, और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में कांच का कारखाना स्थापित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आसाम मेल में संसद सदस्यों के लिए कोटा

4051. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी जंक्शन से दिल्ली आने वाली एकमात्र रेलगाड़ी आसाम मेल है जो उत्तरी बिहार को राजधानी से मिलाती है; और

(ख) उत्तर बिहार से सीधे आने वाले संसद सदस्यों के लिए उस रेलगाड़ी में कितनी शायिकाएं होती हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) (क) जी हां।

(ख) संसद् सत्र की अवधि के दौरान पटना जंक्शन पर 85 अप असम डाक गाड़ी में संसद् सदस्यों के लिए पहले दर्जे की दो शायिकाओं का कोटा आवंटित किया गया है। दो शायिकाओं का एक और कोटा भी असम डाक गाड़ी में अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए नियत किया गया है जिसमें से संसद् सदस्यों को मण्डल अधीक्षक पूर्वोत्तर रेलवे समस्तीपुर द्वारा स्थान का आवंटन किया जाता है।

उड़ीसा में सिंचाई

4052. **श्री डी०के० बंडा** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उड़ीसा राज्य में कृषि योग्य कुल कितनी भूमि है तथा सिंचाई के अन्तर्गत लाई गई ऐसी भूमि की प्रतिशतता क्या है;

(ख) शेष भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने की योजना क्या है तथा कार्य के लिए कितनी अवधि निर्धारित की गई है;

(ग) इस समय कितनी सिंचाई परियोजनाएं विचाराधीन हैं तथा उनके नाम क्या हैं; और

(घ) उड़ीसा में निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा इसके लिए कितना समय नियत किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) उड़ीसा में लगभग 150 लाख एकड़ के कुल कृश्य क्षेत्र में से लगभग 214 प्रतिशत 1970-71 तक सिंचाई के अधीन लगाया गया है। यदि संसाधन उपलब्ध हो गए तो राज्य की सिंचाई शक्यता का पूर्ण उपयोग करने में 4 अथवा 5 पंचवर्षीय योजनाएं लग सकती हैं।

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) उड़ीसा में इस समय 3 बृहत और 12 मध्यम स्कीमें निर्माणाधीन हैं। हीराकुड चरण-1 और सालन्दी परियोजना नामक दो बृहत स्कीमें लगभग पूर्ण हो गई हैं और तीसरी अर्थात्म महानदी डेल्टा परियोजना के पांचवीं योजना में पूर्ण होने की संभावना है।

12 मध्यम परियोजनाओं में से, 9 परियोजनाओं के चतुर्थ योजना के दौरान और शेष तीन के पांचवीं योजना के दौरान पूर्ण होने की संभावना है।

विवरण

उड़ीसा में केन्द्रीय ऋण सहायता से अनुसंधानाधीन सिंचाई परियोजना स्कीमें

1. लोअर सुकताल सिंचाई परियोजना
2. लोअर लांट सिंचाई परियोजना
3. टिटीलागढ़ सिंचाई परियोजना
4. हरिहरजोर सिंचाई परियोजना
5. औनिल सिंचाई परियोजना
6. टिकढ़ा सिंचाई परियोजना
7. सिंगवाजोरे सिंचाई परियोजना
8. जाटुक सिंचाई परियोजना
9. संखानाई सिंचाई परियोजना
10. तेलेंगिरि सिंचाई परियोजना
11. बढ़नाला सिंचाई परियोजना
12. अपर कोलाब सिंचाई परियोजना
13. उत्कापदु सिंचाई परियोजना
14. पुत्रा सिंचाई परियोजना
15. लिलिबाड़ी सिंचाई परियोजना
16. सांदुल सिंचाई परियोजना
17. सुन्दर (इंदर चरण-1)
18. नोरला सिंचाई परियोजना
19. बगडा सिंचाई परियोजना
20. वीरोल सिंचाई परियोजना
21. रेनाल सिंचाई परियोजना
22. अपर बैतरणी सिंचाई परियोजना
23. खडकाइ सिंचाई परियोजना
24. भालुजेड़ी सिंचाई परियोजना
25. कोनाडी सिंचाई परियोजना
26. बाघ सिंचाई परियोजना
27. कुआरिया सिंचाई परियोजना
28. लोडानी सिंचाई परियोजना
29. कंसभाल सिंचाई परियोजना
30. सरपंगढ़ सिंचाई परियोजना
31. बारसुआम सिंचाई परियोजना
32. रामानदी सिंचाई परियोजना

Rural Electrification in Bihar

***4054. Shri Sukhdeo Prasad Verma :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of villages proposed to be electrified in Bihar State by the end of the Fourth Five Year Plan under the Rural Electrification Scheme and of those already electrified in the State till the 31st March, 1971;

(b) whether under the Rural Electrification Scheme, priority is to be given only to those villages where there are no other means of irrigation and which solely depend on rains; and

(c) if so, whether the electrification work is undertaken in such villages in Bihar State, particularly in Gaya District on priority basis and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B.N. Kureel) : (a) to (c) : During the Fourth Plan the emphasis in rural electrification schemes continues to be on the energisation of pumpsets and village electrification is only an incidental part of this programme. By the end of the Fourth Plan 175,000 pumpsets are expected to be energised and 12,200 villages electrified in Bihar as compared with 50,000 pumpsets energised and 6350 villages electrified at the beginning of the Fourth Plan. Due priority is given to energisation of pumpsets in villages where there is groundwater potential and no other means of irrigation. The number of villages electrified/pumpsets energised in Gaya District has been comparatively more. As on 31-3-1970, 1,400 villages out of a total of 6,236 villages in the district were electrified representing a percentage of 22.4 against the average percentage of 10.5 for the State. Up to th e same period 31 % of the pumpsets energised in the State of Bihar were in the district of Gaya.

Rural Electrification in Gaya, Patna and Shahabad, Bihar

4055. Shri Sukhdeo Prasad Verma : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the work on the approved schemes for rural electrification in Gaya, Patna and Shahabad in South Bihar has been lying pending or incomplete for the last four years due to the shortage of the required materials;

(b) whether all the power is concentrated in the Bihar State Electricity Board and as a result thereof the required material is not made available in time; and

(c) if so, whether Government propose to decentralise the powers concentrated in the said board so as to expedite the work and to ensure completion of the rural schemes in time?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B.N. Kureel) : (a) to (c) : Constraint of financial resources and the countrywide scarcity of raw materials has also affected the progress of rural electrification schemes in Bihar. Several measures have been taken by the Bihar State Electricity Board in effecting advance planning of indents for steel. Priority allocations have also been arranged from indigenous production. During the year 1971, 16,000 M. Tonnes have been arranged so far. In addition about 2500 M. Tonnes of steel are also being imported for power development schemes in Bihar. The improvement of materials management is within the competence of the State Electricity Board and State Government and proposals for such improvement are under their consideration. The machinery is however geared up for acceleration of programmes of rural electrification during the Fourth Plan. 12,200 villages are expected to be electrified and 1,75,000 irrigation pumpsets energised at the end of the Fourth Plan as compared to 6,350 villages electrified and 50,000 pumps energised at the beginning of the Fourth Plan.

विधि आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन

4056. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधि आयोग ने अब तक कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं;

(ख) सरकार ने उनमें से कितनी सिफारिशों को अब तक स्वीकार किया है; और

(ग) इन सिफारिशों को कहां तक क्रियान्वित किया गया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) विधि आयोग ने 42 रिपोर्टें भेजी हैं। एक विवरण, जिसमें रिपोर्टों के विषय दिए गए हैं, पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-608/71]**

(ख) और (ग) यह आयोग समय समय पर विभिन्न विषयों पर रिपोर्टें भेजता रहा है जो रिपोर्ट के विषय से सम्बद्ध मंत्रालय या विभाग को क्रियान्वयन के लिए भेजी जाती हैं। निम्नलिखित विषयों पर रिपोर्टें, जिनके संख्यांक उनके नामों के पश्चात् उल्लिखित हैं अपेक्षित विधायी या प्रशासनिक कार्रवाई करके क्रियान्वित की जा चुकी हैं:—

विक्रय-कर विषयक संसदीय विधान . . (2)

परिसीमा अधिनियम, 1908 . . . . . (3)

यह प्रस्थापना कि उच्च न्यायालय को राज्य के विभिन्न स्थानों में न्यायपीठों के रूप में बैठना चाहिए (4)

शकूरबस्ती रेलवे यार्ड में आग लगना

4057. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 जून, 1971 को शकूरबस्ती रेलवे यार्ड में भयंकर आग लग गई थी जिसके कारण कई तेल वाले रेल के बिब्बे क्षतिग्रस्त हुए थे;

(ख) क्या आग लगने के कारण की जांच की गई है;

(ग) क्या इस यार्ड में डिब्बों को खींचने के लिए डीजल इंजनों के स्थान पर भाप के इंजनों को प्रयोग में किया जाता है और भाप के इंजन की एक चिंगारी से आग लगी थी; और

(घ) यदि हां, तो इस यार्ड में तेल के डिब्बे अधिक सुरक्षित रूप से लाने ले जाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) इस घटना में कितनी हानि हुई है?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) शकूरबस्ती रेलवे यार्ड में आग लगी थी लेकिन रेल सम्पत्ति को मामूली क्षति हुई।

(ख) आग लगने के कारण की जांच की जा रही है।

(ग) माल डिब्बों की शंटिंग के लिए भाप इंजनों का उपयोग किया जा रहा है लेकिन इन इंजनों में स्पार्क ऐरेस्टर लगे हुए हैं।

(घ) यह रेलवे साईडिंग नहीं है इसलिए आग से बचाव की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी इंडियन आयल कारपोरेशन की है जिन्हें उपयुक्त परामर्श दे दिया गया है।

(ङ) रेलवे को 700 रुपये की हानि होने का अनुमान है।

मुंगेर और मुंगेर घाट के मध्य गैर-सरकारी स्टीमर सेवा

4058. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंगेर और मुंगेर घाट के मध्य गैर-सरकारी स्टीमर चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो संबंधित ठेकेदार द्वारा सरकार को कितना धन दिया जाता है;

(ग) क्या रेलवे ने पहले कभी इस सेवा को अपने नियंत्रण में लेने के प्रस्ताव पर कई बार विचार किया था; और

(घ) यदि हां, तो उस सेवा को अपने नियंत्रण में लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) रेलों को इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि फैरी ठेकेदार की नियुति बिहार सरकार द्वारा की जाती है। रेलों को कोई रकम नहीं दी जाती हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Cancellation of Trains on Hanumangarh-Suratgarh in Bikaner

4059. Shri Panna Lal Barupal : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of trains which were cancelled on Hanumangarh (Canal-Suratgarh and Hanumangarh-Sadulpur, sections in Bikaner Division and the number of those which ran late during the last one year;

(b) the extent of loss suffered by the Railways as a result thereof and the factors responsible for their cancellation or late running; and

(c) the action being taken against the officers responsible for the lapses?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) During July, 1970 to June, 1971, 279 passenger carrying trains and 32 goods trains were cancelled for the entire or only part of their runs and 929 passenger trains ran late on Hanumangarh-Suratgarh (canal loop) and Hanumangarh-Sadulpur sections.

(b) Cancellation of trains was due to various factors like sand storms, breaches, temporary coal shortage due to illegal strike of staff on Eastern Railway. Late running was due to various factors like loco and carriage failures, sand storm, accidents, displaced crossings etc. No separate statistics regarding the loss on account of cancellation etc. are maintained.

(c) The staff responsible for avoidable detentions to trains are suitably dealt with.

सुवर्ण रेखा तटबंध योजना

4060. श्री एस० एस० महापात्र : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्य सरकारें सुवर्ण रेखा तटबंध परियोजना के विरुद्ध हैं;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के भाग में आने वाले सुवर्ण रेखा तटबंध से संबंधित कार्य पर उसके द्वारा किए जाने वाले व्यय के लिए पूरी आर्थिक सहायता की मांग की है;

(ग) क्या केंद्रीय सरकार उक्त तटबंध के विरुद्ध उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में उत्तेजित जन-मत से अवगत है; और

(घ) क्या सरकार का विचार मूल तटबंध परियोजना में कतिपय परिवर्तन लाने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने इस आशय का कोई संकेत नहीं दिया है । साथ ही उन्होंने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कोई उत्सुकता नहीं दिखाई है ।

(ख) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंन परियोजना पर उस व्यय को पूरा करने के लिये जो राज्य योजना के बाहर है, अनुदान की व्यवस्था करने हेतु योजना आयोग से कहा है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) निचली पहुंचों में बाढ़ के बहाव को कम करने के लिए नदी पर ऊपर की ओर जलाशयों के निर्माण की सम्भाव्यता का अध्ययन किया जा रहा है ।

उड़ीसा के खलीजोड़ी नाला पर क्रास बांध का कार्य

4061. श्री एस० एस० महापात्र : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के भोगराई पुलिस थाना क्षेत्र में खलीजोड़ी नाले के मुहाने पर बाढ़ नियंत्रण के साधन के रूप में क्रास बांध पर काम आरंभ कर दिया गया है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्यां भोगराई में जमा पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था करने हेतु तत्काल आरंभ की जाने वाली कोई योजना विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, नहीं । यह कार्य सुवर्ण रेखा तटबंध स्कीम का एक भाग है जिसके क्रियान्वयन के लिए मंजूरी अभी मिलनी है ।

(ख) भोगराय क्षेत्र की जलनिकासी संबंधी प्रस्ताव को सुवर्ण रेखा तटबंध स्कीम में शामिल कर लिया गया है ।

(ग) स्कीम को स्वीकृति मिलने के बाद कार्य शुरू कर दिया जाएगा ।

नई दिल्ली में जंगपुरा और सफदरजंग के निकट उपरिपुल (उत्तर रेलवे)

4062. **श्री दलीप सिंह चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में जंगपुरा और सफदरजंग के निकट प्रस्तावित उपरिपुलों का निर्माण सम्भवत : कब तक पूरा हो जायेगा और अब तक कितना कार्य हुआ है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : जंगपुरा के पास ऊपरी पुल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । संभवतः माननीय सदस्य का आशय डिफेंस कालोनी के पास बनने वाले ऊपरी सड़क पुल से है; यदि ऐसा है, तो स्थिति इस प्रकार है :–

1. डिफेंस कालौनी के पास ऊपरी सड़क पुल :

(i) वर्तमान सड़क के मार्ग परिवर्तन का काम पूरा हो गया है । पुल की संरचना के लिए टेंडर आमंत्रित किये गये हैं।

(ii) पुल की संरचना के रेलवे वाले भाग का काम संभवतः मार्च, 1973 तक पूरा हो जायेगा।

2. सफदरजंग हवाई अड्डे के पास ऊपरी सड़क पुल :

(i) सड़क के मार्ग परिवर्तन का काम और रेल पथ के नीचे से गुजरने वाली सेवाओं को स्थानांन्तरित करने का काम पूरा हो गया है । पुल संरचना के लिए टेंडरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ii) पुल की संरचना के रेलवे वाले भाग का काम संभवतः दिसम्बर, 1972 तक पूरा हो जायेगा ।

मध्य प्रदेश के 'केन कैनाल' के कार्य का निलम्बन

4063. **एच० एच० महाराजा नरेन्द्र सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश म केन्द्र से वित्तीय सहायता प्राप्त 'केन कैनाल' का कार्य निलम्बित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उस पर पुनः कार्य आरंभ कराने के लिए केन्द्र सरकार के विचाराधीन क्या योजना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि केन नहर स्कीम के बारे में अभी अनुसंधान हो रहा है और कोई भी निर्माण-कार्य नहीं चल रहा है ।

तमिलनाडु की आग्नेकाल पन-बिजली परियोजना का चौथी योजना में सम्मिलित किया जाना

4064. **श्री जी० भुवाराहन :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में धर्मपुरी जिले में स्थित आग्नेकाल पन-बिजली परियोजना के कार्य को चौथी योजना में ही आरंभ कर देने की कोई योजना विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना पर कितनी लागत आएगी; और

(ग) इस परियोजना को चौथी योजना में शामिल करने में विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) आग्नेकाल जल-विद्युत् परियोजना को, जिस में तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में मौजूदा मेट्टूर बांध जलाशय की प्रतिप्रवाह दिशा। में कावेरी के जल का उपयोग भी आता है, तमिलनाडु की चौथी योजना में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) परियोजना में कावेरी के जल के उपयोग की बात आती है और इस तरह इसके अपने अन्तर्राज्यीय पहलू हैं जिनसे मैसूर, केरल और तमिलनाडु राज्य संबंधित हैं। इनका हल इन तीन राज्यों के बीच ही निकाला जाना है।

Suspension of work on Cane Canal, Madhya Pradesh

4063. Major Narendra Singh : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the work on Cane Canal being financed by the Centre in Madhya Pradesh, has been suspended;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the scheme under consideration of the Central Government to resume work thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B.N. Kureel) : (a) to (c) The Government of Madhya Pradesh have intimated that the Ken Canal scheme is still under investigation, and no work is in progress.

दक्षिण रेलवे में रेलवे अस्पताल

4065. श्री जी० गुवाराहन : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में इस समय कितने रेलवे अस्पताल हैं;

(ख) तमिलनाडु के जिलों में रेलवे अस्पताल खोलने के क्या मानदण्ड हैं, अर्थात् इन्हें रेलवे डिवीजन-वार खोला जाता है अथवा रेलवे जंकशन-वार;

(ग) क्या सलेम में नई सलैम-बंगलौर रेलवे लाइन तथा अन्य रेलवे विकास कार्यों को देखते हुए सलेम जंकशन पर एक नया रेलवे अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) दक्षिण रेलवे पर रेलवे के 11 अस्पताल हैं।

(ख) से (घ) प्रत्येक रेलवे के मुख्यालय और मंडलीय मुख्यालयों में रेलवे अस्पतालों की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा किसी खास स्थान पर रेलवे अस्पताल/हेल्थ यूनिट की व्यवस्था इन बातों पर निर्भर करती है कि उस स्थान पर कितने कर्मचारी तैनात हैं, वह स्थान कितना अलग-थलग है, उस क्षेत्र में सरकारी/सिविल चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं कि नहीं और उस स्थान पर पहुंचने के लिए कितनी गाड़ियां उपलब्ध हैं। सेलम में एक हेल्थ यूनिट पहले से ही चल रहा है जो इस खंड के रेल कर्मचारियों/उनके परिवारों की चिकित्सा संबंधी आवश्यकताएं पूरी करता है। सलेम स्थित हेल्थ यूनिट के कार्यभार को देखते हुए वहां फिलहाल पूर्णरूपेण अस्पताल खोलने का औचित्य सिद्ध नहीं होता। इरोड़ स्थित अस्पताल द्वारा सलेम के कर्मचारियों की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं।

मद्रास उच्च न्यायालय में विचाराधीन पड़े मामले

4066. **श्री जी० भुवाराहन** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास के उच्च न्यायालय में कितने मामले गत दो वर्ष से विचाराधीन पड़े हैं;

(ख) इन मामलों के निपटाने में इतने विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त विलम्ब उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति यथा समय न किये जाने के कारण हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्तियों में विलम्ब के क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) 1970 के अंत में 2 वर्ष से अधिक से लम्बित मामलों की संख्या 9,654 है। संस्थित किए जाने वाले मामले वर्षानुवर्ष बढ़ते जा रहे हैं, यद्यपि निपटाए गए मामलों की संख्या भी बढ़ी है, फिर भी इतनी नहीं जितनी संस्थित किए जाने वाले मामलों की संख्या।

(ग) और (घ) 1970 में तीन न्यायाधीशों की नियुक्ति में कुछ विलम्ब इसलिए हुआ क्योंकि परामर्श करने में और औपचारिकताओं को पूरा करने में कुछ समय लग गया। इस समय कोई भी रिक्तियां नहीं हैं।

सलेम में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

4067. **श्री जी० भुवाराहन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के सलेम जिले में हथकरधा बुनकरों के लाभार्थ एक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि रखी गई है;

(ग) इस हेतु कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा; और

(घ) क्या प्रस्तावित औद्योगिक बस्ती के लिए स्थान के संबंध में तमिलनाडु सरकार ने सिफारिशें की थीं?

औद्योगकि विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) तमिलनाडु सरकार से सूचना इकट्ठी की जा रही है, सभा-पटल पर रख दी जायेंगी।

विदेश में भारतीय तकनीकी कर्मचारी

4068. श्री बी० एस० मूर्ति : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में औद्योगिक विकास के लिए कितने भारतीय तकनीकी कर्मचारी भेजे गये;

(ख) उक्त प्रबन्ध किन एजेंसियों के माध्यम से किया गया है; और

(ग) भारतीय तकनीशियनों को विदेश में सेवा की शर्तें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख) (1) 1970 के अंत तक, कोलम्बो योजना के अंतर्गत 198 तथा विशेष राष्ट्र मंडल अफ्रीकी सहायता योजना (एस०सी०ए०पी०) के अंतर्गत 37 विशेषज्ञों की सेवायें विदेशों में विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों के लिए प्रदान की गई हैं ।

(2) 1967–1970 में राष्ट्र संघ विकास योजना/राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत 52 भारतीय विशेषज्ञ विकासशील देशों को भेजे गये थे ।

(3) विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग (आई०टी०ई०सी०) कार्यक्रम के अंतर्गत भी भारतीय विशेषज्ञ भेजे गये हैं और संबंधित विदेशी सरकारों के विशेष अनुरोध पर इस कार्यक्रम के अलावा भी भारतीय विशेषज्ञों को भेजा जाता है ।

(ग) (1) भारत सरकार कोलम्बो योजना तथा सहयोग योजना, विशेष राष्ट्र मंडल आफ्रीकी (स्कैप) के अंतर्गत भेजे गये विशेषज्ञों तथा उनके परिवारों का सभी खर्चा जो उनके वेतन तथा भत्ते, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा भत्ता और अन्य आकस्मिक खर्चों को स्वयं वहन करती है । प्राप्तकर्ता सरकारें भारतीय विशेषज्ञों को कुछ स्थानीय सुविधायें जैसे सुसज्जित आवास, चिकित्सा संबंधी सुविधायें तथा परिवहन सुविधायें आदि प्रदान करती हैं ।

(2) राष्ट्र संघ विकास योजना/राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन के अंतर्गत भेजे गये विशेषज्ञों का वेतन, पदसीनता, अनुदान कार्य, भत्ता, शैक्षिक अनुदान, चिकित्सा सुविधायें आदि के ऊपर होने वाले व्यय को संबंधित विशेषज्ञ को अपनी योग्यता के अनुसार निर्धारित ग्रेडों में से एक में वर्गीकरण के आधार पर तथा उस देश के अनुसार जिसमें विशेषज्ञ को भेजा गया है, नियमित किया जाता है । भारत सरकार द्वारा कोई व्यय वहन नहीं किया जाता है ।

(3) भारतीय तकनीक तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत भेजे गये विशेषज्ञों के ऊपर होने वाले संपूर्ण व्यय को भारत सरकार वहन करती है जबकि इस कार्यक्रम के अलावा भेजे गये विशेषज्ञों का खर्चा संबंधित विदेशी सरकारें वहन करती हैं।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए बैंक से दीर्घ अवधि का ऋण

4069. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री कुछ परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण के बारे में 8 जून, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 356 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान गंडक, पश्चिमी कोसी अथवा तुंगभद्रा परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए संबद्ध राज्य सरकारों ने बैंक से दीर्घ अवधि का ऋण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व की उक्त परियोजनाओं को अपने अधिकार में लेने तथा परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए दीर्घ अवधि के बैंक ऋण प्राप्त करने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार को इन परियोजनाओं के लिये दीर्घ-कालीन बैंक ऋण के लिए ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) इन परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राष्ट्रीयकृत बैंक अधिकतर अल्पकालीन ऋण देते हैं और कभी-कभी केवल मध्यकालीन ऋण भी देते हैं । वे राज्य सरकारों के उधार कार्यक्रमों में भी सहायता देते हैं परन्तु वे सिंचाई परियोजनाओं पर जिन्हें बहुत दीर्घ-कालीन ऋणों की आवश्यकता होती है, सीधे धन नहीं लगाते ।

बरौनी-गरहरा क्षेत्र के रेल कर्मचारियों के विरुद्ध निलम्बन, मुकद्दमें तथा सेवा में अवरोध सम्बन्धी आदेशों का वापस लिया जाना

4070. श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेल मंत्री बरौनी-गरहरा क्षेत्र के रेल कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में 8 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1595 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेल मजदूर सभा के प्रातनिधियों तथा कुछ संसत्सदस्यों ने प्रधान मंत्री, रेल मंत्री तथा श्रम मंत्री से भेंट की है तथा पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि निलम्बन, मुकदमें और सेवा में अवरोध के सभी आदेश वापस ले लिये जायें तथा हड़ताल से पूर्व की सामान्य स्थिति स्थापित की जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में विचार किया है; और

(ग) क्या रेलवे कार्यकरण में सुधारार्थ समस्तीपुर के कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करने के लिये बातचीत आरम्भ हो गयी है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जैसा कि 8 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न सं० 1595 के उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है, कुछ कर्मचारियों को, उनके द्वारा किये गये कुछ विशिष्ट अपराधों के कारण गिरफ्तार किया गया है और उनपर मुकदमा चलाया जा रहा है । बाद में उन्हें जो निलम्बित किया गया, वह भी इन गिरफ्तारियों का ही स्वाभाविक परिणाम है । वर्तमान सेवा नियमों के अनुसार, गैर-कानूनी हड़ताल में भाग लेने वालों की सेवा में व्यवधान आ जाना भी इस तरह भाग लेने का ही स्वाभाविक परिणाम है । फिर भी भाग (क) में उल्लिखित अभ्यावेदनों पर विचार हो रहा है ।

गंडक परियोजना की नेपाल पूर्वी नहर पर करनाली परियोजना को अंतिम रूप देने तथा चैनल का निर्माण करने में देरी

4071. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री कृपान्विति के लिए शेष भारत-नेपाल सहयोग की अपेक्षा रखने वाली योजनाओं के बारे में 8 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1596 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंडक परियोजना की नेपाल पूर्वी नहर पर करनाली परियोजना विकास को अंतिम रूप देने तथा चैनल के निर्माण में देरी करने के कारण नेपाल सरकार द्वारा पश्चिमी कोसी नहर के प्रस्तावित मार्ग निर्धारण के बारे में सहमति देने में देरी की जा रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो देरी का वास्तविक कारण क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) नेपाल सरकार से ऐसा कोई संकेत प्राप्त नहीं हुआ है कि पश्चिमी कोसी नहर की स्वीकृति में देरी करनाली परियोजना या गन्डक परियोजना की नेपाल पूर्वी नहर में लघु नालियों के निर्माण को अंतिम रूप देने में देरी होने के कारण हो रही है । पश्चिमी कोसी नहर के संरेखण के लिए नेपाल सरकार की स्वीकृति मांगी गई है और उसकी अभी प्रतीक्षा है ।

मिराज–कुरदुवाड़ी–लतूर लाइन (दक्षिण मध्य रेलवे) को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने हेतु सर्वेक्षण रिपोर्ट का निर्णय

4072. श्री एम० आर० दामाणी : क्या **रेलवे** मंत्री मिराज–कुरंदुवाड़ी-लतूर लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने के बारे में 9 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1525 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त कार्य के लिए सर्वेक्षण कब आरम्भ किया गया तथा कितने समय में पूरा होगा;

(ख) यह विचार करते हुए कि समुचित संचार साधन उपलब्ध होने तक यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और पिछड़ा ही रहेगा । क्या सर्वेक्षण दल को शीघ्र ही अपना सर्वेक्षण पूरा कर लेने को कहा गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग) कुरंदूवाड़ी–पण्ढरपुर छोटी लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए यातायात सर्वेक्षण जनवरी, 1971 में शुरू किया गया था । सर्वेक्षण का काम तेजी से किया जा रहा है और आशा है, रिपोर्ट 30-9-1971 तक पेश कर दी जायेगी ।

भारतीय रेलवे के वाणिज्यिक विभाग में सुपरवाइजरी व्यवस्था के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना

4073. श्री प्रवीण सिंह सोलंकी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने श्री आर० बी० लाल की अध्यक्षता में गठित एक-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति द्वारा मद संख्या 614 के अन्तर्गत की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने दिनांक 1 मार्च, 1971 के अपने पत्र संख्या 70/टी०सी०/आर०सी०सी०/आई० एम०पी०/614 के द्वारा ओपरेटिंग डिपार्टमेंट के समान ही वाणिज्य विभाग की सुपरवाइजरी व्यवस्था के पदों का दर्जा बढ़ाने के लिये सभी भारतीय रेलों के महाप्रबन्धकों को आदेश दिया है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक रेलवे जोन में डिवीजन-वार कितने पदों का दर्जा बढ़ाया गया है; और

(घ) उपरोक्त (ग) भाग में वर्णित पदों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें कौन-कौन से ग्रेड दिये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां, इस सिफारिश को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है ।

(ख) क्षेत्रीय रेलों को कहा गया है कि ज़ाहिरा तौर पर वाणिज्य विभाग के पर्यवेक्षी ढांचे का परिचालन विभाग के ढांचे के समान करने का मामला बनता है और यह भी कहा गया है कि इस सिफारिश का कार्यान्वयन किस तरह अलग चरणों में किया जाय इसकी जांच करके इस संबंध में, यह बताते हुए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करें कि इस सिफारिश को कितने अच्छे ढंग से कार्यान्वित किया जा सकता है और इसके लिए जिन पदों का दर्जा बढ़ाया जाये, उन्हें किन ग्रेडों में रखा जाय और ऐसा करने का औचित्य क्यों है ।

(ग) और (घ) यह मामला अभी विचाराधीन है ।

Training in Khadi School, Madhubani, Darbhanga (Bihar)

4074. Shri Bhogendra Jha : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether Rs. 75,000 are being spent every year on the management of the Khadi School being run in Madhubani, Darbhanga (Bihar) by the Bihar Khadi Gramodyog Sang with the grant received from Khadi and Village Industries Commission;

(b) whether all the persons who were imparted training in the School during the last three training sessions have been declared surplus and not provided with employment whereas permanent employees of the said Sangh are being imarted training again on the expense of the Commission; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) Information has been called for and will be laid on the Table of the House.

पश्चिम रेलवे द्वारा प्रकाशनों का हिन्दी में जारी किया जाना

4075. श्री बशेश्वरनाथ भार्गव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे प्रशासन द्वारा राज भाषा अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में राजपत्र में अधिसूचनाओं को हिन्दी तथा अंग्रेजी में और यातायात-अनुपूरकांक को हिन्दी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में प्रकाशित न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) इस संबंध में जारी किये गये निर्देशों की क्रियान्विति के लिये रेलवे बोर्ड का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) फिलहाल पश्चिम रेलवे के गजट में सभी महत्व-पूर्ण अधिसूचनाएं हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित होती हैं । फिर भी पश्चिम रेलवे से कहा जा रहा है कि वे अपना गजट और 'यातायात पूरक' अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी प्रकाशित करें ।

बम्बई स्थित पश्चिम रेलवे के मुख्य कार्यालय में हिन्दी का प्रयोग

4076. श्री बशेश्वरनाथ भार्गव : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के बम्बई स्थित मुख्य कार्यालय ने गत एक वर्ष के दौरान (i) हिन्दी में पत्र-व्यवहार करने वाली राज्य सरकारों, (ii) रेलवे बोर्ड तथा (iii) अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों को हिन्दी में कितने पत्र भेजे; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा राज भाषा अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिये क्या व्यवस्था करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) (i) 87।

(ii) कोई नहीं।

(iii) 5।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । पश्चिम रेलवे मुख्यालय अहिन्दी भाषी क्षेत्र में स्थित है और इसी बात को ध्यान में रखकर वहां राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

एगमोर-त्रिवेन्द्रम डाकगाड़ी (दक्षिण रेलवे) को डीजल चालित गाड़ी में बदलना

4077. श्री ए० एम० चेलाचामी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एगमोर-त्रिवेन्द्रम डाक गाड़ी (दक्षिण रेलवे) को डीजल चालित गाड़ी में बदलने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) 105 डाउन/106 अप मद्रास एगुम्बर-तिरुवनन्तपुरम डाक गाड़ियों को डीज़ल इंजन से चलाने का न तो औचित्य है न ऐसा करना व्यावहारिक है, क्योंकि सवारी गाड़ियां चलाने के लिए फिलहाल मीटर लाइन के फालतू डीजल इंजन उपलब्ध नहीं हैं ।

केरल में मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

4078. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के उद्देश्य से कितनी लाइनों का सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) इस राज्य में वित्त वर्ष 1970-71 के दौरान कितनी मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदल देने का विचार है, और

(ग) इस संबंध में क्या प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग) एर्णाकुलम–कोल्लम–तिरुवनन्तपुरम मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण हाल ही में किये गये थे । इस समय सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच की जा रही है । यह जांच शीघ्र ही पूरी हो जायेगी और यदि औचित्य पाया गया तो इसी चालू वित्तीय वर्ष में इसकी मंजूरी दे दी जायेगी और यह काम शुरू कर दिया जायेगा ।

केरल में औद्योगिक क्षेत्रों में शेडों के लिए राज सहायता प्राप्त किराया वसूल करने से हुई हानि पूर्ति के लिए राज सहायता की मांग

4079. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में शेडों के लिए राज सहायता प्राप्त किराया वसूल करने से हुई हानि की पूर्त्ति करने के लिये केन्द्र सरकार से राज सहायता के लिये अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) इस संबंध में केरल सरकार से एक निवेदन हाल ही में प्राप्त हुआ है और वह विचाराधीन है ।

केरल में लघु उद्योगों की स्थापना

4080. **श्रीमति भार्गवी तनकप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, कुल कितने लघु उद्योग स्थापित किये गये;

(ख) वर्ष 1971-72 के दौरान कितने लघु उद्योग आरम्भ करने का विचार है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकार ने कोई अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

टिकटों तथा आधा टिकटों का मुद्रण

4081. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेल मंत्री 11 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2382 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लिपिक संघ द्वारा टिकटों तथा आधा टिकटों के मुद्रण के संबंध में दिये गये सुझावों को अपनाने योग्य न पाये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : छापे हुए कार्ड टिकटों पर प्रारम्भिक और गन्तव्य स्टेशनों के नाम तथा अन्य विवरण तीनों भाषाओं, अर्थात् क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी और अंग्रेजी में छापने की प्रणाली प्रारम्भ किये जाने के कारण टिकटों के दोनों किनारों पर क्रम संख्या छापने और बच्चे के लिए टिकट को तिरछा काटकर आधे भाड़े पर पूरा टिकट जारी करने से संबंधित सुझाव स्वीकार नहीं किये जा सकते । इसके लिए अधिक स्थान अपेक्षित है और इससे टिकट में एक छोटे तिकोने भाग की छपाई नहीं की जा सकती जिसे किसी बच्चे के लिए जारी करते समय काटा जा सके अथवा यदि टिकट को तिरछा काटना हो तो उसके दोनों भागों पर आवश्यक विवरण नहीं दिखाया जा सकता ।

गुड्ज शैड कार्नाक ब्रिज (पश्चिम रेलवे) के गुड्ज क्लर्कों के लिए आवास-स्थान

4082. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में कार्नाक ब्रिज डिपो के गुडज शैड में विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत कुल कितने गुड्स क्लर्क हैं;

(ख) उपरोक्त (क) भाग में वर्णित गुड्स क्लर्कों में से कितनों को रेलवे द्वारा आवास-स्थान प्रदान किये जा चुके हैं;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि ये कर्मचारी अपने कार्य के स्थान से 15 से 60 किलो-मीटर दूर तक के स्थानों पर रह रहे हैं; और

(घ) आवास-स्थान के मामले में कर्मचारियों की कठिनाइयों को कम से कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रबन्ध किये गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) 530

(ख) 6

(ग) जी हां।

(घ) क्वार्टरों के आवंटन में 'अनिवार्य' कोटि के कर्मचारियों को तरजीह दी जाती है क्योंकि उन्हें अल्प सूचना पर किसी भी समय काम पर बुलाया जा सकता है । अतिरिक्त क्वार्टरों का निर्माण धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है । अतः कार्नाक ब्रिज डिपो के माल बाबुओं को जिन्हें "गैर-अनिवार्य" कोटि में वर्गीकृत किया गया है, अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी क्योंकि उन्हें आवास प्रदान करना अब तक संभव नहीं हुआ है ।

भूतपूर्व–लड़ाकूयुद्ध सेवा अभ्यर्थियों के वेतन निर्धारित करना

4083. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में अस्थायी रिक्त स्थान पर पुनः नियुक्त केवल एक वर्ष की युद्ध सेवा वाले असैनिक गैर-लड़ाकू युद्ध सेवा के अभ्यर्थी का मूल वेतन तो 55-130 रुपये (सी०पी०सी) के वेतन मान में 58 रुपये निर्धारित किया गया जब कि 6 वर्ष से अधिक अवधि की युद्ध सेवा वाले (अन्तिम प्राप्त वेतन 80 से अधिक) भूतपूर्व लड़ाकू युद्ध सेवा अभ्यर्थी (लिपिक संवर्ग) का मूल वेतन केवल 55 रुपये ही निर्धारित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(ग) उपरोक्त भूतपूर्व लड़ाकू युद्ध सेवा अभ्यर्थी का निर्धारित मूल वेतन कितना है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग) रेलें अन्य मंत्रालयों की तरह उन्हीं आदेशों का पालन कर रही हैं। समाहित होने से पहले गैर-सैनिक क्लर्कों का वेतनमान समाहित होने के बाद के वेतनमान के समतुल्य था और इसलिए, सामान्य नियमों के अन्तर्गत वेतन निर्धारित करने के लिए पहले की हुई सेवा का उन्हें लाभ दिया गया है। सैनिक क्लर्क विभिन्न वेतनमानों में थे इसलिए वे इस लाभ के हकदार नहीं थे। लेकिन, एक विशेष मामले के रूप में 1-1-1956 से अग्रिम वार्षिक वेतन वृद्धि मंजूर कर उन्हें भी इसी प्रकार का लाभ दिया गया है।

संकटकाल 1962 के दौरान भारतीय वायु सेना में प्रतिनियुक्ति पर गये रेलवे कर्मचारियों को नगर प्रतिकर भत्ते का अदा न किया जाना

4084. **श्री फूलाचन्द वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संकटकाल (1962) के दौरान भारतीय वायु सेना में सहायक वायु सैनिकों के रूप में कार्य करने के लिये बुलाये गये रेल कर्मचारियों को सिविल दरों पर नगर प्रतिकर भत्ते की अदायगी नहीं की गई है जिससे कि रेलवे बोर्ड के अनुदेश संख्या ई० (एन०जी०) 57 एम०एल०-313, दिनांक 21 नवम्बर, 1957, तथा "नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट" के अधीन कर्मचारियों को भर्ती के समय दिये गये वायदे का उल्लंघन हुआ है।

(ख) क्या इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे में खराब माल डिब्बे

4085. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च-अप्रैल, अप्रैल-मई और मई-जून, 1971 में कितने डिब्बों को खराब घोषित किया गया;

(ख) गत वर्ष इसी अवधि में माल डिब्बों के खराब होने की प्रतिशतता घटी है अथवा बढ़ी है; और

(ग) इस के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

लुधियाना के निकट डण्डी-कलां पर क्षतिग्रस्त माल डिब्बे

4086. **श्री कमल नाथ तिवारी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कई वर्षों से लुधियाना जंकशन के निकट डण्डी-कलां पर बहुत से क्षतिग्रस्त माल डिब्बे खड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन माल डिब्बों को उपयुक्त स्थान पर न पहुंचाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिजली की कमी

4087. **श्री दण्डपाणि :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के अन्त में वस्तुतः 40 लाख किलोवाट बिजली की कमी होने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार ने आगामी 30 वर्षों के लिए बिजली संबंधी दीर्घकालीन नीति तैयार की है; और

(ग) बिजली की उपलब्धि और उसकी आवश्यकता के अन्तर को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) चतुर्थ योजना के अंत तक अनुमानित 180 लाख किलोवाट के कुल विद्युत-भार-मांग के मुकाबले में, जिसके लिए देश में 260 लाख किलोवाट की प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता की आवश्यकता होगी, लक्ष्यीकृत-क्षमता केवल 230 लाख किलोवाट है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन क्षमता में 30 लाख किलोवाट की कमी रह जायेगी। चतुर्थ योजना के दौरान चालू होने के लिये स्वीकृत विद्युत् केंद्रों के निर्माण की अनुसूचियों के पुनरीक्षण से पता चलना है कि चतुर्थ योजना के 230 लाख किलोवाट के लक्ष्य की उपलब्धि में 1973-74 के अंत तक, कुछ परियोजनाओं के मामले में उपस्कर की सप्लाई की तिथियों में देरी और अन्य परियोजनाओं में सिविल कार्यों की प्रगति में देरी के कारण 18 लाख किलोवाट की कमी रह जायेगी। इस प्रकार, 180 लाख किलोवाट तक विद्युत् भार-मांग को पूरा करने के लिए चतुर्थ योजना के अंत तक विद्युत् उत्पादन क्षमता में कुल कमी 48 लाख किलोवाट रह जायेगी ।

(ख) सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय ने 1970-71 से 1980-81 तक के दशक के लिए एक विद्युत् (उत्पादन) योजना तैयार की है जिसके अंतर्गत देश में 1980-81 तक 520 लाख किलोवाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता की कल्पना की गई है। इस योजना में विभिन्न विद्युत् परियोजनाओं को स्थापित करने के स्थलों को निर्धारित किया गया है। अगले 15-20 वर्षों तक का चित्र प्रस्तुत करने के लिए इस योजना को आगे और परियोजनाबद्ध करने का मामला विचाराधीन है ।

(ग) बढ़ते हुए अंतर को पाटने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई हैं :—

(1) उत्पादन संयंत्र और उपस्कर की प्राप्ति में तेजी लाना;

(2) जहां भी संभव हो, कार्यों की प्रगति में तेजी लाना;

(3) उत्पादन संयंत्र और उपस्कर के निर्माण की प्रगति का समय-समय पर पुनरीक्षण और सिविल कार्यों की प्रगति के साथ उनका समन्वय करना;

(4) उपलब्ध उत्पादन क्षमता के अभीष्टतम समुपयोजन को सुनिश्चित करने के लिए बेशी वाले क्षेत्रों में से पड़ोस के कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत् देने हेतु स्वीकृत अंतर्राज्यीय और अंतः क्षेत्रीय पारेषण पथों के लिंकों के निर्माण में तेजी लाना;

(5) विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत् प्रणालियों के समेकित प्रचालन हेतु और अधिक अंतर्राज्यीय पारेषण हेतु लिंकों का निर्माण करना;

(6) उन परियोजनाओं पर अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ करना जो पांचवीं योजना के आरंभिक वर्षों में भार-मांगों को पूरा करने के लिये आवश्यक हैं; और

(7) जैसा कि पहले बताया जा चुका है; एक दशक योजना तैयार की गई है जिसमें विभिन्न विद्युत् परियोजनाओं के लिए स्थल निर्धारित किये गए हैं। स्कीम को कार्यान्वित कराने के लिये, ताकि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लाभ प्राप्त हो सकें, आगे कार्यवाही की जा रही है।

उत्पादन शुल्क के कारण पेचों, कावलों और स्क्रुओं का उत्पादन कर रहे छोटे कारखानों का बन्द होना

4088. **श्री दण्डपाणि** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लगाये गये 10 प्रतिशत उत्पादन शुल्क के कारण 4000 छोटे कारखानों से पेचों (नट्स) काबलों, वोल्ट्स और स्क्रुओं के बनने का काम बन्द हो गया है;

(ख) कारखानों और उनके गोदामों से माल भेजने पर लगाई गई रोक के कारण कितने छोटे कारखाने बन्द कर दिये गये हैं;

(ग) क्या इन कारखानों को पेचों, काबलों और स्क्रुओं की स्पष्ट परिभाषा के कारण निराशाजनक अनुभव करना पड़ता है ; और

(घ) इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

ट्रांसमिशन व्यवस्था के लिए विदेशी ऋण

4089. **श्री दण्डपाणि** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करग कि :

(क) गत तीन वर्षों में विभिन्न देशों ने ट्रान्समिशन व्यवस्था के लिए कितना ऋण दिया और उसका क्या उपयोग किया गया; और

(ख) आगामी कुछ वर्षों में विद्युत् उद्योग में आने वाली बिजली की कमी को टालने के लिए अंतकालीन व्यवस्था के रूप में आयात किए गए विद्युत्-उत्पादन संयंत्रों का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) देश में विद्युत पारेषण कार्यक्रमों के लिए उपकरणों की विदेशी मुद्रा से संबंधित जरूरतें पूरी करने के लिए विश्व बैंक ने 1965 में 700 लाख डालर के ऋण की व्यवस्था की थी । ऋण की अन्तिम तारीख 31 दिसम्बर, 1970 थी । इस ऋण में से 500 लाख डालर की रकम का उपयोग किया गया था । परियोजनाओं के कार्य-क्षेत्र में संशोधन किए जाने और देश में बने उपकरण के अधिक मात्रा में उपलब्ध होने के परिणाम-स्वरूप शेष रकम का उपयोग नहीं किया गया ।

(ख) विद्युत की कमी की स्थितियों को कम करने के लिए विद्युत जनन के डीजल सेटों की स्थापना करके अन्तरकालीन व्यवस्था की जा चुकी है । देश में बने विद्युत-जनन के उपलब्ध सेटों के अनुपूरक के रूप में पंजाब के लिए ऐसे डीजल-सेटों का आयात किया गया है। आयात किए गए ऐसे सेटों की संख्या 27 थी जिससे कुल क्षमता लगभग 36 मैगावाट की हो गई ।

काली नदी पन-बिजली परियोजना, मैसूर

4090. **श्री इराज्यमुद सेंकरा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काली नदी पन-बिजली परियोजना मैसूर के लिए सरकार ने कोई राशि प्रदान की है ;

(ख) गोआ को कितने प्रतिशत विद्युत की आवश्यकता है और इस परियोजना से गोआ को कितनी विद्युत दिए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या केंद्रीय सरकार का विचार मैसूर सरकार से यह सिफारिश करने का है कि इस परि-योजना में गोआ सरकार का समान भाग होना चाहिए ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) मैसूर राज्य के चतुर्थ योजना परिव्यय में नई उत्पादन स्कीमों के लिए 6 करोड़ रुपये का एक प्रावधान है । चतुर्थ योजना के दौरान कालीनदी परियोजना के लिए इस धनराशि में से धन की व्यवस्था की जाएगी ।

(ख) इस समय गोआ की चार मांग 21 मैगावाट है जिसमें से 19 मैगावाट विद्युत की सप्लाई मैसूर ग्रिड से पूरी की जाती है । 1973-74 तक गोआ की भार-मांग 80 मैगावाट तक बढ़ जाने की संभावना है । शरावती पर 9 वीं और 10वीं उत्पादन यूनिटों के पूरा होने पर 50 मैगावाट विद्युत मैसूर से उपलब्ध हो जाएगी ।

जहां तक कालीनदी परियोजना से सप्लाई का संबंध है, मैसूर सरकार ने अभी हाल म सूचित किया है कि कालीनदी जलविद्युत परियोजना के प्रथम चरण के पूर्ण होने पर ही 1973-74 के पश्चात् गोआ को अतिरिक्त विद्युत देने के बारे में पुनरीक्षण किया जाएगा । इस समय कालीनदी से गोआ के लिए उनके द्वारा किसी विद्युत के आबंटन के बारे में पक्के तौर पर नहीं बताया गया है ।

(ग) यदि गोआ सरकार ने केन्द्रीय सरकार से ऐसा अनुरोध किया तो उस पर विचार किया जाएगा ।

नई दिल्ली में नई रोहतक रोड रेलवे लाइन पर ऊपरि पुल

4091. **श्री दलीप सिंह चौधरी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सराय रहिल्ला, नई दिल्ली के निकट नई रोहतक रोड की रेलवे लाइन पर एक ऊपरि पुल के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस संबंध में यदि कोई देरी हुई है तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऊपरि पुल के पूरे होने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) रेलवे के हिस्से के काम का ठेका मार्च, 1971 में दिया गया था और अब काम शुरू कर दिया गया है ।

(ख) इस सड़क ऊपरी पुल के लिए निर्धारित स्थान पर कई झुग्गियां थीं उन्हें हाल में सिविल प्राधिकारियों की सहायता से हटा दिया गया है ।

(ग) आशा है पुल के ढांचे पर रेलवे के हिस्से का काम जून, 1972 तक पूरा हो जायेगा । पुल के लिए पहुंच मार्ग बनाने का काम दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जाना है ।

हरकेशनगर, मथुरा रोड, दिल्ली के निकट ऊपरि/निचला पुल

4092. **श्री दलीप सिंह चौधरी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने कीं कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा रोड दिल्ली पर स्थित ओखला सीवरेज टैंक के सामने बसे हुए हरकेशनगर नामक गांव के निकट की रेल की पटड़ी पर बहुत सी दुर्घटनायें हुई हैं;

(ख) क्या उस गांव के निवासियों के लिये जिन्हें अपने काम पर जाने के लिये रेलवे लाइन को बार-बार पार करना पड़ता है एक छोटे ऊपरि/निचला पुल बनाने के बारे में रेलवे अधिकारियों को अभ्यावेदन दिया गया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हरकेश नगर गांव के निकट रेल-पथ पर कोई दुर्घटना नहीं हुई हैं ।

(ख) और ओखला टैंक के सामने एक समपार की व्यवस्था करने के संबंध में ।

(ग) गांव-निवासियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे । यह एक नयी सुविधा होने के कारण पार्टी को कहा गया था कि वे इस प्रस्ताव को राज्य सरकार से प्रयोजित करवायें और उनसे यह आश्वासन दिलवायें कि इस काम की प्रारम्भिक तथा आवर्ती, पूरी लागत को राज्य सरकार वहन करेगी । राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

खान-पान आदि के लाइसेंसों को सबलेट करना

4093. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे पर खान-पान आदि के अधिकांश लाइसेंसों का लाइसेंसधारी 'सबलैट' कर देते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कदाचारों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या भविष्य में सरकार का विचार लाइसेंस देने की वर्त्तमान नीति के स्थान पर स्टालों को नीलाम करने की प्रणाली अपनाने का है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यह मामला विचाराधीन है ।

अजमेर स्टेशन पर खान-पान ठेकेदारों के लिए लाँइसेंस

4094. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों पर रिफेशमन्ट एस टी स्टाल के खान-पान के ठेके देने के सामान्य नियम क्या हैं;

(ख) 31 मार्च, 1968 को पश्चिम रेलवे के अजमेर स्टेशन पर लाइसेंस प्राप्त टी स्टाल्ज, रिफ्रेशमेन्ट एस, टी टेबल्स और वेन्डरों की कुल संख्या कितनी थी और इस समय कितनी है;

(ग) ऐसे वेन्डरों/ठेकेदारों के नाम क्या हैं जिनके पास उन्हें दिये गये लाइसेंसों से इस समय एक से अधिक लाइसेंस हैं, और

(घ) एक व्यक्ति को एक से अधिक लाइसेंस देने और स्टेशन पर एकाधिकार करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जब कोई ठेका खाली होता है, तो उसे रेल कर्मचारियों द्वारा संचालित सहकारी समितियों या वेण्डरों की सहकारी समितियों या स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों को जिसे भी सबसे उपयुक्त पाया जाये, आबंटित करने की व्यावहारिकता की जांच विशेष रूप से यात्रा करने वाली जनता को प्रदान की जाने वाली अच्छी और सन्तोषजनक सेवा को ध्यान में रखकर की जाती है और तदनुसार ठेका आवंटित किया जाता है । जहां इस प्रकार का कोई संगठन नहीं होता, वहां ठेकों के खाली होने का विज्ञापन दिया जाता है और उसे उपयुक्त ठेकेदार को आवंटित किया जाता है, जब किसी वर्तमान ठेके को, उसके चलाने वाले के अलावा किसी दूसरे ठेकेदार को आवंटित करना जरूरी समझा जाता है, तो इसी कार्यविधि का पालन किया जाता है ।

(ख) अजमेर स्टेशन पर जिन चाय की दुकानों, जलपान गृहों, चाय मेजों, खोमचे की ट्रालियों के लाइसेंस दिये गये हैं, उनकी कुल संख्या इस प्रकार है :–

	31-3-68 को	30-6-71 को
रेस्तरां . . .	1	1
चाय की दुकान और जलपान की दुकान	4	7
मिल्क बार . .	1	1
खोंमचे की ट्रालियां . . .	30	30

(ग)

क्रम सं०	ठेकेदार का नाम	चलाये जाने वाले ठेकों का ब्यौरा	चलाये जा रहे यूनिटों की सं०
1.	मेसर्स तेजमल एण्ड संस	तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय में जल-पान की 2 दुकानें ।	1
2.	श्री आर० कास्टिलिनों	1 रेस्तरां प्लेटफार्म नं० 2 पर जलपान की 1 दुकान।	1½
3.	मेसर्स सोभाग चंद एंड संस	प्लेटफार्म नं० 2 पर जलपान की 2 दुकानें सुराही और मूंगफली की 1 ट्राली।	1
4.	श्री ब्रिज मोहन	प्लेटफार्म नं० 2 पर एक मिल्क बार प्लेटफार्म नं० 2 /3 पर जलपान की एक दुकान चाय और दूध की 1 ट्राली।	1

(घ) खानपान/खोमचा लाइसेंसों के आवंटन के मामले में एकाधिकार नहीं है । 1967 की रेलवे खानपान और यात्री सुविधा समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि एक ठेकेदार को छ: यूनिटों की अधिकतम सीमा तक खानपान/खोमचे का ठेका दिया जाये ताकि उसकी यूनिट अर्थक्षम रहे । अतः प्रत्येक ठेकेदार को इसी अधिकतम सीमा तक ठेकों के आवंटन के संबंध में विचार किया जाता है बशर्ते उसका कार्य सन्तोषजनक हो ।

पश्चिम रेलवे पर ताजा फलों और सब्जियों के खेपों को गन्तव्य स्थान से आगे ले जाना

4095. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 1971 से मई, 1971 तक प्रत्येक महीने में अलग-अलग पश्चिम रेलवे के पालन-पुर, आबू रोड, ब्यावर और अजमेर स्टेशनों पर ताजा फलों और सब्जियों के कुल कितने खेपे क्षति-ग्रस्त अवस्था में पहुंचे ;

(ख) उपरोक्त (क) भाग में उल्लेख किये गये खेपों की क्षति के कारण रेलवे को कितनी हानि हुई;

(ग) उपरोक्त (क) भाग में उल्लेख किये गये खेपों में से कितने खेपे गन्तव्य स्टेशन से आगे ले जाये जाने के कारण क्षतिग्रस्त हुए; और

(घ) गन्तव्य स्थान से खेपों को आगे ले जाने के क्या कारण हैं और इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जनवरी, 1971 से मई, 1971 तक की अवधि में पालनपुर, आबू रोड, ब्यावर और अजमेर स्टेशनों पर कुल जितने नष्य परेषण खराब हालत में पहुंचे उनकी संख्या इस प्रकार है:—

स्टेशन	जनवरी, 71	फरवरी, 71	मार्च, 71	अप्रैल, 71	मई, 71	जोड़
पालनपुर	—	—	—	—	—	—
आबू रोड	—	—	—	1	1	2
ब्यावर	—	—	1	2	—	3
अजमेर	3	4	5	30	5	47

(ख) ब्यावर और अजमेर में खराब हालत में मिले 50 परेक्षणों से हुई हानि का अनुमान 1,140.60 रुपये लगाया गया है । लेकिन आबू रोड़ स्टेशन पर प्राप्त हुए 2 परेक्षणों के संबंध में कितनी हानि हुई उसका अनुमान नहीं लगाया जा सका ।

(ग) अजमेर के लिए बुक किये गये नष्य पदार्थों के 26 परेषण गंतव्य स्टेशन से आगे ले जाये गये थे।

(घ) अनियमित लदान करने या अन्य गन्तव्य स्टेशनों के लिए बन्द किये गये डिब्बों में गलत लदान करने के कारण पार्सल गंतव्य स्टेशनों से आगे ले जाये गये थे । ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए बुक करने वाले और मध्यवर्ती स्टेशनों पर कर्मचारियों को फिर से हिदायत दी गयी है कि मार्के ठीक प्रकार से लगाये जायें और नामित पार्सल या ब्रेकयानों में नष्य परेषणों को उपयुक्त ढंग से रखा और लादा जाये ।

रेल विभाग में क्लर्कों की निम्न वेतनमान में पदावनति

4096. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग के कुछ क्लर्कों की, जिन्हें 27 अप्रैल, 1959 से पूर्व 130-300 रुपये के वेतनमान में पदोन्नत किया गया था, दिनांक 27 अप्रैल, 1959 और 17 फरवरी, 1960 के पत्र संख्या ई० (सी० एस० टी०) 57 सी० एम० आई० 20 में निहित रेलवे बोर्ड के अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए निम्न वेतनमान में पदावनति कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इन पदावन्नतियों के विरोध में सम्बद्ध कर्मचारियों ने अभ्यावेदन दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं, उल्लिखित अनुदेश "प्रवरण पदों" में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए पदों के आरक्षण के संबंध में हैं । 130-300 रुपये के ग्रेड के क्लर्कों के पद "अप्रवरण पद" हैं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

Theft of silver bars from a coach of 18 UP Express between Bina and Bhopal

*4097. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether silver bars worth about two lakhs of rupees were removed by anti-social elements from a reserved coach of 18 UP Express Train between Bina and Bhopal in March, 1971;

(b) if so, the action taken by Government in this regard; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to check recurrence of such cases in future?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) Three silver bars valued at rupees fifty thousands were stolen.

(b) Government Railway Police registered the case which is being investigated by Criminal Investigation Department, Bhopal.

(c) The following steps are taken to prevent such thefts :

(*i*) Valuable items are insured.

(*ii*) A separate guard is detailed for safe custody of insured articles.

(*iii*) Government Railway Police/Railway Protection Force escorts are provided in vulnerable section.

(*iv*) Patrolling by Railway Protection Force has been intensified.

उद्योग आरम्भ करने के लिए शिक्षित युवकों को वित्तीय सहायता

4098. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**

श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित युवकों को अपने स्वयं के उद्योग स्थापित करने के लिये कितनी वित्तीय व्यवस्था की गई ह ,

(ख) इस संबंध में क्या कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ग) सरकार लक्ष्य को कहाँ तक प्राप्त कर सकी है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) :— इंजीनियर उद्यमियों को प्रशिक्षण देने तथा उन्हें सहायता देने की एक योजना तैयार की गई है और इसे सम्पूर्ण देश की इस हेतु चुनी हुई संस्थाओं में कार्यान्वित किया जा रहा है । इस योजना की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं । इस प्रयोजन के लिए चौथी योजना में 3 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है तथा योजना की शेष अवधि में 6 हजार व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जनवरी, 1971 से शुरू हुआ और 842 व्यक्ति जून, 1971 के अंत तक प्रशिक्षण लेते रहे ।

पूर्वी रेलवे के मुख्यालय को दानापुर स्थान्तरित करना

4099. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे के क्षेत्रीय मुख्यालय को कलकत्ता से दानापुर स्थानान्तरित न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) कलकत्ता को पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय बनाए रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का दानापुर को पूर्वी रेलवे का मुख्यालय बनाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) वाणिज्यिक दृष्टि से कलकत्ता के महत्व को और रेलों की प्रशासनिक एवं परिचालनिक आवश्यकताओं के साथ-साथ खर्च में मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए, पूर्व रेलवे के मुख्यालय को कलकत्ता से हटाकर दानापुर ले जाना वांछनीय नहीं है । ऐसा करने से काम अस्त-व्यस्त हो जाएगा और भारी संख्या में कर्मचारियों को अनावश्यक रुप से असुविधा होगी ।

(ख) प्रमुख बन्दरगाह और औद्योगिक गति-विधि का महत्वपूर्ण केन्द्र होने के कारण, कलकत्ता भूतपूर्व ईस्ट इंडियन और बंगाल-नागपुर रेलों का मुख्यालय रह चुका है । प्रशासनिक और परिचालनिक सुविधाओं के कारण कलकता पुर्नगठित पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व रेलों का मुख्यालय बना आ रहा है ।

(ग) जी नहीं।

Incidents of Looting in Passenger and Goods Trains at Jhansi Railway Station

***4100. Dr. Govind Das Richhariya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of incidents of looting that took place in the Passenger and Goods trains at Jhansi Railway Station on the Central Railway from January, 1969 to May, 1971;

(b) the loss to Railway and private property suffered as a result thereof;

(c) the number of railway employees who were injured in the said incidents; and

(d) the steps taken or proposed to be taken by Government for the safety of the passengers and the employees?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) No incident took place at Jhansi Railway Station.

(b) and (c) : Do not arise.

(d) (*i*) Apart from tightening up normal security arrangements by the Government Railway Police, such as keeping watch at important stations and periodical raids to round up criminals and anti-social elements, Government Railway Police escorts are provided on important night passenger trains. Goods trains are escorted by Railway Protection Force staff during night.

(*ii*) Close liaison is maintained by the Railway Protection Force with the Government Railway Police so that crime is effectively checked and surveillance is kept over bad characters.

(*iii*) Co-ordination meetings at all levels are also held by the Railway Protection Force officials with the Government Railway Police and State Police Officials with a view to improving prevention and detection of crime on Railways.

(*iv*) Instructions have also been issued to the Railway Protection Force staff, on duty in yards or station platforms for guarding Railway property, to rush to the scene of crime and render all possible help to the victims.

बोकारो तापीय विद्युत संयंत्र की राख से वातावरण का दूषित होना

4101. **श्री चपल भट्टाचार्य:** क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कई वर्षों से विरोध किये जाने पर भी यांत्रिक खराबी के कारण बोकारो तापीय विद्युत संयंत्र की राख से मीलों तक आसपास का वातावरण दूषित हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस दूषित वातावरण को रोकने के लिए उनका डी०वी०सी० अधिकारियों को क्या निदेश देने का विचार है ;

(ग) क्या डी०वी०सी० ने साहु जैन कंपनी के साथ चन्द्रपुरा तापीय संयंत्र की राख को सीमेंट में बदलने के लिए करार किया है; और यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं; और

(घ) साहू जैन द्वारा जायला सीमेंट कारखाने में और अन्य स्थानों पर किए जा रहे श्रम और व्यापार संबंधी अनुचित कार्यों को ध्यान में रखते हुए तथा जांच होने तक सरकार का यह सुनिश्चत करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है कि तापीय संयंत्र की राख से अनजान जनता पर बुरा प्रभाव न पड़े ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ) : बोकारो ताप विद्युत केन्द्र के बायलरों में कोयला जलता है जिसमें राख की मात्रा मध्यम दर्जे की होती है। चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र में कोयला जलने से अधिक मात्रा में राख बनती है। बोकारो ताप विद्युत केन्द्र को जो यांत्रिक धूलि एकत्रक (मकेनोकल डस्ट कलक्टर) प्रदान किया गया था उसे चिमनियों से निकलने वालीं गैसों की निकासी के वास्ते उचित समझा गया था जबकि यह केन्द्र प्रतिष्ठापित किया गया था। बोकारो ताप विद्युत केन्द्र की चिमनियों से गैस के साथ कुछ फ्लाई ऐश भी निकलती है और वर्ष की कुछ अवधियों के दौरान आस-पास के लोगों द्वारा शायद इसको महसूस किया गया हो। यह संयंत्र की किसी यांत्रिक खराबी के कारण नहीं है । चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र में इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स लगाए गए हैं और जिन में लगभग 20,000 मीटरी टन फ्लाई ऐश प्रतिदिन पैदा होती है जिसका निपटान करना एक समस्या है । इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर्स द्वारा एकत्र की गई फ्लाई ऐश के निपटान के वास्ते एक कारगर तरीका यह है कि इनको पोजालानिक मेरे सीमेंट में बदल दिया जाए । दामोदर घाटी निगम ने सोन वैलो पोर्टलैण्ड सीमेंट कम्पनी के साथ पोजालानिक सीट बनाने के लिए 20 वर्ष के लिए फ्लाई ऐश को बेचने के वास्ते एक समझौता किया है जिसकी दरें प्रथम वर्ष में 2 रुपये प्रति मीटरी टन 20 वें वर्ष में 5 रुपये प्रति मीटरी टन तक होंगी । इस कम्पनी को दामोदर घाटी निगम द्वारा फ्लाई ऐश बेचने का मामला फर्म को श्रम एवं व्यापार पद्धतियों से सम्बद्ध नहीं है और इसका मुख्य उद्देश्य फ्लाई ऐश का कारगर तरीको से निपटान करना है।

Foreign Assistance for Chambal River

4102. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 99 on the 31st March, 1971 and state :

(a) the amount of foreign assistance received for the Chambal River Project;

(b) the amount spent by the Central and State Governments separately; and

(c) the acreage of land which Government had originally proposed to bring under irrigation with the help of the aforesaid project before constructing the canal there and the acreage of land being irrigated at present and the time by which the remaining target is likely to be achieved?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B.N. Kureel) : (a) : Foreign assistance under Technical Co-operation Programme was received for Chambal Project in the form of material and equipment amounting to about 1.49 crores.

(b) : The outlay on the project to the end of March, 1971 was about Rs. 126 crores. Till 1968-69, earmarked loan assistance of Rs. 113 crores was released by the Government of India for the Chambal Project as a part of Central Plan Assistance for the Developmental Plans of Madhya Pradesh and Rajasthan. Beginning from the Fourth Plan, all the Central assistance to the Developmental plans of the State Governments is being released in the form of block loans and grants not relatable specifically to any scheme or head of development.

(c) An irrigation potential of 14 lakh acres is proposed to be created by the Chambal Project. Till 1970-71, an irrigation potential of 10.80 lakh acres was created. The remaining potential is likely to be achieved on the completion of the Project.

Villages of Chamoli sinking due to heavy rains

4103. Shri Phool Chnd Verma :

Shri Narsingh Narain Pande :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether 15 villages of Chamoli District are sinking due to heavy rains;

(b) whether some persons have lost their lives as a result of sinking of these villages; and

(c) if so, the immediate effective steps taken by Government to save the people of these villages?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B.N. Kureel) : (a) to (c) : The Government of Uttar Pradesh have reported that no village is sinking due to heavy rains. However, 23 villages have been seriously affected by landslides and erosion. 7 people lost their lives due to landslides and collapse of houses. Temporary protection measures have been taken up for Nandprayag and Mason villages and suitable measures for remaining twenty one villages are being prepared. Inhabitants of damaged houses have been shifted to safer places.

अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलान

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

रूस तथा फाँस द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के समाचार

प्रो० मधू दण्डवते (राजापुर) : मैं विदेश मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोकमहत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं तथा उन से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें।

"रूस तथा फ्रांस द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई तथा उस पर सरकार की प्रतिक्रिया।"

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : सरकार ने इस आशय के समाचार अखबारों में देखे हैं। सरकार सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ और फ्रांस की सरकारों से नई दिल्ली में और उनकी राजधानियों मे सम्पर्क बनाए हुए है ।

सोवियत राजदूत ने हमें बताया है कि अखबारों में जो ये खबरें छपी हैं कि सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की सरकार ने बंगला देश में सैनिक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान को हथियार दिए—गलत है।

फ्रांस सरकार ने हमें सूचित किया है कि बंगला देश में सैनिक कार्रवाई होने के बाद उन्होंने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने की कोई नयी संविदा नहीं की है । उन्होंने जून के आखिर में हमें यह भी सूचित किया कि पुरानी संविदाओं के आधार पर भी वे हथियार नहीं भेजेंगे । जो भी हो, हमने पाकिस्तान को हथियारों की कथित सप्लाई के विषय में फ्रांसीसी राजदूतावास के समक्ष गंभीर चिन्ता प्रकट की है। हमने पेरिस में अपने राजदूत से और नई दिल्ली में फ्रांस के राजदूत से कहा है कि वे इस मामले को फ्रांस सरकार के साथ उठाएं।

आजकल जिस तरह पश्चिमी यूरोप में प्राइवेट पार्टियों के माध्यम से चोरी-छिपे हथियार बेचे जा रहे हैं इसको ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि इन साधनों से पाकिस्तान द्वारा हथियार लिए जाने की कोई संभावना नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : हम माननीय मंत्री से कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं जिससे स्थिति को लोगों के समक्ष स्पष्ट किया जा सके। आज सुबह के समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि रूस के राजदूत हमारे विदेश सचिव से मिले हैं तथा उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि 25 मार्च को आरंभ होने वाले बंगला देश संकट के बाद से रूस ने पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई नहीं की है। 1969 में माननीय मंत्री ने, जब वह रक्षा मंत्री थे, यह बताया था कि रूस ने पाकिस्तान को टी-54, टी-55 टैंक सप्लाई किये हैं और हथियारों की सप्लाई अभी भी जारी है। क्या यह भी सच है कि 25 मार्च से पूर्व कुछ हथियार रूस से पाकिस्तान भेजे गये थे जोकि उक्त तिथि के बाद पाकिस्तान पहुंच गये हैं? जब रूस ने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने का करार किया था तो रूस के प्रधान मंत्री ने हमारे प्रधान मंत्री से कहा था कि इन हथियारों को भारत पर आक्रमण

के लिए प्रयोग नहीं किया जायेगा । अमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री आइजन हावर ने भी यही बात कही थी। इसका कारण यह है कि इन बड़ी शक्तियों की नीति यह रही है कि एशिया में शक्ति संतुलन बनाये रखे जायें। एक समय था जब रूस ने काश्मीर पर भारत के पक्ष का समर्थन किया था परन्तु धीरे-धीरे उनके रवैये में अब परिवर्तन आ रहा है; ताशकन्द समझौते के लिए रूस ने ही भारत पर दबाव डाला था ।

सामान्यतः यह कहा जाता है कि हथियारों के भेजे जाने अथवा माल के लदान के बारे में कोई जानकारी नहीं है । क्या यह हमारे दूतावासों की असफलता नहीं है ?

यदि हमें ऐसे समाचारों के बारे में समय पर पता लग जाये तो उन पर कुछ राजनैतिक दबाव डाला जा सकता है ।

जहां तक फ्रांस का सम्बन्ध है, स्पष्ट है कि सभी पश्चिमी देशों की नीति एशिया में शक्ति संतुलन बनाये रखने की रही है । वे नहीं चाहते कि बंगला देश जैसा कोई नया ऐसा राज्य बने जोकि भारत के साथ मिलकर शक्ति संतुलन को बिगाड़ दे। रेडियो पाकिस्तान द्वारा इस बात का निरन्तर प्रचार किया जा रहा है कि पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय श्री कोसीगन ने यह आश्वासन दिया है कि रूस बंगला देश की समस्या को पाकिस्तान की आन्तरिक समस्या समझता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि रूस, अमरीका, फ्रांस, इटली सहित सभी शक्तियां हथियारों की सप्लाई के बारे में एक स्थिति विशेष बनाये हुए है और वे भारत और बंगला देश की तूलना में कोई दृढ़ रवैया अपनाने को तैयार नहीं हैं क्योंकि सभी की अन्तर्रात्मा दोषी है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किये जाते रहे हैं । मैंने स्वयं रक्षा मंत्री तथा बाद में विदेश मंत्री के पद पर होते हुए इस बारे में वक्तव्य दिये हैं। इस बात की भी संभावना है कि रूस ने कुछ हथियार 25 मार्च, से पूर्व पाकिस्तान को भेजे हो जोकि वास्तव में 25 मार्च के पश्चात् पाकिस्तान पहुंचे हों। जहां तक शक्ति संतुलन का प्रश्न है, हमने सदा यह कहा है कि यह सिद्धांत अवास्तविक तथा अस्वीकार्य है । भारत पाकिस्तान के आकार का पांच गुना है । दूसरे हमारी उत्तरी सीमाओं पर भी तनाव बना हुआ है। परन्तु पाकिस्तान अनेक बार यह कहता रहा है कि उसका एक मात्र शत्रु भारत ही है । अतः हम शक्ति संतुलन की बात को स्वीकार नहीं करते ।

मैं इस बात को भी अस्वीकार करता हूं कि 1965 में ताशकन्द में रूस ने भारत पर कोई दबाव डाला था ।

मेरे विचार में फ्रांस ने शक्ति संतुलन के सिद्धांत के बारे में सरकारी तथा गैर-सरकारी बातचीत में उल्लेख नहीं किया है। मुझे ऐसी कोई बात याद नहीं है जिसमें फ्रांस ने उक्त सिद्धांत का समर्थन किया हो ।

जहां तक पाकिस्तान रेडियो द्वारा किये गये प्रचार का सम्बन्ध है तो वह निश्चय ही अपने पक्ष की बात कहेंगे । उसमें आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है ।

सभी हथियार घातक होते हैं चाहें वे किसी भी समाजवादी, पूंजीवादी तथा किसी गुटनिरपेक्ष राज्य के पास हों । हथियार घातक ही होते हैं । हमारे देश के अनेक हथियार अन्य देशों के

हथियारों से अधिक घातक हैं। हमने सदा यह कहा है कि पाकिस्तान के पास जो हथियार हैं चाहे वे उसे कहीं से मिले हों हमारे लिए घातक तथा खतरनाक हैं। हम सभी देशों पर इस बात के लिए जोर दे रहे हैं कि वे पाकिस्तान को हथियार सप्लाई न करें।

प्रो० मधू दण्डवते : आपने कहा है कि संभव है कि रूस द्वारा 25 मार्च से पूर्व पाकिस्तान को हथियार भेजे गये हों। क्या सरकार ने यह जानने का प्रयास किया है कि क्या वास्तव में हथियार भेजे गये हैं?

श्री स्वर्ण सिंह : इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : हमारा अनुभव है कि विदेश मंत्री के सभी वक्तव्य वास्तविकता पर आधारित नहीं होते हैं। वर्तमान वक्तव्य में भी कहा गया है कि रूस द्वारा पाकिस्तान को कोई हथियार सप्लाई नहीं किये गये हैं। क्या विदेश मंत्री ने रक्षा मंत्रालय से इस बात का पता लगाया है?

माननीय विदेश मंत्री ने अपने विभिन्न देशों के दौरों के पश्चात् जो वक्तव्य दिया था मेरे विचार से वह उस कागज के मूल्य के बराबर भी नहीं था जिस पर वह लिखा गया था। इससे हमारी राजनीति के दिवालियेपन का पता लग जाता है। जहां तक रूस का सम्बन्ध है वहां पर उत्पादन, वितरण तथा विदेश व्यापार पर सरकार का नियंत्रण है। अतः हमें पता लगाना चाहिए कि सच बात क्या है। दूसरे पाकिस्तान रेडियो ने भी इस का अभी तक विरोध नहीं किया है। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि श्री कोसीगिन ने पाकिस्तान के दूतावास से कहा है कि रूस बंगला देश के मामले को पाकिस्तान का आन्तरिक मामला समझता है। इस बात का विरोध रूस द्वारा भी नहीं किया गया है।

श्री स्वर्ण सिंह : सर्व प्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे विदेशों से अथवा माननीय सदस्य से किसी प्रकार के प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह अवगत हुं अतः यह मेरा दुर्भाग्य ही है कि मेरे लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। मैं इस प्रकार की अभिव्यक्तियों की बिल्कुल परवाह नहीं करता। उनके गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य पर मुझे बहुत आश्चर्य है।

विभिन्न मंत्रियों का सरकार के अलग अलग बिना बताने की प्रथा तथा यह कहना कि उनका एक दूसरे से सम्पर्क नहीं है शरारतपूर्ण है। मैं यह वक्तव्य रक्षा मंत्रालय के परामर्श से दे रहा हूं। जब मैंने यह कहा था कि पश्चिमी यूरोप से गैर-सरकारी साधनों से पाकिस्तान को हथियार मिल सकते हैं तो उससे मेरा वह तात्पर्य था कि उसमें रूस को सम्मिलित नहीं किया गया था।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि हमने पाकिस्तानी रेडियो के समाचार बुलेटिन का विरोध नहीं किया है। मैं उसका विरोध करना भी नहीं चाहता क्योंकि हम उसको कोई महत्व नही देते हैं, माननीय सदस्य के लिए यह कहना अनुचित है बंगला देश की घटनाओं पर रूस चुप है। रूस के राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम बंगला देश की घटनाओं की निन्दा की थी।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : माननीय मंत्री ने बताया है कि वह पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के बारे में रूस और फ्रांस से सम्पर्क बनाये हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि फ्रांस सरकार ने कहा है कि फ्रांस सरकार पुराने समझौते के आधार पर भी पाकिस्तान को हथियार

सप्लाई नहीं करेगा । क्या सरकार ने रूस सरकार से इस बात की कोई पुष्टि की है कि क्या बंगला देश के लोगों के विरुद्ध पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के बाद पाकिस्तान को कोई हथियार दिये गये हैं ? माननीय मंत्री ने फ्रांस सरकार से भी इस बात की पुष्टि के बारे में कुछ नहीं कहा है कि पाकिस्तान को हाल में हथियार सप्लाई किये गये हैं अथवा नहीं, यदि उन्होंने फ्रांस सरकार से स्पष्ट रूप से यह प्रश्न नहीं किया है तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। यदि फ्रांस सरकार ने टालमटोल करने का उत्तर दिया है तो यह बहुत अपमानजनक बात है। ऐसे समाचार भी प्राप्त हुए हैं कि बंगला देश की गड़बड़ी शुरू होने के बाद से अमरीका ने पाकिस्तान को 10 मिलियन डालर के हथियार दिये हैं । मेरी जानकारी के अनुसार पाकिस्तान ने सेना के पांच नये डिवीजन भी बनाये हैं। इनको हथियारों से लैस करना आसान काम नहीं है। यदि इन देशों ने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई नहीं किये तो फिर किन देशों ने पाकिस्तान को इतने बड़े पैमाने पर हथियार सप्लाई किये हैं जिससे कि वह अपने पांच नये डिवीजनों को लैस कर सका।

क्या वर्तमान खतरे को ध्यान में रखते हुए सरकार पाकिस्तान की धमकी का मुकाबला करने के लिए विदेशों से हथियार प्राप्त करती रहेगी और क्या सरकार ने विश्व के गैर-सरकारी क्षेत्रों से हथियार और गोला बारूद खरीदने का भी प्रयास किया है और यदि हां, तो कितना ?

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि उन देशों ने गत कुछ वर्षों में भारत और पाकिस्तान को हथियार और गोला बारूद सप्लाई करने के मामले में क्या रुख अपनाया है और भारत को हथियार सप्लाई करने के सम्बन्ध में किये गये पिछले करारों को कहां तक पूरा किया गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : रूस सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि बंगला देश में की गई सैनिक कार्यवाही के बाद उसने पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई बन्द कर दी है। फ्रांस सरकार ने भी जून मास के अन्त में हमें आश्वासन दिया है कि उसने पाकिस्तान को भेजे जाने वाले हथियारों की सप्लाई में पूर्णतया कटौती कर दी है। फ्रांस सरकार ने हमेशा ही यह कहा है कि वह हथियारों की सप्लाई को वाणिज्यिक मामला समझता है । पाकिस्तान को रुस तथा अन्य देशों ने भी हथियार सप्लाई किये हैं लेकिन चीन ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी मात्रा में हथियारों की सप्लाई की है। पाकिस्तान को ईरान और तुर्की से भी हथियार प्राप्त हुए हैं ।

हमारा हथियार प्राप्त करने का मुख्य स्त्रोत हमारे आयुद्ध कारखाने और देश में स्थापित अन्य प्रतिष्ठान हैं । यह सच है कि कुछ आधुनिक हथियारों को, जिनका हम देश में निर्माण नहीं कर सकते, हम किसी भी स्त्रोत से लेते हैं । विभिन्न हथियारों तथा प्रतिरक्षा के उपकरणों के निर्माण करने के मामले में हमारे देश ने बड़ी प्रगति की है। किसी भी देश ने इस बारे में भारत के प्रति विशेष उदारता नही दिखाई है । यदि हमें किसी विशेष प्रकार के हथियारों की आवश्यकता होती है तो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं । इसमें कोई कठिनाई नहीं है ।

Shri Rameshwar (Tonk): Sir, Whenever there is a news that Russia has supplied arms to Pakistan it is denied in our country. But after some time when that report is confirmed the Government admits the fact. Some countries are giving assitance is us in the name of Bangla Desh. But Pakistan is getting military aid in large quantity from so many countries. Therefore, our Government is worried about it. Taking all these things into consideration may I know whether the Government will give recognition to Bangla Desh?

Shri Swaran Singh : The question of recognition is altogether different.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किये जाने के बारे में माननीय मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि ऐसी सम्भावना है कि ये हथियार 25 मार्च से पूर्व वहां भेजे गये होंगे और इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि वे हथियार 25 मार्च के बाद पहुंचे हों । ऐसे तो किसी भी बात से इंकार नहीं किया जा सकता । पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किये जाने के बारे में अमरीका और रूस सरकार को समान रखा जा रहा है यह बड़ी अजीब बात है ।

अमरीका के भारत स्थित भूतपूर्व राजदूत श्री चेस्टर बोल्स को सारा सदन जानता है। उन्होंने 'स्टेट्समैन' में एक लेख में लिखा है कि :—

"आज भारत की 28 डिवीजनों, 700 वायु सेना के विमानों और इसकी छोटी लेकिन सक्षम नौसेना को रूस द्वारा बड़ी मात्रा में हथियार सप्लाई किये गए हैं।"

यदि यह बात सच नहीं है तो माननीय मंत्री को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चहिए। श्री चेस्टर बोल्स दो वर्ष तक भारत में अमरीका के राजदूत रहे हैं और ऐसा संभव नहीं है कि उनको इस बारे में जानकारी न हो। उन्होंने इसका भी उल्लेख किया है कि हमारी थल, नौसेना और नभ सेना को बड़ी मात्रा में रूसी उपकरण सप्लाई किये जा रहे हैं।

इस सम्बन्ध में रूस और अमरीका को समान स्थान देना उचित नहीं है । श्री चेस्टर बोल्स द्वारा इस सम्बन्ध में व्यक्त किये गए विचारों में कोई सार नहीं है ।

यदि रूस सरकार पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करती तो मुझे बहुत दुःख होता ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : माननीय मंत्री ने रूस द्वारा पाकिस्तान को 25 मार्च से पूर्व हथियार सप्लाई किये जाने से इंकार नहीं किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने कहा था कि इससे इंकार नहीं किया जा सकता । यह मामला इस बात पर पर्दा डालने के लिए उठाया गया है कि अमरीका ने पाकिस्तान को आर्थिक और सैनिक सहायता दिया जाना बन्द करने से इंकार कर दिया है । इसी कारण रूस के विरुद्ध प्रचार भी किया जा रहा है। कल के 'स्टेट्समैन' में यह भी उल्लेख किया गया है कि श्री किसिंगर जनरल मानकशाह से भी विचार-बिमर्श करेंगे । क्या यह सच है। मुझे आशा है जनरल मानकशाह उनसे विचार-विमर्श नहीं करेंगे ।

इस बारे में सभा को पूरी जानकारी दी जानी चाहिए । यदि सभा के बाहर किसी ठोस साक्ष्य को बिना ऐसी कहानियां घड़ी जाती हैं, विशेषकर जबकि देश गम्भीर स्थिति से गुजर रहा है तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात की ओर ध्यान दे कि क्या उनका मामला आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आता है अथवा नहीं । भारत और किसी विदेशी शक्तियों के सम्बन्ध को खराब करने के लिए की गई कार्यवाही को इस अधिनियम के अन्तर्गत माना जाता है अथवा नहीं ।

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे इस बात की सूचना मिली है कि डा० किसिंगर की जनरल मानकशाह से वार्ता की कोई योजना तैयार नहीं की गई है। (**व्यवधान**)

लेकिन जनरल मानकशाह ने एक भोज में शामिल होना स्वीकार कर लिया है जिसमें डा० किसिंगर भी उपस्थित होंगे । माननीय सदस्यों को इस बारे में ऐसा रवैया नहीं अपनाना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उक्त समारोह के आयोजनकर्ता कौन हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : अमरीकी सरकार ने उक्त समारोह का आयोजन किया है। मेरे विचार से इसमें कोई हानि नहीं है । मैं प्रैस रिपोर्ट के प्रमाणीकरण के बारे में बहस में नहीं पड़ूंगा । केवल प्रेस रिपोर्ट के आधार पर ध्यान आकर्षण सूचना नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार सब देशों की आलोचना करने से कोई लाभ नहीं होगा । हम प्रत्येक देश से यह आशा नहीं करते कि वह हमारे विचारों का शत प्रतिशत समर्थन करे। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम उन देशों को अपने विचारों से सहमत करें जिनके विचार हमसे मेल नहीं खाते हैं । हमें इस बात का भी यथा संभव प्रयास करना चाहिए कि पाकिस्तान को वे देश सहायता न दें जिससे उसकी शक्ति में वृद्धि हो और वह बंगला देश में अपना नरसंहार जारी रख सके । यदि हम इस दिशा में कार्यवाही करेंगे तो उसके परिणाम अच्छे निकल सकते हैं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का वार्षिक प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : मैं श्री मोइनुल हक चौधरी की ओर से राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 604/71]

ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड तथा राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड के वार्षिक लेखे तथा लेखापटी का प्रतिवेदन

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के 25 जुलाई, 1969 से 31 मार्च, 1970 तक की अवधि के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का 25 जुलाई, 1969 से 31 मार्च, 1970 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 605/71]

(2) (एक) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 606/71]

अनुदानों की मांगें, 1971-72

DEMANDS FOR GRANTS, 1971-72

विदेश व्यापार मंत्रालय—जारी

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल०एन० मिश्र) : मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार करते समय संसद मंत्रालय के गत वर्ष के कार्यकलाप पर विचार करती है और भविष्य में उसके कार्य के सुधार के लिए सुझाव देती है। मंत्रालय के लिए भी यह एक अवसर होता है जबकि वह अपने बारे में सदस्यों द्वारा की गई आलोचना सुनता है और अपने कार्य में सुधार के लिए उनके सुझाव सुनकर सुधार करने का प्रयत्न करता है। कुछ सदस्यों ने बड़े अच्छे सुझाव दिये हैं। मैं उनका आभारी हूं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि उनके सुझावों पर अवश्य ही ध्यान दिया जायेगा। हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह उल्लेख किया था कि हम शान्तिपूर्ण तरीके से सामाजिक परिवर्तन लायेंगे, आर्थिक विषमता दूर करेंगे और रोजगार के अवसर बढ़ायेंगे। निर्वाचन से पूर्व हमने लोगों को यह भी आश्वासन दिया था कि हम उनके जीवन स्तर को उठाने और आर्थिक और सामाजिक न्याय की दृष्टि से उनकी आकांक्षाएं पूरी करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। वर्ष 1931 से ही कांग्रेस की यह नीति रही है कि औद्योगिक विकास सरकारी क्षेत्र में अधिकाधिक हों। हमारे निर्वाचन-घोषणापत्र में यह उल्लेख था कि आयात-निर्यात व्यापार में सरकार का भाग अधिकाधिक होता जायेगा।

पिछले 15 वर्षों की अवधि में विदेशी मुद्रा की अनुपलब्धता प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा रही है। यदि हमारे पास विदेशी मुद्रा पर्याप्त होती तो हम रोजगार के अवसर अधिक बना सकते थे और इस प्रकार बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक हल हो सकती थी। विदेशी मुद्रा की कठिनाई आने का कारण यह भी था कि हमारा निर्यात, आयात की तुलना में कम रहा है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें विदेशों से बहुत अधिक ऋण लेना पड़ा है। विदेशी सहायता से हमारा बहुत-सा काम निकला है किन्तु फिर भी हमें विदेशी आर्थिक-सहायता पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। क्योंकि कठिनाई उस समय आती है जबकि ऋण-दाता देश हमारी कुछ नीतियों से अप्रसन्न होकर हमारी आर्थिक सहायता को रोक बैठते हैं। परिणाम यह होता है कि आयात के लिए हमें अपनी गाढ़ी कमाई की विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। इस समस्या को हल करने की दृष्टि से अब उन वस्तुओं को देश में ही बनाया जा रहा है जो पहले आयात की जाती थीं। वर्ष 1968 और 1969 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 75 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की बचत हुई है। वर्ष 1970-71 की आयात नीति के अन्तर्गत 170 नई वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी गई है और 67 वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। श्री राजा कुलकर्णी ने चिन्ता व्यक्त की है कि हमारे निर्यात व्यापार के साथ-साथ आयात भी बढ़ा है। किन्तु हमारा अनुभव यह बताता है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अधिकतर देशों में आयात की आवश्यकत बढ़ती है। इस सन्दर्भ में डा० वी०के०आर०वी० राव द्वारा दिये गये 'निर्यात और खुशहाली' नारे का समर्थन करता हूं।

चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्यात में वृद्धि का लक्ष्य 7 प्रतिशत वार्षिक रखा गया है। वर्ष 1969-70 में यह प्रगति केवल 4.1 प्रतिशत हो सकती थी, किन्तु 1970-71 में हमारे निर्यात 8.3 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। निर्यात में हुई इस वृद्धि को कुछ लोगों ने संयोगमात्र बताकर आलोचना की है। संभोग मानते हुए भी इसे कुछ हद तक हमारी सफलता भी मानना होगा।

किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि निर्यात वृद्धि के प्रति हम उदासीन हो जायें । क्योंकि 1970–71 में परम्परागत और अपरम्परागत दोनों ही प्रकार की वस्तुओं (लौह अमरक, चाय, इंजिनियरी का सामान, खली, चीनी, रासायनिक पदार्थ, मसाले, काफी और सूती वस्त्र आदि) का निर्यात बढ़ गया है। अतः इसे निश्चित रूप से निर्यात में प्रगति माननी होगी। जहां तक अपरम्परागत वस्तुओं के निर्यात का सम्बन्ध है उसमें अभी अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है । इसका मुख्य कारण है लोहे और इस्पात जैसे माल की अत्यधिक कमी । यदि इनका अभाव न होता तो इस दिशा में प्रगति अपेक्षाकृत अधिक हो सकती थी ।

मैं इस बात का उल्लेख भी करना चाहता हूं कि जैसे-जैसे हमारा व्यापार समाजवादी देशों और विकासोन्मुख देशों के साथ बढ़ता जा रहा है, वैसे ही पश्चिमी देशों पर अयात निर्यात व्यापार सम्बन्धी हमारी निर्भरता उसी अनुपात में कम होती जा रही है । समाजवादी देशों के साथ 1967–68 में हमारा निर्यात केवल 19 प्रतिशत था जो कि 1969–70 में बढ़कर 22 प्रतिशत हो गया। इन देशों से इसी अवधि में हमारा आयात-व्यापार 11 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गया। अन्य विकासोन्मुख एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ इसी अवधि में हमारा निर्यात 16.9 प्रतिशत से बढ़कर 23.3 प्रतिशत हो गया है और आयात 12.4 प्रतिशत से बढ़कर 21.6 प्रतिशत हो गया है ।

वर्ष 1971–72 के लिए हमने 1670 करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हमें परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि का प्रयास करना है । साथ ही अपरम्परागत वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना और कुछ नयी वस्तुओं का निर्यात शुरू करना आवश्यक है। हमें अपरम्परागत वस्तुओं के निर्यात में इस दशक में 15 से 20 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि करनी होगी, तभी हमारा निर्यात लक्ष्य पूरा हो सकेगा । अपरम्परागत वस्तुओं में न केवल निर्मित वस्तुओं का निर्यात आ जाता है बल्कि हमें कृषिजन्य वस्तुओं फलों और फूलों तथा सब्जियों का भी निर्यात करना चाहिए । मुझे बताया गया है कि राज्य व्यापार निगम ने फूलों, आमों और लीचियों का निर्यात शुरू कर दिया है ।

आयात व्यापर भी अब सरकारी क्षेत्र में अधिकाधिक आता जा रहा है। वर्ष 1971–72 की नयी आयात नीति के अन्तर्गत 51 और नयी वस्तुओं के आयात का व्यापर सरकारी ऐजेन्सियों को सौंपा गया है। इस प्रकार कुल 112 वस्तुओं का आयात केवल सरकारी क्षेत्र के माध्यम से किया जायेगा।

रूई के आयात का काम भारतीय रूई निगम को और काजू के आयात का काम भारतीय काजू निगम को सौंप दिया गया है। मार्च 1972 तक आयात व्यापार का 70 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र में आ जायेगा । आयात व्यापार के राष्ट्रीयकरण से हमारी अर्थव्यवस्था को भारी लाभ होगा । आयातित माल के मूल्य से अधिक बिल बनाने की समस्या भी समाप्त हो जायेगी। सरकार धीरे धीरे आयात व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लाना चाहती है। अतः मेरा निजी व्यापारियों से अनुरोध है कि वे इसके मार्ग में अड़चन पैदा न करें ।

कभी-कभी सरकार की मूल्य नीति की आलोचना भी की जाती है किन्तु मेरा यह निवेदन है कि सरकारी क्षेत्र की ऐजेन्सियों द्वारा निर्धारित मूल्य अधिक नहीं है । दूसरे समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र में जो बचत होती है वह देश के विकास-कार्य में लगाई जाती है। अतः यदि राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम कुछ लाभ कमाता है तो माननीय सदस्यों को

उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। जहां तक राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कार्य का सम्बन्ध है ये दोनों ऐजेन्सियां बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। इनकी मैं इस दृष्टि से सराहना करता हूं कि इन्होंने नयी वस्तुओं का निर्यात करने और छोटे उद्योगों के उत्पादों का निर्यात करने का प्रयास किया है और वे इस प्रयास में कुछ हद तक सफल रही है। राज्य व्यापार निगम का निर्यात 1967–68 में 23 करोड़ रुपये का था जो 1970–71 में बढ़कर 70 करोड़ रुपये का हो गया है। उस समय राज्य व्यापार के निर्यात व्यापार में आधे से अधिक वस्तुएं वे हैं जिनका लघु उद्योगों में उत्पादन होता है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने 1969–70 में 91 करोड़ रुपये के मूल्य का निर्यात किया था जो 1970–71 में बढ़कर 106 करोड़ रुपये का हो गया है। वर्ष 1971–72 में इसका लक्ष्य 123 करोड़ रुपये के मूल्य का निर्यात करने का है। उसके अतिरिक्त यह निगम लघु उद्योगों और बड़े उद्योगों के लगभग 7000 एककों को अलौह धातुएं गंधक और एक फॉसफेट जैसा कच्चा माल भी सफलता पूर्वक दे रहा है। वैसे हर निकाय के कार्य में सुधार की गुंजाइश होती है। सामान एकत्र करने उसको सुरक्षित रखने और उसके उचित वितरण की व्यवस्था का उक्त निगम काम करता रहता है। इस सम्बन्ध में उन्होंने वास्तविक उपभोक्ताओं की सलाहकार समितियां भी बना रखी हैं। सरकारी क्षेत्र के इन अभिकरणों के माल प्राप्त करने, उनका मूल्य निर्धारित करने और उसेका वितरण करने से सम्बन्धित कार्यों के हर तीन मास के बाद पुनर्विलोकन करने के लिए मंत्रालय में भी एक समिति नियुक्त कर दी गई है।

जूट की खरीद करने, उसके आयात और निर्यात तथा उसके वितरण के लिए सरकार ने एक जूट निगम की भी नियुक्ति कर दी है। भारतीय डिब्बा-बंद चाय के विपणन के लिए केन्द्रीय सरकार ने एक और निगम की नियुक्ति कर दी है। परियोजना और उपकरण निगम नयी और कम प्रगति कर रही परियोजनाओं की देख रेख करेगा। भारत की परामर्शदायी समितियों की इस दृष्टि से सहायता की जा रही है कि विदेशों में वे अपने कार्य का विस्तार कर सकें। जहां तक समुद्री उत्पादों का प्रश्न है, उसके लिए एक समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण गठित करने के प्रश्न पर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है। यह निगम समुद्री उत्पादों से सम्बन्धित सभी कार्य की देखभाल करेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने एक तम्बाकू बोर्ड की स्थापना की वांछनीयता की बात कही। है। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि तम्बाकू निर्यात संवर्धन परिषद कई वर्षों से विद्यमान है। सरकार उसे और अधिक सक्रिय बनाने का प्रयास करेगी। इस सम्बन्ध में सदस्यों की चिन्ता को देखते हुए मैं कृषि मंत्रालय से इस प्रश्न पर पुनः बातचीत करूंगा।

यद्यपि सरकार अधिकांश निर्यात व्यापार को सरकारी अभिकरणों के माध्यम से कराना चाहती है। किन्तु साथ ही मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार का इरादा सम्पूर्ण निर्यात व्यापार को अपने हाथ में लेने का नहीं है। सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र की उस सीमा तक सहायता करेगी जहां तक वह सरकार की नीतियों के अनुरूप रहेगा। अपनी नीतियों के दायरे के अन्तर्गत सरकार भी निजी क्षेत्र को यथासंभव अधिक सहायता देगी।

औद्योगिक लाइसेंस नीति में किये गये कुछ संशोधनों के परिणामस्वरूप बड़े औद्योगिक गृहो और विदेशी समवायों को कम पूंजी निवेश वाले क्षेत्र में काम करने की अनुमति दे दी जायेगी यदि वे विशिष्ट वस्तुओं के निर्यात का दायित्व लें।

यह बताया गया है कि संभवतः बहुत से ऐसे समवाय इन रियायतों का लाभ नहीं उठा सकेंगे क्योंकि इन दायित्वों का निभाना बहुत कठिन है। गैर-सरकारी क्षेत्र को बहुत कुशल बताया जाता है। अतः यह उनके लिये चुनौती है कि वे देश के निर्यात व्यापार में अपना उचित योगदान दें। इस कार्य के लिए उन्हें हर संभव सहायता दी जायेगी।

सरकार ने निर्यात प्रधान कारखानों को विस्तार करने तथा अधिष्ठापित क्षमता में सुधार करने और कच्चे माल आदि का आयात करने से सम्बन्धित सुविधाओं के लिए दी जाने वाली प्राथमिकता जारी रखने का निर्णय किया है। छोटे और मध्यम स्तर के कारखानों की निर्यात क्षमता भी यथा संभव बढ़ा दी जायेगी। छोटे स्तर के कारखानों के, विशेषकर उनके लिये सुरक्षित वस्तुओं के सम्बन्ध में, निर्यात-उत्पादन की ओर अधिक ध्यान दिया जायेगा।

राष्ट्र की निर्यात क्षमता में वृद्धि करने के लिये ऐसे औद्योगिक कारखानों को सहायता देने की ऐसी योजना बनायी गई है जो अब निर्यात क्षेत्र में आना चाहते हैं तथा जिन्होंने अपनी निर्यात क्षमता बना ली है तथा इस सम्बन्ध में विशेष सहायता के पात्र बनना चाहते हैं।

गत 15 वर्षों में भारत के औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो गई है। आंतरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ हमारी पूंजी गत माल की कुछ नई वस्तुओं के निर्यात करने की क्षमता भी बढ़ गई है। हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में पहली मान्यताओं में कुछ परिवर्तन हुआ है।

भारत तथा अन्य विकासशील देशों के साथ पारस्परिक लाभ के आधार पर व्यापार तथा आर्थिक सहयोग में वृद्धि करने के लिए संयुक्त उपक्रम महत्वपूर्ण और सशक्त माध्यम बनाये जा सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई समस्याओं ने विदेशी समस्याओं के साथ सहयोग करने की रुचि दिखाई है। सरकार ने भी सामान्य सीमाओं का ध्यान रखते हुए उन्हें प्रोत्साहन दिया है।

अब तक भारतीय सहयोग से विदेशों में 121 औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है। इनमें 27 संयुक्त उपक्रमों में उत्पादन आरम्भ हो चुका है तथा 61 उपक्रमों में इसकी क्रियान्वित भी की जा रही है।

जहां तक सामान्य अधिमान योजना का सम्बन्ध है इसका उद्देश्य विकासशील देशों के व्यापार में प्रगति के लिए नई केवल मात्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीति बनाना है। सदन ने सामान्य अधिमानी योजना के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की सहमति प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार कर लिया है इसकी मुझे प्रसन्नता है।

सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि लगभग एक सप्ताह पहले ही यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने विकासशील देशों में सामान्य अधिमानी योजना के अन्तर्गत उत्पादित वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क का लगाया जाना समाप्त कर दिया है। आगामी तीन सप्ताहों में मैं समझता हूं कि सम्भवतः जापान इसकी क्रियान्विति करेगा तथा कुछ अन्य देश भी उनका अनुसरण करेंगे।

इस योजना के अन्तर्गत विकसित देशों को निर्यात बढ़ाने के भारी अवसर हमारे सामने आये हैं। इन अवसरों का लाभ उठाने के बारे में मेरे मंत्रालय में विभिन्न निर्यात सम्बन्धित संगठनों

से विचार विमर्श करके एक व्यापक योजना तैयार की गई है। मुझे पूरी आशा है कि इन अवसरों का पूरा पूरा लाभ उठाया जायेगा ।

हमने सितम्बर, 1970 में लुसाका में गुट-निरपेक्ष देशों द्वारा गुट निर्पेक्षता तथा विकासशील देशों की आर्थिक प्रगति के बारे में की गई घोषणा का पूरा समर्थन किया है। तथा विकासशील देशों में आर्थिक सहयोग में विश्वास बनाये रखा है । अब हम पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका के कुछ सम्मृद्ध देशों के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग की योजना बना रहे हैं।

क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग में प्रगति के लिए 'इकाफे' देशों के प्रयत्नों की भी हम सराहना करते हैं । एशियाई आर्थिक सहयोग की मंत्री परिषद की बैठक में व्यापार विस्तार कार्यक्रम को आरम्भ करने के लिए पर्याप्त प्रगति की गई है । मुझे पूरा विश्वास है कि पड़ौसी देशों के के साथ भारत के सौहार्दपूर्ण आर्थिक सम्बन्धों में और अधिक विकास होगा । मुझे यह भी आशा है कि भारत और नेपाल के बीच व्यापार के सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई अन्तिम निर्णय किया जा सकेगा हम नेपाल की समृद्धता और विकास की पूरी कामना करते हैं।

ब्रिटेन सरकार ने सूती कपड़े पर 15 प्रतिशत शुल्क लगाने तथा पहली जनवरी, 1972 से कोटा प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय किया है जो जी०ए०टी०टी० तथा दीर्घकालिक सूती कपड़ा करार, जिस पर ब्रिटिश सरकार ने हस्ताक्षर किये थे, के उपबन्धों के विपरीत है । ब्रिटेन के इस दृष्टिकोण से वहां हमारे निर्यात पर अवश्य बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

भारत-ब्रिटेन व्यापार करार, 1939 की समाप्ति की सूचना के बारे में ब्रिटेन के व्यापार मंत्री का सरकारी वक्तव्य भी हमें मिल गया है। उसमें कहा गया है कि यदि भारत सरकार छः महीने के नोटिस की अवधि में छूट देने पर पुनः विचार कर ले तो ब्रिटेन इस नोटिस को वापस लेने को तैयार है । भारत सरकार ने सावधानी से विचार करने की छूट न दिए जाने का निर्णय किया था तथा इस में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है ।

जहां तक सूती कपड़ा उद्योग का प्रश्न है चुनाव घोषणापत्र के अनुसार हमारा परम कर्तव्य हो जाता है कि जनता को उचित मूल्यों पर जीवन की आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराया जाये। कपास की सप्लाई के सम्बन्ध में सरकार को हाल में बड़ी चिन्ता तथा निराशा रही है । आयात के सहारे रूई की सप्लाई करने तथा उचित आधार पर उसका नियतन करने के बारे में हर सम्भव प्रयास किया गया है।

देश में सामान्य जनता के उपयोग के कपड़े के उत्पादन में लगातार कमी होने तथा उसके मूल्य में वृद्धि होने से मुझे बड़ी चिन्ता रही है । इस किस्म के कपड़े के उत्पादन से मिलों को तुलनात्मक रूप से कम लाभ होता है । नियंत्रित कपड़े के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कुछ अन्य प्रबन्ध किये गये हैं तथा इन प्रबन्धों के परिणामस्वरूप पहली जून, 1971 से तीन महीनों में इस किस्म के कपड़े के उत्पादन में 20 से 25 प्रतिशत तक वृद्धि होगी । मैं इन उद्योगपतियों को सचेत कर देना भी चाहता हूं कि यदि इन उपायों को लागू नहीं किया गया और केवल लाभ का ही दृष्टिकोण सामने रखा तो सरकार कठोर कदम उठाने में भी नहीं चूकेगी।

संकटग्रस्त कपड़ा मिलों के बारे में मुझे भी उतनी ही चिन्ता है जितनी कई माननीय सदस्यों ने सभा में व्यक्त की है। सरकार की यह नीति रही है कि इनमें अधिक से अधिक कारखानों को, जिन्हें

आर्थिक तथा तकनीकी दृष्टि से समर्थ समझा जाये उनको उचित ढंग से शीघ्र चालू किया जाये। प्रक्रिया के कारण होने वाली देरी कम करने का भी प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त हमारा लक्ष्य यह है कि इन कारखानों के कर्मचारियों को काम देने के लिए भी कुछ उपाय किये जायें। राष्ट्रीय सूती कपड़ा निगम इन बातों की जांच कर रहा है।

जहां तक इन मिलों के भविष्य का प्रश्न है बहुत सी कपड़ा मिलों में आधुनिक मशीनरी लगाने की भारी आवश्यकता है। हमारा अनुभव यह है कि मिलों की स्थिति में सुधार करके उनके मालिकों को सौंपने से कोई लाभ नहीं होता है। अतः सूती कपड़ा समवाय अधिनियम के उपबन्धों के आधार पर जिन मिलों में सार्वजनिक निधि लगाई गई है उन्हें अपने अधिकार में रखने का प्रस्ताव हमने किया है।

कम्पनियों ने अपना निर्यात इस वर्ष 8.3 प्रतिशत बढ़ा दिया है। अभी उत्पादन लागत में कमी करने तथा कार्यकुशलता में वृद्धि करने की काफी गुंजाइश है। मैं सदस्यों को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि मैंने उन सभी अनुचित प्रतिबन्धों को समाप्त करने का निश्चय कर लिया है जिनमें हमारे निर्यात में बाधा आती है। मैंने व्यापारियों से निकट संबंध स्थापित करने के लिये कई उपाय भी किये हैं। व्यापार सलाहकार समिति की एक स्थायी समिति नियुक्त की गई है। जिसमें निर्यात में बाधक नीतियों अथवा प्रतिक्रियाओं पर विचार किया जाता है। पारस्परिक समस्याओं को विचार विमर्श करने के लिए व्यापार मंडल के साथ नियमित बैठक करने का भी प्रस्ताव है। अपने इन प्रयत्नों के बदले में मुझ आशा है कि व्यापारी हमारा पूरा सहयोग देंगे। गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र को देश में सद्भावना और सहयोग से कार्य करना चाहिए जिससे जनता की पूरी सेवा की जा सके। आयात के बारे में अग्रेतर राष्ट्रीयकरण की नीति सरकार ने स्वीकार की है तथा जनता ने भी पूरे जोर से उनका समर्थन किया है।

आयात-निर्यात नीति में कुछ संशोधन किये गये हैं जिससे आयात में उदारता अपनाकर निर्यात को बढ़ाया जा सके। लाइसेंस देने में देरी किये जाने की शिकायतें भी हमें मिली हैं। कुछ मामलों में अवश्य देरी हुई है तथा देरी के कारणों को दूर करने का प्रयास भी किया गया है। सी०सी०आई०ई० में आयात और निर्यात लाइसेंसों के सम्बन्धों के बारे में एक निश्चित समय-सारिणी बनाई जा रही है तथा इससे व्यापारियों को कोई कठिनाई नहीं होगी। मुख्य नियंत्रक कार्यालय के कनिष्ठ अधिकारियों की गोष्ठी के सम्बन्ध में मैंने निदेश जारी कर दिये हैं जिनसे विभाग में अनुकूल स्थिति उत्पन्न हो सके। मेरे मंत्रालय के कार्य की सराहना के लिए मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं तथा जिन प्रश्नों या सुझावों का मैं उत्तर नहीं दे सका हूं उनके बारे में माननीय सदस्यों को यदि सम्भव हुआ तो सरकार की प्रतिक्रिया लिखित रूप में भेजने का प्रयास करूंगा।

श्री राम सहाय पांडे (राजनन्द गांव) : क्या परम्परागत वस्तुओं के निर्यात के राष्ट्रीयकरण में सूती कपड़े को भी सम्मिलित किया जायेगा ?

श्री एल० एन० मिश्र : सूती कपड़ा परम्परागत वस्तु है अत मैं इससे इंकार नहीं करता।

(अध्यक्ष मोदय द्वरा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।)

The cut motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा विदेश व्यापार मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :

The following Demands in respect of Ministry of Foreign Trade were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपये)
33	विदेश व्यापार मंत्रालय . .	37,74,000
34	विदेश व्यापार . . .	73,44,94,000
35	विदेश व्यापार मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	5,19,45,000
124	विदेश व्यापार मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	2,25,87,000

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की मांग संख्या 71 और 133 पर चर्चा की जायेगी जिसके लिए चार घंटे का समय निर्धारित किया गया है।

जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव देना चाहें वे 15 मिनट के अन्दर पर्ची पर क्रम संख्या लिखकर सभा-पटल पर रख दें । कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जायेगा ।

वर्ष 1971-72 के लिए पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपये)
71	पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय .	78,01,000
133	पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	34,96,51,000

[उपाध्यक्ष महोदय पीठसीन हुए]

[Mr. Dy. Speaker in the chair]

***श्री रेणुपट्टदास** (कृष्णानगर) : महोदय मैं बंगला में भाषण दूंगा । मैं इस मंत्रालय की मांगों का विरोध करता हूं । भूतपूर्व मंत्री श्री त्रिगुण सेन ने हमारे देश के 10 लाख किलोमीटर क्षेत्र में तेल प्राप्त होने की जो सम्भावना व्यक्त की थी उसमें अतिशयोक्ति नहीं थी। किन्तु 13 अप्रैल, 1970 को चौथी योजना के अन्त तक तेल उत्पादन के लक्ष्यों के बारे में दिये गये आंकड़ों के संदर्भ में हमें देखना होगा कि क्या हम इस संबंध में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं । देश में 1968

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of a speech delivered in Bengali.

में 1.60 करोड़ टन, 1969 में 1.74 करोड़ टन तथा 1970 में 1.84 करोड़ टन तेल की खपत हुई । चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक 2.60 करोड़ टन तेल की खपत होने का अनुमान है तथा 1978 तक 5 करोड़ टन तेल की हमें आवश्यकता होगी । किन्तु यदि हम 1970 के प्रतिवेदन को देखें तो पता चलता है कि 1.8 करोड़ टन तेल का उत्पादन हुआ है तथा यदि गत वर्षों की तुलना में देखा जाये तो तेल के उत्पादन में 80 प्रतिशत विफलता रही है । यदि इसी दर से उत्पादन हुआ तो हमें विदेशों से तेल का आयात करना पड़ेगा तथा आयात की प्रतिशतता में भी भारी वृद्धि होगी ।

महोदय ! प्रतिवेदन में कहा गया है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तैयार की गई 10 वर्षीय योजना को पूरी तरह लागू हो जाने पर तेल के आयात की मात्रा धीरे-धीरे कम होती जायेगी । इस योजना की अवधि 1969 से 1979 तक है तथा इसके लिए 1200 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है । मालूम हुआ है कि चौथी योजना अवधि के लिए इस योजना के लिए 181 करोड़ रुपये नियत किये गये हैं ।

वर्ष 1978-79 तक तेल का वार्षिक सम्भावित उत्पादन 1.45 करोड़ टन होगा किन्तु आयोग इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता । परिणामस्वरूप उत्पादन और खपत का अन्तर बढ़ता ही जायेगा तथा हमें अधिक तेल का आयात करना पड़ेगा ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा योजना की क्रियान्विति में विफल होने के बारे में बताया गया है कि चौथी योजना में नियत किया गया धन उन्हें नहीं दिया जा रहा है । यह भी बताया गया है कि तेल के लिए तट-दूर खोज किये जाने पर यह योजना सफल हो सकती है किन्तु यह कार्य 1970 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए था । इसके अतिरिक्त सुरमा घाटी में छिद्रण कार्य पूरा कर लिया होता तो तेल उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य पूरा हो सकता था । यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि यदि आयोग में विद्यमान भ्रष्टाचार को दूर नहीं किया गया तो इस योजना को सफल नहीं बनाया जा सकता ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में तेल के उत्पादन में वृद्धि के लिए पर्याप्त राशि की व्यवस्था नहीं की गई है अतः तेल के मामले में देश के आत्मनिर्भर होने की कोई संभावना नहीं है।

हल्दिाया तेल-शोधक कारखाने का निर्माण वर्ष 1967 में शुरू किया गया था । इस कारखाने से 25 लाख टन तेल के उत्पादन का लक्ष्य था परन्तु निर्माण-कार्य के पूरा न होने के कारण ऐसा अभी संभव नहीं हुआ है। संभवतः निर्माण कार्य 1974 तक पूरा होगा ।

पश्चिम बंगाल में 4 जुलाई को श्री सिद्धार्थ शंकर राय ने कहा था कि हल्दिया में पेट्रोल रसायन कारखाने से 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जायेगा परन्तु इसके आसार नजर नहीं आते हैं। हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन के सम्बन्ध में 30 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। मन्त्री महोदय इस मामले के बारे में स्पष्ट जानकारी दें ।

पिछले कुछ दिनों से हम सुनते आ रहे हैं कि 1971 के बाद देश में मिट्टी के तेल का आयात नहीं किया जायेगा। परन्तु हम अभी तक मिट्टी के तेल के उत्पादन में आत्म-निर्भर नहीं हो पाये हैं। हमें अभी भी विदेशों से इसका आयात करना पड़ रहा है। कुछ परिस्थितियों के कारण मिट्टी के तेल की कीमत भी बढ़ गई है।

हमारे देश में तेल के उत्पादन की वर्तमान दर को देखते हुये ऐसा मालूम होता है कि हम भविष्य में भी इस क्षेत्र में आत्म-निर्भर नहीं हो पायेंगे। तेल उत्पादन देश अपने स्वयं के विकास हेतु विदेशी तेल कम्पनियों पर कर लगा रहे हैं। विदेशी तेल कम्पनियों पर इस प्रकार के अधिक कर लगाये जाने के कारण भारतीय कम्पनियों को बोझ वहन करना पड़ रहा है। ये सभी विदेशी तेल कम्पनियां अत्यधिक भारी लाभ कमा रही हैं परन्तु अन्ततोगत्वा यह ज्ञात होता है कि तेल के मूल्य की वृद्धि का समूचा भार जनता पर ही पड़ता है।

कुछ परिस्थितियों के कारण सरकार को 3 पैसे प्रति लिटर की दर से मूल्य में वृद्धि करने के लिये बाध्य किया गया था। तेहरान करार के अन्तर्गत तेल कम्पनियों ने भारत सरकार को सूचना दी कि तेल के मूल्य में और अधिक वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप हमें अधिकाधिक विदेशी मुद्रा की हानि होगी। हमारे देश को चाहिये कि वह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से प्रतियोगी मूल्यों पर तेल खरीदे। यदि इस दिशा में सरकार सही प्रयत्न करती रही तो कुछ अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि उत्पादन तथा खोज करने के सम्बन्ध में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिये। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की कार्यकुशलता बढ़ाई जानी चाहिये। वहां पर व्याप्त भ्रष्टाचार को दृढ़तापूर्वक दूर किया जाना चाहिये तथा इस संगठन में श्रमिकों और प्रबन्धकों के सम्बन्धों में भी सुधार किया जाना चाहिये। तीसरी बात यह है कि सरकार को तेल कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी नीति को तुरन्त क्रियान्वित करना चाहिये। यदि हमें देश में समाजवादी राज्य का निर्माण करना है तो तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करना नितान्त आवश्यक है। यदि तेल के मामले में विदेशी कम्पनियों पर निर्भरता दिन प्रति दिन बढ़ती जायेगी तो इस देश में समाजवाद की स्थापना नहीं की जा सकती।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि

कि पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में रुपये 100 कम किये जायें

71.	1.	डा० लक्ष्मी नारायण पांडे	उपलब्ध प्राकृतिक गैसे का पूर्ण उपयोग करने में असफलता।	100 रुपये
	2.	,, ,, ,,	देश में उपलब्ध विभिन्न खनिज तेलों का पूर्ण उपयोग करने में विलम्ब।	100 रुपये

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश अब करीब–करीब तेल उद्योग के विकास के दूसरे दशक में प्रवेश कर चुका है। आज इस सम्बन्ध में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में पूंजी निवेश की राशि लगभग 600 करोड़ रुपये हो गई है तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित पूंजी निवेश लगभग 400 करोड़ रुपये हो गया है और इस प्रकार यह कुल निवेश 1000

करोड़ रुपये हो गया है। यह एक सराहनीय उपलब्धि है कि हमारे देश और हमारी सरकार ने यह प्रगति उस समय की है जब हम विदेशों से औद्योगिक और आर्थिक आत्म-निर्भरता की प्राप्ति के लिये संघर्ष कर रहे हैं।

यदि सभी संभव प्रयास किये जायें तो भी हमारा उत्पादन 80, 90 लाख मीटरी टन तक पहुंच पायेगा। तेल उद्योग में 1000 करोड़ रुपये की राशि लगाये जाने के बाद भी देश को 150 लाख से 160 लाख मीटरी टन अशोधित तेल का अधिक ऊंची कीमतों पर विदेशों से आयात करना पड़ेगा क्योंकि हम 15 से 20 वर्ष तक का करार कर नहीं सकते हैं । स्वाभाविक यही हैं कि हमें ऊंची कीमतों पर तेल आयात करना पड़ेगा तो हमारी बहुत ही विदेशी मुद्रा विदेशों में चली जायेगी। जहां तक इस देश का सम्बन्ध है, हमारे पास तेल का भंडार विदेशों की तुलना में पर्याप्त नहीं है। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुये और इस बात को पूर्णतया जानते हुये कि तेल का भंडार 1260 लाख मीटरी टन से अधिक नहीं होता, सरकार को अपनी तेल नीति के साथ-साथ ईंधन नीति भी बनानी चाहिये।

जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है, तेल एक प्रकार का ईंधन है और यह उर्वरकों के लिये बहुत आवश्यक है। अत: हमें एक ऐसी नीति बनानी है जिससे यह देखा जा सके कि तेल को जहां तक संभव हो उद्योगों के लिये कम से कम मात्रा में ईंधन के रूप में काम में लाया जाये और उनके लिये अधिक से अधिक आवश्यक नेफ्था प्रदान करने के लिये उर्वरक संयंत्रों में इसका अधिक उपयोग किया जाये। जहां तक तापीय शक्ति केन्द्रों का सम्बन्ध है, आज इस बात की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है कि वे तेल शोधक कारखानों से मिलने वाले ईंधन पर अधिक निर्भर रहें। इसके लिये वे कोयले का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसी प्रकार लोकोमोटिव इंजनों को चलाने के लिये डीजल की मांग के स्थान पर उन्हें बिजली से चलाया जाये तो यह कार्य शुरू में तो काफी महंगा पड़ेगा परन्तु बाद में देश को इससे बहुत लाभ होगा।

उर्वरकों के लिये नेफ्था की मांग की केवल पेट्रेलियम के उत्पाद-भारी अवशिष्ट से ही पूरा न किया जा कर कोयले से भी पूरा किया जाना चाहिये । यदि हम अपने सभी उर्वरक संयंत्र नेफ्था पर आधारित रखना चाहेंगे तो हमें नेफ्था के निर्माण के लिये अधिकाधिक अशोधित तेल का आयात करना पड़ेगा। हमें नेफ्था पर आधारित उर्वरक संयंत्र चलाने के स्थान पर कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र बनाने सम्बन्धी नीति बनानी चाहिये। इसी प्रकार रेलवे को भी डीजल की मांग को कम करके कोयले से उत्पादित तापीय शक्ति का प्रयोग करना चाहिये । आज देश में मिट्टी के तेल की कमी है यद्यपि हम 1973 तक इस क्षेत्र में आत्म-निर्भर होने जा रहे हैं परन्तु फिर भी पेट्रोल से बने उत्पादों में कमी हो सकती है।

अब प्रश्न यह है कि क्या हम आने वाले वर्षों में पेट्रोल तथा पेट्रेलियम उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरी कर सकेंगे। यह मांग 450 लाख मीटरी टन तक बढ़ने जा रही है। इस मांग को कम करके 320 लाख मीटरी टन तक किये जाने की कोशिश की जानी चाहिये और ऐसी नीति बनाई जानी चाहिये। जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर किसी प्रकार का कोई कुप्रभाव न पड़े और हम प्रतिवर्ष अशोधित तेल का अपना आयात न बढ़ाते रहें।

प्राक्कलन समिति में मुझे चालूशोधक कारखानों के कार्यकरण को देखने का अवसर मिला। मुझे यह जानकर दु:ख हुआ कि गैर-सरकारी क्षेत्रों के तेल शोधक कारखाने तो सोच सकते हैं कि भारत में

5 या 10 वर्षों में क्या स्थिति होगी परन्तु हमारे सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखाने इस बात को सोच भी नहीं सकते। इसमें हमारा दोष नहीं है क्योंकि हमें प्राप्त होने वाली तकनीकी सहायता ऐसी होती है जिससे हम केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में ही सोच सकते हैं। आगे के लिये नहीं सोचते। हम उन देशों के पास नये प्रकार की प्रौद्योगिकी के लिये जा सकते हैं जिन्होंने हमें मशीनें सप्लाई की थी। तेल शोधन-प्रौद्योगिकी लचीली होनी चाहिये ताकि वस्तुओं की मांग तथा उनके उत्पादन में कोई असंतुलन न रहे।

डिगबोई तेल शोधक कारखाने को लीजिये। यह लाभ कमा रहा है तथा पेट्रोलियम उत्पाद की 100 से अधिक वस्तुयें बना रहा है। आज हमारे तेल-शोधक कारखाने 3 या 4 प्रकार की वस्तुओं से अधिक प्रकार की वस्तुयें नहीं बना पा रहे हैं। प्राक्कलन समिति की सिफारिश के पश्चात् सरकार ने इस समस्या की ओर ध्यान दिया है तथा नये तेल शोधक कारखाने पेट्रोलियमके 3 या 4 पदार्थों से अधिक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने के बारे में सोच रहे हैं।

सरकार को चाहिये कि तेल शोधक कारखाने विभिन्न वस्तुयें बनायें ताकि उनमें घाटा न हो।

आज हम मिट्टी के तेल के आयात पर 8 करोड़ रुपये वार्षिक खर्च कर रहे हैं। मिट्टी के तेल की मांग को पूरा करने के लिये एक ऐसी नीति बनाई जानी चाहिये जिससे शहरी क्षेत्रों में एल० पी० जी० अथवा शहरी गैस तथा अन्य वस्तुयें सप्लाई की जा सकें ताकि मिटी के तेल की मांग कम हो।

आयल इंडिया में भारत सरकार का आधा शेयर है। उनके पास तकनीकी जानकारी है परन्तु वे वहां पर तेल कुएं नहीं खोदते हैं—उनके पास भारत के तेल भंडार का सबसे अच्छा क्षेत्र है। वे 30 लाख मीटरी टन से अधिक तेल नहीं निकालते हैं। सरकार को चाहिये कि उन्हें सभी संभावनाओं को काम में लाते हुये 50 लाख मीटरी टन तक तेल का उत्पादन करने के लिये कहें।

भारतीय तेल निगम को अशोधित तेल के आयात के लिये विश्व निविदायें मांगने के लिये कहा जाना चाहिये। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वह 60,000 टन के टैंकरों का निर्माण करे क्योंकि आगामी 10–12 वर्षों में हमें इतने अधिक अशोधित तेल की आवश्यकता पड़ेगी और इन तेल टैंकरो को हमारी जरुरतें बढ़ जायेगी।

जहां तक उर्वरकों का सम्बन्ध है, उर्वरक कारखानों में हमने 500 करोड़ रुपये लगा दिये हैं परन्तु जितना ज्यादा धन हम उनमें लगाते हैं उतना ही ज्यादा उर्वरक हमको आयात करने पड़ते हैं। आज हम 200 करोड़ रुपये से अधिक का उर्वरक आयात कर रहे हैं।

हम कतिपय निहित स्वार्थ तत्त्वों को खुश करने के लिये वस्तुओं का अधिक आयात कर रहे हैं; रहमतउल्लाह एंड कम्पनी नामक एक कम्पनी में वित्त तथा कृषि मन्त्रालय के कुछ सचिव आदि निदेशक मंडल के सदस्य हैं और वे यह प्रयास करते रहते हैं कि यह कम्पनी प्रत्येक वर्ष उर्वरकों का आयात करे, इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करने के लिये यह कार्य लगातार चल रहा है।

मैंने मन्त्री महोदय से कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था के विकास में पेट्रोलियम रसायन उद्योग समूह की एक बड़ी भूमिका होगी। हम प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये की कपास और अन्य चीजों का

आयात कर रहे हैं और यदि हम संश्लिष्ट रेशे का उत्पादन भी करने लगे तो हम इस 100 करोड़ रुपये को बचा सकते हैं। इसलिये मुझे आशा है कि पेट्रोलियम (रासायन उद्योग समूह आगामी वर्षों से भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा, सरकार को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि आसाम, गुजरात और अन्य स्थानों पर इस उद्योग समूह का विकास हो।

समुद्र के तट से दूर तेल निकालने के कार्य में तत्परता लाई जानी चाहिये। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का कार्य ठीक नहीं चल रहा है। इस आयोग को उडीसा में तेल के लिये सर्वेक्षण करना चाहिये। मुझे आशा है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी। अन्त में मैं इन मांगो का समर्थन करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं आशा करता हूं कि हमारे नये मन्त्री महोदय साहस के साथ इस क्षेत्र में जो कुव्यवस्था पैदा हो गई है उसे दूर करेंगे।

मैं उनका ध्यान उन घोटालों की ओर दिलाना चाहता हूं जिसकी चर्चा इस संसद में तथा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 66वें प्रतिवेदन में की गई है। यह हल्दिया-बरौनी पाइपलाईन घोटाले के बारे में है। इसी प्रकार अन्य घोटालों की ओर भी संसद सदस्यों ने उनका ध्यान दिलाया है।

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पेट्रोलियम और रसायन से संबंधित उपक्रमों के प्रति जनता के मन में कोई आशा उत्पन्न नहीं हुई है। नये मन्त्री महोदय का सर्वप्रथम यह कार्य होना चाहिये कि वह उसमें निहित भ्रष्टाचार को दूर करने का बीड़ा उठाये।

मैं मन्त्री महोदय को याद दिलाना चाहूंगा कि केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने यह निर्णय लिया था कि देश के पूर्वी भाग और आसाम में खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाने की आवश्यकता पूर्ति के लिये हल्दिया मे तेल की पाइपलाइन विछाना अत्यन्त आवश्यक है जिसकी क्षमता 30 लाख टन की होनी चाहिये परन्तु इतनी अवधि बीत जाने के पश्चात् भी यह पाया गया है कि कोयला क्षेत्रों तथा कोयला खानों के चार कतिपय क्षेत्रों में पाईपलाईन इस प्रकार विछाई गई हैं जिनसे कोयला खानों और पाईपलाइन को खतरा उत्पन्न हो गया है। दूसरे कतिपय विदेशी फर्मों से तकनीकी संबंधी जानकारी आदि लेने में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा व्यय करने के पश्चात् भी यह पाया गया है कि यह क्षमता 20 लाख टन के बराबर है जबकि 30 लाख टन की क्षमता होनी चाहिये थी। आसनसोल कोयला क्षेत्र में अंदला और सलनपुर के मध्य जहां पाईपलाइन बिछाई गई है, कतिपय प्रयुक्त कोयला खानों में भूमिगत आग लगी हुई है, यदि उस पाईपलाइन को अन्य स्थान पर लगाया गया होता तो इसमें अतिरिक्त कम से कम 2 करोड़ रुपयों का व्यय आयेगा।

सरकारी उपक्रम संबंधी समिति ने अपने 66वें प्रतिवेदन में उन उच्च अधिकारियों के विरुद्ध निंदात्मक टिप्पणी की है जिन्होंने विदेशी विशेषज्ञों के साथ इन करारों को किया था। उसने इनके विरुद्ध तात्कालिक जांच करने की सिफारिश की है।

जिस उपक्रम के विरुद्ध सरकारी उपक्रम सम्बन्धी समिति ने निंदात्मक टिप्पणी दी होती है उसे 6 महीने के अन्दर उस पर की गई कार्यवाही सम्वन्धी प्रतिवेदन को देना होता है। इस मामले में उपक्रम भारतीय तेल निगम था। उसने यह प्रतिवेदन 30 अक्तूबर, 1970 को प्रस्तुत कर दिया था परन्तु

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उसके निदेशक मंडल ने इस प्रतिवेदन को नहीं देखा और न ही उस पर विचार विमर्श किया। उस पर उन्होंने अपनी कार्योत्तर सहमति भी नहीं दी है, मैं इस प्रकार की अनियतिमत्तिाओं को मन्त्री महोदय के ध्यान में ला रहा हूं जो अभी भी चल रही है।

जैसाकि सभी जानते हैं कि इन अभियोगों की जांच के लिये न्यामूर्ति श्री ठकरु की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग नियुक्त किया गया है जो अभी अपना कार्य कर रहा है। इस संबंध में 40 सदस्यों ने प्रधान मन्त्री को ज्ञापन दिया था जिसमें दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की गई थी।

ठकरु आयोग अपना कार्य कुतब मीनार से भी दूर किसी स्थान पर कर रहा है जो कि दिल्ली शहर से 15–20 किलोमीटर दूर है जिसके कारण मेरे जैसे अन्य लोग, जो इसकी कार्यवाही को देखना चाहते हैं, वहां जाने की स्थिति में नहीं है, जब इस आयोग की नियुक्ति की गई थी तो निर्माण और आवास मन्त्रालय को इसके लिये स्थान देने को कहा गया था परन्तु आश्चर्य की बात है कि उन्हें इसके लिये दिल्ली में स्थान नहीं मिला अपितु यहां से दूर स्थान मिला जिसका किराया 1,800 रुपया प्रति माह है। स्वयं न्यायाधीश सीमित स्थान होने के कारण असंतुष्ट हैं। वहां शौचालय आदि का भी प्रबन्ध नहीं है।

इस मामले में सरकार दो मुंही बातें कर रही है जिसका मुझे दुःख है, सरकार ने श्री नायक को विलम्बित करने का निर्णय किया। वह सेवानिवृत्त होने वाले हैं और इंडियन सिविल सर्विस के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त हुये अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। श्री नायक ने दिल्ली उच्च न्यायालय में निलम्बन आदेश के विरुद्ध चुनौती दी, सरकार ने श्री नायक के विरुद्ध लगाये गये अभियोगों की प्रारम्भिक जांच के लिये न्यायमूर्ति श्री ठकरु को कहा था जिसने श्री नायक को 14 अभियोगों में से 12 में दोषी पाया, इसलिये सरकार ने उसकी चुनौती को न्यायालय में लड़ा और इस प्रकार निलम्बन आदेश को वैध ठहराया गया।

भारतीय तेल निगम तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय का प्रतिनिधित्व एक वकील द्वारा किया जा रहा है। परन्तु मुझे समाचार पत्रों से मालूम हुआ है कि यह वकील श्री नायक की वकालत कर रहे है और इस मामले को दबा रहे हैं। मैं यह सब आरोप गंभीरता से लगा रहा हूं, परन्तु भारत सरकार की ओर से समूचे तथ्यों को पेश करने में श्री ठकरु की सहायता कौन करेगा ? उनके लिये कोई वकील नहीं है।

जब दिल्ली उच्च न्यायालय में श्री नायक के निलम्बन का मामला आया था तो भारत सरकार ने श्री निरेनडे को अपना वकील बनाकर भेजा था परन्तु यहां न्यायाधीश श्री ठकरु के समक्ष होने वाले जांच कार्य में सरकार का कोई वकील नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय दोनों के कार्य क्षेत्र अलग-अलग हैं।

श्री ठकरु ने अपनी प्रारम्भिक जांच में श्री नायक को 14 अभियोगों में से 12 में दोषी पाया है परन्तु मन्त्रालय उसका बचाव कर रहा है। समाचार पत्रों के अनुसार जांच कार्यवाही में रुकावटें पैदा की जा रही है। दस्तावेजों को जांच करने के लिये नहीं दिया जा रहा है तथा एक मामले में जाली फाइल भेज दी गई थी। यह सब क्या हो रहा है?

मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि जांच आयोग को सब सहूलियतें दी जायें क्योंकि यह बड़ा गम्भीर मामला है जिसमें देश का करोड़ों रुपया अन्तर्ग्रस्त है।

मैं मन्त्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि उसी सरकारी उपक्रम सम्बन्धी समिति ने श्री नट्टूर श्रीनिवास राव के निष्कर्षों की जांच की थी। श्री नट्टूर श्रीनिवास राव को जांच कार्य सौंपा गया था। उनके सेवानिवृत्त हो जाने पर भी उन्हें जांच कार्य करते रहने को कहा गया था, सरकारी उपक्रम संबंधी समिति ने उनके निष्कर्षों को निरर्थक बताया, इस प्रकार इस कार्य के लिये बहुत व्यय किया गया।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जांच कार्य पूरा होने तक भारतीय तेल निगम के वर्तमान अध्यक्ष को स्थानांतरित किया जाये। वे अभी भी अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे हैं जिससे जांच कार्य के निष्पक्षता और न्याय में बाधा पड़ेगी। इसलिये मेरी यह मांग है कि जांच कार्य के पूरा होने तक उन्हें स्थानांतरित किया जाये।

दूसरे, क्या मन्त्री महोदय ठकरु समिति की जांच कार्यवाही में श्री नट्टूर को भी शामिल करेंगे कि क्या श्री नूट्टर श्रीनिवास राव का सेवानिवृत हो जाने के पश्चात् उसका जांच कार्यवाही करना अनुचित है या नहीं? वह कैसे जांच कार्यवाही कर सकते हैं?

मेरा तीसरा अनुरोध है कि ठकरु जांच आयोग को कोई अच्छा स्थान दिया जाये। वे ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां किसी बात की सुविधा नहीं है और साधारण जनता भी वहां नही जा सकती है। उन्हें दिल्ली के बीच में कहीं पर स्थान दिया जाये।

यह कहा जा रहा है कि केरल में नेप्था की कमी से वहां पेट्रोलियमरसायन उद्योग समूह स्थापित नहीं किया जायेगा, इससे वहां की सरकार एवं जनता विद्रोह करने पर उतारू हो रही है। उन्हें यह सूचना मिली है कि उनके राज्य से नेफ्था को अन्य राज्य में भेज रहा है सरकार इन सब बातों की जांच करे।

Shri Satpal Kapur (Patiala) : I want to clarify one point that Shri P.C. Sethi or Shri Dalbir Singh have nothing to do with scandals, enquiries, controversies as mentioned by Shri Indrajit Gupta. They are very efficient persons and they are successfully carrying out their work. The period between 1962 and 1966 has been one of crisis because of Chinese attack on us and war with Pakistan. In this sensational period our officials of O.N.G.C. had adopted underhand measure for their personal benefits. I am telling you scandals based on official records. The Auditor General has pointed out scandal of Rs. 4 crores 11 lakhs and 992 in the accounts pertaining to the Store Department of Dehradoon. In this way they have pointed out many other scandals. I will submit all such details to the Hon. Minister.

It appears that O.N.G.C. is following the policy of suppressing every facts. Our I.C.S. officers have found out a way to meet the Audit objections. They tempted an official of Audit department to leave his service and join O.N.G.C. The official acted upon this and today he is a Financial Adviser there.

Mr. Indrajit Gupta has rightly pointed out the work of an Italian Firm. We entered into contract with an Italian Firm for Rs. 5 crores. This firm constructed two wells out

of five wells in 26 months. Even then we paid them full amount. When they did not complete this work, how we paid them money? The same firm was again given the contract and we paid them money in spite of the non-completion of the work. I do hope that another chance will not be given to them.

We purchased rigs for drilling at the cost of Rs. 75 lakhs and spent two crores on the repair of the rigs. If such things go on unabated, then Public Undertakings will have to be closed down. We had to pay Rs. 12.50 lakhs as compensation to a firm of France because we failed to sign the agreement.

It appears that O.N.G.C. has made a practice of giving work to country having hard currency instead of rupee payment country. The reason behind this is that it gives room for corruption and officer earn money by illegal ways. I am saying this with all seriousness and demand that enquiry should be conducted in this matter.

We invested Rs. 6 crores for the exploration of black gold in Ellibeth area, but the work was closed and we had to suffer loss. Then we arranged a ship from Japan for drilling purposes but no insurance company was prepared to insure it. We realised less Rs. 1 crore from Burma Shell. As this is an audit objection so enquiry should be conducted to know the fact. As regards to Thakur Commission, its work is being hampered due to non-co-operation of the Secretary of this Ministry. He says that all the required documents are pri-villeged so they cannot be submitted.

The Public Undertakings Committee and the Public Accounts Committee have given their strictures on all these matters. As the time is limited so I would say that firstly some officers should be suspended and then some judicial enquiry may be conducted. Those found guilty should be punished. Further I want that all foreign oil companies should be nationalized.

*श्री सी० **चित्तिबाबू** (चिंगलपट) : पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट की भूमिका में श्री प्रकाशचन्द सेठी के स्थान पर श्री डी० आर० चव्हाण को मन्त्री दिखाया गया है। अधिकारियों ने इस बारे में शुद्धि-पत्र भी जारी नहीं किया है और मैं समझता हूं कि यह जान बूझकर किया गया है। आज से लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व इसी प्रकार का व्यवहार तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री के साथ किया गया था जबकि मद्रास के निकट मनाली तेल शोधक कारखाने के उद्घाटन समारोह में उन्हें आमन्त्रित नहीं किया गया था। मद्रास में अंडमार स्थित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसधान परिषद के भवन समूह के उद्घाटन समारोह में भी उन्हें आमन्त्रित नहीं किया था। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे अधिकारियों को इस आशय के आदेश दें कि भविष्य में इस प्रकार का अभद्र व्यवहार न किया जाए।

रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मद्रास पत्तन की बाहरी बन्दरगाह परियोजना के पूर्ण होने में विलम्ब होने के कारण मद्रास तेल शोधक कारखाने में अशोधित तेल के परिवहन की लागत काफी बढ़ गई है जिससे

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर

Summarised Translated version based on English Translation of speach delivered in Tamil.

तेल शोधक कारखाने की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मैं मन्त्री महोदय को यह सुझाव देना चाहता हूं कि उन्हें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिये कि मद्रास की बाह्य बन्दरगाह परियोजन का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा हो ताकि तेल शोधक कारखाने को घाटे से बचाया जा सके।

मद्रास उर्वरक कारखाने को दिसम्बर, 1966 में स्थापित किया गया था परन्तु परियोजना का कार्य निर्धारित अवधि में पूरा नहीं हो सका है। वाणिज्यिक उत्पादन अक्तूबर 1971 में आरम्भ होने की संभावना है। कार्य के पूरे होने में विलम्ब का एक मुख्य कारण यह भी है कि वहां मजदूर हड़तालें करते रहे हैं। माननीय मन्त्री महोदय को इस प्रश्न पर शीघ्र विचार करना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि परियोजना में यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ हो। विदेशों से प्रति वर्ष आयात किये जाने वाले उर्वरकों की भारी मात्रा को ध्यान में रखते हुये, यह आवश्यक है कि देश की परियोजनायें ठीक समय पर पूरी हों।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० 1961 में स्थापित किया गया था और एक दशक के बाद कुल बिक्री 11.60 करोड़ रु० की हुई है। कार्यकरण-परिणामों के अनुसार 7 करोड़ रुपये के घाटे का पता चलता है। वर्ष 1971-72 के लिये कार्य-विश्लेषण को अत्यधिक लाभप्रद दिखाया गया है। इनमें किस प्रकार सामजस्य हो सकता है।

यदि घाटे के कारणों का विश्लेषण किया जाय, तो पता चलेगा कि सारी व्यवस्था में ही अनेकों त्रुटियां हैं। मद्रास में सर्जीकल इंस्ट्रमेन्ट्स संयन्त्र की स्थापना के छह वर्ष बाद भी कुल बिक्री केवल 47 लाख रुपये ही हो सकी है। समाचारों में कई बार समाचार प्रकाशित हुआ है कि वहां मशीनें काफी पुरानी हैं। संसद की सरकारी उपक्रम सम्बन्धी समिति ने इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें भी की हैं। उन सिफारिशों को शीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

अशोधित तेल के आयात पर होने वाला व्यय बढ़ता ही जा रहा है। और यह अब 133 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है। हम कब तक दुर्लभ-विदेशी मुद्रा को बरबाद करते रहेंगे। मन्त्री महोदय बतायें कि अशोधित तेल की आवश्यकताओं में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये मन्त्रालय क्या कार्यवाही कर रहा है।

तमिलनाडु सरकार तूतीकोरिन में 6,000 एकड़ क्षेत्र में औद्योगिक बस्ती बना रही है। केन्द्रीय सरकार को वहां एक तेल शोधक कारखाने की स्थापना करनी चाहिये ताकि उद्योगों के लिये अपेक्षित ईंधन की आवश्यकता को उस तेल शोधक कारखाने में शोधित तेल से पूरा किया जा सके।

तमिलनाडु सरकार राज्य की सुदृढ़ आर्थिक प्रगति के लिये मनाली में एक पेट्रो-रसायन उद्योग स्थापित करने का अनुरोध करती रही है। दी इंजीनियर्स इण्डिया लि० की संभाव्यता रिपोर्ट से पता चलता है कि वहां ऐसे उद्योग समूह की स्थापना करना सुविधाजनक होगा। इस बारे में सरकार को शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये।

मई, 1970 में तमिलनाडु सरकार ने एक नेफ्था क्रेकर यूनिट की स्थापना के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी थी। $5\frac{1}{2}$ लाख टन नेफ्था प्रति वर्ष आयात किया जाता है। इसे दृष्टि में रखते हुये इस कारखाने की स्थापना का महत्व और बढ़ जाता है। अगर इस एकक की स्थापना के लिये अनुमति नहीं दी जाती, तो इस परियोजना के सह नियोजकों आई० सी० आई० (प्रा०) लि०

ने इस प्रयोजन के लिये सिंगापुर जाने की धमकी दी है। मन्त्री महोदय को इस प्रस्ताव पर विचार करके अपेक्षित कार्यवाही करनी चाहिये। तमिलनाडु में नायलान फेक्टरी की स्थापना के लिये भी शीघ्र अनुमति दी जानी चाहिये।

तमिलनाडु के लम्बे समुद्र-तट और समुद्री जल में अभी तक तेल निकालने के लिये खोज-कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, यद्यपि वहां तेल होने की काफी सम्भावनायें हैं। विशाल भूमिगत सम्पत्ति को निकालने के लिये मन्त्री महोदय को प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिये।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में भारी कदाचार और भ्रष्टाचार व्याप्त है। 50 लाख रुपये के घोटाले के समाचार को सुनकर देश स्तब्ध रह गया। मैं यह मांग करता हूं कि इस बारे में एक जांच आयोग की स्थापना की जानी चाहिये। लोक लेखा समिति ने इसकी बड़ी आलोचना की है और कुछ उपचारात्मक उपायों का भी सुझाव दिया गया है। उन सुझावों को क्रियान्वित किया जाना चाहिये। यदि सरकारी संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने में सरकार सफल नहीं होती है, तो देश की जनता सरकार में अपना विश्वास खो देगी।

श्री बी० वी० नायक (कनारा): सदन में प्रस्तुत की गई प्रशासनिक रिपोर्ट से इस आश्चर्यजनक तथ्य का पता चलता है कि लगभग 194 रसायनों के मामले में वास्तविक उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में काफी कम है। हमारी क्षमता का वर्तमान उपयोग, चाहे यह उर्वकों या रसायनों या उत्पादन के किसी अन्य क्षेत्र में हों, चाहे गैर-सरकारी अथवा सरकारी क्षेत्र में हो, बहुत ही कम है। केवल एक ही औषधि का वास्तविक, उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता 2000 किलोग्राम की तुलना में लगभग तीन गुना है और वह है ओपियम अल्कलाइड। मन्त्रालय को इस बात की जांच करनी चाहिये कि गन्धक, गन्धक के तेजाब, सुपर फास्फेट आदि का उत्पादन कम क्यों हैं। कहीं इसका कारण कच्चे माल की कमी तो नहीं है। कहीं इसका कारण कोई अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह तो नहीं है। इसका पता लगाया जाना चाहिये।

मैसूर राज्य में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के उत्तरी कनारा जिले में एक एकाधिकार उद्योग गृह मै० कर्मचन्द थापर को बल्लरपुर पेपर एण्ड स्ट्रा बोर्ड लिमिटेड के लिये मन्त्रालय द्वारा एक आशय-पत्र जारी किया गया है। मैसूर की सरकार जो अब सत्ता में नहीं है, उसने उक्त फर्म को लगभग 30,000 टन कास्टिक सोडे के प्रति वर्ष उत्पादन के लिये साइसेन्स दिया गया था। मैसूर औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड के माध्यम से मैसूर सरकार तटीय क्षेत्रों में रहने वाले गरीब किसानों की भूमि का अधिग्रहण कर रही है। इन किसानों के पास 20 या 30 गुन्टों से अधिक भूमि नहीं है और यह भूमि नमक के उत्पादन के लिये अत्याधिक सस्ती दरों पर पूर्वी भारत के एक उद्योगपति के लिये खरीदी जा रही है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इसकी जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि मेरे जिले के गरीब किसानों के साथ अब और अधिक अन्याय नहीं किया जाये। मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने पर उन्होंने कहा कि अगर आवश्यक हुआ तो वे इस कारखाने को दक्षिण कनारा जिले में स्थानांतरित कर देंगे। यह अद्योगिकरण की गति के विरुद्ध होगा। मैं उत्तर और दक्षिण कनारा जिलों के बीच विवाद भी खड़ा नहीं करना चाहता। मैं तो यह अनुरोध करता हूं कि इस बारे में व्यापार गृहों के कारनामों की और अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच की जानी चाहिये।

13 लाख टन नाइट्रोजन खाद 5,000 लाख टन उर्वरक के बराबर होती है। 1968 में इस देश में उर्वरकों के नियन्त्रित वितरण की नीति को बदल दिया गया था। पहले उर्वरकों का वितरण

किसानों को समान कीमत पर किया जाता था। परन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र के दबाब के कारण उर्वरकों के नियन्त्रित वितरण की नीति को 1968 में बदल दिया गया है। इस सदन में भी शहरी क्षेत्र की जनता की आवाज को तो उठाया जाता है, परन्तु गरीब किसानों की आवाज को कोई नहीं उठाता। चावल, गेहूं आदि खाद्यानों की कीमतों में वृद्धि होने पर तो आवाज उठाई जाती है, परन्तु कृषि यन्त्रों, उपकरणों, उर्वरकों, कीटनाशक दवाईयों आदि की कीमतं कम करने के बारे में आवाज नहीं उठाई जाती। में यह कहना चाहूंगा कि उर्वरकों आदि के बारे में उत्पादन-प्राथमिकताओं का निर्धारण करते समय अथवा इस बारे में योजना बनाते समय इस देश के गरीब किसानों की आवाज को भी सुना जाना चाहिये।

मेरी पार्टी जनता मे भारी बहुमत प्राप्त करके इस सदन में आई है। हम जनता को सामाजिक न्याय देना चाहते हैं। खाद्यानों की कीमतें कम होनी चाहिये। पैट्रोलियम और रसायन, रेलवे और कृषि मन्त्रालय की यह ठोस और रचनात्मक नीति होगी, अगर वे उर्वर्को और कृषि संबंधी उपकरणों की कीमतों में कमी कर सकें।

पैट्रो-रसायन उद्योग समूह के लिये मैसूर में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं और उसका पश्चिमी तट इसके सर्वाधिक उपयुक्त है, मैं मन्त्री महोदय से इस ओर ध्यान देने का अनुरोध करुंगा।

श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुये

[Mr. K. N. Tiwari in the Chair]

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : हमारे देश के औद्योगिक उद्योग के अन्तर्गत 100 बड़े और मध्यम प्रकार के तथा 2800 छोटे आकार के कारखाने हैं जो होम्यो-पैथिक औषधियों का उत्पादन करते हैं। 64 फर्मों में विदेशी स्वामित्व अथवा नियन्त्रण का अंश है।

स्वाधीनता प्राप्ति के समय अधिकांश औषधियों का आयात किया जाता था और यहां केवल उनका परिष्करण किया जाता था। तब से सरकार द्वारा इस उद्योग का नियमित विकास करने के लिये की गई विभिन्न कार्यकारियों के परिणामस्वरूप औषधि-निर्माण उद्योग अब एक बड़ा उद्योग बन गया है। देश में अधिकांश औषधियां के उत्पादन को बढ़ाने और आयतित मध्यवर्ती तथा बुनियादी रसायनों के स्थान पर देशी रसायनों का इस्तेमाल करने के लिये सतत प्रयास किये जा रहे हैं। विभिन्न तकनीकों के विकास के कारण अब विभिन्न औषधियों के मौलिक निर्माण में देशी रसायनों का अब अधिकाधिक प्रयोग होने लगा है।

1948 में इस उद्योग द्वारा 12 करोड़ रु० मूल्य की सामग्री का उत्पादन होता था जो अब बढ़कर 250 करोड़ रु० का होने लगा है। इस उद्योग में वर्ष 1952 में 24 करोड़ रु० की पूंजी लगी हुई थी, जो अब बढ़कर 150 करोड़ रु० हो गई है।

मूल्यों के बारे में सदस्यों ने प्रश्न पूछे हैं। इस बारे में मुझे यह कहना है कि वर्ष 1970-71 में सरकार द्वारा औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 नाम से एक नया आदेश जारी किया गया था। 1962 और 1963 में जारी किये गये पहले के आदेशों के अनुसार औषधियों के मूल्य पर सांविधिक नियन्त्रण था, परन्तु उक्त आदेशों के अनुसार औषधियों का मूल्य 1-4-1963 के मूल्य पर स्थिर कर दिया गया था। औषधि-मूल्य (प्रदर्शन और नियन्त्रण) आदेश, 1966 के द्वारा औषधि निर्माताओं के लियें यह अनिवार्य कर दिया गया था कि वें मूल्य बढ़ानें

से पूर्व सरकार की अनुमति ले लें। इस बारे में भी शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि भारत में औषधियों के मूल्य बहुत अधिक हैं और उन्हें कम किया जाना चाहिये। औषधि उद्योग भी मूल्य नियन्त्रण उपायों का विरोधी था। वर्ष 1966 में सरकार ने 18 आवश्यक औषधियों के लागत मूल्य ढांचे और उनकी उचित कीमतें निर्धारित करने का कार्य टैरिफ आदेश को सौंपा था। उनकी सिफारिशों के आधार पर 16 मई, 1970 को एक बहुत व्यापक आदेश जारी किया गया। इसमें दी गई रूपरेखा के अनुसार 17 आवश्यक समूह औषधियों के मूल्य को निर्धारित कर दिया गया है। अन्य समूह औषधियों के मूल्य को मई, 1970 की कीमत के स्तर पर स्थिर कर दिया गया है। खुदरा मूल्यों का हिसाब लगाने के लिये एक संशोधित सूत्र बना दिया गया है। थोक और खुदरा विक्रेताओं के लिये कमीशन की न्यूनतम दरें निर्धारित कर दी गई हैं। एक बार निर्धारित मूल्यों का संशोधन और नये पैकों तथा नये फाईलों के मूल्यों का निर्धारण करने से पूर्व सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। इस आदेश द्वारा मूल्यों को युक्ति संगत बनाने के परिणाम-स्वरूप 114 प्रमुख औषधि-निर्माताओं के लगभग 45 प्रतिशत उत्पादों में कमी की गई है जबकि लगभग 11 प्रतिशत उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि हुई है और अन्य उत्पादों के मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जिन मामलों में मूल्यों में वृद्धि हुई है, उन सबमें वृद्धि होने का कारण कच्चे माल की लागत तथा अन्य लागत-मूल्यों में वृद्धि हो जाना है। हमारा अनुमान है कि मूल्य नियन्त्रण उपायों के परिणामस्वरूप उपयोक्ताओं को 20 करोड़ रुपये का लाभ होगा।

वर्ष 1970-71 में सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया था कि कुछ महत्वपूर्ण समूह-औषधियों और अध्यवर्ती उपायों का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाये। उक्त प्रकार की आयात की जाने वाली औषधियों में से अधिकांश का देश में ही उत्पादन होने लगा है, परन्तु वर्तमान उत्पादन देश की माँग को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है। सामान्यतः आयातित औषधियों का मूल्य देशी औषधियों की अपेक्षा कम होता है। औषधियों के मूल्यों में समानता लाने और उनके मूल्यों में कमी करने की दृष्टि से सरकार ने एक प्रणाली निर्धारित की है जिसके अनुसार आयातित और देशी औषधियों को एकत्रित कर लिया जाता है और उन्हें समान मूल्य पर बेच दिया जाता है।

नये मूल्य नियन्त्रण उपायों का एक प्रभाव यह भी पड़ा है कि छोटे एककों को नियोजित क्षेत्र, विशेषतया विदेशियों के स्वामित्व वाली अथवा विदेशियों के नियन्त्रणाधीन कम्पनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। घोटे पैमाने के एककों की कठिनाइयों का पता लगाने और उन्हें दूर करने के लिये उपयुक्त उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिये एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया था, जिसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। सरकार ने उस दल की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। कुछ फार्मूलों को छोटे पैमाने के एककों के लिये सुरक्षित रखने के प्रस्ताव पर भी सरकार विचार कर रही है।

इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड के, एन्टीबायोटिक्स प्लांट ऋषिकेश, सिन्थेटिक ड्रग्स प्लांट, हैदराबाद और सर्जिकल इन्स्ट्रूमेंट्स प्लांट मद्रास, तीनों कारखानों की प्रगति संतोषजनक है। एन्टीबायोटिक्स प्लांट की तकनीकी कठिनाईयां समाप्त हो गई हैं। अपर्याप्त विद्युत के सप्लाई मामले पर मुख्य मन्त्री के साथ बातचीत की जा रही है।

सिन्थैटिक ड्रग्स प्रोजेक्ट में उत्पादन में वृद्धि हुई हैं। इस समय वहां से उत्पादन प्रतिष्ठापित क्षमता का 80 प्रतिशत मिल रहा है। उत्पादन में और वृद्धि होने की पर्याप्त संभावना है।

सर्जिकल इन्स्ट्रमेंट्स प्लांट के उत्पादों की मांग बहुत कम थी। अब स्थिति में सुधार हुआ है और संयंत्र को 49.39 लाख के क्रमादेश प्राप्त हुये हैं। गत वर्ष की अपेक्षा यह उत्पादन चार गुना बढ़ गया है। चालू वर्ष में संयंत्र की स्थिति में और सुधार होने की संभावना है।

यह सरकारी उपक्रम जब से चालू हुआ है इसमें तभी से हानि हो रही है। वर्ष 1969–70 में यह हानि 918.44 लाख रुपये थी जो घटकर 1970-71 में 710.50 लाख रुपये रह गई है। हानि का मुख्य कारण ऋषिकेश संयंत्र को बिजली की अपर्याप्त सप्लाई होना है। हाल ही में बिजली खराब हो जाने से 32.3 लाख रुपये की हानि हुई थी। इसके बावजूद भी प्रबन्धकों का विचार है कि यदि कोई गतिविधि उत्पन्नन हुआ तो कम्पनी को 1972–73 में थोड़ा लाभ होने की आशा है।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड में कई वर्षों से लाभ की स्थिति चल रही है इस कम्पनी के सामने मुख्य समस्यां हैं (एक) अक्सर बिजली खराब रहना (दो) पुरानी होने के कारण मशीनों का खराब होते रहना (तीन) पोन्सेलिन को अधिक प्रतितूता में रद्द किया जाना (चार) अच्छे किस्म के सोयाबीन की कमी। कम्पनी इन समस्याओं के प्रति जागरूक है और इन्हें दूर करने के उपाय कर रही है।

इन दो सरकारी उपक्रमों का उत्पादन देश के कुल उत्पादन का 6 प्रतिशत है। निश्चय ही यह कम है परन्तु इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। और इन दो सरकारी उपक्रमों में लभभग 9 करोड़ रुपये के मूलय की औषधियों का निर्माण होता है जब कि देश में कुल 35 करोड़ रुपये की औषधियों का उत्पादन होता है। इस बारे में ध्यान दिया जाना चाहिये।

पैट्रो-रसायन उद्योग के बारे में भी कुछ सदस्यों ने अपनी रूचि प्रदुर्शित की है। इस क्षेत्र में भी हम प्रगति कर रहे हैं। गुजरात उमें पैट्रो-लियम रसायन उद्योग समूह के तीन आधारभूत कारखाने हैं। इनसे देश को 1,20,000 टन प्लास्टिक, 20,000 टन संश्लिष्ट रबड़, 68,000 टन साधारण धागे तथा 30,000 टन अन्य प्रकार की कच्ची सामग्री उपलब्ध होगी। 64,000 से 6,000 तक संशिलष्ट धागे बनाने की योजना है। इससे कई तरह उन की बढ़ती हुई मांग कम होगी तथा संशिसेष्ट धागो की बढ़ती हुई मांग पूरी हो सकेगी। इसके साथ ही रूई तथा ऊन के आयात पर जो विदेशी मुद्रा व्यय होती है उसमें बचत हो सकेगी।

संश्लिष्ट रबड़ के उत्पादन से मांग तथा पूर्ति का अन्तर पूरा हो सकेगा। रबड़ से लेकर, टायर, ट्यूब, बैल्ट तथा अन्य दूसरी औद्योगिक और उपभोक्ता वस्तुयें तैयार की जाती हैं, अतः यह महत्वपूर्ण कच्चा माल है। मैं समझता हूं इस परियोजना के पूरा होने पर रबड़ की वस्तुयें बनाने वाले उद्योगों की मांगे पूरी की जा सकेंगी।

इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिये अग्रेतर योजना बनाने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि जो परियोजनाओं चौथी योजना में पूरी की जाती हैं वे इसी अवधि में पूरी हो जायेंगी।

Dr. Laxminarayan Panday (Mandsan) : The Ministry deals with the natural resources and the petroleum and chemicals possess vide importance in our national economy. They do not only earn foreign exchange but also help in reducing the pressure on our foreign exchange payable for our imports.

There are the charges of corruption against the Chairman of I.O.C. In order to have a just and honest inquiry he should be suspended. There is a large scale bungling of stores in I.O.C. and no physical verfication has been made yet. The hon. Minister should look into the matter and should take story stongh.

We are not properly utilising natural resources like gas and petroleum etc. Some experiments regarding oil and gas were made in Gujarat. The gas available in Gujarat is not having properly utilized because of the differences between O.N.G.C. and Gujarat Government regarding the price of the gas. The hon. Minister should try to resolve the differences so that the gas may be used properly.

I would take to draw the attention of the Minister towards his statement made on 18th or 19th June to press correspondents on Ratlam Station in which he had mentioned that foreign oil companics would be nationalized. What is the Government policy in this regard, may I know whether they have prepared any plan to nationalize these foreign oil companies,?

We are not reacting our target of Petro-chemicals or Petroleum products the prices of petrol and kerosene oil are continuously rising. Attention should be paid to this matter.

We can produce so many Chemicals in our country and can save foreign exchange from them. Here, I would like to mention only one chemical, namely Phenyl acetic acid. It is a useful chemical in the manufacture of many products. These products may be utilized in medical and Agricultural fields. Like Phenyl accetic acid we may produce certain other chemical also which may be utilized not only in medical and Agricultural fields but in certain other fields also.

The Ministry had stated in their last year's report that a fertilizer factory at Korba in Madhya Pradesh is under consideration. The same thing has been repeated in this year's report also. The hon. Minister should announce Governments' decision in this matter. We are importing huge quantities of fertilizers and spending valuable foreign exchange. The demand for fertilizers is increasing day by day. We have got in plenty the raw materials, inspite this we are not going to set up a fertilizer factory at Korba. This factory should be established very soon. The units at Sindri, Travancore and Madras should also be expanded and the production be increased.

The Government has announced so many times that they are going to stop the imports of certain medicines like Tetracyclin, Penicillin, B. Complex, Vitamin C, B1 and B2 etc. from other countries. The Government on the other hand asertains that the import of the above mentioned medicines is comparatively cheaper to indigenous medicines. If such is the view of the government they would never be able to stop such imports. Hindustan Antibiotics. Rishikesh and Syntheic drugs, Hyderabad may prove very much effective as regads manufacture of medicines is concerned. We should try to improve the working of these projects and take remedial steps to the causes responsible for the fall in production. In case proper steps are taken to improve the production in these projects, we may be able to meet our medicinal requirements.

There are prossibilities of production of Caustic Soda and Soda Ash in Madhy Pradesh. The government should examine the possibility for their production and try to set up a plant at Nagda. There are possibilities of producing Alchohol from Molasses. I would like to know, whether the government is trying to establish a plant for preparing Alchohol out of Molasses in Madhya Pradesh?

श्री धामनकर (भिवंडी) : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का कार्य सफलतापूर्वक चल रहा है। मजदुरी सन्बधी कुछ कठिनाइयां हैं जैसे बोनस का मामलों, नियुक्ति तथा स्थायित्व और वेतन ढाँचा आदि के मामले। मुझे आशा है मन्त्री महोदय इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करेंगे।

लुबरीजोल इन्डिया लिमिटेड तथा ल्यूबे इन्डिया लिमिटेड सरकारी क्षेत्र के दो नये एकक हैं । इनमें भ्रष्टाचार आरम्भ हो गया है। यह सुनिश्चित कराया जाना चाहिये कि इनमें भ्रष्टाचार न पनपे ।

भारतीय तेल निगम ने बेरोजगार इंजीनियरों के लिये एक नयी योजना बनाई है जो प्रशंसनीय है और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी सराहना करनी चाहिये। कम्पनी से सम्बन्ध लोगों की शिकायत है कि यहां कुप्रबन्ध फैला हुआ है। कम्पनी की कीमतें विदेशों कम्पनियों के अनुसार ही हैं परन्तु विनियोजन के अनुसार लाभ की मात्रा कम है। यदि उच्च कार्यकारी प्रबन्धक गैर-सरकारी क्षेत्र से नियुक्त किये जायें जिनपर प्रत्येक बात का सीधा दायित्व हो तथा लाभ को कार्यकुशलता से सम्बन्ध कर दिया जाय तो समस्या का शीघ्र समाधान हो सकता है। गुजरात उर्वरक से बहुत अच्छे लाभ प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि इसका संचालन यह गैर-सरकारी प्रबन्धक के हाथ में है। मन्त्री महोदय को इस प्रस्ताव पर ध्यान देना चाहिये।

तेल शोधक कारखानों का कार्यकरण में सुधार करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिये। इंजीनियर्स इन्डिया की प्रशंसा की जानी चाहिये। इनका कार्य बहुत अच्छा है। यही कारण है कि गैर-सरकारी तथा विदेशी कम्पनियां भी इन्हें अपने यहां काम देती हैं। इन्होंने उर्वरक समूह, पेट्रो-रसायन उद्योग समूह तथा तेल शोधक कारखानों के डिज़ाइन बनाकर प्रशंसनीय कार्य किया है।

डा० काने समिति ने बम्बई, बरौनी, मद्रास, कोयाली, और हल्दिया पांच पेट्रो-रसायन केन्द्रों की सिफारिश की थी। इनमें से बम्बई केन्द्र 1968 से चालू स्थिति में हैं । कोयाली परियोजना के 1970-71 तक चालु होने की आशा थी परन्तु क्योंकि ब्रिटिश समझौता देरी से हुआ था, इसलिये इस परियोजना के 1974 तक चालू होने की आशा की जाने लगी। इसके पूरा न होने के कारण, प्लास्टिक, संश्लिष्ट धागे, तथा अन्य दूसरी संश्लिष्ट सामग्री की कमी है। इस का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये।

संश्लिष्ट तथा अन्य प्रकार के धागे तथा संश्लिष्ट रबड़ बनाने के कार्य रुके पड़े हैं, उनमें कोई प्रगति नहीं हुई है। भारतीय रसायन निर्माता संघ ने दो वर्ष पूर्व जो उर्वरक की एक रेखा की थी अभी तक मन्त्रालय इस सम्बन्ध में निर्णय करने में असफल रहा है। यह रूपरेखा डा० त्रिगुण सेन के सम्मुख भी प्रस्तुत की गई थी जो तात्कालिक मन्त्री थे। खेद की बात है कि आज तक योजना को न अपने हाथ में लिया गया है और न ही उसे अन्तिम रूप दिया गया है। स्पष्ट है कि राष्ट्रीय दृष्टि कोण से अत्यावश्यक उर्वरक और रसायन के दोनों कार्यक्रमों के मामले में पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय को श्रेष्टतर राय की आवश्यकता है।

बहुत सी वस्तुओं का आयात राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम को सौंपा गया है। निर्माताओं को बहुत सी वस्तुओं के बारे में कठिनाईयां होती हैं। जो भी वस्तुयें इन नियमों द्वारा मंगाई जाती हैं वे मंहगी हैं तथा माल नियमित ढंग से नहीं मिलता है। यदि ऐसी कठिनाईयां चलती रहेगी तो उत्पादन में कमी हो जायेगी।

दि इन्डियन डाईस्टफ्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड मोना एन्थराकुनेन, तक उससे बनने वाली दूसरी वस्तुओं का निर्माण कर रही है। इनका निर्माण किया जाता है जबकि इनके उपयोग कर्ताओं को इन वस्तुओं के आयात की अनुमति है। मन्त्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये और ऐसी वस्तुओं का आयात बन्द किया जाना चाहिये।

श्री सोमचन्द सोलंकी (गांधी नगर) : पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्रालय के अन्तर्गत बहुत से सरकारी उपक्रम हैं। सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि भूमि के अन्दर कौन-कौन से पदार्थ उपलब्ध हैं जो देश के लिये उपयोगी हैं।

आंकड़े देखने से ज्ञात होता है कि देश में अशोधित तेल, पेट्रोलियम उत्पाद तथा उर्वरकों का उत्पादन बढ़ रहा है फिर भी हम अभी तक देश की आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल नहीं हो सके हैं।

गुजरात में पीठापुर स्थित मैसर्स टाटा कैमिकल्स लिमिटेड प्रस्तावित योजना के अनुसार कार्य कर रही है। इसका कार्यकरण संतोषजनक नहीं है। इसको बढ़ाया जाना चाहिये जिससे देश को अधिक लाभ हो सके। सरकार को डी० एम० टी० (डाईमैथिल टिरेप्थालेट) की क्षमता बढ़ानी चाहिये तथा केपरोलैक्टम की लाईसेंस क्षमता बढ़ानी चाहिये। यदि यह कार्य पूरा हो जाता है तो संश्लिष्ट धागे देश में उपलब्ध हो सकते है। इससे और भी अन्य लाभ होंगे। बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा और यदि इन परियोजनाओं का विस्तार किया जाय तो तकनीशियनों तथा इंजीनियरों की बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकती है।

सरकार को पोलिस्टर फिलामेंट की जो कपड़ा उद्योग में सैलूलोज धागों के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है, कुछ क्षमता बढ़ाने की अनुमति देनी चाहिये। इससे पोलिस्टर, नायलन, टेरीलीन, और पोली प्रोयेटिन, फिल्लामेंट का, जिसकी कपास के साथ मिलाकर कपड़ा उद्योग के लिये प्रयोग में लाया जाता है, उत्पादन किया जा सकेगा और यह बड़ा सस्ता भी पड़ेगा। इसके लिये कच्चा माल भी सुविधा से मिल जाता है अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि यह इसके उत्पादन को बढ़ाये।

जहां तक गुजरात में खम्मात और कच्छ में नये छिद्रण केन्द्रों का सम्बन्ध है, इस बारे में कुछ सर्वेक्षण कार्य पहले ही किया जा चुका है, और अब यह कार्य तुरन्त आरम्भ किया जाना चाहिये। परिवहन की दृष्टि से नर्मदा का तेल पत्तन बहुत उपयुक्त रहेगा इसका पूरा विकास किया जाना चाहिये।

गुजरात में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और भारतीय तेल निगम का कार्यकरण बहुत ही असंतोषजनक है। गुजरात के लोगों की यही इच्छा है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और भारतीय तेल निगम राज्य सरकार के क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिये जाने चाहियें।

गुजरात को गैस तथा ईंधन तेलों की सप्लाई के लिये कीमत निर्धारित करने हेतु तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने प्रयोगात्मक कुओं तथा सब विकास लागत को राजस्व व्यय के रूप में माना है। केन्द्रीय सरकार,

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और भारतीय तेल निगम को यह गुजरात राज्य की सद्भावना समझनी चाहिये और गुजरात के लोगों को गैस और ईंधन तेल को सस्ती दरों पर इस्तेमाल करने का अधिकार होना चाहिये।

जहां तक गैस की कीमत निर्धारित करने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में श्री वी० के० आर० वी० राव को मध्यस्थता करने के लिये नियुक्त किया था। उन्होंने 23-9-68 को पंचाट पेश किया। उन्होंने गुजरात सरकार का 'लागत जमा' फार्मूला स्वीकार किया और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का यह तर्क बन्द कर दिया कि प्रतिस्थापन ईंधन की उष्णीध समानता पर गैस की लागत को नियत किया जाये।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने गुजरात सरकार से परामर्श किये बिना ही तथा लोगों की ओर ध्यान दिये बिना ही गैस की कीमत मनमाने तौर पर निर्धारित कर दी है। आखिर यह भूमि तो गुजरात के लोगों की है जहां कि यह तेल और प्राकृतिक गैस पैदा होती है लेकिन उन्हीं लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है।

अन्त में मैं सरकार से अनुरोध करुंगा कि वह गैस की कीमत शीघ्र अति शीघ्र निर्धारित कर दे ताकि लोग इसको उपयोग में ला सकें और वह बर्बाद न हो।

श्री उमीकृष्णन (बडागरी) : यह प्रसन्नता की बात है कि इस मन्त्रालय की बागडोर एक सक्षम तथा कुशल व्यक्ति के हाथों में दे दी गई है और मैं श्री पी० सी० सेठी को इसके लिये बधाई देता हूं। यदि उनका दर्जा राज्य स्तर के मन्त्री से बढ़ाकर मन्त्रिमण्डल स्तर तक कर दिया जाये तो मैं समझता हूं कि और भी अच्छा हो क्योंकि कुछ समय से यह मन्त्रालय ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप इस मन्त्रालय के अन्तर्गत सभी उपक्रमों में पूरी तरह से कुप्रबन्ध हो गया है। इस मन्त्रालय में एक ऐसा गुट है जिसने इसको अपने हाथ में ले लिया है और यह गुट हमारी उन नीतियों को विफल बनाने का प्रयत्न कर रहा है जिन्हें हम कार्यान्वित करना चाहते हैं। मैं कोई व्यर्थ के आरोप नहीं लगा रहा और मैं उन व्यक्तियों के नाम नहीं लेना चाहता जो हमारी नीतियों को सफल होने देना नहीं चाहते हैं।

मैं भारतीय तेल निगम के विषय में, जोकि सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम है, कुछ कहना चाहूंगा। गत वर्ष इस निगम ने 670 करोड़ रुपये का लेन-देन किया था और लगभग 20 करोड़ रुपये का लाभ दिखाया था किन्तु वास्तव में उत्पादन शुल्क ने इसको निष्प्रभावी कर दिया है। इस का बाजार में 50 प्रतिशत भाग था उसको देखते हुये लाभ की यह मात्रा बहुत कम है। यह लाभ 40 करोड़ रुपये या उससे अधिक होना चाहिये था किन्तु भारतीय तेल निगम में पूर्ण कुप्रबन्ध होने के कारण अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं कि अब यह समझ नहीं पा रहे कि किधर बढ़ें।

यह आश्चर्यजनक है कि इस प्रमुख सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में भर्ती की कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है। इस उपक्रम में एक अधिकारी का वेतन लगभग 1,200 रुपये से भी आरम्भ होता है। इस कारण भारतीय तेल निगम में नियुक्तियों के लिये संघर्ष होता रहा है और इस संघर्ष के कारण ऐसा भाई भतीजावाद तथा भ्रष्टाचार फैल गया है कि ऐसा आज तक किसी भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में नहीं देखा गया। भर्ती करने के कोई नियम ही नहीं हैं केवल 1969-70 में ही 75 से अधिक बिक्री अधिकारी तथा 100 अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की गई न ही उनकी कोई लिखित परीक्षा ली गई और न नौकरी के लिये कोई विज्ञापन समाचारपत्रों में प्रकाशित किया गया।

यह सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों में से एक है जहां प्रबन्ध सम्बन्ध कोई प्रतिवेदन पेश नहीं किया जाता। भारतीय तेल निगम में एक वर्ष से अधिक समय से कोई वित्तीय नियंत्रक नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि तब से इस स्थिति में कुछ सुधार किया गया है या नहीं। बोर्ड को त्रैमासिक वित्तीय विवरण बिल्कुल पेश नहीं किये जाते। जब तक सर्वोच्च प्रबन्धकों में परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक इसमें सुधार नहीं किया जा सकता है। हमारे पास एक प्रबन्धक निदेशक हैं जो बर्मा शैल के पेंशन भोगी हैं वह प्रायः बीमार पड़े रहते ह और समय पर चिकित्सा सुविधाओं के लिये बोर्ड के पास जाते हैं और धन की मांग करते है क्योंकि उनके नियुक्ति पत्र में इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि उनको चिकित्सा के लिये धन नहीं मिलेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि वह इतने बीमार रहते हैं तो सरकार ने उन्हें क्यों रखा हुआ है।

मेरे अपने मित्रों ने इस मन्त्रालय तथा कर्मचन्द थापर ग्रुप के सम्बन्ध के बारे में बहुत कुछ कहा है। इस मन्त्रालय का एक और चहेता वर्ग कलकत्ता के गोयका बन्धुओं का है। सदन इस बात से भली भांति अवगत है कि प्राक्कलन समिति ने भारतीय तेल निगम से बैरलो (ढोलों) का सौदा किया है। सदस्यों को इस सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा समिति के 85वें तथा 86वें प्रतिवेदन में मिल सकता है। दो कारखाने और हैं एक तो कलकत्ता स्थित इन्डस्ट्रियल कन्टेनर तथा दूसरा बम्बई स्थित स्टील कन्टेनर जिन्होंने भारतीय तेल निगम के बैरल के क्रयादेशों को ठुकरा दिया है। इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय अपनी नीति के सम्बन्ध में स्पष्ट वक्तव्य दें कि क्या मन्त्रालय की नीति एकाधिकारियों को प्रोत्साहन देने की है? सरकार एक ओर तो यह कहती है कि वह एकाधिकारियों को ओर अधिक लाइसेंस नहीं जारी करेगी और दूसरी ओर इस गुट को बढावा दे रहीं है। हम एकाधिकारियों को बढ़ावा नहीं देना चाहते और अपनी इसी नीति के आधार पर हम निर्वाचित हुये हैं।

थापर का मामला केवल अकेला नहीं है। मैं एक और उदाहरण दे सकता हूं। दुर्गापुर में गोयन्का का फिलिप्स कारबन ब्लैक नामक एक कारखान है। इसने भारतीय तेल निगम को लगभग 40 लाख रुपये या उससे अधिक रुपये के आईचोमैक्स नामक वस्तु की सप्लाई की है। भारतीय तेल निगम के प्रबन्ध निदेशक के अनुसार इस सारी बात को दबा दिया गया है। अब वह प्रबन्ध निदेशक बोर्ड के पास जाकर इसको बट्टे खाते में डालने का अनुरोध कर रहे हैं।

मैं मन्त्री महोदय से यह स्पष्ट जानना चाहता हूं कि क्या पैट्रोलियम तथा रसायन की नीति भारतीय अर्थव्यवस्था में अनुचित रूप से लाभ कमाने वालों को प्रोत्साहन देने की है।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीम नगर) : मंत्रालय के प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट है कि उर्वरक कारखाने उत्पादन लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाए हैं। चूंकि इस मंत्रालय को खाद्यान्नों के मामले में देश को आत्म निर्भर बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं मंत्री महोदय इस दिशा में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं।

अभी हाल में ही मंत्री महोदय ने बताया है कि रामगुन्दम कारखाना वर्ष 1974 तक तैयार हो जाएगा। यदि हम उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो मंत्री महोदय को इस योजना को प्राथमिकता देनी चाहिए।

यह कहा गया है कि प्रतिवर्ष मिट्टी से 80 लाख टन पोषक तत्व निकाले जाते हैं अतः मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि मिट्टी में 80 लाख टन उर्वरक डाला जाए

ताकि देश में खाद्य उत्पादन बढ़ाया जा सके। यह भी कहा गया है कि यदि हम 1964—68 के दौरान उर्वरक उत्पादन संबंधी अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं तो हम 180 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन कर सकते थे। परन्तु इस अवधि के दौरान हमने 411 करोड़ रुपये के मूल्य के उर्वरकों का आयात किया है। हमें संस्थापित क्षमता के अनुसार उत्पादन करना चाहिए ताकि हरित क्रांति की गति को बनाए रखा जाए।

यद्यपि हमारी 3.70 लाख टन उर्वरक का उत्पादन करने की क्षमता है फिर भी हमें 1,047 करोड़ रुपये के मूल्य का उर्वरक विदेशों से आयात करना पड़ता है अतः देश में अधिक उर्वरक कारखाने बनाए जाने चाहिए और उनमें दोषरहित उपकरण लगाए जाने चाहिए जिससे यह बहाना नहीं बनाया जा सके कि संयंत्र तथा उपकरण की दोषपूर्ण संरचना अथवा इस्पात की कमी के कारण उत्पादन लक्ष्य आज नहीं किया जा सका है।

हम चाहते हैं कि उर्वरकों का उत्पादन बढ़े परन्तु उर्वरकों का उत्पादन बढ़ने की बजाय अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। वर्ष 1970 में सचिवालय में 69 राजपत्रित अधिकारी तथा 267 अन्य कर्मचारी थे। वर्ष 1971 में यह संख्या बढ़कर क्रमशः 82 और 276 हो गई। जब उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई तब अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के क्या कारण हैं क्या आप इसी प्रकार बेकारी दूर करेंगे।

सरकार को उर्वरक उत्पादन की वृद्धि पर अधिक समय लगाना चाहिए तभी सरकार देश के हित के लिए कुछ कर पाएगी।

श्री अनन्तराव पाटिल (खेड़) : पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय एवं इसके विभिन्न विभागों से कच्चे तेल, पैट्रोलियम उत्पाद, पैट्रो रसायन उर्वरक तथा अन्य मिश्रित उत्पादों को उत्पादन सप्लाई तथा वितरण के मामले संबंधित हैं। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मंत्रालय है और इसकी अनुदानों की मांगों पर 4 घंटे के अल्प समय में विचार करना संभव नहीं है। इस मंत्रालय को अपेक्षित महत्व दिया जाना चाहिए।

मंत्रालय के प्रतिवेदन से इस बात का पता लगता है कि मंत्रालय के कार्यचालन में कुछ त्रुटियां हैं। मंत्री महोदय को इसके कार्यकरण की गति बढ़ानी चाहिए ताकि मंत्रालय का कार्य प्रभावकारी ढंग से चल सके।

इस मंत्रालय के अन्तर्गत सबसे महत्वपूर्ण उपक्रम पिम्परी स्थित हिंदुस्तान ऐन्टीबायोटिक्स उपक्रम है। दुर्भाग्यवश इस उपक्रम में गत दो वर्षों से उत्पादन घटता जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप लाभ की मात्रा भी कम होती जा रही है। प्रतिवेदन में इसका कारण यह बताया गया है कि यह घाटा बिजली बन्द होने तथा मशीनों की खराबी के कारण हुआ है। परन्तु केवल मशीनें ही नहीं खराब रहीं अपितु प्रबन्ध कार्य में भी कुछ अव्यवस्था हुई है। श्रमिकों और अधिकारियों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध नहीं रहे हैं प्रबन्ध में निश्चय ही कुछ दोष है और मंत्रालय को इस मामले की ओर ध्यान देना होगा।

मैं इस सम्बन्ध में आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं। 1969-70 में पैन्सलीन का उत्पादन 60.34 एम०एम०यू० था और 1970-71 में यह घटकर 58.27 एम०एम०यू० रह गया। जहां तक स्ट्रेप्टोमाइसीन के उत्पादन का सम्बन्ध है 1969-70 में यह 83,138 किलोग्राम था और 1970-71 में यह 60,963 किलोग्राम रह गया है और यदि हम कम्पनी के शुद्ध लाभ की ओर देखें तो 1969-70 का

यह लाभ 44.12 लाख रुपये से घटकर 197 -71 में केवल 7 लाख रुपये रह गया है। उत्पादन में कमी के कारण लाभ की मात्रा में भी कमी होती जा रही है, प्रतिवेदन में कहा गया है कि, ऐसा बिजली फेल होने के कारण हुआ है क्योंकि मशीनरी काफी पुरानी हो गई है साथ ही श्रमिकों तथा मालिकों के आपसी सम्बन्ध भी मैत्रीपूर्ण नहीं रहे हैं। प्रबन्धक वर्ग कुशल नहीं हैं। मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ कार्यवाही अवश्य करनी चाहिए।

मैं पूना स्थित एन्टीबायोटिक्स कारखाने के कार्यकरण के बारे में विशेष रूप से जानना चाहता हूं इसलिए नहीं कि यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है अपितु इसलिए भी कि मैं एक बार हिंदुस्तान एन्टी-बायोटिक्स मजदूर संघ का प्रधान भी रह चुका हूं। मैंने मजदूरों तथा प्रबन्धक वर्ग से इस सम्बन्ध में बातचीत भी की है। मजदूरों का कहना यह है कि यदि उत्पादन को प्राथमिकता दी जाएगी तो वह हर संभव उपाय से उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। जहां तक विटामिन 'सी' और नियोमाइसीन सल्फेट परियोजनाओं का संबंध है यह परियोजनाएं केवल कागज पर ही रह गई हैं। ऐसा कहा गया है कि उत्पादन 1971-72 में आरम्भ हो जाएगा किन्तु कम्पनी की स्थिति इस प्रकार की है कि यदि एक या दो वर्ष तक हालत इसी प्रकार रही तो कोई यह सोच भी नहीं सकता कि इन पदार्थों का उत्पादन आरम्भ किया जा सकेगा।

उर्वरकों का उत्पादन इतना अधिक नहीं हुआ जिससे कि कृषकों की उर्वरकों संबंधी आवश्यकता को पूरा किया जा सके। उत्पादन कम है और कीमतें अत्यधिक हैं। इसलिए हमें अधिक उर्वरक कारखानों की स्थापना करनी चाहिए और सभी विद्यमान कारखानों का विस्तार करना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो हमें उर्वरकों का आयात भी करना चाहिए और यदि आगामी पांच वर्षों में उर्वरकों के उत्पादन के लिए लाइसेंस गैर-सरकारी क्षेत्र को दे दिए जाएं तो इसमें भी कोई हानि नहीं होगी।

अन्त में मैं शीरे के सम्बन्ध में एक दो बातें कहना चाहूंगा। जहां तक शीरे का संबंध है देश में चीनी मिलों में चीनी का उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ शीरे का उत्पादन भी बहुत बढ़ गया है परन्तु इसे व्यर्थ गंवा दिया जाता है। यदि हम शीरे के उपयोग से अल्कोहल तैयार करें तो इसके निर्यात से हम काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं किन्तु सरकार अल्कोहल उत्पादन के लिए लाइसेंस नहीं दे रही है और यदि सरकार लाइसेंस जारी कर दे तो इससे न केवल निर्यात से होने वाली आय ही बढ़ेगी अपितु चीनी भी कम कीमतों पर बेची जा सकेगी। सरकार को मेरे इस सुझाव पर विचार करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ में अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी में उन्नति हो जाने से इस मंत्रालय को देश के भाग्य निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। हम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की यथा राष्ट्रीयकरण की दुहाई देते हैं किन्तु हमारी कथनी और करनी में बड़ा अन्तर हो गया है। उदाहरणार्थ, उड़ीसा के औद्योगिक विकास निगम का मामला हैं। इस निगम ने पोलिएस्टर रेशा संयंत्र की स्थापना के लिए लाइसेंस मांगा था परन्तु यह लाइसेंस उन्हें न देकर सेन रेले साईकिल कम्पनी वाले श्री सेन को दे दिया गया है। क्या इस तरीके से देश में समाजवाद लाया जा सकेगा?

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में गोलमाल होने के बारे में हाल ही में इस सभा में चर्चा हुई थी जिसका संबंध नाज़िर सम्पदा और लुकना चाय बागानों की बिक्री तथा 46.67 लाख रुपये के

मुआवजे की अदायगी में था। मिस्टर जानसन के बारे में केन्द्रीय जांच निगम की तीन रिपोर्टें अभी पड़ी हुई हैं। उसको अभी तक निलम्बित नहीं किया गया है और वह इस समय कृषि आयोग के उपसभापति के रूप में कार्य कर रहे हैं।

सभापति महोदय : क्या मामला न्यायालय के पास अनिर्णीत पड़ा है।

श्री पी० के० देव : मुझे इस सम्बन्ध में कुछ पता नहीं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो कोई न्यायालय नहीं है। यह पुलिस जांच विभाग है।

1968 में चौथी लोक सभा की प्राक्कलन समिति ने अपने 50वें प्रतिवेदन में देशी संसाधनों से कच्चे तेल के वास्तविक उत्पादन तथा हमारी वास्तविक मांग के बीच के अन्तर पर प्रकाश डाला। यह अन्तर लगभग 20 लाख टन के लगभग था। उन्होंने सुझाव दिया था कि तेल संबंधी खोज कार्य को अधिक तेज़ करना चाहिए। उड़ीसा तथा अन्दमान में तेल की विद्यमानता का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया गया है परन्तु इस काम को बीच में ही बन्द कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में गुरुत्वाकर्षण सर्वेक्षण तथा भूकम्प परिचायक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। उड़ीसा तथा अन्दमान द्वीपसमूह में तेल के लिए वैज्ञानिक कार्य की खोज को तेज किया जाना चाहिए।

यह प्रसन्नता का विषय है कि मंत्रालय ने कम आय वर्गों के बेकार स्नातकों को भारतीय एजेंसियां देने की एक योजना बनाई है परन्तु इन स्नातकों से कहा जाता है कि वे इस सम्बन्ध में जमानत दें। वे जमानत कैसे दे सकते हैं। यदि सरकार वास्तव में उनकी सहायता करना चाहती है तो उसे जमानत नहीं मांगनी चाहिए।

देश में उर्वरकों की अत्यन्त कमी है और इसी कारण कीमत पूर्ति तथा मांग के साधारण नियम से नियंत्रित हो रही हैं। परिणामस्वरूप उर्वरकों की बड़ी मात्रा में चोर बाजारी हो रही है इसलिए सरकार को अधिक उर्वरक कारखानों की स्थापना करनी चाहिए ताकि कृषकों की उर्वरकों संबंधी बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके।

बजट में पैट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। इन बढ़ी कीमतों से परिवहन व्यवस्था को धक्का लगेगा। स्वाभाविक रूप से उपभोक्ताओं की आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी विशेषकर उन नाशवान वस्तुओं की जिन्हें सामान्यतः मोटर गाड़ियों से लाया और ले जाया जाता है। यात्रियों के लिए परिवहन व्यय का भी बढ़ना स्वाभाविक है और आम जनता पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर विशेष ध्यान देंगे और मेरा उनसे अनुरोध है कि वह उड़ीसा राज्य औद्योगिक विकास निगम की पोलिस्टर फाईबर संयंत्र खोलने की मांग पर पुनः विचार करें।

श्री एस०आर० दाभाणी : महोदय अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए कई माननीय सदस्यों ने इस मंत्रालय के कुछ अधिकारियों के प्रति आरोप लगाए हैं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इन आरोपों की जांच कराएंगे तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेंगे। उचित कार्यवाही सरकारी क्षेत्र को आने वाले वर्षों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है अतः इसका कार्यकरण कुशल होना चाहिए।

यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। आज कल किसी भी देश का विकास बहुत हद तक उर्वरकों तथा खनिज तेल के विकास पर निर्भर करता है। परन्तु गत तीन या चार वर्षों में हमने इस क्षेत्र में क्या किया है। यद्यपि हमारे कच्चे तेल का उत्पादन 70 लाख टन तक पहुंचा गया है परन्तु दुर्भाग्यवश यह इससे आगे नहीं बढ़ सका। इसका परिणाम यह हुआ है कि हमें विदेशों से प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है 1967-68 में 80 करोड़ रुपये के मूल्य का तथा 1969-70 में क्रमशः 94 और 120 करोड़ रुपये के मूल्य का तेल आयात किया गया। अतः यह अनिवार्य है कि कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जाए ताकि हम आत्म निर्भर हो सकें और विदेशी मुद्रा की बचत कर सकें। भाग्यवश हमारी तेल उत्पादन की निर्धारित क्षमता 200 लाख टन की है जबकि उत्पादन केवल 120 लाख टन ही होता है।

एक सर्वेक्षण से पता चला है कि हमारे यहां अधिकांशतः तेल गहरे समुद्र में पाया जाता है। अतः गहरे समुद्र से तेल निकालने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए। मंत्री महोदय को इस क्षेत्र के विशेषज्ञ देशों के साथ बात-चीत करनी चाहिए और वहां के विशेषज्ञों को अपने देश में आमंत्रित करके एक साथ कई स्थानों पर संयुक्त छिद्रण कार्य प्रारम्भ किया जाना चाहिए ताकि हम कच्चा तेल प्राप्त कर सकें और अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकें।

उर्वरकों के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है। हमारी धीरे धीरे मांग बढ़ती जा रही है परन्तु उत्पादन कम होता जा रहा है कुछ लाइसेंस दिए गए हैं परन्तु उत्पादन कुछ वर्ष बाद ही प्रारम्भ होगा। सरकारी क्षेत्र के कुछ उर्वरक कारखाने संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं। नांगल तथा गोरखपुर के कारखाने इसी के अन्तर्गत आते हैं वह अपनी निर्धारित क्षमता के अनुरूप काम कर रहे हैं और पर्याप्त लाभ कमा रहे हैं।

यह खेद की बात है कि कामरूप, ट्राम्बे, नाहरकटिया आदि परियोजनाओं में 50 प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग किया जा रहा है। इन परिस्थितियों के कार्य संचालन में सुधार किया जाना चाहिए हानि के अतिरिक्त क्षमता बेकार रहने के कारण हमें भारी क्षति उठानी पड़ रही है। हमें अन्य देशों से उर्वरकों का आयात करना पड़ता है और उसका भुगतान भी विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है। सहकारी क्षेत्र को अधिक लाइसेंस दिए जाने चाहिए और इस क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि देश उर्वरकों के मामले में आत्म निर्भर हो सके।

अन्त में केवल रसायन के सम्बन्ध में दो शब्द कहूंगा। इस समय हम भारी मात्रा में रसायनों का आयात कर रहे हैं। देश में नए रसायनिक उद्योग स्थापित करने की काफी गुंजाइश है ताकि हम आत्म निर्भर बन सकें। माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ कार्यवाही शीघ्र करें।

Shri N. N. Pandey (Gorakhpur) : Sir, as the time at my disposal is very short I would like to draw your attention only towards the fertiliser corporation. Fertiliser plays an important part in agriculture. I wish that the Government should findout whether our fertilizer units are working according to their installed capacity or not. If they are not working upto full capacity steps should be taken to remove the difficulties in the way of the units working to their full capacity.

There is a fertiliser corporation in Gorakhpur with a target capacity of 80,000 tonnes but last year its production could not exceed 73,000 tonnes and before that its production

went down upto the half of its installed capacity. They said it was due to electric breakdown. The matter should be enquired.

In this context I may invite your attention toward other factories of Gorakhpur. There peasants were uprooted from their homes. They were promised houses and employment but the actual position is that outsiders have been employed and they haven't got anything. There is nepotism and favouritism in appointing persons in this unit. Local people have not been given even jobs of clerks & peons. In the matter of promotions favouritism is being shown. How can production be increased when there is discontentment prevailing in the staff.

The other matter to which I wish to refer is crude oil. Even in a poor city like Gorakhpur a bottle of kerosene oil costs more than a rupee. It is on account of hoarding by black marketieers. The poor people are suffering. Hon. minister should take some action in this regard.

There is a lot of corruption in the Indian Oil Company. Certain officers are involved in corrupt practices in the import of oil. Stern action should be taken to check corruption. There is top heavy administration in our public sector undertakings Steps should be taken to steamline the administration.

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई उत्तर पूर्व) : पैट्रोलियम का उत्पादन संतोषजनक नहीं है। 1970 में 68 लाख टन कच्चे तेल का उत्पादन हुआ जो गत वर्ष से केवल 1.3 प्रतिशत अधिक है जबकि गत वर्ष 14 या 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे स्पष्ट है कि उत्पादन में स्थिरता आ गई है। इसी प्रकार तेल शोधन क्षमता में भी कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। 1974-75 तक 300 लाख टन तेल शोधन का लक्ष्य रखा गया है परन्तु अभी तक हम केवल 184 लाख टन का उत्पादन कर पाए है। इसको देखते हुए लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं दिखाई देती।

आयल इंडिया लिमिटेड तथा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग सरकारी उपक्रम हैं। दोनों का काम संतोषजनक नहीं है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग घाटे में चल रहा है। इसके अतिरिक्त गत अक्तूबर से इस आयोग के चेयरमैन का पद खाली पड़ा है। सरकार को इस सम्बन्ध में निर्णय लेने में क्या कठिनाईयां हैं? मुझे बताया गया है कि जब कुछ अधिकारियों से यह पद संभालने को कहा गया तो उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। कुछ लोग ऐसे अवश्य हैं जो इस आयोग में सुधार लाना चाहते हैं परन्तु उनको ऐसा नहीं करने दिया जाता? इसलिए पैट्रोलियम और रसायन मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करें।

इस संस्था ने अलियाबेट में समुद्र से दूर खुदाई का काम शुरु किया था। एक साल से भी अधिक अवधि के भीतर केवल एक कुएं की खुदाई की गई है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की हाइड्रोकार्बनस् नाम की एक कम्पनी है। यह कम्पनी ईरानी तेल क्षेत्रों में विदेशी फर्म संगठन के साथ मिलकर काम कर रही है। लगभग एक वर्ष हो चुका है और इस कम्पनी ने 13.60 लाख टन कच्चा तेल उत्पादित किया गया है। इसमें से 11.60 लाख टन अन्य देशों में बेचा जाना है। हमारे देश में कच्चे तेल की कमी होते हुए भी हम बड़ी मात्रा में तेल विदेशों को भेज रहे हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि कोचीन शोधनशाला और मद्रास शोधनशाला का निर्माण कार्यक्रम और डिजाइन

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यक्रम के अनुरूप तैयार नहीं किया गया। मेरा सुझाव यह है कि एक श्रम विशेषज्ञ को इस आयोग का सचिव नियुक्त किया जाए । श्रम विशेषज्ञ के न होने से इस मंत्रालय के अधीन अन्य सरकारी उपक्रमों के औद्योगिक सम्बन्ध खराब रहे हैं। इसके साथ ही, ये सरकारी उपक्रम संतोषजनक रूप से काम नहीं कर रहे हैं । यदि उद्योग को संतोषजनक ढंग से चलाया जाना है तो औद्योगिक सम्बन्ध सुधारने ही होंगे। इसके लिए श्रम विशेषज्ञ की नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि वह समस्याओं का समाधान खोज सकें।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी०सी० सेठी) : मैंने माननीय सदस्यों के सुझावों और आलोचनाओं को ध्यानपूर्वक सुना है और मैं उनसे लाभ उठाकर यथावश्यक कार्रवाई करुंगा।

पैट्रोलियम और रसायन उद्योग विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है। 1920 में ईंधन, पैट्रालियम और गैस का उपभोग कुल आवश्यकता का 20 प्रतिशत था । 1964 में यह उपभोग बढ़कर 54 प्रतिशत हो गया और अब यह 60 प्रतिशत है। इसी से ही उद्योग के महत्व का पता चलता है।

रसायन-शास्त्र का विज्ञान और टेक्नालाजी की प्रगति में मुख्य हाथ रहा है। पौधों की रक्षा करने के लिए कीटनाशक तथा कीटाणुनाशक दवा, रंग बनाना, कृत्रिम रेशे से बने वस्त्र, कृत्रिम रबड़ और प्लास्टिक का निर्माण इतनी मात्रा में हो रहा है कि कुल आवश्यकता के एक तिहाई भाग की पूर्ति कृत्रिम उत्पादों द्वारा की जा रही है।

इस उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि सदन भी उनसे अवगत हो। छठे दशक के प्रारम्भ तक भारत में पेट्रोलियम उत्पादों का उपभोग बहुत कम था इसलिए तेल की खोज का कार्य भी बहुत कम था। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1959 में हुई। उसके बाद से 1970 तक यह कार्य कुशलता से चलता रहा। इसने देश के कई भागों में तेल खोजने का काम शुरू किया। अप्रैल, 1971 के अन्त तक लगभग 888 कुंए खोदे गए जिनमें से 497 तेल वाले थे, 66 गैस वाले थे तथा 73 कुओं के अभी परीक्षण किए जा रहे हैं। लगभग 233 कुओं को शुष्क घोषित किया गया। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में दबाव बनाए रखने के लिए 22 कुएं पानी डालने के लिए खोदे गए। इस प्रकार, आयोग द्वारा खोदे गए 4 कुओं में से तीन कुएं तेल अथवा गैस वाले पाए गए।

आयोग द्वारा 88 स्थानों की खुदाई की गई जिसमें से 77 स्थानों का परीक्षण किया जा चुका है। 28 स्थान तेल/गैस, (वाणिज्यिक तथा गैर-वाणिज्यिक) वाले पाए गए । इनमें से 18 तेल/गैस स्थानों पर कार्य शुरू किया जा चुका है।

अप्रैल, 1971 तक तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने 196 लाख 50 हजार टन कच्चे तेल का उत्पादन किया गया है। ऐसा हमारे मित्र देशों—रूस, रुमानिया, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और संयुक्त राष्ट्र के तकनीकी मार्गनिर्देशन से संभव हुआ है । आयोग के कई युवक तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारी विदेशों में तेल टेक्नालाजी की विभिन्न शाखाओं में प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। हमें अनुभव से ज्ञात हुआ है कि समुद्री क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तेल क्षेत्रों के मिलने की संभावना है। आयोग ने खम्भात की घाटी के समुद्रवर्ती क्षेत्र में खुदाई का काम शुरु किया और मार्च, 1970 में माननीय प्रधानमंत्री ने खुरपी लगाकर कुंए की खुदाई का उद्घाटन किया। खोदे जाने पर इसमें तेल पाया गया है। इस बात की तकनीकी जांच की जा रही है कि इस स्थान पर खुदाई के लिए आगे क्या कार्यक्रम शुरू किया जाए।

माननीय सदस्य ने शिकायत की है कि एक साल बीत चुका है परन्तु तेल के वाणिज्यिक लाभ को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। मैं कहना चाहता हूं कि यह एक नया क्षेत्र है और भूवैज्ञानिक भूगौतिक तथा भूकंपन सर्वेक्षण करने तथा वाणिज्यिक लाभ को सुनिश्चित करने में 7 से दस वर्ष लग जाते हैं।

समुद्र तट से दूर तेल निकालने का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके लिए जापान के मित्सुबिशी के साथ स्वचालित जेक अप प्लेटफार्म बनाने के लिए करार किया जा चुका है। आवश्यक तकनीकी सहायता प्राप्त करने तथा आयोग के तकनीशियनों को प्रशिक्षित करने के लिए अमरीका की इंटरनेशनल कम्पनी के साथ करार किया गया है। लेकिन यह भी सच है कि विश्व भर में कच्चे तेल की मांग को देखते हुए और तेल उत्पादक देशों के साथ हुए करारों को देखते हुए कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। माननीय सदस्य का यह कहना सर्वथा गलत है कि बीमा कम्पनी जापान से प्राप्त जेक-अप प्लेटफार्म का बीमा करने के लिए तैयार नहीं है। समुद्र तट से जेक अप प्लेटफार्म के लिए विभिन्न सामान लाने के लिए दो समुद्री जहाजों की आवश्यकता है। ये समुद्री जहाज संभवतः मझगांव गोदी कर्मचारियों द्वारा तैयार किए जाएंगे। इसी प्रकार भूकंपन सर्वेक्षण के लिए भी हमें कुछ समुद्री जहाजों की आवश्यकता है और इसके लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

तेल उत्पादक देशों और तेल कम्पनियों के बीच हुए करार के परिणामस्वरूप तेल की कीमतों में जो वृद्धि हुई है उसका एक समाधान केवल यह है कि समुद्रवर्ती और समुद्रतट से दूर खुदाई का काम और तेजी से किया जाए। इसके लिए हमें समुद्र तट से दूर क्षेत्रों में कुंए खोदने होंगे और अन्य क्षेत्रों में भी सर्वेक्षण तथा खुदाई का काम तेज करना होगा।

श्री चित्तिबाबू ने कहा है कि मद्रास के समुद्रतटीय क्षेत्रों में खुदाई का काम नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि प्राथमिकता उन क्षेत्रों को दी जाएगी जहां तेल निकलने की अधिक संभावना है। माननीय सदस्य ने शिकायत की है कि मेरा मंत्रालय राज्य के मुख्य मंत्री को सही आदर नहीं देता। परन्तु यह कहना ठीक नहीं। सच तो यह है कि हमें उन स्थानों, जहां उद्योग स्थापित हैं, के मुख्यमंत्रियों और निवासियों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तमिलनाडु सरकार द्वारा कुछ विशिष्ट कर लगाए जाने के परिणामस्वरूप हमें विशेष स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यदि अन्य राज्य सरकारें भी इसी प्रकार के कर लगाती हैं तो इसका सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

समुद्रवर्ती क्षेत्रों का तकनीकी आर्थिक अध्ययन रूस के विशेषज्ञ दल और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के तकनीशियनों द्वारा किया जा रहा है। इस वर्ष के सितम्बर मास तक प्रतिवेदन प्राप्त होने की संभावना है और प्रतिवेदन के मिलते ही खुदाई का काम शुरू कर दिया जाएगा। मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि यह कार्य बहुत मंहगा और अनिश्चित होता है। संभव हैं खोदे हुए सभी कुओं में तेल हो और यह भी संभव है कि सभी कुएं शुष्क निकलें। बड़े सौभाग्य की बात है कि भारत में आयोग द्वारा खुदवाए गए कुओं में से बहुत कम प्रतिशत कुएं सूखे निकले हैं। यह प्रतिशतता विश्व के अन्य देशों खोदे हुए शुष्क कुओं की प्रतिशतता से कहीं कम है।

मुझे स्वयं चिन्ता है कि 1968 में आयोग ने गुजरात तथा आसाम में क्रमशः सोभासन और गेलकी तेल क्षेत्र खोजे के उसके बाद अभी तक आयोग को किसी अन्य तेल क्षेत्र का पता लगाने में सफलता नहीं मिली है।

आयोग को इस समय आधुनिक औजारों की आवश्यकता है। प्रबन्ध क्षमता बढ़ाए जाने और महत्वपूर्ण कर्मचारियों की तकनीकी क्षमता में वृद्धि करने के लिए प्रगतिशील नीति अपनाए जाने की आवश्यकता है। आयोग के वित्तीय और प्रशासनिक ढांचे की जांच करना भी आवश्यक है। इसलिए मैंने अत्यधिक शक्ति प्राप्त विशेषज्ञ समिति नियुक्ति करने का निर्णय किया है। समिति से अपेक्षा की जाएगी कि वह तीन महीनों के अन्तर्गत अपना प्रतिवेदन दे ताकि आवश्यक उपचारात्मक उपाय किए जा सकें।

अब मैं माननीय सदस्यों का ध्यान तेल शोधन तथा विपणन समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। मिट्टी के तेल तथा भट्टी में प्रयुक्त होने वाले तेल के अतिरिक्त हमने अन्य पदार्थों में लगभग आत्म निर्भरता प्राप्त करली है। देश में तेल उत्पादन की क्षमता 200 लाख टन है जिसमें से स्वदेशी उत्पादन लगभग 70 लाख टन रहा है। शेष संयुक्त संगठनों और गैर सरकारी तेल कंपनियों द्वारा आयात किया जाता है। तेल शोधन करार के अनुरूप उन्हें कच्चा तेल आयात करने का अधिकार प्राप्त है। यह सुझाव भी दिया गया था कि हम विश्व भर की निविदाओं के आधार पर कच्चा तेल आयात क्यों नहीं करते। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि तेल शोधन करार की अवधि 25 वर्ष है। हम इस सम्बन्ध में कानूनी राय ले रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। करार के कराण ही तेल की कीमतें बढ़ी हैं और सरकार इससे चिन्तित है। सरकार मामले के कानूनी वित्तीय और राष्ट्रीय पहलुओं पर विचार कर रही है। इस सम्बन्ध में यथासंभव शीघ्र कार्रवाई की जा सके, इसके लिए मैं प्रयत्नशील रहूंगा।

भारतीय पैट्रोलियम संस्थान ने अपने अध्ययन के दौरान यह कहा है कि 1975 तक कच्चे तेल की मांग देश भर में 340 लाख टन हो जाएगी। अन्य अध्ययनों में कहा गया है कि चौथी योजना के अन्त तक कच्चे तेल की आवश्यकता 280 लाख टन होगी। हमारी वर्तमान क्षमता 200 लाख टन है। इसको ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमारी तेल शोधन क्षमता कम हो जाएगी। इसलिए इस समस्या का समाधान हमें करना ही होगा। समाधान तीन प्रकार का हो सकता है। (1) बनाए गए कार्यक्रम को यथाशीघ्र क्रियान्वित करना (2) उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में 60 लाख टन क्षमता वाली तेल शोधन शाला की स्थापना करना। (3) देश के आर्थिक विकास को रोके बिना उपभोग को कम करना।

अन्तिम समाधान के लिए मंत्रालय ने एक अध्ययन दल नियुक्त किया है। दल ने प्रतिवेदन दे दिया है और इसकी जांच की जा रही है। राष्ट्रीय ईंधन नीति की जांच योजना आयोग द्वारा की जा रही है।

भारतीय तेल निगम देश में सबसे बड़ा निगम है। सरकारी क्षेत्र में चल रहे उपक्रमों में से यह उपक्रम सबसे अधिक फायदे में चल रहा है। 1965-66 में कुल पैट्रोलियम उत्पादों की बिक्री का 28.5 प्रतिशत, 1970-71 में 52.7 प्रतिशत इस कम्पनी ने बेचा और 1973-74 में यह प्रतिशतता बढ़कर 62.3 प्रतिशत होने की आशा है। इसको अधिक लाभप्रद बनाने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे और यथावश्यक उपचारात्मक उपाय किए जाएंगे।

भूतपूर्व मंत्री, श्री त्रिगुण सेन द्वारा ढाई वर्ष पूर्व एक योजना शुरू की गई थी जिसके अन्तर्गत निम्न आय वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले युवक स्नातकों को एजेंसियां और डीलरशिप देना निश्चित किया

गया था। लेकिन कई कारणों से इस दिशा में बहुत धीमी प्रगति हुई है। हमें इस सम्बन्ध में कई सिफारिशें, शिकायतें और सुझाव प्राप्त हुए हैं। उन पर विचार किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस विषय में बातचीत करें ताकि कमियों को दूर किया जा सके।

मिट्टी के तेल और मोटर स्पिरिट सहित पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें समय समय पर नियुक्त मूल्य समिति द्वारा निश्चित किए जाते हैं और मूल्य तुल्यता के आधार पर तय किए जाते हैं। 28-5-71 से पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ाई गई थी। शांतिलाल शाह समिति ने सुझाव दिया था कि कच्चे तेल के मूल्यों में 10 सैंट की वृद्धि होने पर उत्पादों की कीमतों में 4 प्रतिशत वृद्धि कर दी जानी चाहिए। इस सुझाव के अनुरूप कीमतों में 16 प्रतिशत की वृद्धि की मांग की गई थी। लेकिन सरकार ने 8 प्रतिशत वृद्धि की अनुमति दी है।

पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि 1-3-1968 को मोटर स्पिरिट और मिट्टी के तेल की 1000 लिटर की कीमत 224 रु० 13 पैसे और 235 रुपये 63 पैसे थी। अब मोटर स्पिरिट की कीमत 395 रुपये 85 पैसे बढ़ गई है और मिट्टी के तेल की कीमत में 84 रु० 57 पैसे की वृद्धि हुई है। 395 रुपये 85 पैसे की वृद्धि में उत्पादन शुल्क की राशि 373 रुपये 78 पैसे है तथा 84 रु० 57 पैसे की वृद्धि में उत्पादन शुल्क की राशि 64 रु० 51 पैसे है। अतः यह स्पष्ट है कि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि अन्य ऐसे कारणों से हुई जो मंत्रालय के नियंत्रण से बाहर है।

जहां तक उर्वरक उत्पादन का सम्बन्ध है, सरकार उर्वरकों के निर्माण में संभरण भंडार को प्रयुक्त करने की नीति का अनुसरण करती रहेगी। अस्थायी उपाय के रूप में सरकार ने सरकारी क्षेत्र परियोजनाओं को आयातित एमोनिया के प्रयोग की अनुमति दे दी है। कई परियोजनाएं नैफ्था पर आधारित हैं। लेकिन 1972 के बाद नैफ्था की कमी होने की संभावना है। इसलिए सरकार का यह प्रयत्न है कि नैफ्था पर निर्भरता को कम किया जाए और इन परियोजनाओं को संभरण भंडार, कोयला अथवा ईंधन तेल का प्रयोग करने के लिए कहा जाए।

मैं माननीय सदस्यों को सूचनार्थ बताना चाहता हूं कि यह आशा की जा रही है कि दुर्गापुर, कोचीन तथा मद्रास स्थित परियोजनाएं इस वर्ष वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर देगी। इससे प्रतिवर्ष 5 लाख टन उर्वरक उत्पादन में वृद्धि होगी।

इस समय नाइट्रोजिनस और फास्फेटिक उर्वरक उत्पादन की क्षमता क्रमशः 13 लाख 44 हजार और 4 लाख 21 हजार टन है। अनुमान लगाया गया है कि 1971 में 24 लाख टन नाइट्रोजन, 9 लाख 3 हजार टन P_2O_5 तथा 5 लाख 6 हजार टन K_2O (पोटाश) की आवश्यकता होगी। इससे यह स्पष्ट है कि इन पदार्थों की कमी अवश्य होगी और मांग को आयात के द्वारा पुरा किया जाएगा। 1968-69, 1969-70 तथा 1970-71 में क्रमशः 153.75 करोड़ 112.23 करोड़ तथा 751 करोड़ रुपये का आयात किया गया। नाइट्रोजन और P_2O_5 बनाने की क्षमता क्रमशः 16 लाख 68 हजार टन और 4 लाख 31 हजार टन है। संयंत्रों के कार्य संचालन, रख रखाव, उत्पादन, विक्रय और निर्माण के लिए सतत प्रयत्न किए जा रहे हैं। आशा है कि 1975-76 तक नाइट्रोजन की तंगी में कमी होगी और इसका उत्पादन तथा मांग 39 लाख टन हो जाएगी। लेकिव K_2O_5 का आयात हमें जारी रखना पड़ेगा। P_2O_5 के उत्पादन की दिशा में भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। जहां तक पोटाश का सम्बन्ध है, जब तक देश में यह उपलब्ध नहीं होता, तब तक हमें इसका आयात करना ही होगा।

अब मैं उर्वरक संयंत्रों के डिजाइन बनाने और उनके निर्माण के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। भारतीय खाद्य निगम के योजना तथा विकास संगठन और फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के इंजीनियरिंग और डिजाइन संगठन के सहयोग से दुर्गापुर, कोचीन, नामरूप और बरौनी में संयंत्रों के विस्तृत डिजाइन तैयार किए गए हैं। इससे पूर्व देश उर्वरक संयंत्रों के लिए बाहर से वस्तुएं आयात करता था परन्तु अब वह स्थिति नहीं रही है। अब कन्वर्टर, रिएक्टर, प्रेशर पम्प इत्यादि देश में ही तैयार किए जाते हैं।

विभिन्न राज्यों से पत्र प्राप्त हो रहे हैं कि वहां पैट्रो-रसायनिक कारखाने स्थापित किए जाएं। परन्तु मेरे विचार में इसकी स्थापना से अधिक व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल सकता। दूसरे नैफ्था की उपलब्धि के आधार पर ही इस किस्म के कारखाने लगाए जा सकते हैं। केवल आयातित नैफ्था से काम नहीं चल सकता। जैसे ही नैफ्था के उत्पादन में वृद्धि होगी, वैसे ही ऐसे कारखाने लगाने की संभावनायें बढ़ जाएंगी। साथ ही, सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण पहले उन कारखानों का निर्माण किया जाएगा जिनकी स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है।

इंजीनियर इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1965 में की गई थी। यह कम्पनी कुशलता से चल रही है। इस कम्पनी में कई विशेषज्ञ हैं। इन्होंने विभिन्न परियोजनाओं को तैयार करने में सहायता की और इस समय हल्दिया तेल शोधनशाला में काम कर रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने विभिन्न संगठनों में फैले भ्रष्टाचार की जांचों के बारे में पूछा है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 66वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिश के अनुरूप 26 अगस्त 1970 को एक सदस्यीय आयोग गठित किया गया। सुनवाई की प्रक्रिया आयोग द्वारा निश्चित की गई थी और अब पक्षकारों की सुनवाई शुरु हो गई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने कहा है कि उचित स्थान पर उपयुक्त आवास की व्यवस्था की जानी चाहिए मैं निर्माण तथा आवास मंत्रालय से इस सम्बन्ध में बातचीत करूंगा। माननीय सदस्य ने कहा है कि भारतीय तेल निगम के चेयरमैन की बदली की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं नया चेयरमैन शीघ्र ही नियुक्त किया जाएगा।

गंगा के दूषित जल के कारणों का पता लगाने के लिए मार्च, 1968 में एक आयोग नियुक्त किया गया था। 1969 में इसने अपना प्रतिवेदन दे दिया था। प्रतिवेदन के अनुरूप कार्रवाई की गई है और सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक जांच शुरु कर दी गई है। लकवा टी इस्टेट और नाजिरा इस्टेट के सम्बन्ध में जांच चल रही है और प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। श्रीमती लीला मेनन के विरुद्ध जांच चल रही है और जैसे ही प्रतिवेदन प्राप्त होगा कार्रवाई की जाएगी।

Shri Satpal Kapur (Patiala) : She has already resigned and her resignation has been accepted. Are you going to take action against persons who have accepted her resignation?

श्री पी०सी० सेठी : केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा केवल आपराधिक मामलों की जांच की जाती है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा केसिंग्ज़ और सीमलेस पाइपों के आयात के सम्बन्ध में जांच हो रही है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो से शीघ्र जांच समाप्त करने के लिए अनुरोध किया जाएगा। जब तक जांच समाप्त न हो जाए, कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। जिन अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, उनके विरुद्ध तब तक कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक आरोप सिद्ध न हो जाएं।

जहां तक मिट्टी के तेल का सम्बन्ध है, हम प्रायः आत्मनिर्भर हो चुके हैं। अब केवल 8 करोड़ रुपये के मूल्य का आयात किया जाता है। हमने राज्य सरकारों को लिखा है कि इनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। लेकिन साथ ही मैं बता देना चाहता हूं कि मिट्टी के तेल को डीज़ल तेल में मिलाकर इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। मुख्य राजमार्गों पर कई दुकानें ऐसी खुल गई हैं जो आस पास रहने वाले ग्रामीणों की आवश्यकताओं को पूरा न करके पेट्रोल पम्पों के तेल बेचते हैं और फिर पेट्रोल पम्प वाले उसे डीज़ल तेल में मिला देते हैं। मैंने राज्य सरकारों से इन दुकानों पर छापा मारने तथा उनके लाइसेंस रद्द करने के लिए अनुरोध किया है। हम स्वयं भी इसके लिए प्रयत्नशील हैं। गोरखपुर तथा अन्य राज्यों से मिट्टी के तेल की कमी के समाचार मिले हैं। हम बरौनी से तेल को कानपुर में लाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और आशा है कि उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल की कमी दूर हो जाएगी।

श्री उन्नीकृष्णन : भरती नीति के बारे में आपके क्या विचार है ?

श्री पी०सी० सेठी : मैं भरती के सम्बन्ध में अपनाए गए मानदन्डों की जांच करूंगा।

श्री उन्नीकृष्णन् : प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध लगाए गए आरोप क्या ठीक हैं ? यदि हां, तो क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है ?

श्री पी०सी० सेठी : मैंने कह दिया है कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रगट किए गए विचारों पर मैं निश्चित रूप से ध्यान दूंगा।

श्री राजा कुलकर्णी : हम जानना चाहते हैं कि कर्मचारियों के प्रतिनिधि को भारतीय तेल निगम के बोर्ड में शामिल करने के सम्बन्ध में मंत्री महोदय की क्या राय है ?

सभापति महोदय : अब इस पर चर्चा करने का समय नहीं। मंत्री महोदय ने पहले ही कह दिया है कि वह इन पर विचार करेंगे।

श्री उन्नीकृष्णन् : मंत्रालय के अधिकारियों तथा भारतीय तेल निगम के अधिकारियों पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने गोयन्का उद्योग-गृह को बैरलों में अधिक लाभ कमाने के लिए उत्साहित किया था। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय की क्या राय है ?

श्री पी०सी० सेठी : मैंने भारत बैरल्स बनाम गोयन्का बन्धुओं के मामले का अध्ययन किया है। क्रमादेश उसी व्यक्ति को दिया गया जिसने कम मूल्य के टैंडर भेजे थे। इसके बावजूद भी यदि माननीय सदस्यों को कुछ कहना है तो मैं कभी भी इस विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं।

सभापति महोदय : मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 1 तथा 2 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

(सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए)

(The cut motions were put and negatived)

सभापति महोदय द्वारा पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुईं।

The following Demands in respect of Ministry of Petroleum and Chemicals were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रुपये
71	पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	*78,01,000
133	पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . . .	*34,96,51,000

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 7 जुलाई, 1973/16 आषाढ़, 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Wednesday, July 7, 1971/ Asadha 16, 1893 (Saka).

MGIPRRND—11 LSS/71—Sec. V—28-10-71—000,490